

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2026 की प्रतिवेदन संख्या 8
(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020
पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

संघ सरकार

राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर

2026 की प्रतिवेदन संख्या 8

(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

12 अगस्त 2026 को लोक सभा एवं राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया।

विषयसूची

विषय		पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	*i*
	कार्यकारी सारांश	*iii-ix*
	अनुशंसाओं का सारांश	*xi-xiii*
अध्याय 1	परिचय	1-12
अध्याय 2	लेखापरीक्षा उपागम	13-18
अध्याय 3	जनसंख्या एवं लेखापरीक्षा नमूना का सांख्यिकीय विश्लेषण	19-25
अध्याय 4	प्रणालीगत मुद्दे एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली - अवसंरचना, प्रक्रियाएं एवं डाटा सुरक्षा	27-70
अध्याय 5	डीटीवीएसवी योजना, 2020 के अंतर्गत अधिनियम/ नियमों/परिपत्रों के प्रावधानों का अनुपालन	71-108
अध्याय 6	आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता, अनुवीक्षण एवं योजना की प्रभावोत्पादकता	109-123
	अनुलग्नक	125-215
	शब्दावली	217-218

प्रस्तावना

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राजस्व विभाग - केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा संसाधित मामलों की जांच लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए उदाहरण इस प्रतिवेदन में उल्लिखित हैं। यह लेखापरीक्षा जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक संचालित की गई थी। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित मुद्दों की जांच मार्च 2024 एवं सितम्बर 2024 के दौरान की गई थी।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।

कार्यकारी सारांश

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीएसवी) योजना, 2020, एक समाधान तंत्र है, जिसे लंबित आयकर मुकदमों को कम करने, सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करने और करदाताओं को मानसिक शांति, निश्चितता और समय एवं संसाधनों की बचत प्रदान करके तथा उन्हें आर्थिक दंड अभियोजन से छूट देकर लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लागू किया गया। इस प्रकार, इस योजना का उद्देश्य सरकार के साथ-साथ करदाताओं को भी लाभ पहुंचाना था।

31 जनवरी 2020 तक, 4.15 लाख अपील मामलों में लंबित विवादित प्रत्यक्ष कर बकाया राशि ₹ 10.09 लाख करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 11.37 लाख करोड़ के प्रत्यक्ष कर संग्रह का 88.7 *प्रतिशत* थी। यह समाधान तंत्र विभिन्न अपीलीय मंचों, जैसे कि आयकर आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में 31 जनवरी 2020 तक लंबित मुकदमों को ध्यान में रखते हुए लाया गया, चाहे ऐसे मामलों में मांग लंबित थी या भुगतान किया जा चुका था।

इस योजना के तहत, पात्र निर्धारिती को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना था, और निर्धारित तिथि के भीतर भुगतान करने पर ब्याज और अर्थ-दंड की पूरी छूट दी जाती थी। इसके अतिरिक्त, यदि अपील विवादित अर्थ-दंड/ब्याज/शुल्क से संबंधित होती थी, तो निर्धारिती को विवादित अर्थ-दंड/ब्याज/शुल्क का 25 *प्रतिशत* भुगतान करना होता था, बशर्ते कि डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 की निर्धारित शर्तों का पालन किया गया हो।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) यह आकलन करने के लिए किया गया था कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना ने अपने इच्छित उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया; और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया था; क्या प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना (डीटीवीएसवी योजना) के कार्यान्वयन को नियंत्रित करने वाले नियम, विनियम, अधिसूचना एवं परिपत्र/अनुदेश पर्याप्त थे, क्या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, अनुवीक्षण एवं समन्वय तंत्र प्रभावी थे; और क्या परिशुद्धता, आंकड़ा सत्यनिष्ठा, समयबद्धता एवं प्रासंगिक कर विधियों एवं विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आईटी प्रणाली, नियंत्रण एवं सत्यापन पर्याप्त थे।

हमने 174 नामित प्राधिकारी (डीए) से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के कुल 5,212 मामलों की जांच की; अर्थात वे मामले जहां प्रपत्र-5 जारी किया गया था, प्रपत्र-4 प्रतीक्षित था, निर्धारितियों के आवेदन को डीए द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, वे मामले जहां प्रपत्र-3 में, डीए द्वारा गणना की गई देय राशि के सापेक्ष विवादित कर/टीडीएस/टीसीएस/शास्ति/ब्याज के संबंध में निर्धारिती द्वारा अधिक/कम भुगतान (प्रपत्र-4) किया है; वे मामले जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थे एवं जहां विवादित कर/टीडीएस/टीसीएस/शास्ति/ब्याज एक करोड़ एवं उससे अधिक था; एवं उच्च मूल्य के मामले जहां देय विवादित राशि ₹ 10 करोड़ से अधिक थी।

इस एसएससीए के दौरान, लेखापरीक्षा को विभाग द्वारा प्रणालीगत कमियों एवं आईटी अवसंरचना, नियंत्रण एवं सत्यापन, अनुवीक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण से संबंधित कुछ मुद्दों का पता चला है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, हमने डीए द्वारा डीटीवीएसवी अधिनियम/नियमों आदि के प्रावधानों का पालन न करने से संबंधित ₹ 1,675.65 करोड़ से जुड़े 389 मामले भी देखें। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं:

- 24 राज्यों में लेखापरीक्षा किए गए नमूना मामलों में से 63 *प्रतिशत* में यह पाया गया कि प्रपत्र-3 निर्धारित 15 दिनों की समय सीमा के बाद जारी किया गया था, और विलंब 868 दिनों तक था; 55.8 *प्रतिशत* मामलों में विलंब 50 दिनों तक था; 15.6 *प्रतिशत* मामलों में विलंब 51 से 100 दिनों के बीच था; 14.7 *प्रतिशत* मामलों में विलंब 101 से 200 दिनों के बीच था; और 14.0 *प्रतिशत* मामलों में विलंब 201 से 868 दिनों के बीच था। डीए द्वारा प्रपत्र-3 के विलंबित निर्गमन के परिणामस्वरूप विभाग द्वारा विलंबित मांग संग्रह हो सकता था, जो डीटीवीएसवी योजना के इच्छित उद्देश्य के अनुरूप नहीं हो सकता था।

 इसके अलावा, लेखपरीक्षा ने कुछ मामलों में नोट किया कि प्रपत्र-3 जारी करने में देरी के कारण निर्धारिती को देय राशि का 10 *प्रतिशत* (निर्धारित तिथि के बाद किए गए भुगतान के मामले में लागू) अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

(पैराग्राफ 4.1)

- लेखापरीक्षा किए गए नमूने के कुल 4,558 मामलों में से, जहां प्रपत्र-5 जारी किया गया, लेखापरीक्षा ने 22 राज्यों के 149 पीसीआईटी से संबंधित 2,044 (45 *प्रतिशत*) मामलों में पाया कि प्रपत्र-5 जारी करने में 954 दिनों तक का समय अंतराल था (39.1 *प्रतिशत* मामलों में अंतराल 151 दिनों से 300 दिनों के बीच था, 39.0 *प्रतिशत* मामलों में 61 दिनों से 150 दिनों के बीच; 20.3 *प्रतिशत* मामलों में 301 दिनों से 600 दिनों के बीच; और शेष 1.6 *प्रतिशत* मामलों में 601 दिनों से 954 दिनों के बीच था)। हमने यह भी पाया कि 21 मामलों में निर्धारिती द्वारा प्रपत्र-4 जमा करने के बाद भी प्रपत्र-5 जारी नहीं किया गया। डीए द्वारा प्रपत्र-5 जारी करने में विलंब के कारण क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) जारी करने में विलंब होता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः निर्धारिती को प्रतिदाय मिलने में विलंब होता है, जिससे निर्धारिती का असुविधा हो सकती है और योजना का उद्देश्य भी विफल हो सकता है।

(पैराग्राफ 4.2)

- अंतिम रूप दिए गए 4,558 मामलों में से, विभाग ने 23 राज्यों के 2,521 मामलों में सीईओ का विवरण प्रदान नहीं किया। इसके अलावा, 23 राज्यों के 1,549 मामलों में, जहां सीईओ को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया गया, उनमें से 2,037 मामलों में सीईओ को 1,398 दिनों तक के अंतराल के साथ विवरण जारी किए गए (36.1 *प्रतिशत* मामलों में अंतराल 301 दिनों से 600 दिनों के बीच था; 29.2 *प्रतिशत* मामलों में 151 दिनों से 300 दिनों के बीच; 16.5 *प्रतिशत* मामलों में 61 दिनों से 150 दिनों के बीच; 14.5 *प्रतिशत* मामलों में 601 दिनों से 900 दिनों के बीच; और शेष 3.7 *प्रतिशत* मामलों में 901 दिनों से 1,398 दिनों के बीच था)। प्रपत्र-5 जारी होने के बाद परिणामी प्रभाव आदेश जारी होने में पर्याप्त विलंब/निरस्त होने से आईटीबीए पर निर्धारिती के कर और अन्य संबंधित विवरणों का अद्यतन नहीं हो सकता है, जिसका परिणामस्वरूप अनुचित वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है।

(पैराग्राफ 4.3)

- डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत 5,212 लेखापरीक्षित मामलों में से, 22 राज्यों के 1,676 मामलों में, लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध करवाए गए डीटीवीएसवी योजना फाइलों/दस्तावेजों में एक या अधिक आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए गए, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि निर्धारिती द्वारा देय राशि की सत्यता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 4.4.1)

- तीन राज्यों के 10 मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि, 'अस्वीकृत' की श्रेणी से संबंधित कुल 327 लेखापरीक्षित मामलों में से, डीए ने निर्धारिती द्वारा दायर वैध घोषणाओं को अस्वीकृत कर दिया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये निर्धारिती योजना का लाभ उठाने के लिए अर्ह थे, लेकिन निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की उचित जांच/सत्यता को सत्यापित किए बिना डीए द्वारा अस्वीकृत कर दिये गए थे। गलत अस्वीकृति के परिणामस्वरूप न केवल राजकोष को नुकसान हुआ, बल्कि इसने योजना के इच्छित उद्देश्य को भी असफल कर दिया था।

(पैराग्राफ 4.7)

- लेखापरीक्षा ने गुजरात के तीन पीसीआईटी प्रभार के 11 मामलों में पाया कि डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत विवादित मांग के अंतिम निपटान के बाद परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) जारी करने में विलंब के कारण, अन्य निर्धारण वर्षों के प्रतिदाय को आईटीडी प्रणाली द्वारा इन विवादित मांगों के सापेक्ष समायोजित किया गया था।

(पैराग्राफ 4.13.1)

- लेखापरीक्षा ने गुजरात प्रभार के एक पीसीआईटी में तीन मामलों में पाया कि डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत विवादित मांग के अंतिम निपटान एवं आईटीडी प्रणाली के माध्यम से परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) जारी करने के बाद भी, अन्य निर्धारण वर्षों के प्रतिदाय को आईटीडी प्रणाली द्वारा इन विवादित मांगों के सापेक्ष समायोजित किया गया था। इस प्रकार, मौजूदा मांग के सापेक्ष प्रतिदाय को समायोजित करते समय, आईटीडी प्रणाली में कोई जांच एवं सत्यापन उपलब्ध नहीं था।

(पैराग्राफ 4.13.2)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि डीटीवीएसवी योजना कार्यात्मकता प्रणाली में प्रपत्र-3 को समय पर जारी करने के लिए नामित प्राधिकारी को अधिसूचना भेजकर स्मरण दिलाने हेतु कोई तंत्र नहीं था, जिससे संबंधित प्राधिकरण(णों) द्वारा मामलों के समय पर संसाधन के अनुवीक्षण में कठिनाई हो रहा था।

(पैराग्राफ 4.14)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 21 राज्यों में ₹ 423.47 करोड़ के कर प्रभाव वाले 208 मामलों में, डीए ने डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत देय राशि का गलत निर्धारण किया था।

(पैराग्राफ 5.1)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13 राज्यों में ₹ 1,168.27 करोड़ के कर प्रभाव वाले 55 मामलों में, विभाग ने डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामले को संसाधित करते समय आयकर अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत भुगतान की गई ब्याज राशि का आहरण नहीं किया था, परिणामस्वरूप राजकोष को राजस्व का नुकसान हुआ था।

(पैराग्राफ 5.2)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13 राज्यों में ₹ 6.17 करोड़ के कर प्रभाव वाले 34 मामलों में, तलाशी मामले होने के बावजूद विभाग ने 125 *प्रतिशत* के बजाय 100 *प्रतिशत* की दर से विवादित कर की गणना की थी।

(पैराग्राफ 5.3)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन राज्यों में ₹ 37.89 करोड़ के कर प्रभाव वाले आठ मामलों में, विभाग ने गलत तरीके से हानि या अनावशोषित मूल्यह्रास के अग्रनयन की अनुमति दी थी।

(पैराग्राफ 5.7)

- डीटीवीएसवी योजना के मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में, लेखापरीक्षा को 169 लेखापरीक्षित पीसीआईटी में से 91 पीसीआईटी से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। इन 91 पीसीआईटी में से, केवल तमिलनाडु प्रभार

में दो पीसीआईटी के संबंध में विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी।

(पैराग्राफ 6.1)

- 169 लेखापरीक्षित पीसीआईटी में से, 83 पीसीआईटी ने डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामलों के निपटान के लिए एसओपी के मौजूदगी से संबंधित लेखापरीक्षा प्रश्न का उत्तर दिया था। इन 83 पीसीआईटी में से, 63 पीसीआईटी ने कहा कि उनके पास डीटीवीएसवी योजना से संबंधित मामलों के निपटान के लिए एसओपी था, जबकि 20 पीसीआईटी ने कहा कि उन्हें विभाग से ऐसा कोई एसओपी नहीं मिला था। शेष 86 पीसीआईटी की प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है। स्पष्ट दिशानिर्देशों/मानक संचालन प्रक्रिया के व्यापक संचरण के अभाव में, डीए ने डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत मामलों के निपटान में एक समान रुख नहीं अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः राजकोष को राजस्व का नुकसान हुआ, जिसे सीबीडीटी, सभी डीए/पीसीआईटी को, एकरूपता बनाए रखने एवं योजना के इच्छित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एसओपी/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का एक समुच्चय को जारी करके टाल सकता था।

(पैराग्राफ 6.2)

- विभिन्न अपीलीय मंचों में ₹ 10.09 लाख करोड़ के राजस्व के साथ लंबित 4.15 लाख मामलों में से, 31 जनवरी 2020 तक, इस योजना के तहत निपटान के लिए ₹ 0.99 लाख करोड़ (9.8 *प्रतिशत*) के राजस्व वाले 1.32 लाख मामलों (31.8 *प्रतिशत*) के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए।

 आगे, सीबीडीटी पात्र मामलों और उसमें शामिल राजस्व का विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका, और कहा कि ऐसे मामलों का विवरण उपलब्ध नहीं था क्योंकि पात्रता डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 के प्रावधानों में उल्लिखित कई शर्तों पर निर्भर करती है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा, योजना के तहत कुल योग्य मामलों की संख्या मुक़ाबले मामलों के निपटान और इन योग्य मामलों में शामिल कुल राशि के मुकाबले राजस्व की वसूली का निर्धारण नहीं कर सका।

इस योजना के तहत, 22 जुलाई 2022 तक, 1.06 लाख मामलों (प्राप्त कुल आवेदनों का 89.1 *प्रतिशत*) का निपटान किया गया और योजना के प्रावधानों के अनुसार ब्याज/जुर्माना माफ करने के बाद ₹ 71,924 करोड़ (कुल आवेदन राशि का 72.3 *प्रतिशत*) का राजस्व एकत्र किया गया।

13,000 से अधिक मामलों में, अपेक्षित राशि के भुगतान और निर्धारितियों द्वारा प्रपत्र-4 जमा करने के बावजूद, विभाग समय पर इन मामलों का निपटान करने में सक्षम नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारितियों को असुविधा हो सकती है। इसके अलावा, 12,327 मामलों में,जहां निर्धारितियों द्वारा प्रपत्र-4 प्रस्तुत नहीं किया गया था, विभाग द्वारा अनुवीक्षण न करने या अपर्याप्त अनुवीक्षण के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को नुकसान हो सकता है।

(पैराग्राफ 6.6)

अनुशंसाओं का सारांश

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- *सीबीडीटी भविष्य में ऐसी योजना के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रपत्र(त्रों) जारी करने और परिणामी प्रभाव आदेश जारी करने हेतु एक विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित कर सकता है।*

(पैराग्राफ 4.3)

- *सीबीडीटी आईटीडी प्रणाली में उपलब्ध पुराने आंकड़ों से प्रासंगिक आंकड़ों की स्वतः-भराव सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में ऐसी योजना को लागू करते समय मैन्युअल हस्तक्षेप के कारण त्रुटि की गुंजाइश को कम किया जा सके।*

(पैराग्राफ 4.9)

- *सीबीडीटी भविष्य में ऐसी योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा देय राशि की गणना की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु उचित उपाय करने पर विचार करे।*

(पैराग्राफ 5.1)

- *सीबीडीटी सक्षम प्राधिकारी को एक स्पष्टीकरण जारी करे ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर मामले को फिर से शुरू करने, किसी भी अस्पष्टता को दूर करने एवं योजना के उद्देश्य के अनुसार प्रावधानों की एक समान व्याख्या एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनके आदेश में पायी गईं स्पष्ट गलतियों को परिशोधित किया जा सके।*

(पैराग्राफ 5.2)

- *सीबीडीटी संबंधित अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की प्रयोज्यता में असंगत दृष्टिकोण के कारणों की जांच करे और मामलों के, विशेष रूप से तलाशी मामलों में, निपटान में आईटीडी के सभी प्रभारों में समान परिस्थितियों में, एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।*

(पैराग्राफ 5.3)

- *सीबीडीटी विभाग की आईटी प्रणालियों में नियंत्रण को सुप्रवाही बनाकर एवं सशक्त करके, कर की गणना की शुद्धता सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में ऐसे योजना के क्रियान्वयन करते समय राजस्व के किसी भी प्रकार की हानि को रोका जा सके।*

(पैराग्राफ 5.4)

- *सीबीडीटी*
 - *भविष्य में प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से मामलों के निपटान के लिए एओ/संबंधित प्राधिकारी को सुविधा प्रदान करने हेतु प्रासंगिक प्रपत्र(त्रों) में आवश्यक/महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करना/दर्शाना सुनिश्चित करे।*
 - *ऐसे मामलों की पहचान करे, जहां निर्धारिती ने पहले से ही अनुचित हानि का दावा किया था एवं विभाग द्वारा अनुमति दी गई थी एवं इन मामलों को परिशोधित करने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू करे ताकि राजकोष हेतु राजस्व की वसूली की जा सके।*

(पैराग्राफ 5.7)

- *सीबीडीटी, प्रतिदाय का निर्धारण करने से पहले निर्धारिती के सभी प्रासंगिक निर्धारण अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को अनुदेश जारी करने पर विचार करे ताकि राजकोष को राजस्व की हानि से बचाया जा सके।*

(पैराग्राफ 5.8)

- *सीबीडीटी, डीटीवीएसवी योजना के संदर्भ में सीबीडीटी द्वारा तय किए जाने वाले कर प्रभावों की एक निश्चित सीमा के मामलों को समावेशित करते हुए, एक आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करे, ताकि योजना के घोषित उद्देश्यों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन एवं निष्पादन के विषय में उचित आश्वासन प्रदान किया जा सके।*

(पैराग्राफ 6.1)

- *सीबीडीटी, ऐसी योजना को लागू करने से पूर्व समान परिस्थितियों में प्रासंगिक प्रावधानों के अनुप्रयोग में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया/अनुदेशों//दिशानिर्देशों को जारी करने पर विचार करे।*

(पैराग्राफ 6.2)

- *सीबीडीटी, ऐसी योजना के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण, इसकी प्रभावकारिता निर्धारित करने एवं प्रक्रिया सुधार के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तैयार करे और आंकड़ों का अनुरक्षण करे।*

(पैराग्राफ 6.6)

अध्याय 1 परिचय

1.1 परिचय

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीएसवी) योजना, 2020, एक समाधान तंत्र है, जिसे प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 के तहत लागू किया गया, जिसका उद्देश्य लंबित आयकर मुकदमों को कम करना, सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करना और करदाताओं को मानसिक शांति, निश्चितता एवं समय और संसाधनों की बचत प्रदान करके तथा उन्हें दंड अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करके लाभ पहुंचाना था। इस प्रकार, इस योजना का उद्देश्य सरकार के साथ-साथ करदाताओं को भी लाभ पहुंचाना था।

31 जनवरी 2020 तक, 4.15 लाख अपीलीय मामलों में लंबित विवादित प्रत्यक्ष कर बकाया राशि ₹ 10.09 लाख करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एकत्र किए गए ₹ 11.37 लाख करोड़ के प्रत्यक्ष कर संग्रह का 88.7 *प्रतिशत* थी। विभिन्न अपीलीय मंचों पर लंबित मुकदमों और उनमें फंसे महत्वपूर्ण कर राजस्व को ध्यान में रखते हुए यह समाधान तंत्र लाया गया था।

इस योजना के अंतर्गत पात्र निर्धारिती को केवल विवादित कर की राशि का भुगतान करना था तथा भुगतान को निर्धारित तिथि के भीतर करने पर ब्याज और शास्ति पर पूर्ण छूट प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, यदि अपील विवादित शास्ति/ब्याज/शुल्क से संबंधित थी, तो निर्धारिती को निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन विवादित शास्ति/ब्याज/शुल्क की 25 *प्रतिशत* राशि का भुगतान करना था, बशर्ते कि डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 की निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया हो।

अधिनियम का प्रावधान निम्नलिखित पर लागू था-

i) करदाताओं या सरकार द्वारा दायर अपीलें, जो 31 जनवरी 2020 तक आयकर आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास लंबित थीं, भले ही ऐसे मामलों में मांग लंबित हो या भुगतान किया गया हो।

ii) लम्बित अपील निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश के संबंध में विवादित कर, ब्याज, या शास्ति या जहां कोई विवादित कर नहीं था वहाँ विवादित ब्याज या विवादित शुल्क के सापेक्ष हो सकती थी। इसके अतिरिक्त, स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर एकत्र किए गए कर के संबंध में चूक पर निर्धारित कर के सापेक्ष भी अपील हो सकती थी।

डीटीवीएसवी योजना 2020 से संबंधित आवश्यक अधिनियमों और नियमों को क्रमशः 17 एवं 18 मार्च 2020 को अधिसूचित किया गया था। तदनुसार, डीटीवीएसवी योजना का चयन करने के इच्छुक निर्धारितियों के लिए 19 मार्च 2020 को ई-फाइलिंग के माध्यम से घोषणा सक्रिय की गई थी। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए, समय सीमा के विस्तार सहित कुछ प्रावधानों को शिथिल करने के लिए कराधान एवं अन्य विधियों (कुछ प्रावधानों में छूट एवं संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा डीटीवीएसवी योजना के प्रावधानों में संशोधन किया गया था। इसके बाद, हितधारकों से कई प्रश्न प्राप्त होने पर, सीबीडीटी ने बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए परिपत्र[1] जारी किए थे। इसके बाद, उपरोक्त योजना को लागू करने हेतु कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई अन्य परिपत्र जारी किए गए थे।

उपर्युक्त योजना की शुरुआत पर, अर्ह निर्धारिती द्वारा घोषणा दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 के रूप में अधिसूचित की गई थी, जिसे कई बार बढ़ाया गया था एवं अंततः 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया था। इसी तरह, योजना के अंतर्गत राशि के भुगतान की अंतिम तिथि शुरू में 30 जून 2020 तक अतिरिक्त शुल्क के बिना एवं 30 जून 2020 के बाद अतिरिक्त शुल्क के साथ तय की गई थी; इसे अंततः क्रमशः 30 सितंबर 2021 एवं 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, सीबीडीटी ने 27 जून 2024 के अपने अनुदेशों[2] के माध्यम से उन मामलों में अपेक्षित करों के विलंबित भुगतान को स्वीकार करने के निर्देश जारी किए, जिनमें निर्धारिती

[1] परिपत्र सं. 9/2020 दिनांक 22/04/2020 और सं. 21/2020 दिनांक 04/12/2020

[2] [फ़ाइल संख्या. 173/03/2021-आईटीए-आई(भाग-2)] दिनांकित 27/06/2024

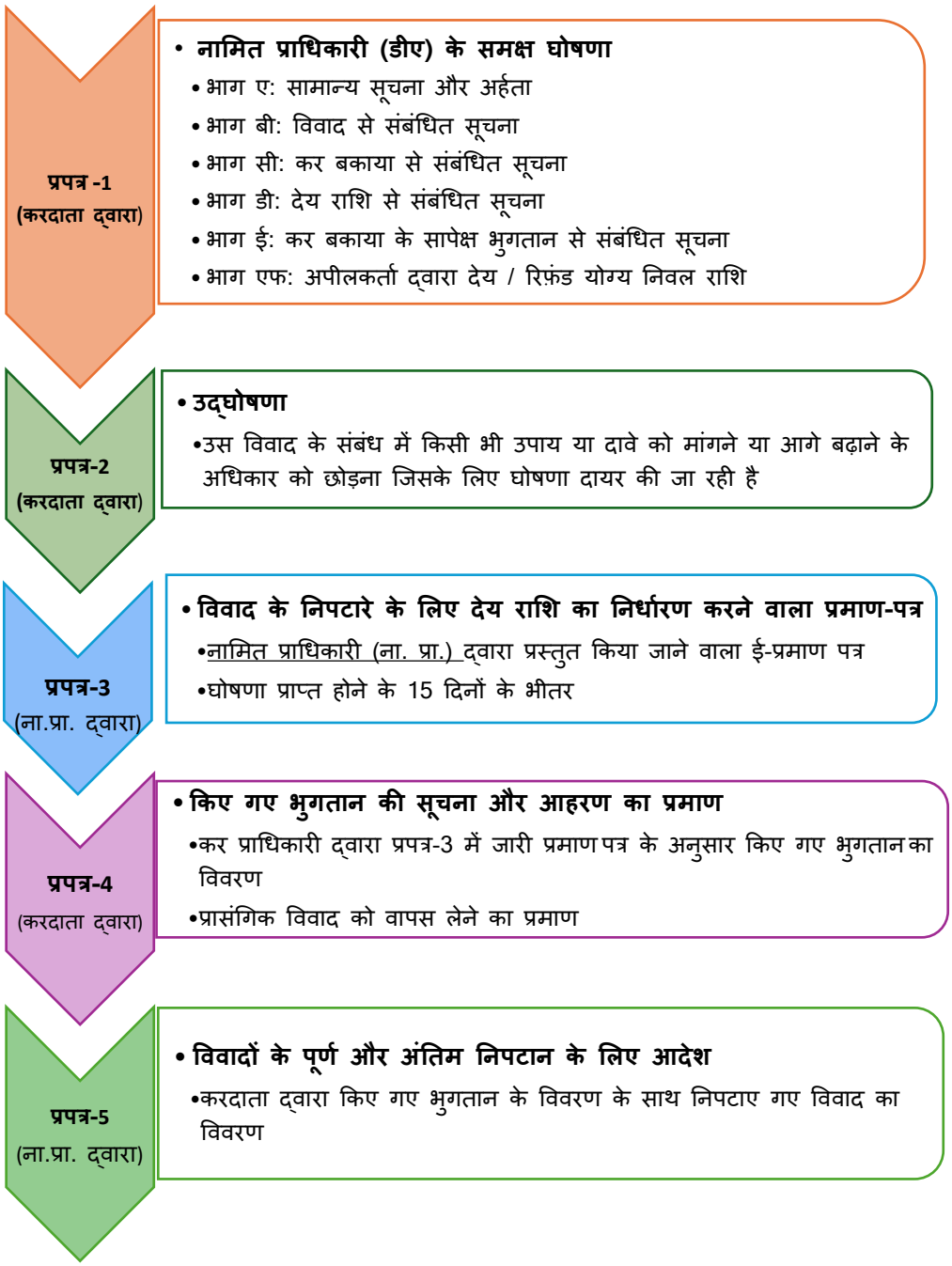
ने डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत 28 फरवरी 2022 को या उससे पहले करों का पूरा भुगतान किया है (डीटीवीएसवी नियमों के प्रपत्र-3 में निर्धारित देय तिथि के बाद देय राशि सहित) एवं डीटीवीएसवी नियमों के प्रपत्र-1 में उल्लिखित अपील/अपीलों को या तो वापस ले लिया गया है या करों के पूर्ण भुगतान की तिथि तक तय नहीं किया गया है (डीटीवीएसवी नियमों के प्रपत्र-3 में निर्धारित देय तिथि के बाद देय राशि सहित)। यह भी निर्देश दिया गया था कि ऐसे मामलों की प्रक्रिया 30 सितंबर 2024 तक पूरी की जाए।

1.2 डीटीवीएसवी योजना, 2020 के अंतर्गत मामलों का संसाधन

डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामलों को संसाधित करने के लिए, सीबीडीटी द्वारा पांच प्रपत्र निर्धारित किए गए थे, जिसमें प्रपत्र-1 आवेदक द्वारा एक घोषणा दाखिल करने के लिए था, प्रपत्र-2 आवेदक द्वारा एक उद्घोषणा प्रस्तुत करने के लिए, प्रपत्र-3 विवाद को निपटाने के लिए देय राशि का निर्धारण करने से संबन्धित, नामित प्राधिकारी (डीए)[3] द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संदर्भ में; आवेदक द्वारा किए गए भुगतान की सूचना देने एवं अपील को वापस लेने के लिए प्रपत्र-4; एवं डीए द्वारा विवादों के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के लिए आदेश जारी करने के लिए प्रपत्र-5 था। आवेदक या डीए द्वारा संबंधित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना/दस्तावेजों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

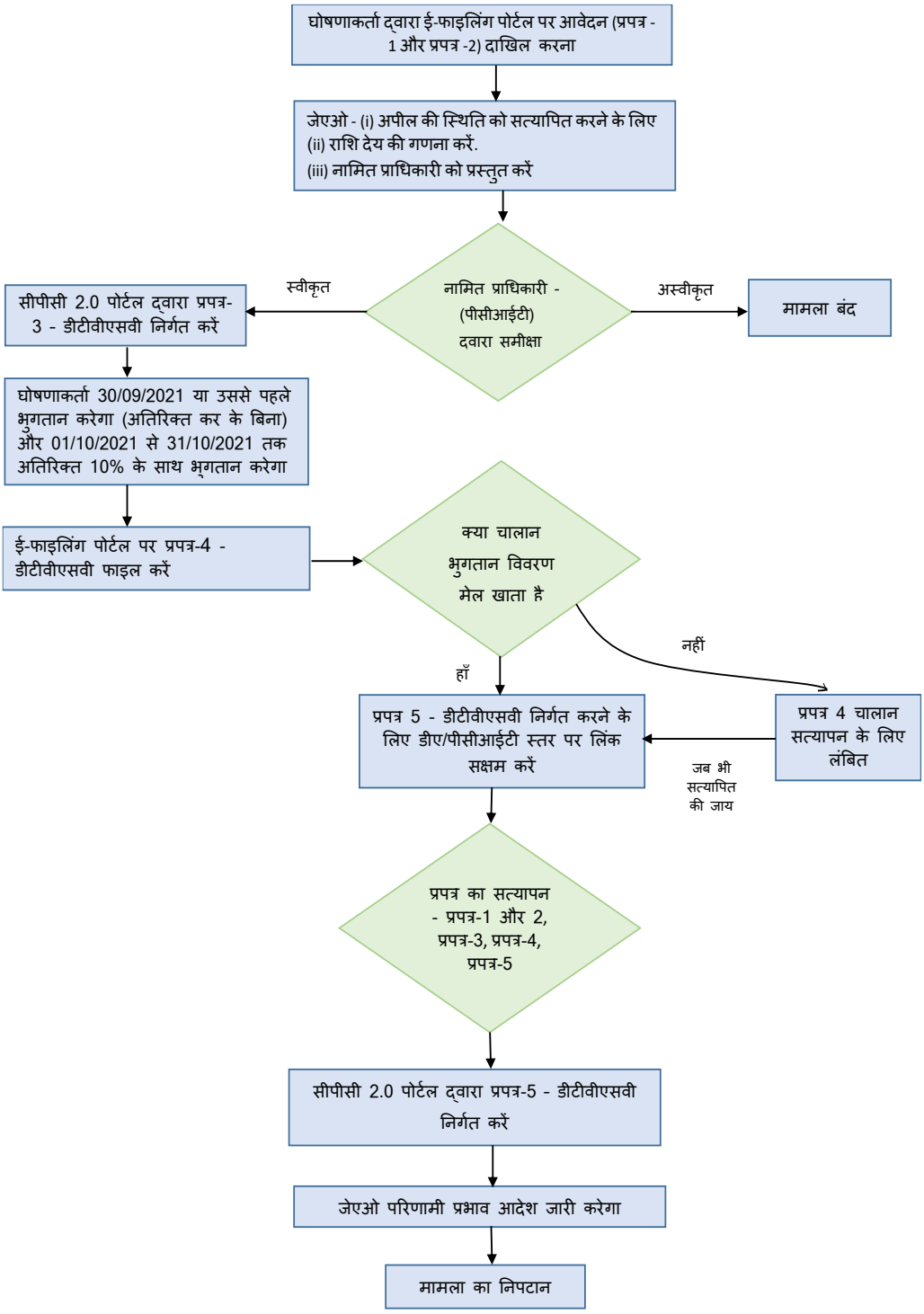
[3] नामित प्राधिकारी (डीए) का अर्थ डीटीवीएसवी अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा अधिसूचित अधिकारी, जो आयकर आयुक्त के पद से नीचे का नहीं है।

चार्ट 1.1: डीटीवीएसवी योजना, 2020 के अंतर्गत मामलों का संसाधन



डीटीवीएसवी योजना, 2020 के अंतर्गत मामलों के संसाधन से संबंधित प्रक्रिया को दर्शाने वाला एक प्रवाह-चार्ट, जिसमें क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) द्वारा परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) सहित निर्धारितियों (प्रपत्र-1) द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से शुरू होकर अंतिम निपटान (प्रपत्र-5) तक को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है:

चार्ट 1.2: डीटीवीएसवी योजना, 2020 के अंतर्गत मामलों का संसाधन



इस प्रकार, जब कोई निर्धारिती प्रपत्र-1 और प्रपत्र-2 प्रस्तुत कर इस योजना का विकल्प चुनता है, तो नामित प्राधिकारी (डीए) देय राशि की गणना (प्रपत्र-3) करता है तथा निर्धारिती से भुगतान करने को कहा जाता है। निर्धारिती द्वारा भुगतान किए जाने (प्रपत्र-4) के बाद नामित प्राधिकारी (डीए) द्वारा पूर्ण एवं अंतिम निपटान का आदेश

(प्रपत्र-5) जारी किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप संबंधित क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) द्वारा सीईओ जारी किया जाता है।

1.3 डीटीवीएसवी योजना, 2020 की तुलना में आयकर आयुक्त (अपील)/आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अंतर्गत मामलों के निपटान के बीच अंतर

लेखापरीक्षा ने अपीलों में अवरोधित विवादित कर बकाया के मामलों के निपटान के लिए एक नई योजना शुरू करने के कारणों को अभिनिश्चित करने का प्रयास किया, हालांकि अपीलीय मंच, अर्थात, आयकर आयुक्त(अपील)/ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण पहले से ही मौजूद है। डीटीवीएसवी योजना, 2020 की तुलना में आयकर आयुक्त(अपील)/ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अंतर्गत मामलों के निपटान में सम्मिलित प्रक्रियाओं के बीच के अंतर को निम्नलिखित तालिका दर्शाती है:

तालिका 1.1: डीटीवीएसवी योजना 2020 की तुलना में आयकर आयुक्त (अपील)/ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अंतर्गत लंबित मामलों का निपटान

आयकर आयुक्त (अपील) एवं आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अंतर्गत संसाधित मामले		**डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत संसाधित मामले**
जेएओ/सीआईटी द्वारा पारित किसी भी आदेश से असंतुष्ट निर्धारिती।	**अर्हता मानदंड**	जैसा कि डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 में प्रावधान किया गया है अपील, अपीलीय मंच के पास लंबित होनी चाहिए, या अपील दायर करने का समय निर्दिष्ट तिथि (31/01/2020) तक समाप्त नहीं हुआ है।
प्रपत्र-35 में आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एवं प्रपत्र-36 आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपील दायर की जा सकती है।	**दायर करने की विधि**	डीटीवीएसवीएस नियम प्रपत्र-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन दायर की जा सकती थी।
मांग नोटिस की सेवा के 30 दिनों के भीतर आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एवं आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ आयकर आयुक्त (अपील), विवाद समाधान	**दायर करने की समय-सीमा**	आवेदन दायर करने की अंतिम तिथि 31-03-2021 थी।

<table>
<tr><th colspan="4">तालिका 1.1: डीटीवीएसवी योजना 2020 की तुलना में आयकर आयुक्त (अपील)/ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अंतर्गत लंबित मामलों का निपटान</th></tr>
<tr><td colspan="2">आयकर आयुक्त (अपील) एवं आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अंतर्गत संसाधित मामले</td><td></td><td>डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत संसाधित मामले</td></tr>
<tr><td colspan="2">पैनल, आदि के आदेश सेवा के 60 दिनों के भीतर</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">अपील दायर होने पर या उसके बाद प्री-डिपॉजिट 20 प्रतिशत मांग का भुगतान किया जाना है।</td><td>पूर्व-भुगतान</td><td>ऐसी कोई स्थिति नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="4">निर्धारित आय</td><td colspan="2">आवेदन शुल्क</td><td rowspan="4">शुल्क</td><td rowspan="4">कोई आवेदन शुल्क नहीं</td></tr>
<tr><td>आयकर आयुक्त (अपील)</td><td>आयकर अपीलीय प्राधिकरण</td></tr>
<tr><td>₹ 1 लाख तक</td><td>₹ 250</td><td>₹ 500</td></tr>
<tr><td>>₹ 1 लाख एवं <= ₹ 2 लाख</td><td>₹ 500</td><td>₹ 1000</td></tr>
<tr><td>> 2 लाख</td><td>₹ 1000</td><td>निर्धारित आय का एक प्रतिशत (अधिकतम ₹ 10,000)</td></tr>
<tr><td colspan="2">मामले को, मामले की योग्यता के अनुसार संसाधित किया जाता है</td><td>संसाधन का आधार</td><td>डीटीवीएसवी अधिनियम के अर्हता मानदंड के अनुसार स्वीकार किया गया आवेदन।</td></tr>
<tr><td colspan="2">आयकर आयुक्त (अपील), जहांतक संभव हो, उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी अपील की सुनवाई एवं निर्णय ले जिसमें ऐसी अपील उसके समक्ष दायर की जाए।
हालांकि, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।</td><td>संसाधन का समय</td><td>प्रपत्र-1 से प्रपत्र-4 के लिए निश्चित समय सीमा, एवं प्रपत्र-5 के लिए कोई समय सीमा नहीं।</td></tr>
</table>

तालिका 1.1: डीटीवीएसवी योजना 2020 की तुलना में आयकर आयुक्त (अपील)/ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अंतर्गत लंबित मामलों का निपटान		
आयकर आयुक्त (अपील) एवं आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अंतर्गत संसाधित मामले		**डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत संसाधित मामले**
परिणाम, मामले की योग्यता एवं अगले उच्च अपीलीय प्राधिकारी को आगे अपील दायर करने के गुंजाइश पर निर्भर करता है।	**परिणाम**	परिणाम निश्चित (निर्भर करता है कि अपील में कौन है) एवं अपील की आगे कोई गुंजाइश नहीं।

1.4 विधिक प्रावधान

डीटीवीएसवी अधिनियम 2020, डीटीवीएसवी नियम 2020 एवं सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं/अनुदेशों में डीटीवीएसवी योजना 2020 से संबंधित विधिक प्रावधान उपलब्ध करवाए गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के उत्तर के रूप में 2020 के परिपत्र संख्या 9, दिनांक 22 अप्रैल, 2020 एवं 2020 की संख्या 21 दिनांक 4 दिसम्बर 2020 द्वारा प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 के कुछ प्रावधानों को भी स्पष्ट किया था। डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 द्वारा निर्दिष्ट तिथि(यों) के भीतर देय राशि की गणना की तुलना में कर बकाया के स्वरूप की पहचान से संबंधित प्रावधानों पर संक्षेप में नीचे चर्चा की गई है:

1.4.1 डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 की धारा 3 के अंतर्गत डीटीवीएसवी योजना के अनुसार कर बकाया का स्वरूप एवं देय राशि

कर बकाया का स्वरूप एवं डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार देय विवादित कर की राशि एवं 2020 के सीबीडीटी परिपत्र संख्या 9 के प्रश्न संख्या 28 के माध्यम से जारी बाद के स्पष्टीकरण को तालिका संख्या 1.2 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 1.2: विवादित कर देय की राशि					
क्र. सं.	**कर बकाया का स्वरूप**	**यदि निर्धारिती अपील करता है**		**यदि विभाग अपील करता है**	
		30 सितंबर 2021 को या उसके पहले	**30 सितंबर 2021 के बाद एवं 31 अक्तूबर 2021 तक**	**30 सितंबर 2021 को या उससे पहले**	**30 सितंबर 2021 के बाद एवं 31 अक्तूबर 2021 तक**
1.	कुल विवादित कर, विवादित कर पर प्रभारित या प्रभार्य ब्याज एवं विवादित कर पर उद्गृहीत या उद्ग्रहणीय शास्ति।	विवादित कर का 100%	विवादित कर का 110% (ब्याज की राशि एवं उद्गृहीत या उद्ग्रहणीय शास्ति तक सीमित 100 *प्रतिशत* से अधिक राशि)	विवादित कर का 50%	विवादित कर का 55%
2.	कर, ब्याज, शास्ति आदि के संदर्भ में विवादों से संबंधित तलाशी के मामले। (यदि विवादित कर ₹ पांच करोड़ से अधिक नहीं है, डीटीवीएसवी योजना में तलाशी मामलों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा)	विवादित कर का 125% (ब्याज की राशि एवं उद्गृहीत या उद्ग्रहणीय शास्ति तक सीमित 100 *प्रतिशत* से अधिक राशि)	विवादित कर का 135% (ब्याज की राशि एवं उद्गृहीत या उद्ग्रहणीय शास्ति तक सीमित 100 *प्रतिशत* से अधिक राशि)	विवादित कर का 62.5%	विवादित कर का 67.5%
3.	विवादित शास्ति या विवादित ब्याज या विवादित शुल्क	विवादित ब्याज,शास्ति, या शुल्क का 25%	विवादित ब्याज, शास्ति, या शुल्क का 30%	विवादित शास्ति, ब्याज, या शुल्क का 12.5%	विवादित शास्ति, ब्याज, या शुल्क का का 15%

1.5 एक अन्य प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 का प्रवर्तन

भारत सरकार ने पहली योजना के समान उद्देश्य के साथ लंबित आयकर मुकदमेबाजी के संबंध में विवाद समाधान उपलब्ध करवाने हेतु वित्त (संख्या 2)

अधिनियम, 2024 के अध्याय IV के माध्यम से प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 (इसके बाद डीटीवीएसवी योजना, 2024 के रूप में संदर्भित) प्रवर्तित की है। योजना को सक्रिय करने के लिए नियमों एवं प्रपत्रों को 20/09/2024 को अधिसूचित किया गया था एवं योजना 01/10/2024 से शुरू की गई थी। डीटीवीएसवी योजना, 2024 के अधिनियमन के बाद, 2024 का परिपत्र संख्या 12 दिनांक 15/10/2024 एवं 2024 का परिपत्र संख्या 19 दिनांक 16/12/2024 के माध्यम से बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के उत्तर के रूप में मार्गदर्शन नोट भी जारी किया गया था। कर बकाया के संबंध में घोषणा दाखिल करने की अंतिम तिथि को दिनांक 08/04/2025 की अधिसूचना के माध्यम से 30/04/2025 तक बढ़ा दिया गया था। दोनों डीटीवीएसवी योजना के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि सरकार ने एक नई योजना शुरू करते समय, योजना के लिए नियमों/प्रावधानों एवं अर्हता मानदंडों में कुछ संशोधन किए हैं। दोनों योजनाओं के तुलनात्मक विवरणों को निम्नलिखित तालिका में संक्षेप रूप से प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.3: डीटीवीएसवी योजना, 2020 की तुलना में डीटीवीएसवी योजना, 2024

क्र.सं.	**श्रेणियाँ**	**डीटीवीएसवी योजना, 2020**	**डीटीवीएसवी योजना, 2024**
1.	निर्दिष्ट तिथि जिस पर अपील लंबित है	31/01/2020	22/07/2024
2.	अर्हता	अन्य सभी प्रावधानों के अतिरिक्त, यदि निर्धारिती ने आदेश के सापेक्ष कोई अपील दायर नहीं की है, लेकिन उस व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के सापेक्ष कोई अपील या एसएलपी दाखिल करने का समय निर्दिष्ट तिथि तक समाप्त नहीं हुआ है, **तो मामला डीटीवीएसवी के लिए अर्ह है।**	अन्य सभी प्रावधानों के अतिरिक्त, यदि निर्धारिती ने आदेश के सापेक्ष कोई अपील दायर नहीं की है, लेकिन उस व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के सापेक्ष कोई अपील या एसएलपी दाखिल करने का समय निर्दिष्ट तिथि तक समाप्त नहीं हुआ है, **तो मामला डीटीवीएसवी के लिए अर्ह नहीं है।** केवल वे अपीलें अर्ह हैं जो निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले दायर की जाती हैं।

तालिका 1.3: डीटीवीएसवी योजना, 2020 की तुलना में डीटीवीएसवी योजना, 2024			
क्र.सं.	**श्रेणियाँ**	**डीटीवीएसवी योजना, 2020**	**डीटीवीएसवी योजना, 2024**
3.	तलाशी एवं जब्ती के मामले	इस अधिनियम के प्रावधान ₹ 5.0 करोड़ से अधिक के विवादित कर से जुड़े तलाशी एवं जब्ती मामलों पर लागू नहीं होंगे।	इस अधिनियम के प्रावधान विवादित कर की राशि के निरपेक्ष सभी तलाशी एवं जब्ती मामलों पर लागू नहीं होंगे।
4.	प्रपत्र	प्रपत्र-1: घोषणा प्रपत्र-2: उद्घोषणा प्रपत्र-3: प्रमाण-पत्र प्रपत्र-4: भुगतान की सूचना प्रपत्र-5: पूर्ण एवं अंतिम निपटान का आदेश	प्रपत्र-1: घोषणा एवं उद्घोषणा प्रपत्र-2: प्रमाण पत्र प्रपत्र-3: भुगतान की सूचना प्रपत्र-4: पूर्ण एवं अंतिम निपटान का आदेश
5.	अधिनियम के अंतर्गत देय राशि	**i. 30/09/2020 तक किए गए भुगतान के मामले में:** विवादित कर का 100% (तलाशी मामलों में विवादित कर का 125%) जहां विवाद, विवादित कर या विवादित शास्ति, ब्याज या शुल्क के 25% से संबंधित है। **ii. यदि भुगतान 30/09/2020 के बाद एवं 31/10/2020 तक किया जाता है: विवादित कर का 110% (तलाशी मामलों में 135%) जहां विवाद,** विवादित कर या विवादित शास्ति, ब्याज या शुल्क का 30% से संबंधित है। **iii.** ऐसे मामले में जहां अपीलीय मंच के समक्ष किसी भी मुद्दे पर आयकर प्राधिकरण द्वारा अपील या रिट याचिका या एसएलपी दायर की जाती है, देय राशि ऊपर निर्दिष्ट राशि का 50 *प्रतिशत* होगी। **iv.** इसके अतिरिक्त, 2020 के परिपत्र संख्या 9 दिनांक 22/04/2020 के माध्यम से जारी	**i. नए अपीलकर्ता के लिए** (घोषणाकर्ता 31 जनवरी के बाद एक अपीलकर्ता है, लेकिन निर्दिष्ट तिथि पर या उससे पहले): **31/12/2024 को या उससे पहले की गई घोषणा के मामले में:** विवादित कर का 100% या विवादित शास्ति, ब्याज या शुल्क का 25% **01/01/2025 को या उसके बाद की गई घोषणा एवं अंतिम तिथि से पहले के मामले में;** विवादित कर का 110% या विवादित शास्ति, ब्याज या शुल्क का 30%। **ii. पुराने अपीलकर्ता के लिए** (घोषणाकर्ता 31 जनवरी 2020 को या उससे पहले एक अपीलकर्ता है): **31/12/2024 को या उससे पहले की गई घोषणा के मामले में:** विवादित कर का 110% या विवादित शास्ति, ब्याज या शुल्क का 30%। **01/01/2025 को या उसके बाद की गई घोषणा एवं अंतिम तिथि से पहले के मामले में; विवादित कर का**

तालिका 1.3: डीटीवीएसवी योजना, 2020 की तुलना में डीटीवीएसवी योजना, 2024			
क्र.सं.	**श्रेणियाँ**	**डीटीवीएसवी योजना, 2020**	**डीटीवीएसवी योजना, 2024**
		बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न 28 के अनुसार, यदि आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील में या डीआरपी के समक्ष लंबित आपत्तियों में, एक मुद्दा है जिस पर अपीलकर्ता को पहले के वर्षों में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण से अनुकूल निर्णय मिला है (उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया) या उच्च न्यायालय से (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया) तो देय राशि उपर्युक्त राशि का आधा या 50 *प्रतिशत* होगी। इसी तरह, यदि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में, एक मुद्दा है जिस पर अपीलकर्ता को पूर्व के वर्षों में उच्च न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया) से एक अनुकूल निर्णय मिला है, तो देय राशि उपर्युक्त राशि का आधा या 50 *प्रतिशत* होगी।	**120% या** विवादित शास्ति, ब्याज या शुल्क का 35%। **iii.** जहां किसी विवादित मुद्दे पर आयकर प्राधिकरण द्वारा अपील/रिट याचिका/एसएलपी दायर की जाती है, देय राशि उपर्युक्त निर्दिष्ट राशि का 50 *प्रतिशत* होगी। **iv.** इसके अतिरिक्त, 2024 के परिपत्र संख्या 12 दिनांक 15/10/2024 के माध्यम से जारी एफएक्यू संख्या 32 के अनुसार, यदि अपीलकर्ता को किसी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय मिला है, तो उस मुद्दे के संबंध में अब कोई विवाद नहीं है, एवं उसे उस मुद्दे को निपटाने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह मुद्दा कई मुद्दों का हिस्सा है, तो इस मुद्दे पर शून्य कर को मानते हुए विवादित कर की गणना अन्य मुद्दों पर की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने उन निर्धारितियों को भी समावेशित करने का प्रयास किया है जो पुरानी योजना के लिए अर्ह थे, लेकिन किसी कारण से योजना का विकल्प नहीं चुन सके थे।

अध्याय 2 लेखापरीक्षा उपागम

इस अध्याय में इस विषय के चयन के कारणों, इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा के दायरे एवं आच्छादन, लेखापरीक्षा पद्धति एवं संबंधित पहलुओं पर चर्चा की गई है।

2.1 हमने यह विषय क्यों चुना

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल थी, जो एक माफी योजना के रूप में लाई गई थी, जिसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना, मुकदमेबाजी में फंसे राजस्व को सरकारी खजाने में वापस लाना और ब्याज और शास्ति को माफ करके निर्धारितियों को मानसिक शांति और निश्चितता प्रदान करना था। पिछले कुछ वर्षों में, करदाताओं और सरकार द्वारा दायर अपीलों की लंबित संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि दायर की गई अपीलों की संख्या निपटाई गई अपीलों की संख्या से कहीं अधिक है।

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) का संचालन प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना के इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि क्या इसे डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार प्रभावी ढंग से लागू किया गया था।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह एसएससीए संचालित करने का मुख्य लेखापरीक्षा उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या:

- प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना (डीटीवीएसवी योजना) के कार्यान्वयन को नियंत्रित करने वाले नियम, विनियम, अधिसूचनाएं एवं परिपत्र/निर्देश पर्याप्त थे, एवं कार्यान्वयन के दौरान उनका अनुपालन किया गया था;
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, अनुवीक्षण एवं समन्वय तंत्र डीटीवीएसवी योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी थे;

- डीटीवीएसवी योजना के उद्देश्य परिकल्पना के अनुसार प्राप्त किए गए, एवं
- आईटी प्रणाली, नियंत्रण एवं सत्यापन सटीकता, डेटा अखंडता, समयबद्धता एवं संबंधित कर कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थे।

2.3 लेखापरीक्षा का दायरा एवं आच्छादन

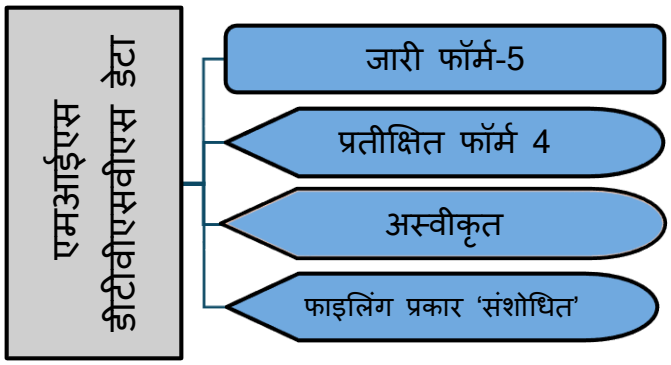
इस एसएससीए के लिए उपर्युक्त लेखापरीक्षा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, लेखापरीक्षा के दायरे में उन निर्धारण मामलों को सम्मिलित किया गया जिनमें निर्धारितियों ने कर, ब्याज एवं दंड आदि से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 का विकल्प चुना था। इसके अलावा, हमने उन मामलों को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया है जिनमें आवेदन खारिज करके निर्धारिती को इस योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था, साथ ही उन मामलों को भी सम्मिलित किया है जिनका निपटारा हो चुका है एवं जो मामले अभी भी निपटारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं (फ़रवरी 2024)।

2.4 लेखापरीक्षा नमूना

इस एसएससीए के लिए लेखापरीक्षा परीक्षण हेतु नमूना मामला तैयार करने के लिए अक्टूबर 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से प्रारम्भ में डेटा का अनुरोध किया गया था। हालांकि, इसमें अत्यधिक विलंब हुआ। इसी बीच, लेखापरीक्षा में पता चला कि आयकर विभाग के पीसीआईटी कार्यालय के पास प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 से संबंधित मामलों की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट मौजूद हैं। इसलिए, सीबीडीटी से डेटा प्राप्त होने तक, इस एसएससीए के लिए नामित लेखापरीक्षा दल द्वारा पीसीआईटी कार्यालय का दौरा करके इन एमआईएस रिपोर्टों को संकलित करने के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाया गया। उपलब्ध एमआईएस रिपोर्ट में, सीमित विवरण उपलब्ध थे, अर्थात, पैन/टैन, प्रपत्र संख्या, नि.व., फाइलिंग तिथि, फाइलिंग टाइप, पावती संख्या और स्थिति। इन विवरणों के आधार पर, ***अनुलग्नक 2.1*** में दी गई, लेखापरीक्षा नमूना पद्धति तैयार की गई थी, और मामले की स्थिति, जैसा कि चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है, के आधार पर

एमआईएस रिपोर्ट के माध्यम से एकत्र किए गए 1,48,366 मामलों से लेखापरीक्षा जांच के लिए 4,722 मामलों का चयन किया गया था, ।

चार्ट 2.1: एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार आवेदन की स्थिति की श्रेणियाँ



इसके अतिरिक्त, 14 अगस्त 2023 को सीबीडीटी से डेटा प्राप्त होने पर, विभिन्न जोखिम मापदंडों को लागू करते हुए अतिरिक्त 633 मामलों का चयन किया गया, जैसे कि वे मामले जिनमें निर्धारितियों ने नामित प्राधिकारी (डीए) द्वारा प्रपत्र-3 में गणना की गई देय राशि की तुलना में विवादित कर/टीडीएस/ टीसीएस/जुर्माना/ब्याज के संबंध में अधिक/कम भुगतान (प्रपत्र-4 के माध्यम से) किया है; वे मामले जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थे एवं जहां विवादित कर/टीडीएस/टीसीएस/जुर्माना/ब्याज एक करोड़ या उससे अधिक था; एवं उच्च मूल्य वाले मामले जहां विवादित देय राशि ₹ 10 करोड़ से अधिक थी। इस प्रकार, इस एसएससीए के लेखापरीक्षा में विस्तृत जांच के लिए 174 नामित प्राधिकरणों से संबंधित कुल 5,335 मामलों का चयन किया गया।

राज्यवार लेखापरीक्षा नमूना को तालिका 2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: राज्य-वार जनसंख्या बनाम लेखापरीक्षा नमूना

राज्य	जनसंख्या	लेखापरीक्षा नमूना	
		मामलों की संख्या	प्रतिशता
आंध्र प्रदेश	2,300	154	6.7
असम	457	114	25.0
बिहार	2,182	210	9.6
चंडीगढ़	2,555	83	3.3
छत्तीसगढ	3,323	74	2.2
दिल्ली	15,209	526	3.5

तालिका 2.1: राज्य-वार जनसंख्या बनाम लेखापरीक्षा नमूना			
राज्य	**जनसंख्या**	**लेखापरीक्षा नमूना**	
		मामलों की संख्या	**प्रतिशता**
गोवा	1,316	39	3.0
गुजरात	13,626	304	2.2
हरियाणा	3,539	134	3.8
जम्मू एवं कश्मीर	585	9	1.5
झारखंड	898	185	20.6
कर्नाटक	7,466	388	5.2
केरल	5,028	231	4.6
मध्य प्रदेश	8,806	156	1.8
महाराष्ट्र	31,193	627	2.0
मेघालय	187	46	24.6
ओडिशा	1,145	195	17.0
पंजाब	2,498	93	3.7
राजस्थान	9,388	243	2.6
तमिलनाडु	10,226	516	5.1
तेलंगाना	3,550	275	7.8
उत्तर प्रदेश	7,864	231	2.9
उत्तराखंड	702	21	3.0
पश्चिम बंगाल	14,323	481	3.4
सकल कुल	**1,48,366**	**5,335**	**3.6**

2.5 लेखापरीक्षा पद्धति

- 20 जुलाई 2023 को सीबीडीटी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, दायरे एवं कार्यप्रणाली समझायी गयी था। इसके अलावा, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों ने संबंधित क्षेत्राधिकार के पीसीसीआईटी/सीसीआईटी के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित किए।
- अधिनियम, नियमों, संबंधित न्यायिक निर्णयों एवं सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों/निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन

की जाँच की गई एवं क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान निर्धारित चेकलिस्ट में डेटा दर्ज किया गया।

- क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा संबंधित पीसीसीआईटी/ सीसीआईटी को एसएससीए रिपोर्ट का मसौदा जारी किया गया था।
- एसएससीए के अंत में सभी क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों ने संबंधित पीसीआईटी के साथ एक निकास सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई एवं लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। संबंधित पीसीआईटी से जहां भी उत्तर प्राप्त हुए, उन्हें भी एसएससीए रिपोर्ट में उचित रूप से सम्मिलित किया गया।
- मसौदा रिपोर्ट मई 2025 में मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों के लिए जारी की गई थी। 10 सितंबर 2025 को सीबीडीटी के साथ एक निकास सम्मेलन आयोजित की गई, जिसके दौरान लेखापरीक्षा के निष्कर्षों/अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। सीबीडीटी से जहां भी उत्तर प्राप्त हुए, उन्हें एसएससीए रिपोर्ट में उचित रूप से सम्मिलित किया गया।

2.6 बाध्यताएं/अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

2.6.1 अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

कुल 5,335 मामलों के नमूने में से, विभाग ने 5,212 मामले प्रस्तुत किए; शेष 123 मामले बार-बार अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार, अभिलेख प्रस्तुत न करना आयकर विभाग के विभिन्न प्रभारों से संबंधित कुल नमूना मामलों का 2.30 *प्रतिशत* है, जैसा कि नीचे तालिका 2.2 में विस्तार से बताया गया है:

तालिका-2.2: माँगे गए मामलों की तुलना में उपलब्ध न कराए गए मामलों का राज्यवार सारांश	
राज्य का नाम	**प्रस्तुत नहीं किये गए मामलों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	1
बिहार	2
चंडीगढ़	1
गोवा	2

तालिका-2.2: माँगे गए मामलों की तुलना में उपलब्ध न कराए गए मामलों का राज्यवार सारांश	
राज्य का नाम	**प्रस्तुत नहीं किये गए मामलों की संख्या**
हरियाणा	3
झारखंड	6
कर्नाटक	33
मध्य प्रदेश	6
महाराष्ट्र	22
ओडिशा	12
तमिलनाडु	31
तेलंगाना	2
उत्तर प्रदेश	2
सकल कुल	**123**

अप्रस्तुतिकरण का विवरण ***अनुलग्नक 2.2*** में दिया गया है।

2.6.2 दस्तावेजों की अपर्याप्तता

आयकर विभाग द्वारा अभिलेखों के अपर्याप्त रखरखाव के कारण लेखापरीक्षा कार्य बाधित हुआ (इस रिपोर्ट के अध्याय 4 के पैरा संख्या 4.4 का संदर्भ लें)। 5,335 मामलों के नमूने में से, बुनियादी दस्तावेज, जैसे कि आयकर रिपोर्ट (आईटीआर) 791 मामलों (14.83 *प्रतिशत*) में उपलब्ध नहीं कराए गए, धारा 143(1) के अंतर्गत आदेश 1,528 मामलों (28.64 *प्रतिशत*) में उपलब्ध नहीं कराया गया एवं निर्धारण आदेश 539 मामलों (10.10 *प्रतिशत*) में उपलब्ध नहीं कराया गया। आईटीआर, धारा 143(1) के अंतर्गत सूचना आदेश, संबंधित निर्धारण आदेश एवं उसका आईटीएनएस, डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत परिणामी प्रभाव आदेश, अपील वापसी आदेश आदि, डीटीवीएसवी योजना की सभी फाइलों में अधिकतर नहीं पाए गए।

अध्याय 3 जनसंख्या एवं लेखापरीक्षा नमूना का सांख्यिकीय विश्लेषण

इस अध्याय में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीएसवी) योजना, 2020 के अंतर्गत कुल जनसंख्या की प्रोफाइल, योजना के अंतर्गत आवेदनों के निपटान एवं लेखापरीक्षा नमूना की प्रोफाइल पर चर्चा की गई है।

3.1 डीटीवीएसवी योजना, 2020 के अंतर्गत कुल जनसंख्या की प्रोफाइलिंग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से डीटीवीएसवी योजना, 2020 के अंतर्गत संसाधित मामलों के एकत्रित आँकड़ों/सूचना की प्राप्ति में विलंब के कारण, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में लेखापरीक्षा ने नमूना चयन के लिए आयकर विभाग के पीसीआईटी (नामित प्राधिकरण) स्तर के कार्यालयों में उपलब्ध एमआईएस रिपोर्टों में उपलब्ध ऐसे आँकड़ों/सूचना को एकत्र एवं संकलित किया (इस रिपोर्ट के अध्याय 2 में पैरा 2.4 देखें)। 174 पीसीआईटी कार्यालयों से एकत्रित एवं संकलित आंकड़ों में आयकर विभाग द्वारा डीटीवीएसवी योजना, 2020 के अंतर्गत प्राप्त 1,48,366 मामलों[4] का विवरण सम्मिलित है। कुल जनसंख्या का विवरण अगले पैराग्राफ़ों में दिया गया है।

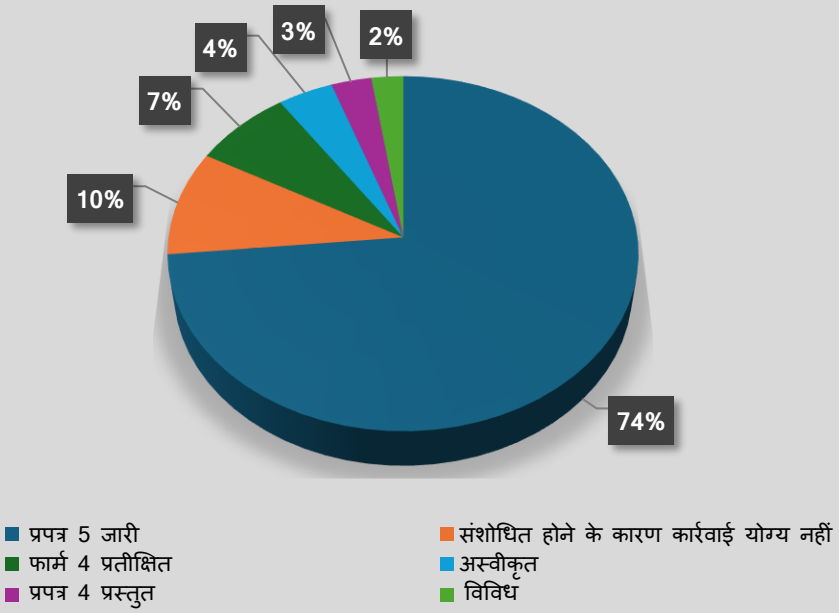
3.1.1 आवेदन की स्थिति के अनुसार कुल जनसंख्या का वितरण

1,48,366 मामलों की कुल संख्या का विश्लेषण करते हुए, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,09,017 मामलों[5] के लिए प्रपत्र-5 जारी किया गया था; 14,184 मामलों की स्थिति "संशोधित आवेदन के कारण कार्रवाई योग्य नहीं" थी, 10,996 मामलों की स्थिति "प्रपत्र-4 प्रतीक्षित" थी; 6,183 मामलों की स्थिति "अस्वीकृत" थी, 4,472 मामलों की स्थिति "प्रपत्र-4 प्रस्तुत" थी, एवं शेष 3,514 मामलों में विविध स्थितियाँ, जैसे लंबित, स्थिति अनुपलब्ध आदि, दर्शाई गई थीं। स्थितिवार मामलों को निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है:

[4] सीबीडीटी के दिनांक 16/05/2024 के पत्र के अनुसार, डीटीवीएसवी योजना 2020 के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या 1,31,925 थी।

[5] सीबीडीटी द्वारा 16/08/2023 को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रपत्र-5 जारी किए गए मामलों की संख्या 1,11,396 थी।

चार्ट 3.1: आवेदन की स्थिति के अनुसार कुल जनसंख्या का वितरण

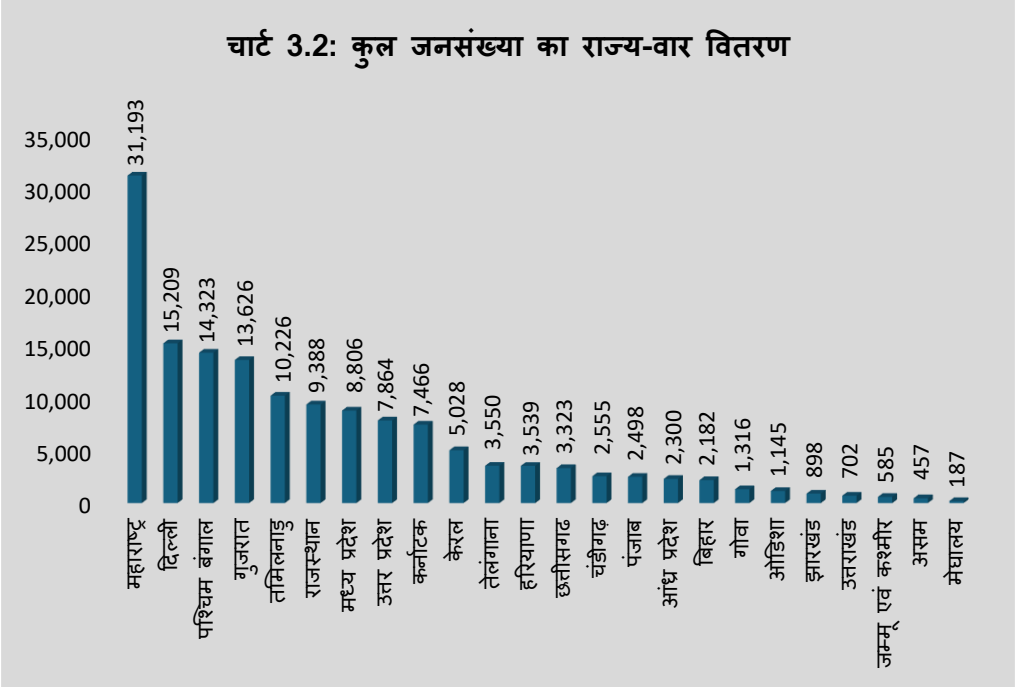


स्रोत: आयकर विभाग के क्षेत्रीय संरचनाओं से एकत्रित डेटा/जानकारी।

उपरोक्त चार्ट 3.1 से यह देखा जा सकता है कि कुल जनसंख्या के 74 *प्रतिशत* मामलों में 'प्रपत्र-5 जारी किए गए', 10 *प्रतिशत* मामले 'संशोधित आवेदन के कारण कार्रवाई योग्य नहीं' थे एवं कुल जनसंख्या के चार *प्रतिशत* मामले अस्वीकृत कर दिए गए थे।

3.1.2 कुल जनसंख्या का राज्यवार वितरण

डीटीवीएसवी योजना, 2020 के अंतर्गत मामलों के राज्यवार वितरण का पता लगाने के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने 1,48,366 की कुल संख्या में से राज्यवार मामलों को अलग-अलग किया। नीचे चार्ट 3.2 में राज्यवार मामलों का वितरण दर्शाया गया है:



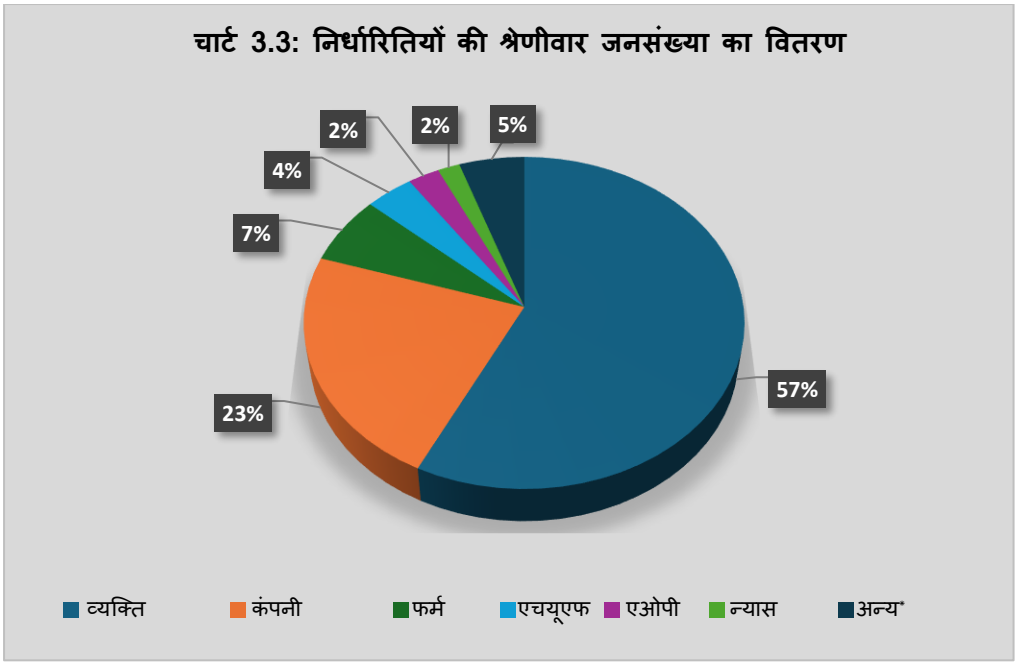
स्रोत: आयकर विभाग के क्षेत्रीय संरचनाओं से एकत्रित डेटा/जानकारी।

उपरोक्त चार्ट 3.2 से यह देखा जा सकता है कि डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले (21.02 *प्रतिशत*) थे, उसके बाद दिल्ली (10.25 *प्रतिशत*), पश्चिम बंगाल (9.65 *प्रतिशत*) एवं गुजरात (9.18 *प्रतिशत*) का स्थान था। इसके अलावा, मेघालय में सबसे कम मामले (0.13 *प्रतिशत*) दर्ज किए गए, उसके बाद असम (0.31 *प्रतिशत*) एवं जम्मू एवं कश्मीर (0.39 *प्रतिशत*) का स्थान रहा।

3.1.3 निर्धारितियों का श्रेणीवार कुल जनसंख्या वितरण

लेखापरीक्षा में डीटीवीएसवी योजना, 2020 के अंतर्गत कुल 1,48,366 मामलों में निर्धारितियों का श्रेणीवार वितरण देखने के उद्देश्य से कुल जनसंख्या का विश्लेषण किया गया। इस योजना के अंतर्गत निर्धारितियों का श्रेणीवार मामलों का वितरण नीचे चार्ट 3.4 में दर्शाया गया है:

चार्ट 3.3: निर्धारितियों की श्रेणीवार जनसंख्या का वितरण



स्रोत: आयकर विभाग के क्षेत्रीय संरचनाओं से एकत्रित डेटा/जानकारी।

*अन्य में निर्धारिती श्रेणियों से संबंधित मामले सम्मिलित हैं, जैसे सरकारी निकाय, बीओआई, एजेपी आदि, साथ ही वे मामले भी सम्मिलित हैं जहां लेखापरीक्षा विभाग के पास निर्धारिती श्रेणी उपलब्ध नहीं थी।

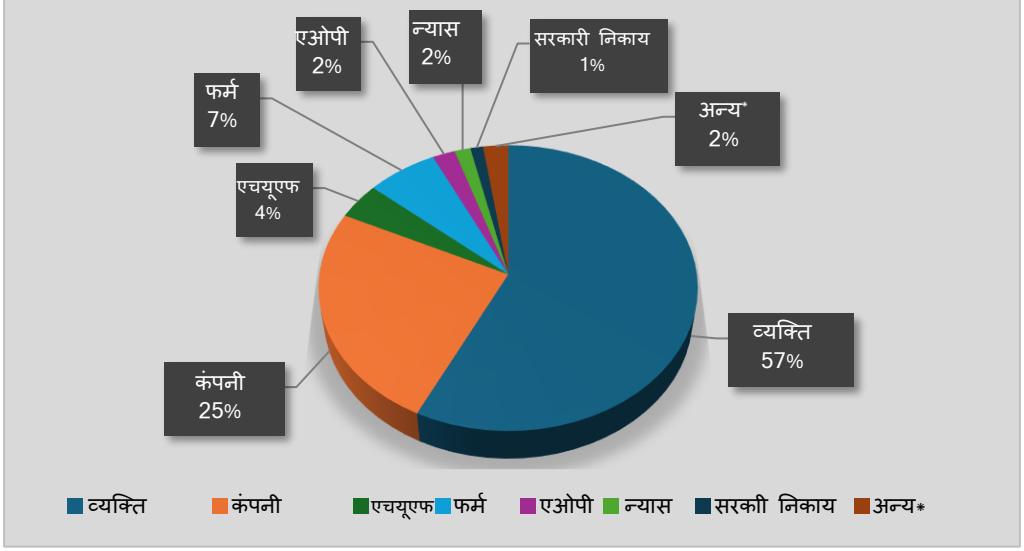
उपरोक्त चार्ट 3.3 से यह देखा जा सकता है कि डीटीवीएसवी योजना, 2020 का विकल्प चुनने वाले निर्धारितियों की सबसे अधिक संख्या व्यक्तिगत (57 *प्रतिशत*) थी, उसके बाद कंपनी (23 *प्रतिशत*) एवं फर्म (सात *प्रतिशत*) थी।

3.1.4 कुल जनसंख्या में से प्रपत्र-5 जारी किए गए मामलों का निर्धारिती श्रेणीवार वितरण

नामित अधिकारी द्वारा प्रपत्र-5 जारी किए जाने वाले मामलों के निर्धारिती श्रेणीवार वितरण का पता लगाने के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने 1,11,396 मामलों[6] का विश्लेषण किया। नीचे चार्ट 3.4 में प्रपत्र-5 जारी किए गए मामलों का निर्धारिती श्रेणीवार वितरण दर्शाया गया है:

[6] सीबीडीटी द्वारा दिनांक 16/08/2023 को प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, प्रपत्र-5 जारी किए गए मामलों की संख्या 1,11,396 थी

चार्ट 3.4: कुल जनसंख्या में से फॉर्म 5 जारी किए गए निर्धारितियों के श्रेणीवार मामले



स्रोत: सीबीडीटी

* अन्य मामलों में निर्धारिती श्रेणियां जैसे बीओआई, एजेपी आदि सम्मिलित हैं, साथ ही वे मामले भी सम्मिलित हैं जहां लेखापरीक्षा के पास निर्धारिती श्रेणी उपलब्ध नहीं थी।

उपरोक्त चार्ट 3.4 से यह देखा जा सकता है कि प्रपत्र-5 जारी किए गए मामलों की सबसे अधिक संख्या व्यक्ति (57 *प्रतिशत*) से संबंधित थी, उसके बाद कंपनी (25 *प्रतिशत*) एवं फर्म (सात *प्रतिशत*) से संबंधित थी।

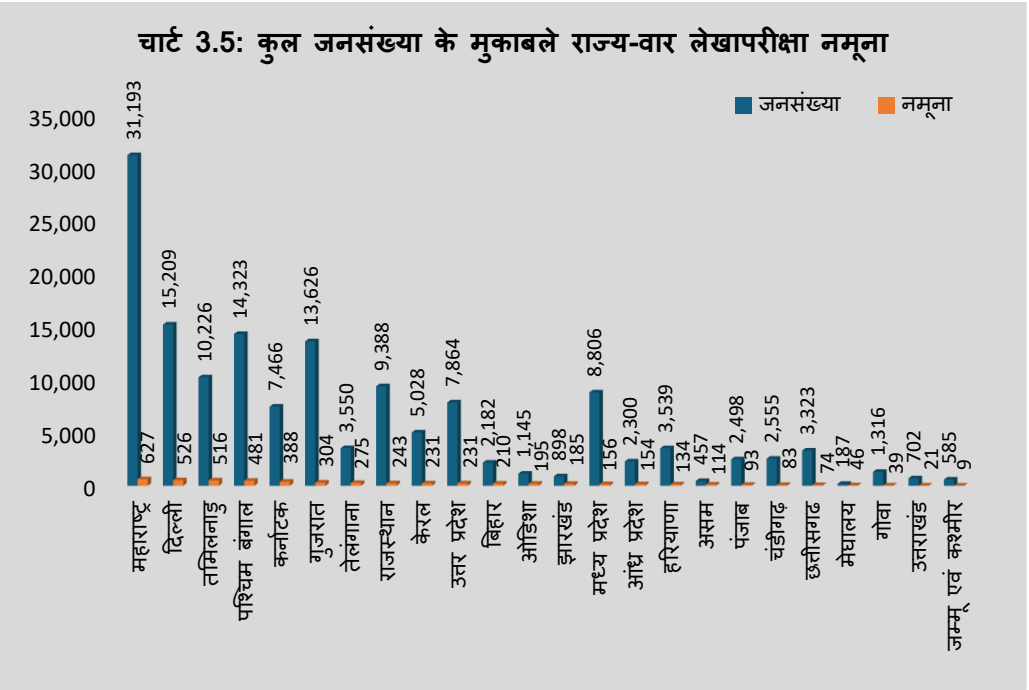
3.2 लेखापरीक्षा नमूना के अंतर्गत आने वाले मामलों की प्रोफाइलिंग

इस एसएससीए के लेखापरीक्षा में विस्तृत जांच के लिए 174 नामित अधिकारियों से संबंधित कुल 5,335 मामलों का चयन किया गया (इस रिपोर्ट के अध्याय 2 में पैरा 2.4 देखें)। लेखापरीक्षा नमूना का विवरण आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

3.2.1 लेखापरीक्षा नमूना मामलों का राज्यवार वितरण एवं लेखापरीक्षा नमूना बनाम कुल जनसंख्या का वितरण

एसएससीए के लिए लेखापरीक्षा नमूना (***पैरा 2.4 एवं अनुलग्नक 2.1 का संदर्भ लें***) हेतु चयनित मामलों के राज्यवार वितरण का पता लगाने के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने 5,335 मामलों के राज्यवार नमूना को अलग-अलग भागों में विभाजित किया। नीचे चार्ट 3.5 में लेखापरीक्षा नमूना का राज्यवार वितरण एवं लेखापरीक्षा नमूना का कुल जनसंख्या के सापेक्ष वितरण दर्शाया गया है:

चार्ट 3.5: कुल जनसंख्या के मुकाबले राज्य-वार लेखापरीक्षा नमूना



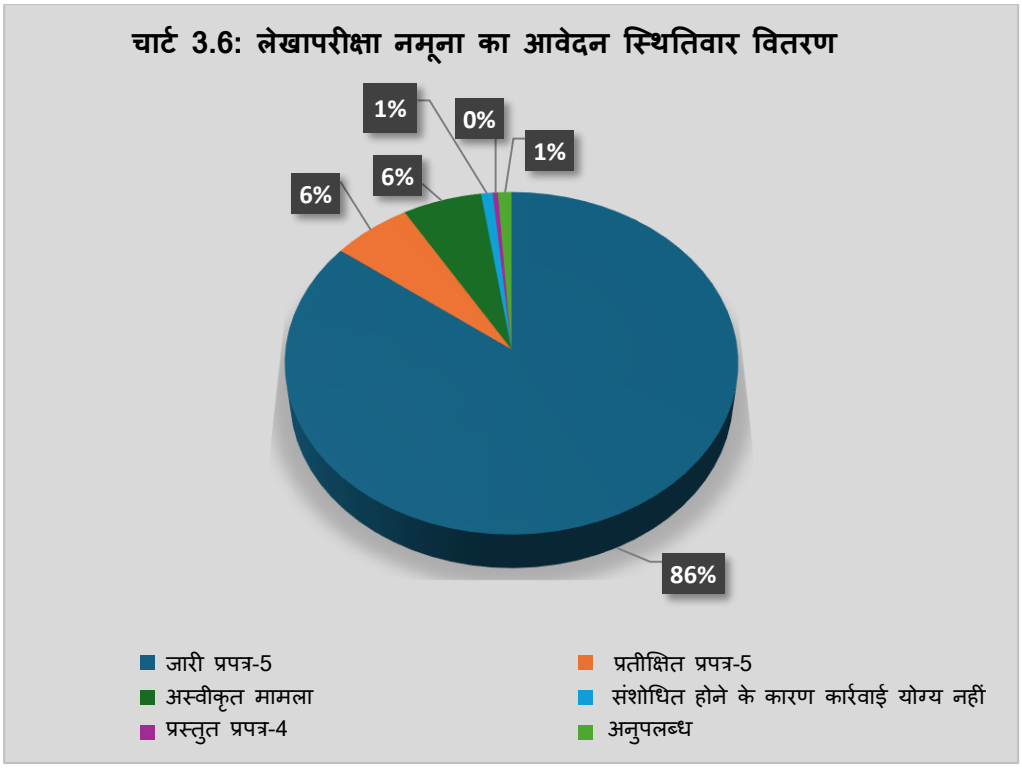
स्रोत: आयकर विभाग के क्षेत्रीय संरचनाओं से एकत्रित डेटा/जानकारी।

उपरोक्त चार्ट 3.5 से यह देखा जा सकता है कि लेखापरीक्षा नमूना के रूप में चुने गए मामलों की संख्या के संदर्भ में, सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र (627 मामले) की थी, उसके बाद दिल्ली (526 मामले), तमिलनाडु (516 मामले) एवं पश्चिम बंगाल (481 मामले) का स्थान था।

3.2.2 लेखापरीक्षा नमूना का आवेदन स्थितिवार वितरण

5,335 मामलों के लेखापरीक्षा नमूना का विश्लेषण करते समय, लेखापरीक्षा ने पाया कि 4,558 मामलों के लिए प्रपत्र-5 जारी किया गया था; 329 मामलों की स्थिति "प्रपत्र-4 प्रतीक्षित" के रूप में दर्शाई गई थी; 327 मामलों की स्थिति "अस्वीकृत" थी; संशोधित आवेदन के कारण 44 मामले कार्रवाई योग्य नहीं थे; 21 मामलों की स्थिति "प्रपत्र-4 प्रस्तुत" के रूप में दर्शाई गई थी एवं 56 मामलों के लिए आवेदन की स्थिति लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध नहीं थी क्योंकि ये मामले लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे। आवेदन की स्थिति के आधार पर मामलों का हिस्सा निम्नलिखित चार्ट में दिखाया गया है:

चार्ट 3.6: लेखापरीक्षा नमूना का आवेदन स्थितिवार वितरण



स्रोत: आयकर विभाग के क्षेत्रीय संरचनाओं से एकत्रित डेटा/जानकारी।

उपरोक्त चार्ट 3.6 से यह देखा जा सकता है कि 86 *प्रतिशत* लेखापरीक्षा नमूना मामलों में 'प्रपत्र-5' जारी किए गए थे, छः *प्रतिशत* लेखापरीक्षा नमूना ऐसे मामले थे जिनमें प्रपत्र-4 प्रतीक्षित थे, एवं छः *प्रतिशत* लेखापरीक्षा नमूना ऐसे मामले थे जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था।

अध्याय 4 प्रणालीगत मुद्दे एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली - अवसंरचना, प्रक्रियाएं एवं डाटा सुरक्षा

इस अध्याय को दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात् भाग क एवं भाग ख। भाग क में प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिनमें प्रपत्र-3 (विवाद सुलझाने के लिए करदाता द्वारा देय राशि निर्धारित करने वाला प्रमाण पत्र) जारी करने में देरी, प्रपत्र-5 (विवाद के पूर्ण एवं अंतिम निपटारे का आदेश) एवं परिणामी प्रभाव आदेश के लिए समयसीमा का अभाव, आवश्यक दस्तावेजों जैसे कि निर्धारण आदेश, आयकर रिपोर्ट, धारा 143(1) के अंतर्गत आदेश, वापसी आदेश आदि की अनुपस्थिति में डीटीवीएसवी मामलों का निपटारा सम्मिलित है, वहीं भाग ख में करदाताओं के लिए योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल की प्रभावशीलता, आईटी अवसंरचना की पर्याप्तता, डेटा सुरक्षा एवं निर्धारिती/घोषणाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायतों के निवारण की व्यवस्था, नियंत्रण एवं सत्यापन, समयबद्धता एवं संबंधित कर कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

भाग क: प्रणालीगत मुद्दे

5,212 नमूना मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में डीटीवीएसवी योजना 2020 के कार्यान्वयन से संबंधित कई मुद्दे सामने आए, जिन्हें सीबीडीटी को योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए संबोधित करना आवश्यक था, जिससे योजना के इच्छित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाई गई समस्याओं को मोटे तौर पर निम्नलिखित तालिका में वर्गीकृत किया गया है:-

तालिका 4.1: श्रेणीवार लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश

क्र. सं.	पैरा सं.	लेखापरीक्षा निष्कर्षों की श्रेणी	घटनाओं की संख्या
1.	4.1	डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 के अनुसार प्रपत्र-3 जारी करने में देरी	3,285
2.	4.2	डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत प्रपत्र-5 जारी करने के लिए समयसीमा का प्रावधान न होना	

तालिका 4.1: श्रेणीवार लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश			
क्र. सं.	**पैरा सं.**	**लेखापरीक्षा निष्कर्षों की श्रेणी**	**घटनाओं की संख्या**
3.	4.2.1	प्रपत्र-5 जारी करने में काफी समय का अंतराल रहा	2,044
4.	4.2.2	प्रपत्र-4 जमा करने के बाद प्रपत्र-5 जारी नहीं किया गया	21
5.	4.3	डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत नामित प्राधिकारी (डीए) के आदेश पर परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) जारी करने के लिए समयसीमा के प्रावधानों का अभाव	1,549
6.	4.4	आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामलों का निपटारा	
7.	4.4.1	निर्धारण आदेश/आईटीएनएस जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है, धारा 143(1) के अंतर्गत आदेश, आईटीआर/स्वीकृति	1,676
8.	4.4.2	आयकर प्राधिकरण/अपीलीय मंच का निर्णय, अपील दायर करने का प्रमाण, अपील वापस लेना आदि	1,004
9.	4.5	प्रपत्र-3 में देय राशि का गलत कर निर्धारण, जहाँ प्रपत्र-4 जमा/अंतिम रूप नहीं दिया गया था	2
10.	4.6	पात्रता सत्यापन के बिना किसी निर्धारिती को डीटीवीएसवी योजना में प्रवेश देना	4
11.	4.7	पात्र घोषणा की गलत अस्वीकृति	9
घटनाओं की कुल संख्या			**9,594**

इन प्रणालीगत एवं समन्वय संबंधी मुद्दों पर आगे के अनुच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गई है:

4.1 डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 के अनुसार प्रपत्र-3 जारी करने में विलंब

डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 5(1) के अनुसार, नामित अधिकारी, आदेश द्वारा घोषणा प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगा एवं घोषणाकर्ता को कर बकाया एवं ऐसे निर्धारण के बाद देय राशि का विवरण उक्त प्रमाण पत्र प्रपत्र-3 में प्रदान करेगा। इस प्रकार, अधिनियम आवेदक की घोषणा प्राप्त होने के बाद प्रपत्र-3 जारी करने के लिए 15 दिनों की समय सीमा प्रदान करता है।

5,212 लेखापरीक्षित मामलों में से, यह देखा गया कि 24 राज्यों[7] के 3,285 मामलों में, विभाग ने 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के बाद प्रपत्र-3 जारी किया था, और विलंब 868 दिनों तक का था, जैसा कि नीचे तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: मामले जहां 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के बाद प्रपत्र-3 जारी किया था

विलंब की सीमा	**मामलों की संख्या**	**मामले *प्रतिशत* में**
एक दिन से 50 दिनों	1,833	55.8
51 दिनों से 100 दिनों	510	15.5
101 दिनों से 200 दिनों	484	14.7
201 दिनों से 868 दिनों	458	14.0
कुल	**3,285**	**100.0**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15.5 *प्रतिशत* मामलों में, विलंब 51 दिनों से 100 दिनों के बीच था; 14.6 *प्रतिशत* मामलों में, विलंब 101 दिनों से 200 दिनों के बीच था और 14.0 *प्रतिशत* मामलों में, 201 दिनों से 868 दिनों के बीच विलंब था।

पीसीआईटी में विलंब के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 24 राज्यों में 174 पीसीआईटी क्षेत्राधिकारों को कवर करने वाले कुल नमूना मामलों में से 155 पीसीआईटी (89.02 *प्रतिशत*) में विलंब हुआ (***अनुलग्नक 4.1*** देखें)।

ऐसे दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं, एवं एक अन्य उदाहरण ***अनुलग्नक 4.2*** में दिया गया है:

(i) तमिलनाडु में, पीसीआईटी-3 चेन्नई प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी मेसर्स एस12 प्रा. लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए, विभाग ने निर्धारिती को दी गई राहत के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 21/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए ने देय राशि की गणना की एवं 23/05/2023 को प्रपत्र-3 जारी किया। इस प्रकार, निर्धारित समय सीमा

[7] आंध्र प्रदेश (105), असम (56), बिहार (91), छत्तीसगढ़ (49), चंडीगढ़ (48), दिल्ली (351), गोवा (29), गुजरात (211), हरियाणा (91), जम्मू और कश्मीर (3), झारखंड (140), कर्नाटक (261), केरल (183), मध्य प्रदेश (88), महाराष्ट्र (334), मेघालय (25), ओडिशा (76), पंजाब (71), राजस्थान (151), तमिलनाडु (348), तेलंगाना (180), उत्तर प्रदेश (132), उत्तराखंड (14), पश्चिम बंगाल (248)

15 दिनों के मुकाबले निर्धारिती की घोषणा प्राप्त होने के 883 दिनों बाद प्रपत्र-3 जारी किया गया। परिणामस्वरूप, प्रपत्र-3 को 868 दिनों की असाधारण देरी के बाद जारी किया गया। यह टिप्पणी फरवरी 2024 में विभाग को जारी की गई थी।

मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 2026)।

(ii) कर्नाटक में, पीसीआईटी हुबली प्रभार के अंतर्गत, एक एओपी, मेसर्स एस38 लि. बोरगांव के मामले में, निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए, निर्धारिती ने निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई बढ़ोतरी के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 24/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए ने देय राशि की गणना की और 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के सापेक्ष, निर्धारिती से घोषणा की प्राप्ति से 855 दिनों के बाद 28/04/2023 को प्रपत्र-3 जारी किया था। इस प्रकार, 844 दिनों का असाधारण विलंब हुआ था। यह अभ्युक्ति मार्च 2024 में विभाग को जारी की गई थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2025) में कहा कि इस मामले में, प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 24/12/2020 को दाखिल किए गए थे, एवं मूल प्रपत्र-3 19/02/2021 को जारी किया गया था। प्रपत्र-4 की अदृश्यता एवं प्रपत्र-4 में कर समायोजन न होने के कारण प्रपत्र-5 जारी करने में तकनीकी समस्या थी। निर्धारिती को सीपीसी/आईटीबीए द्वारा सुझाए गए संकल्प के अनुसार संशोधित प्रपत्र-4 दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए, दिनांक 19/02/2021 का मूल प्रपत्र-3 रद्द कर दिया गया था एवं प्रपत्र-3 को 28/04/2023 को पुनः जारी किया गया था। लेखापरीक्षा में संशोधित प्रपत्र-3 की बाद की तिथि 28/04/2023 को मूल जारी करने की तिथि माना गया है एवं 840 दिनों का विलंब दर्ज किया गया है।

लेखापरीक्षा की राय है कि यद्यपि विभाग ने संशोधित प्रपत्र-3 जारी करने में विलंब का कारण तकनीकी खामियों को बताया है, लेकिन इतना लंबा विलंब (दो साल से अधिक) उचित नहीं था। इसके अलावा, विलंब से योजना का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है, जो कि लंबे समय से लंबित कर विवादों का समय पर समाधान करना एवं करदाताओं को मानसिक शांति प्रदान करना है।

डीए द्वारा प्रपत्र-3 के विलंबित निर्गमन के परिणामस्वरूप विभाग द्वारा विलंबित मांग संग्रह हो सकता था, जो डीटीवीएसवी योजना के इच्छित उद्देश्य के अनुरूप नहीं हो सकता था।

इसके अलावा, ऑडिट ने कुछ मामलों[8] में यह भी नोट किया कि प्रपत्र-3 जारी करने में देरी के कारण निर्धारिती द्वारा देय राशि का 10 *प्रतिशत* (निर्धारित तिथि के बाद किए गए भुगतान के मामले में लागू) अतिरिक्त भुगतान किया गया।

मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 2026)।

4.2 डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत प्रपत्र-5 जारी करने के लिए समयसीमा का प्रावधान न करना

सीबीडीटी ने डीटीवीएसवी योजना 2020 को लागू करते समय घोषणा (प्रपत्र-1 एवं 2) दाखिल करने, प्रमाण पत्र (प्रपत्र-3) जारी करने एवं भुगतान की सूचना (प्रपत्र-4) प्रस्तुत करने के लिए एक समयसीमा निर्धारित की थी। हालांकि, निर्धारिती द्वारा प्रपत्र-4 में कर भुगतान के साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद, डीए द्वारा (कर बकाया के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के लिए आदेश) प्रपत्र-5 जारी करने के लिए कोई समयसीमा नहीं दी गई थी।

4.2.1 प्रपत्र-5 जारी करने में काफी समय का अंतराल रहा

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल चयनित 5,335 मामलों के नमूने में से 4,558 मामलों में फॉर्म-5 जारी किया गया था। इन 4,558 मामलों में से 2,514 मामलों (55.16 *प्रतिशत*) में 60 दिनों के भीतर फॉर्म-5 जारी किया गया था। शेष 2,044 मामलों (44.84 *प्रतिशत*) (***अनुलग्नक 4.3 देखें***) में, 22 राज्यों[9] के 149 पीसीआईटी में 60 दिनों से 954 दिनों तक के समय अंतराल के बाद फॉर्म-5 जारी किया गया था, जैसा कि नीचे तालिका 4.3 में दर्शाया गया है:

[8] अर्थात्. 1. एस83, पैन: xxxxxxxxxx, नि.व.: 2017-18, पीसीआईटी प्रभार: पीसीआईटी, अंतर्राष्ट्रीय कराधान-1, दिल्ली; 2. मेसर्स डी23 प्रा. लि, पैन: xxxxxxxxxx, नि.व.: 2007-08, पीसीआईटी प्रभार: पीसीआईटी-1, दिल्ली

[9] आंध्र प्रदेश (45), असम (36), बिहार (83), छत्तीसगढ़ (23), चंडीगढ़ (22), दिल्ली (221), गोवा (15), गुजरात (150), हरियाणा (47), झारखंड (92), कर्नाटक (111), केरल (87), मध्य प्रदेश (55), महाराष्ट्र (251), मेघालय (13), ओडिशा (101), पंजाब (13), राजस्थान (84), तमिलनाडु (142), तेलंगाना (61), उत्तर प्रदेश (54), पश्चिम बंगाल (338)।

तालिका 4.3: फॉर्म-5 जारी करने में लगने वाले समय अंतराल की सीमा		
समय अंतराल की सीमा	**मामलों की संख्या**	**मामलें *प्रतिशत* में**
61 दिनों से 150 दिनों तक	797	39.0
151 दिनों से 300 दिनों तक	799	39.1
301 दिनों से 600 दिनों तक	415	20.3
601 दिनों से 954 दिनों तक	33	1.6
कुल	**2,044**	**100.0**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 39.1 *प्रतिशत* मामलों में फॉर्म-5 जारी करने में लगने वाला समय अंतराल 151 दिनों से 300 दिनों के बीच था, 39.0 *प्रतिशत* मामलों में यह अंतराल 61 दिनों से 150 दिनों के बीच था; 20.3 *प्रतिशत* मामलों में यह अंतराल 301 दिनों से 600 दिनों के बीच था और शेष 1.6 *प्रतिशत* मामलों में यह अंतराल 601 दिनों से 954 दिनों के बीच था।

ऐसे दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं एवं एक उदाहरण ***अनुलग्नक 4.4*** में दिया गया है:

(i) महाराष्ट्र में, पीसीआईटी-5, मुंबई प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी मेसर्स आर30 लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धनों के खिलाफ अपील की थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 28/01/2021 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए ने देय राशि शून्य निर्धारित की एवं 12/04/2021 को प्रपत्र-3 जारी किया। निर्धारिती द्वारा प्रपत्र-4 18/02/2021 को जमा किया गया था। डीए ने 925 दिनों के अंतराल के बाद पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में 01/09/2023 को प्रपत्र-5 जारी किया। यह अभ्युक्ति जनवरी 2024 में विभाग को जारी की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

(ii) झारखंड में, पीसीआईटी-धनबाद प्रभार में, एक व्यक्ति, के16 के मामले में, निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, निर्धारिती ने निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धनों के खिलाफ आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की थी। मामले को निपटाने के लिए निर्धारिती ने 23/12/2020 को

डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए ने देय राशि की गणना की एवं 02/02/2021 को प्रपत्र-3 जारी किया। निर्धारिती ने अपेक्षित राशि का भुगतान किया एवं 30/09/2021 को प्रपत्र-4 जमा किया। 851 दिनों के अंतराल के बाद, डीए ने 29/01/2024 को पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में प्रपत्र-5 जारी किया। यह अभ्युक्ति जुलाई 2023 में विभाग को जारी की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

4.2.2 प्रपत्र-4 जमा करने के बाद प्रपत्र-5 जारी नहीं किया गया

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत लेखापरीक्षित 5,212 मामलों में से 21 मामलों में (***अनुलग्नक 4.3 देखें***), निर्धारिती द्वारा प्रपत्र-4 जमा करने के बाद भी प्रपत्र-5 जारी नहीं किया गया था। ऐसे दो मामले नीचे दिए गए हैं:

(i) झारखंड में, पीसीआईटी रांची के प्रभार में, एक कंपनी मेसर्स एम20 प्रा. लि. के मामले में, नि.व. 2011-12 के लिए, निर्धारिती ने निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धनों के खिलाफ आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की थी। मामले को निपटाने के लिए निर्धारिती ने 29/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए ने देय राशि की गणना की एवं 08/01/2021 को प्रपत्र-3 जारी किया। निर्धारिती द्वारा प्रपत्र-4 30/04/2021 को जमा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस मामले में प्रपत्र-4 जमा करने के बाद प्रपत्र-5 जारी नहीं किया गया था। यह अभ्युक्ति अक्टूबर 2023 में विभाग को जारी की गई थी।

मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 2026)।

(ii) तेलंगाना में, पीसीआईटी-1, हैदराबाद के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स बी5 प्रा. लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धनों के खिलाफ अपील की थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 31/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए ने देय राशि की गणना की एवं 04/02/2021 को प्रपत्र-3 जारी किया। निर्धारिती

द्वारा प्रपत्र-4 दिनांक 02/09/2021 को जमा किया गया था। यह पाया गया कि निर्धारिती द्वारा प्रपत्र-4 जमा करने के बाद प्रपत्र-5 जारी नहीं किया गया था। यह अभ्युक्ति अगस्त 2023 में विभाग को जारी की गई थी।

मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 2026)।

डीए द्वारा प्रपत्र-5 जारी करने में विलंब के कारण क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा परिणामी प्रभाव आदेश जारी करने में विलंब होता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः निर्धारिती को धन वापसी जारी करने में विलंब होता है, जिससे निर्धारिती को परेशानी होती है एवं योजना का उद्देश्य भी विफल हो जाता है।

4.3 डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत परिणामी प्रभाव आदेश जारी करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं थी

सीबीडीटी ने परिपत्र संख्या 3 दिनांक 04 मार्च 2021 के माध्यम से स्पष्ट किया कि जहां डीए ने डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 5 के उप-धारा (1) एवं (2) के अंतर्गत आदेश पारित किए हैं, वहां निर्धारण अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत एक परिणामी आदेश पारित करेगा। हालांकि, डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) जारी करने के लिए निर्धारण अधिकारी के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा विभाग ने सभी अंतिम रूप दिए गए 4,558 मामलों के संबंध में सीईओ का विवरण विभाग से मांगा। हालांकि, विभाग ने कई बार अनुस्मारक भेजने एवं अनुवर्ती कार्रवाई करने के बावजूद 23 राज्यों[10] के 2,521 मामलों (55.31 *प्रतिशत*) में सीईओ का विवरण प्रदान नहीं किया। विभाग की ओर से कोई उत्तर न मिलने के कारण, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सका कि क्या इन मामलों में आज तक (मार्च 2025) सीईओ जारी किए गए थे।

इसके अलावा, 2,037 मामलों में जहां सीईओ को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया गया था, उनमें से 491 मामलों (24.1 *प्रतिशत*) में सीईओ को 60 दिनों

[10] आंध्र प्रदेश (56), असम (45), बिहार (70), छत्तीसगढ़ (32), चंडीगढ़ (53), दिल्ली (327), गोवा (4), गुजरात (134), हरियाणा (109), झारखंड (61), कर्नाटक (140), केरल (29), मध्य प्रदेश (34), महाराष्ट्र (524), मेघालय (23), ओडिशा (50), पंजाब (41), राजस्थान (101), तमिलनाडु (198), तेलंगाना (108), उत्तर प्रदेश (102), उत्तराखंड (1), पश्चिम बंगाल (263)।

की अवधि के भीतर जारी किया गया था। शेष 1,546 मामलों (75.9 *प्रतिशत*) (***अनुलग्नक 4.5 देखें***) में 23 राज्यों[11] के सीईओ 61 दिनों से लेकर 1,398 दिनों तक के समय अंतराल के बाद जारी किए गए, जैसा कि नीचे तालिका 4.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.4: परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) जारी करने में समय अंतराल सीमा		
समय अंतराल की सीमा	**मामलों की संख्या**	**मामलें *प्रतिशत* में**
61 दिनों से 150 दिनों तक	255	16.5
151 दिनों से 300 दिनों तक	451	29.2
301 दिनों से 600 दिनों तक	559	36.1
601 दिनों से 900 दिनों तक	224	14.5
901 दिनों से 1,398 दिनों तक	57	3.7
कुल	**1,546**	**100.0**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 36.1 *प्रतिशत* मामलों में सीईओ जारी करने में लगने वाला समय अंतराल 301 दिनों से 600 दिनों के बीच था; 29.2 *प्रतिशत* मामलों में यह अंतराल 151 दिनों से 300 दिनों के बीच था; 16.5 *प्रतिशत* मामलों में यह अंतराल 60 दिनों से 150 दिनों के बीच था; 14.5 *प्रतिशत* मामलों में यह अंतराल 601 दिनों से 900 दिनों के बीच था; और शेष 3.7 *प्रतिशत* मामलों में यह अंतराल 901 दिनों से 1,398 दिनों के बीच था।

ऐसे दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं, एवं दो अन्य उदाहरण ***अनुलग्नक 4.6*** में दिए गए हैं:

(i) राजस्थान में, पीसीआईटी (केंद्रीय) जयपुर प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स बी15 प्रा. लि. के मामले में निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए लेखापरीक्षा में पाया कि प्रपत्र-5, 04/09/2020 को जारी किया गया था, जबकि डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 की धारा 5(2) के अंतर्गत परिणामी प्रभाव आदेश 03/07/2024 को जारी किया गया था। इससे पता चला कि प्रपत्र-5 जारी करने की तारीख से 1,398 दिनों की अंतराल के बाद परिणामी प्रभाव आदेश जारी किया गया था। विभाग द्वारा प्रपत्र-5 जारी करने एवं उसके बाद जारी किए

[11] आंध्र प्रदेश (62), असम (26), बिहार (36), छत्तीसगढ़ (22), चंडीगढ़ (8), दिल्ली (113), गोवा (17), गुजरात (117), हरियाणा (6), झारखंड (53), कर्नाटक (153), केरल (110), मध्य प्रदेश (81), महाराष्ट्र (6), मेघालय (3), ओडिशा (82), पंजाब (38), राजस्थान (82), तमिलनाडु (193), तेलंगाना (99), उत्तर प्रदेश (63), उत्तराखंड (21), पश्चिम बंगाल (155).

गए आदेश के बीच इतने बड़े अंतर के कारणों का पता लेखापरीक्षा में नहीं लगाया जा सका।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2025) में लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को स्वीकार किया। हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि देरी के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि कोविड महामारी की अवधि, संबंधित अभिलेख का पता लगाने में लगने वाला समय, अधिकारियों का परिवर्तन एवं संभवतः इस मामले के लंबित होने का उल्लेख प्रभार सौंपने की रिपोर्ट में न होना, आईटीबीए पोर्टल को प्रभावी बनाने में आने वाली तकनीकी समस्याएं आदि। हालांकि, यह भी जोड़ा जा सकता है कि परिणामी प्रभाव आदेश पारित करने में विलंब के कारण राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा की राय है कि सीईओ जारी करने में इतनी बड़ी देरी के लिए मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण न्यायसंगत नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, सीईओ जारी करने में लगने वाला असामान्य समय अन्य निर्धारण वर्षों के प्रतिदाय को रोक सकता है, जिसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा प्रतिदाय पर अनावश्यक ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है या निर्धारिती को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, मंत्रालय को इस मुद्दे की विस्तारपूर्वक जांच करनी चाहिए एवं भविष्य में इस तरह की देरी से बचने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।

(ii) कर्नाटक में. पीसीआईटी-3 बेंगलुरु प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स एन8 प्रा. लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रपत्र-5 18/02/2021 को जारी किया गया था एवं डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 की धारा 5(2) के अंतर्गत परिणामी प्रभाव आदेश 26/06/2024 को जारी किया गया था। इससे पता चला कि प्रपत्र-5 जारी करने की तारीख से 1,224 दिनों की अंतराल के बाद परिणामी प्रभाव आदेश जारी किया गया था। विभाग द्वारा प्रपत्र-5 जारी करने एवं उसके बाद जारी किए गए आदेश के बीच इतने बड़े अंतर के कारणों का पता लेखापरीक्षा में नहीं लगाया जा सका। यह अभ्युक्ति मई 2024 में विभाग को जारी की गई थी।

मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 2026)।

प्रपत्र-5 जारी होने के बाद परिणामी प्रभाव आदेश जारी होने में असामान्य विलंब/ निरस्त होने से आईटीबीए पर निर्धारिती के कर एवं अन्य संबंधित विवरणों का अद्यतन नहीं हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में गलत वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से अवशोषित न हुई हानि/अवशोषित न हुई मूल्यह्रास/मैट क्रेडिट के शेष का अधिक चित्रण होने के कारण, जहां निर्धारिती ने कर का भुगतान न करने का विकल्प चुना है, जिससे योजना की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अनुशंसा 1:

सीबीडीटी भविष्य में ऐसी योजना के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रपत्र(त्रों) जारी करने और परिणामी प्रभाव आदेश जारी करने हेतु एक विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करे।

मंत्रालय ने (अगस्त 2025) कहा कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 की उपधारा 5(1) एवं 5(2) के अनुसार, देय राशि के लिए नामित प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने (अर्थात प्रपत्र-3) एवं आवेदक द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करने के साथ-साथ उसका विवरण सूचित करने (अर्थात प्रपत्र-4) के लिए 15 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है। यह भी कहा गया था कि 2021 के परिपत्र संख्या 4 में यह प्रावधान है कि जहां नामित प्राधिकारी ने अंतिम आदेश (प्रपत्र-5) पारित कर किया है, वहां निर्धारण अधिकारी एक परिणामी आदेश पारित करेगा।

इस प्रकार, मंत्रालय ने निष्कर्ष निकाला कि उक्त योजना में सुचारू कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई थी। हालांकि, श्रमबल की सीमा एवं प्रणाली संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, परिणामी आदेश के प्रभावी होने की समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सीबीडीटी ने यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाए हैं कि इन प्रभावी आदेशों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसलिए, डीटीवीवीएस आदेशों को प्रभावी बनाने के आदेश का उपर्युक्त मुद्दा एक प्रशासनिक मामला है एवं कानून में आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए भविष्य की किसी भी योजना में सख्त समय-सीमा प्रदान करना कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से कठिन हो सकता है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रपत्र-5 जारी करने एवं सीईओ के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि, डीटीवीएसवी योजना, 2020 के अंतर्गत दोनों आदेश बेहद महत्वपूर्ण हैं। मामला तभी अंतिम रूप से सुलझा हुआ माना जाता है जब प्रपत्र-5 जारी किया जाता है। इसके अलावा, इस माफी योजना का लाभ वास्तव में निर्धारिती के हक में तभी प्रभावी होगा या परिलक्षित होगा, जब संबंधित क्षेत्राधिकार के निर्धारण अधिकारी द्वारा परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) पारित किया जाएगा। इसलिए, इन आदेशों को जारी न करना/ विलंब से जारी करना इस योजना के मूल उद्देश्य को ही विफल कर सकता है। इसके अलावा, ऐसे उदाहरण भी देखे गए, जहां डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत मामला निपटाए जाने के बावजूद प्रणाली द्वारा विवादित मांग के प्रति अन्य निर्धारण वर्षों की वापसी राशि समायोजित की गई थी। इस मामले में परिणामी प्रभाव आदेश लंबे अंतराल के बाद जारी किया गया था (इस प्रतिवेदन के पैरा 4.13.1 का संदर्भ लें)। इसलिए, मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे।

4.4 अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामलों का निपटान

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 की धारा 3 में कर बकाया, विवादित कर/ब्याज/जुर्माना/शुल्क एवं प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत देय राशि के निर्धारण का वर्णन किया गया है।

इस प्रकार, डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत नामित प्राधिकारी के लिए देय सही राशि पर पहुंचने के लिए पूर्वापेक्षित दस्तावेज थे, जैसे कि निर्धारण आदेश/आईटीएनएस जिसके प्रति अपील दायर की गई थी, धारा 143(1) के अंतर्गत आदेश, आयकर विवरणी /पावती।

4.4.1 डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निर्धारित देय राशि की सत्यता की जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत लेखापरीक्षित 5,212 मामलों में से 22 राज्यों[12] के 1,676 मामलों ***(अनुलग्नक 4.7 देखें)*** में,

[12] आंध्र प्रदेश (73), असम (11), बिहार (42), छत्तीसगढ़ (31), चंडीगढ़ (48), दिल्ली (124), गोवा (8), गुजरात (3), हरियाणा (87), झारखंड (51), कर्नाटक (284), केरल (13), मध्य प्रदेश (44), महाराष्ट्र (474), मेघालय (1), ओडिशा (80), पंजाब (47), राजस्थान (8), तेलंगाना (195), उत्तर प्रदेश (32), उत्तराखंड (1), पश्चिम बंगाल (19)।

ऊपर उल्लिखित एक या अधिक आवश्यक दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रदान की गई डीटीवीएसवी योजना की फाइलों/दस्तावेजों में नहीं पाए गए। इन दस्तावेजों के अभाव में, लेखापरीक्षा मुख्य रूप से स्वीकृत तथ्यों एवं नामित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित परिणामी कर दायित्व पर निर्भर थी, एवं इसलिए, इन मामलों में किसी भी विसंगति की रिपोर्ट नहीं की जा सकी। इसके दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(i) केरल पीसीआईटी, कोच्चि-1 प्रभार में, एक कंपनी, जी1 प्रा. लि. नामक के मामले में निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए, विभाग ने निर्धारण आदेश एवं परिणामी प्रभाव आदेश प्रदान नहीं किया था। इन आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में, लेखापरीक्षा विवादित कर एवं डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय राशि की सत्यता को सत्यापित करने में असमर्थ रहा। मार्च 2024 में विभाग को अभ्युक्ति जारी की गई थी। विभाग ने उत्तर दिया कि यह मामला निर्धारण वर्ष 2006-07 से संबंधित है, एवं चूंकि आवश्यक दस्तावेजों का सीपीसी 2.0 पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखरखाव नहीं किया गया था, इसलिए इन दस्तावेजों को भौतिक रूप से ट्रैक करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये दस्तावेज निर्धारिती द्वारा देय राशि का निर्धारण करने के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा, इन दस्तावेजों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि नामित प्राधिकारी ने डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय राशि की सत्यता सुनिश्चित की थी या नहीं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

(ii) दिल्ली में, पीसीआईटी-15 प्रभार के अंतर्गत, एक व्यक्ति, एस16 के मामले में निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए विभाग ने आयकर विवरणी एवं 143(1) आदेश प्रदान नहीं किया था। इन अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में, लेखापरीक्षा विवादित कर एवं डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय राशि की सत्यता को सत्यापित करने में असमर्थ रही। फरवरी 2024 में विभाग को अभ्युक्ति जारी की गई थी। विभाग ने उत्तर दिया कि अभिलेखों का पता नहीं लगाया जा सका एवं पता चलने पर उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये दस्तावेज निर्धारिती द्वारा देय

राशि का निर्धारण करने के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा, इन दस्तावेजों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि नामित प्राधिकारी ने डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय राशि की सत्यता सुनिश्चित की थी या नहीं। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

यह देखा जाए कि नामित प्राधिकारी ने आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में मामलों की कार्यवाही की थी, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्धारिती द्वारा देय राशि की सत्यता सुनिश्चित नहीं की गई थी। इससे योजना के इच्छित उद्देश्य की पूर्ति न होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

4.4.2 डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत मामले की कार्यवाही के लिए आवश्यक दस्तावेज

डीटीवीएसवी योजना नियम 2020 के नियम 5 के अनुसार, नामित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार किए गए भुगतानों का विवरण, घोषणाकर्ता द्वारा नामित प्राधिकारी के समक्ष दायर अपील, आपत्ति, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका, मध्यस्थता, सुलह, मध्यस्थता या दावे की वापसी के प्रमाण के साथ प्रपत्र-4 में प्रस्तुत किया जाएगा।

इसलिए, आयकर प्राधिकरण/अपीलीय मंच के निर्णय (ऐसे मामलों में जहां अपील दाखिल करने की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है), दायर की गई अपील का प्रमाण, अपील वापस लेने का प्रमाण आदि जैसे दस्तावेज संबंधित नामित प्राधिकारी को डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामलों की प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 5,212 लेखापरीक्षित मामलों में से, 15 राज्यों[13] के 1,004 मामलों ***(अनुलग्नक 4.7 देखें)*** में उपर्युक्त दस्तावेज डीटीवीएसवी योजना फाइलों/लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए दस्तावेजों में नहीं पाए गए, जो डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत मामले को संसाधित करने के लिए आवश्यक थे। इन दस्तावेजों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी

[13] असम (61), बिहार (74), चंडीगढ़ (4), दिल्ली (155), गोवा (23), हरियाणा (40), झारखंड (29), कर्नाटक (243), महाराष्ट्र (237), मेघालय (15), पंजाब (5), राजस्थान (3), उत्तर प्रदेश (99) और उत्तराखंड (14) और पश्चिम बंगाल (2)।

कि नामित प्राधिकारी ने यह कैसे सुनिश्चित किया कि मामला इस योजना के अंतर्गत प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है एवं साथ ही निर्धारिती द्वारा देय सही राशि का निर्धारण कैसे किया जाए। इसके दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(i) मेघालय में, पीसीआईटी शिलांग प्रभार के अंतर्गत, एक फ़र्म, ए27 के मामले में, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, निर्धारिती सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील में था। मामले को निपटाने के लिए निर्धारिती ने 04/06/2020 को डीटीवीएसवी योजना 2020 का विकल्प चुना। इस मामले का निपटारा 30/11/2021 को प्रपत्र-5 जारी करके किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से संबंधित दस्तावेज मांगे गए। हालांकि, विभाग ने अपीलीय मंच से अपील वापस लेने की प्रति उपलब्ध नहीं कराई, जिसे निर्धारिती द्वारा प्रपत्र-4 के साथ दाखिल करना अनिवार्य था। अत: उपर्युक्त दस्तावेज़ के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि इस योजना के अंतर्गत मामले की सही ढंग से प्रक्रिया की गई थी। मार्च 2024 में विभाग को अभ्युक्ति जारी की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

(ii) पंजाब में, पीसीआईटी-1 लुधियाना प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स एच6 प्रा. लि. के मामले में निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए, निर्धारिती माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में था एवं उसने 02/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। इस मामले का निपटारा 17/02/2021 को प्रपत्र-5 जारी करके किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से संबंधित दस्तावेज मांगे गए। हालांकि, विभाग ने अपीलीय मंच से अपील वापस लेने की प्रति उपलब्ध नहीं कराई, जिसे निर्धारिती द्वारा प्रपत्र-4 के साथ दाखिल करना अनिवार्य था। अत: उपर्युक्त दस्तावेज़ के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि इस योजना के अंतर्गत मामले की सही ढंग से प्रक्रिया की गई थी। मार्च 2024 में विभाग को अभ्युक्ति जारी की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

अत: आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में, जैसे कि आयकर प्राधिकरण/अपीलीय मंच का निर्णय (यदि अपील दाखिल करने की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है),

अपील दाखिल करने का प्रमाण, अपील वापस लेने का प्रमाण आदि, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि इन मामलों को सही ढंग से एवं डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी शर्तों को पूरा करने के बाद संसाधित किया गया था।

4.5 प्रपत्र-3 में देय राशि का गलत कर निर्धारण, जहां प्रपत्र-4 प्रस्तुत/अंतिम रूप नहीं दिया गया है

डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 5(1) के अनुसार, नामित प्राधिकारी, घोषणा प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगा एवं घोषणाकर्ता को कर बकाया एवं ऐसे निर्धारण के बाद देय राशि का विवरण देने वाला प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रपत्र में प्रदान करेगा।

लेखापरीक्षा में दो मामलों ***(अनुलग्नक 4.8 देखें)*** में यह पाया गया कि "प्रपत्र-4 लंबित मामले" श्रेणी से संबंधित लेखापरीक्षा किए गए 320 मामलों में से प्रपत्र-3 जारी किया गया था, जिसमें नामित प्राधिकारी ने प्रपत्र-3 में देय राशि की गणना गलत तरीके से की थी। हालांकि, निर्धारितियों ने प्रपत्र-4 प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए, ये मामले डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निपटाए नहीं गए एवं इन्हें प्रपत्र-4 के लंबित मामलों की श्रेणी में दर्शाया गया है। दोनों मामलों का उदाहरण नीचे दिया गया है:

(i) दिल्ली में, पीसीआईटी 1 प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी मेसर्स ए14 प्रा. लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए, निर्धारिती आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष ₹ 13.64 लाख की बरकरार रखी गई बढ़ोतरी के प्रति अपील में था। निर्धारिती ने 20/03/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। नामित प्राधिकारी ने 24/12/2020 को प्रपत्र-3 जारी किया, जिसमें देय राशि ₹ 4.47 लाख निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रपत्र-1 में निर्धारिती द्वारा गणना एवं दर्शाई गई देय राशि ₹ 4.21 लाख सही थी, जबकि वास्तविक राशि नामित प्राधिकारी द्वारा ₹ 4.47 लाख निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निर्धारिती द्वारा प्रपत्र-4 प्रस्तुत नहीं किया गया था, एवं इसका कारण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। फरवरी 2024 में विभाग को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति सूचित

कर दी गई थी। विभाग ने (फरवरी 2024 में) उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे को 31/01/2024 को प्रपत्र-3 में संशोधन करके संबोधित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

(ii) गुजरात में, पीसीआईटी-1, वडोदरा प्रभार के अंतर्गत, एक व्यक्ति एच5 के मामले में, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष ₹ 11.91 लाख की वृद्धि के प्रति अपील की थी। निर्धारिती ने 29/01/2021 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। नामित प्राधिकारी ने 05/02/2021 को प्रपत्र-3 जारी किया, जिसमें देय राशि ₹ 5.07 लाख निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नामित प्राधिकारी ने इस योजना के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि ₹ 5.07 लाख निर्धारित की थी, जबकि सही राशि ₹ 5.84 लाख थी। प्रपत्र-4 प्रस्तुत न करने का कारण लेखापरीक्षा विभाग के संज्ञान में नहीं था। लेखापरीक्षा संबंधी अभ्युक्ति की सूचना अगस्त 2023 में विभाग को दी गई थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) कहा कि इस मामले में कोई राजस्व हानि नहीं हुई है क्योंकि निर्धारिती ने प्रपत्र-4 प्रस्तुत नहीं किया था एवं इसलिए निर्धारिती को डीटीवीएसवी योजना, 2020 का लाभ नहीं मिला।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उपरोक्त गलती दर्शाती है कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा उचित सावधानी नहीं बरती गई थी या गणना प्रक्रिया में खामियां थीं। इसके अलावा, इस मामले में, यद्यपि निर्धारिती द्वारा भुगतान न करने के कारण राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्रपत्र-3 में देय राशि का गलत निर्धारण राजकोष को नुकसान पहुंचा सकता था। अतः भविष्य में ऐसी योजनाओं में सुधारात्मक उपाय करना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत निर्धारिती को होने वाली असुविधा एवं सरकारी खजाने को होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए प्रणाली-आधारित गणना को अपनाना/इस संबंध में मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना अनिवार्य है।

4.6 निर्धारिती की पात्रता का सत्यापन किए बिना डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामले को स्वीकार करना

डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान है कि डीटीवीएसवी अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, घोषणा केवल तभी दाखिल की जा सकती है जब विवादित कर, ब्याज एवं जुर्माने से संबंधित कर बकाया के रूप में सरकार को कोई राशि देय हो। इसलिए, अधिनियम में सरकार से किसी भी राशि की प्राप्ति का दावा करने वाली घोषणाओं का प्रावधान नहीं है।

डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 2(एच) में यह निर्धारित किया गया है कि "विवादित ब्याज" से तात्पर्य आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी मामले में निर्धारित ब्याज से है, जहां– (i) ऐसा ब्याज विवादित कर पर प्रभारित या प्रभार्य नहीं है; (ii) अपीलकर्ता द्वारा ऐसे ब्याज के संबंध में अपील दायर की गई है।

कर बकाया के संबंध में धारा 9(ए) के अनुसार -(i) किसी ऐसे निर्धारण वर्ष से संबंधित जिसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 132 या धारा 132ए के अंतर्गत शुरू की गई जांच के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 143 या धारा 144 या धारा 153ए या धारा 153सी की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्धारण किया गया है, यदि विवादित कर की राशि पांच करोड़ रुपये से अधिक है, तो इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

यह देखा गया कि चार मामलों में, अपीलों पर पहले से दिए गए निर्णयों के बावजूद, विभाग ने डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत प्रपत्र-1 एवं 2 तथा प्रपत्र-3 में दी गई जानकारियों का सत्यापन किए बिना अपीलकर्ताओं की घोषणाओं को गलत तरीके से स्वीकार कर लिया था। एक मामले में, घोषणा कर प्राधिकरण के प्रति दावा करने के लिए थी एवं इसलिए योजना के अंतर्गत निपटान के लिए पात्र नहीं थी। राज्यवार सारांश ***अनुलग्नक 4.9*** में विस्तृत रूप से दिया गया है। एक उदाहरण नीचे दिया गया है:-

(i) आंध्र प्रदेश में, सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), हैदराबाद प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स एस46 लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए, निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 244ए के अंतर्गत

ब्याज न दिए जाने के प्रति माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में था। निर्धारिती ने 17/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। नामित प्राधिकारी ने 01/04/2021 को प्रपत्र-3 जारी किया, जिसमें देय राशि ₹ शून्य निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह घोषणा डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं थी, क्योंकि यह घोषणा ₹ 94.55 लाख के प्रतिदाय पर धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज के भुगतान की वापसी के लिए थी। डीटीवीएसवी अधिनियम विवादित कर बकाया के निपटान का प्रावधान करता है, जबकि इस मामले में, घोषणा विभाग के प्रति निर्धारिती के दावे के संबंध में थी। निर्धारिती की घोषणा को स्वीकार करने वाला प्रपत्र-3 जारी करना सही नहीं था। फरवरी 2024 में अभ्युक्ति जारी की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

यह देखा जा सकता है कि निर्धारिती इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं था।

इस प्रकार, विभाग ने पात्र मामलों की पहचान करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के साथ कोई समन्वय तंत्र विकसित नहीं किया है।

4.7 पात्र घोषणा की गलत अस्वीकृति

डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 2(1)(ए) के अनुसार, "अपीलकर्ता" से तात्पर्य अन्य बातों के अलावा ऐसे व्यक्ति से है जिसके मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो, या आयुक्त (अपील) या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किसी अपील में कोई आदेश पारित किया गया हो, या उच्च न्यायालय द्वारा किसी रिट याचिका में कोई आदेश निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले पारित किया गया हो, या उस व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील या विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने का समय उस तिथि तक समाप्त न हुआ हो।

लेखापरीक्षा में तीन राज्यों[14] के नौ मामलों में (***अनुलग्नक 4.10 देखें***) कुल लेखापरीक्षा किए गए 327 मामलों में से 'अस्वीकृत' श्रेणी से संबंधित मामलों

[14] ओडिशा (1), आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना (1), और पश्चिम बंगाल (7)।

में, निर्धारिती द्वारा दायर वैध घोषणाओं को अस्वीकार कर दिया गया। नीचे ऐसे दो उदाहरण दिए गए हैं:

(i) पश्चिम बंगाल में, पीसीआईटी सेंट्रल-2 कोलकाता प्रभार के अंतर्गत, एक व्यक्ति, एस15 के मामले में, निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए, निर्धारिती ने 19/01/2018 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष ₹ 20.00 लाख की वृद्धि के विरुद्ध अपील दायर की। निर्धारिती ने 20/03/2020 को एक घोषणा दाखिल करके डीटीवीएसवी योजना 2020 का विकल्प चुना, जिसमें विवादित कर पर ₹ 1.82 लाख के ब्याज एवं मामले को निपटाने के लिए विवादित कर पर लगाए गए ₹ 2.00 लाख के जुर्माने का उल्लेख किया गया था। नामित प्राधिकारी ने 10/12/2020 को प्रपत्र-3 जारी किया, जिसमें ₹ 7.73 लाख (विवादित कर का 125 *प्रतिशत*, क्योंकि यह एक तलाशी का मामला है) की मांग उठाई गई। इसके अलावा, निर्धारिती ने 20/02/2021 को एक संशोधित घोषणा दाखिल की, जिसे नामित प्राधिकारी ने 24/02/2021 को इस टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया कि "निर्धारिती ने केवल ब्याज की गणना पर विवाद किया है।" इसलिए, इस मामले में भी कोई विवादित हित नहीं है। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि धारा 153ए के साथ धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण आदेश 30/12/2017 को ₹ 20 लाख की वृद्धि के साथ जारी किया गया था, एवं निर्धारिती ने समय सीमा के भीतर अपील दायर की थी। अतः, निर्दिष्ट तिथि (31/01/2020) को निर्धारिती अतिरिक्त राशि के विरुद्ध अपील में था। इसके अलावा, निर्धारिती को घोषणा पत्र में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी क्योंकि प्रपत्र-3 पहले ही नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा चुका था। इसके अलावा, नामित प्राधिकारी को निर्धारिती से प्रपत्र-3 में दर्शाई गई देय राशि जमा करने के लिए कहना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इस प्रकार, निर्धारिती को योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया। इसके अलावा, सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करने एवं आयकर संबंधी मुकदमों को कम करने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की जानकारी दिसंबर 2023 में विभाग को दी गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

(ii) ओडिशा में, पीसीआईटी, संबलपुर प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी मेसर्स जे10 लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए, निर्धारिती ने ₹ 11.09 लाख की बढ़ोतरी एवं ₹ 3.43 लाख के विवादित कर के प्रति आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की थी। निर्धारिती ने 10/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। नामित प्राधिकारी ने 15/12/2020 को प्रपत्र-3 जारी किया, जिसमें ₹ 0.96 लाख की छूट देने के बाद देय राशि ₹ 3.58 लाख निर्धारित की गई। निर्धारिती ने ₹ 2.62 लाख का भुगतान किया एवं 13/02/2023 को प्रपत्र-4 प्रस्तुत किया। इसके बाद, नामित प्राधिकारी ने इस आधार पर मामले को खारिज कर दिया कि निर्धारिती ने प्रपत्र-3 में निर्धारित पूरी राशि का भुगतान नहीं किया था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि नामित प्राधिकारी ने प्रपत्र-3 में देय राशि ₹ 2.62 लाख के बजाय गलत तरीके से ₹ 3.58 लाख निर्धारित की थी। इसलिए, निर्धारिती ने देय राशि का सही भुगतान किया एवं प्रपत्र-4 प्रस्तुत किया। गलत तरीके से अस्वीकृति के परिणामस्वरूप योजना के लाभ से अनुचित रूप से वंचित होना पड़ा एवं वास्तविक निर्धारिती को असुविधा का सामना करना पड़ा। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की जानकारी नवंबर 2023 में विभाग को दी गई थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025 में) कहा कि 27/08/2024 को मैनुअल प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-5 जारी करके आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।

जैसा कि ऊपर स्पष्ट है, ये निर्धारिती योजना का लाभ उठाने के पात्र थे, लेकिन निर्धारितियों द्वारा बताए गए तथ्यों की सत्यता की उचित जांच किए बिना/सत्यापन किए बिना ही नामित प्राधिकारी द्वारा उन्हें इस योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया गया। गलत अस्वीकृति के परिणामस्वरूप न केवल राजकोष को नुकसान हुआ बल्कि योजना का इच्छित उद्देश्य भी विफल हुआ।

खंड ख - योजना के कार्यान्वयन में सम्मिलित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना, प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ एवं डेटा सुरक्षा उपाय

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में गणनाओं की सटीकता, डेटा

अखंडता, समयबद्धता एवं संबंधित कर कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आईटी प्रणाली, नियंत्रण एवं सत्यापन पर्याप्त थे या नहीं। लेखापरीक्षा में निर्धारितियों के लिए योजना के लाभों को लेने हेतु ऑनलाइन पोर्टल की प्रभावशीलता, आईटी अवसंरचना की पर्याप्तता, डेटा सुरक्षा एवं निर्धारिती/घोषणाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र आदि का आकलन करने का भी प्रयास किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान कई घटनाएं देखी गईं, जिन्हें नीचे संक्षेप में पांच व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

तालिका 4.5: लेखापरीक्षा निष्कर्षों की व्यापक श्रेणी		
क्र. सं.	**पैरा सं.**	**लेखापरीक्षा निष्कर्षों की व्यापक श्रेणी**
1.	4.8	आईटी अवसंरचना की पर्याप्तता, आईटी प्रणालियों का उपयोग करके डीटीवीएसवी योजना के मामलों का प्रसंस्करण एवं डेटा सुरक्षा
2.	4.9	डेटा के स्वतः भरने की व्यवस्था का अभाव
3.	4.10	प्रणाली द्वारा देय राशि/देय कर की गणना की व्यवस्था का अभाव
4.	4.11	डीटीवीएसवी कार्यात्मकता प्रणाली में आगे लाए गए नुकसान/अनावशोषित मूल्यह्रास एवं एमएटी क्रेडिट से संबंधित अद्यतन जानकारी का अभाव
5.	4.12	प्रणाली में डेटा प्रसंस्करण पर नियंत्रण/सत्यापन
6.	4.13	करदाताओं के लिए योजना का लाभ उठाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल की प्रभावशीलता
7.	4.14	प्रपत्र-3 जारी करने में विलंब के लिए संबंधित प्राधिकारी को अधिसूचना भेजने की व्यवस्था का अभाव

श्रेणीवार लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगे के अनुच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गई है:

4.8 आईटी अवसंरचना की पर्याप्तता, आईटी प्रणालियों का उपयोग करके डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामलों का प्रसंस्करण एवं डेटा सुरक्षा

डीटीवीएसवी योजना नियम 2020 के नियम 8 के अंतर्गत डीजीआईटी (प्रणाली) को (i) नियम-3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रपत्र-1 में घोषणा प्रस्तुत करने एवं सत्यापित करने के लिए प्रक्रियाएं, प्रारूप एवं मानक निर्धारित करने, (ii) नियम-3 के उप-नियम (2) के अंतर्गत प्रपत्र-2 में वचन प्रस्तुत करने एवं सत्यापित करने, (iii) नियम-4 के अंतर्गत प्रपत्र-3 में प्रमाण पत्र प्रदान करने,

नियम-5 के अंतर्गत प्रपत्र-4 में भुगतान की सूचना एवं निकासी का प्रमाण प्रस्तुत करने एवं (iv) नियम-7 के अंतर्गत प्रपत्र-5 में आदेश जारी करने के साथ-साथ उक्त घोषणा, वचन, प्रमाण पत्र, सूचना एवं आदेश के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय एवं पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित एवं लागू करने का दायित्व सौंपा गया था।

योजना के कार्यान्वयन में सम्मिलित आईटी अवसंरचना, प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का आकलन करने के उद्देश्य से, अप्रैल 2024 में सीबीडीटी से आवश्यक जानकारी मांगी गई थी। सीबीडीटी ने बिंदुवार उत्तर प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें नीचे सारणीबद्ध किया गया है:-

तालिका 4.6: मांगी गई जानकारी एवं सीबीडीटी का उत्तर		
क्र.सं.	**मांगी गई जानकारी**	**सीबीडीटी का उत्तर (अक्टूबर 2024)**
1.	योजना के कार्यान्वयन में सम्मिलित आईटी प्रक्रिया।	सीबीडीटी ने कहा कि: (i) निर्धारिती द्वारा ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रपत्र-1 एवं 2 दाखिल किए जाते हैं। (ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति के बाद, देय राशि निर्धारित करते हुए प्रपत्र-3 जारी किया जाता है। (iii) इसके बाद, निर्धारिती भुगतान विवरण बताते हुए प्रपत्र-4 दाखिल करता है। (iv) यदि चालान भुगतान विवरण मिलान तर्क से मेल खाते हैं, तो प्रणाली स्वचालित रूप से प्रपत्र-5 जारी करने के लिए लिंक को सक्रिय कर देता है। (v) यदि उचित समझा जाए, तो प्रपत्र-1 एवं 2, प्रपत्र-3, प्रपत्र-4 एवं प्रपत्र-5 में दिए गए तथ्यों एवं आंकड़ों के सत्यापन के बाद, निर्धारिती प्रपत्र-5 जारी करे।
2.	डीटीवीएसवी योजना के कार्यान्वयन के लिए अखिल भारतीय आईटी अवसंरचना की खरीद एवं इसकी खरीद की लागत।	ई-फाइलिंग परियोजना एक लेनदेन-आधारित मूल्य निर्धारण परियोजना है, जिसमें प्रत्येक प्रपत्र दाखिल करने के लिए प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) (मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड) को

तालिका 4.6: मांगी गई जानकारी एवं सीबीडीटी का उत्तर		
क्र.सं.	**मांगी गई जानकारी**	**सीबीडीटी का उत्तर (अक्टूबर 2024)**
3.	डीटीवीएसवी योजना 2020 के लिए खरीदे गए/बनाए गए आईटी एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर का नाम एवं लागत, साथ ही इसके इनपुट, प्रोसेसिंग एवं आउटपुट नियंत्रणों से संबंधित दस्तावेज।	₹ 6.60 का भुगतान किया जाता है। एमएसपी पूरी परियोजना के लिए आईटी अवसंरचना का प्रबंधन करता है, जिसमें सभी विवरणी एवं प्रपत्र दाखिल करना एवं संसाधित करना सम्मिलित है, क्योंकि डीटीवीएसवी योजना 2020 के लिए कोई अलग लागत नहीं है। डीटीवीएसवी कार्यात्मकता मौजूदा आईटी अवसंरचना पर तैनात की गई है। सीबीडीटी ने आगे कहा कि कार्यात्मकता मौजूदा ई-फाइलिंग पोर्टल पर लागू की गई थी, जो सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित सभी विवरणी एवं प्रपत्र दाखिल करने एवं संसाधित करने का काम करता है।
4.	निर्धारिती, विभाग या अन्य हितधारकों द्वारा इस ऑनलाइन पोर्टल/एप्लिकेशन पर दर्ज की गई शिकायत टिकटों की संख्या।	सीबीडीटी ने बताया कि 7 जून 2021 से 7 अगस्त 2024 तक की ई-फाइलिंग वेबमेल डीटीवीएसवी रिपोर्ट के आधार पर, सीबीडीटी ने बताया कि 6,808 शिकायत टिकट दर्ज किए गए थे, जिनमें से 6,795 शिकायत टिकटों का समाधान किया गया, जिससे 13 अंतिम शेष बचा।
5.	इस प्रणाली की सुरक्षा में सेंधमारी या हैकिंग के दर्ज मामलों की संख्या।	सीबीडीटी ने बताया कि प्रणाली हैकिंग के कारण सुरक्षा में सेंध लगने की कोई घटना दर्ज नहीं की गई है।
6.	क्या प्रणाली में सम्मिलित गणना एवं नियमन स्वचालित थे या भौतिक?	सीबीडीटी ने बताया कि प्रपत्र-1 एवं 2 में गणना कोड के अनुसार स्वचालित रूप से की गई थी। नामित प्राधिकारी द्वारा ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से प्रपत्र-3 एवं 5 जारी करने की भौतिक प्रक्रिया थी।
7.	क्या डीटीवीएसवी योजना पोर्टल/एप्लिकेशन कर संबंधी विवरण, जैसे कर बकाया, कर क्रेडिट आदि प्राप्त करने के लिए	सीबीडीटी ने बताया कि आईटीबीए पोर्टल से कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि, डेटाबेस में मौजूद डीटीवीएसवी प्रपत्र का डेटा प्रतिदिन आईटीबीए को स्थानांतरित किया

तालिका 4.6: मांगी गई जानकारी एवं सीबीडीटी का उत्तर		
क्र.सं.	**मांगी गई जानकारी**	**सीबीडीटी का उत्तर (अक्टूबर 2024)**
	मौजूदा आईटीबीए पोर्टल के डेटा से जुड़ा हुआ था?	जाता है, एवं संबंधित पीसीआईटी लॉग इन करने के बाद आईटीबीए पोर्टल से डीटीवीएसवी प्रपत्र देख सकते हैं।

तालिका संख्या 4.6 से स्पष्ट है कि

क. विभाग ने इनपुट, प्रक्रिया एवं आउटपुट नियंत्रणों से संबंधित दस्तावेज़/ जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत मामलों की सुचारू एवं निर्बाध प्रक्रिया के लिए आवश्यक नियंत्रण आईटी प्रणाली में अंतर्निहित थे या नहीं।

ख. योजना के प्रारंभ होने के समय से, अर्थात् 19 मार्च 2020 से 06 जून 2021 तक, शिकायत टिकट संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। उपरोक्त अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध न कराने के कारणों की जानकारी लेखापरीक्षा विभाग को नहीं थी। लेखापरीक्षा में यह भी पता नहीं चल सका कि योजना की शुरुआत से लगभग 15 महीने की अवधि के दौरान शिकायत टिकट दर्ज करने की प्रणाली लागू की गई थी या नहीं।

ग. प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-5 जारी करने की प्रणाली में सम्मिलित गणना एवं विनियमन स्वचालित नहीं थे। इसके अलावा, कर संबंधी विवरण, जैसे कि कर बकाया, कर क्रेडिट आदि प्राप्त करने के लिए डीटीवीएसवी पोर्टल/एप्लिकेशन मौजूदा आईटीबीए पोर्टल के डेटा से अंतर्संबंधित नहीं था। परिणामस्वरूप, नामित प्राधिकारी द्वारा देय राशि की गलत गणना के रूप में राजस्व की हानि को रोका नहीं जा सका।

उपरोक्त के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने मार्च/अप्रैल 2024 में आयकर विभाग/सीबीडीटी से डीटीवीएसवी योजना 2020 के आईटी लेखापरीक्षा को संपन्न करने के लिए सुविधा/पहुँच प्रदान करने का भी अनुरोध किया, जिसमें उपर्युक्त मुद्दे सम्मिलित हैं। हालांकि, बार-बार अनुरोध एवं कई बार अनुवर्ती के बावजूद, सीबीडीटी ने डीटीवीएस योजना का आईटी लेखापरीक्षा कराने में कोई सहयोग

नहीं दिया। अतः, लेखापरीक्षा डीटीवीएसवी योजना 2020 के संबंध में इनपुट, प्रक्रिया एवं आउटपुट नियंत्रण आदि की जांच नहीं कर सका।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

4.9 डेटा के स्वतः भरने की सुविधा का अभाव

डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निर्धारिती को विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में एक घोषणा (प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2) दाखिल करना होता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती को घोषणा दाखिल करते समय, प्रपत्र-1 में कर बकाया के भुगतान से संबंधित अन्य विवरणों के साथ-साथ चालान का क्रम संख्या, बीएसआर कोड, भुगतान की तिथि आदि का विवरण दर्ज करना आवश्यक था, जिसका उपयोग डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि निर्धारित करने के लिए किया गया था।

इसका एक उदाहरण नीचे विस्तार से दिया गया है:-

(i) तमिलनाडु में, पीसीआईटी-4, चेन्नई प्रभार के अंतर्गत, एक व्यक्ति, एस57 के मामले में, निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए, निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण के दौरान दिसंबर, 2017 में की गई ₹ 1.94 करोड़ की बढ़ोतरी के खिलाफ अपील की थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 28/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। नामित प्राधिकारी ने 20/01/2021 को प्रपत्र-3 जारी किया, जिसमें ₹ 1.96 लाख की वापसी योग्य राशि निर्धारित की गई। निर्धारिती ने 13/01/2022 को प्रपत्र-4 दाखिल किया, एवं उसके बाद, नामित प्राधिकारी ने 17/01/2022 को पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में प्रपत्र-5 जारी किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने प्रपत्र-1 में कर बकाया के प्रति कुल ₹ 38.50 लाख के भुगतान का गलत दावा किया था, एवं इसे नामित प्राधिकारी द्वारा 20/01/2021 को जारी प्रपत्र-3 में देय/वापसी योग्य राशि की गणना करते समय स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि, बाद में नामित प्राधिकारी ने प्रपत्र-3 में संशोधन किया, जिसमें कर बकाया भुगतान से संबंधित त्रुटियों को सुधारा गया एवं परिणामस्वरूप, 14/02/2023 को प्रपत्र-5 सही ढंग से जारी किया गया। यदि कर भुगतान का विवरण स्वतः

भर जाता, तो ऐसी त्रुटियों से बचा जा सकता था, जिससे श्रमबल एवं समय की बचत हो सकती थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार न करते हुए (अगस्त 2025 में) कहा कि लेखापरीक्षा में पाई गई गलती विभाग के संज्ञान में पहले से ही थी एवं सुधारात्मक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित कर विवरणों की स्वतः-भराव का मुद्दा मसौदा प्रतिवेदन के पैरा 4.9 में दी गई अनुशंसा में सम्मिलित है, एवं इस अनुशंसा पैरा का उत्तर अलग से भेजा जाएगा।

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य आईटीडी प्रणाली में उपलब्ध पुराने डेटा के स्वतः भरने के महत्व पर जोर देना है, जिससे भविष्य में ऐसी योजनाओं को लागू करते समय होने वाली गलतियों एवं परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान/निर्धारिती को होने वाली परेशानी से बचा जा सके।

डीजीआईटी (प्रणाली) ने (अक्टूबर 2024) उत्तर दिया कि निर्धारिती को उपर्युक्त विवरण भरने के लिए बाध्य किया गया था क्योंकि (i) विभाग द्वारा बहुत पहले के निर्धारण वर्षों को सम्मिलित किए जाने के कारण ई-फाइलिंग पोर्टलों पर सभी चालान/कर भुगतान विवरण उपलब्ध नहीं थे, (ii) ई-फाइलिंग पोर्टल पर विवादित कर एवं अविवादित कर से संबंधित कर भुगतान चालान/चालान भुगतानों का विभाजन उपलब्ध नहीं था।

डीजीआईटी (प्रणाली) का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पुराने डेटा से भुगतान/प्रतिदाय विवरण के स्वतः भरने का प्रावधान न होने एवं भौतिक हस्तक्षेप के कारण निर्धारिती द्वारा देय राशि का गलत निर्धारण हो सकता है, जो अंततः योजना शुरू करने के उद्देश्य को विफल कर सकता है।

अनुशंसा 2:

सीबीडीटी आईटीडी प्रणाली में उपलब्ध पुराने आंकड़ों से प्रासंगिक आंकड़ों की स्वतः-भराव सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में ऐसी योजना को लागू करते समय मैन्युअल हस्तक्षेप के कारण त्रुटि की गुंजाइश को कम किया जा सके।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

4.10 प्रणाली द्वारा देय राशि/देय कर की गणना का प्रावधान न होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती से घोषणा (प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2) प्राप्त होने पर, नामित प्रधिकारी द्वारा प्रपत्र-3 जारी करने से पहले विवादित आय, विवादित कर, ब्याज, जुर्माना, कर बकाया एवं भुगतान विवरण जैसी जानकारी की सत्यता की भौतिक रूप से जांच की जानी थी। इस भौतिक जांच में कर दर का सही अनुप्रयोग, माफ किए जाने वाले/लगाए जाने वाले ब्याज की सही गणना, क्रेडिट में पूर्व भुगतान किए गए करों का सही हिसाब आदि सम्मिलित थे। इसके अलावा, निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना प्रपत्र-3 में भौतिक रूप से की गई थी।

लेखापरीक्षा में 5,212 लेखापरीक्षा किए गए मामलों में से 208 ऐसे मामले सामने आए जहां देय राशि की गणना नामित प्राधिकारी द्वारा भौतिक रूप से की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती द्वारा देय राशि की गलत गणना हुई ***(अनुलग्नक 5.1 देखें)***। इन मामलों पर इस प्रतिवेदन के अध्याय-5 में विस्तार से चर्चा की गई है। हालांकि, ऐसे दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं:-

(i) दिल्ली में, पीसीआईटी (केंद्रीय)-2 प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी मेसर्स एम23 प्रा. लि. के मामले में निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए, विभाग आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारिती को दी गई ₹ 3.55 करोड़ की राहत के प्रति अपील में था। मामले को निपटाने के लिए निर्धारिती ने 14/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। नामित प्राधिकारी ने डीटीवीवीएस 2020 के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना करते समय, निर्धारिती की गणना को स्वीकार कर लिया एवं 02/01/2021 को प्रपत्र-3 में विवादित कर ₹ 1.19 करोड़ के 50 *प्रतिशत* के रूप में ₹ 0.60 करोड़ की मांग उठाई। निर्धारिती ने अपेक्षित राशि का भुगतान कर दिया, एवं तदनुसार, विभाग द्वारा 15/03/2022 को प्रपत्र-5 जारी किया गया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने विवादित कर की गणना करते समय 30 *प्रतिशत* की कर दर एवं 10 *प्रतिशत* का अधिभार लागू किया था। हालांकि, लागू कर की दर 35 *प्रतिशत* थी एवं अधिभार 2.5 *प्रतिशत* था। इसके परिणामस्वरूप विवादित कर का ₹ 5.20 लाख का कम आकलन हुआ। अगस्त 2024 में विभाग को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

(ii) झारखंड में पीसीआईटी रांची प्रभार के अंतर्गत, एक व्यक्ति, एस18 के मामले में, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, निर्धारिती ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण के दौरान की गई ₹ 79.69 लाख की बढ़ोतरी के प्रति आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की थी। मामले को निपटाने के लिए निर्धारिती ने 22/01/2021 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना करते समय, नामित प्राधिकारी ने निर्धारिती की गणना को स्वीकार कर लिया एवं 02/02/2021 को प्रपत्र-3 में ₹ 17.95 लाख की मांग उठाई। निर्धारिती ने अपेक्षित राशि का भुगतान कर दिया, एवं तदनुसार, विभाग द्वारा 11/03/2022 को प्रपत्र-5 जारी किया गया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि विवादित कर की गणना करते समय निर्धारिती ने कर की सामान्य दर लागू की थी। हालांकि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीबीई के अंतर्गत कर की विशेष दर 60 *प्रतिशत* थी। इसके परिणामस्वरूप कर की गणना में ₹ 37.22 लाख की कमी आई। अगस्त 2023 में विभाग को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

डीजीआईटी (प्रणाली) ने (अक्टूबर 2024) उत्तर दिया कि कुल आय, विवादित आय, विवादित कर एवं ब्याज तथा जुर्माने स्वतः नहीं भरे जा सकते, क्योंकि विवाद विभिन्न अपीलीय मंचों के समक्ष लंबित हैं, इसलिए इनका विवरण ई-फाइलिंग इकाइयों के पास उपलब्ध नहीं है। नामित प्राधिकारी प्रपत्र-3 जारी करने से पहले प्रपत्र-1 एवं 2 में दी गई जानकारी की जांच एवं सत्यापन करने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जानकारी उन्हीं के पास होती है।

डीजीआईटी (प्रणाली) का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों को प्रभावी करने के लिए अंततः विभाग ही जिम्मेदार है, एवं विवादित आय या विवादित कर से संबंधित डेटा केवल विभाग के पास ही उपलब्ध था। इसके अलावा, यदि कर की गणना प्रणाली द्वारा की गई होती, तो गणना त्रुटि से बचा जा सकता था।

4.11 डीटीवीएसवी योजना की कार्यात्मकता प्रणाली में आगे लाए गए नुकसान/अनावशोषित मूल्यह्रास एवं एमएटी क्रेडिट से संबंधित अद्यतन जानकारी का प्रावधान न होना

डीटीवीएसवी नियमों के नियम 9(2) में प्रावधान है कि "जहां घोषणाकर्ता उप-नियम (1) के खंड (ii) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करता है (घटी हुई हानि या अनावशोषित मूल्यह्रास की राशि को आगे ले जाना), वह कर, अधिभार एवं उपकर सहित, ब्याज सहित, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो घटी हुई हानि राशि या अनावशोषित मूल्यह्रास को आगे ले जाने के की परिणामस्वरूप होता है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नामित प्राधिकारी को डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत मामले की प्रक्रिया करते समय प्रपत्र-1 में निर्धारिती द्वारा प्रदान किए गए आगे लाए गए व्यावसायिक हानि/अनावशोषित मूल्यह्रास, एमएटी क्रेडिट आदि से संबंधित डेटा/जानकारी को भौतिक रूप से सत्यापित करना था। हालांकि, नामित प्राधिकारी द्वारा डीटीवीएसवी योजना की कार्यात्मकता प्रणाली में आगे लाए गए हानि/अनावशोषित मूल्यह्रास एवं एमएटी क्रेडिट से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि प्रपत्र-3/प्रपत्र-5 में देय भुगतान के बारे में उल्लेख करने का कोई प्रावधान नहीं था, जो कि बाद के निर्धारण वर्ष के लिए कम किए गए हानि/अनावशोषित मूल्यह्रास को आगे ले जाने के परिणामस्वरूप देय था, जहां निर्धारिती ने पहले ही इस हानि/अनावशोषित मूल्यह्रास को पूरी तरह या आंशिक रूप से समायोजित कर लिया था।

लेखापरीक्षा में 16 पीसीआईटी प्रभारों में 60 मामलों ***(अनुलग्नक 4.11 देखें)*** में यह पाया गया कि निर्धारिती ने डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत कम हुए हानि पर कर का भुगतान करने/न करने का विकल्प चुना था, एवं निर्धारिती ने जहां भी आवश्यक हो, उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करते समय आगे ले जाने के लिए उपलब्ध हानि का उल्लेख किया था। दूसरी ओर, नामित प्राधिकारी ने प्रपत्र-3/प्रपत्र-5 में आगे ले जाने के लिए उपलब्ध हानि के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया, क्योंकि डीटीवीएसवी योजना कार्यात्मकता प्रणाली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, पिछले वर्ष में हुए हानि/अवशोषित न किए

गए मूल्यह्रास की अद्यतन स्थिति के अभाव में, यह पता लगाना संभव नहीं था कि निर्धारिती ने डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत मामले के निपटारे से पहले के निर्धारण वर्ष में ऐसे नुकसान/अवशोषित न किए गए मूल्यह्रास का लाभ पहले ही ले लिया था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि एक मामले में, जहां प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध थे, डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत निर्धारिती के नुकसान को कम किया गया था। हालांकि, निर्धारिती ने बाद के निर्धारण वर्ष में बढ़ी हुई हानियों का लाभ पहले ही ले लिया था। लेखापरीक्षा में फाइल में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज नहीं मिला जिससे यह संकेत मिले कि विभाग ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की थी। परिणामस्वरूप, निर्धारिती को अनुचित लाभ एवं सरकारी खजाने को राजस्व हानि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले को नीचे उदाहरण सहित समझाया गया है:

महाराष्ट्र में, पीसीआईटी (केंद्रीय)-I, मुंबई प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स टी4 लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, निर्धारिती ने ₹ 24.14 करोड़ की बढ़ोतरी के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की थी। निर्धारिती को ₹ 19.80 करोड़ का व्यापार घाटा भी था। निर्धारिती ने 18/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना के लिए आवेदन करते समय नियम-9(1) के अनुसार विवादित आय पर कर का भुगतान न करने का विकल्प चुना। नामित प्राधिकारी ने विवादित कर के 125 *प्रतिशत* की दर से देय राशि ₹ 1.68 करोड़ की गणना की, क्योंकि यह एक तलाशी का मामला था, एवं पूर्व भुगतान किए गए करों के समायोजन के बाद, 22/02/2021 को प्रपत्र-3 में ₹ 26.53 लाख का प्रतिदाय निर्धारित किया गया। तदनुसार 09/03/2021 को प्रपत्र-5 भी जारी किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ₹ 19.80 करोड़ के कुल नुकसान में से, निर्धारिती को पहले ही ₹ 5.15 करोड़ तक के हानि को आगामी निर्धारण वर्ष 2012-13 की आय के मुकाबले समायोजित करने की अनुमति दी जा चुकी थी, एवं शेष ₹ 14.64 करोड़ के हानि को भविष्य के वर्षों के लिए आगे ले जाने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, डीटीवीएसवी नियमों के नियम 9(2) के अनुसार, निर्धारिती द्वारा हानियों में कमी पर कर का भुगतान न करने के

विकल्प का प्रयोग करने के कारण, निर्धारिती केवल बाद के निर्धारण वर्षों में कम हुई हानियों का लाभ लेने का पात्र था। नवंबर 2023 में विभाग को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

डीजीआईटी (प्रणाली) *ने (अक्टूबर 2024) उत्तर दिया कि कुल आय, विवादित आय, विवादित कर एवं ब्याज तथा जुर्माना स्वतः नहीं भरे जा सकते, क्योंकि विवाद विभिन्न अपीलीय मंचों के समक्ष लंबित थे, इसलिए उनका विवरण ई-फाइलिंग इकाइयों के पास उपलब्ध नहीं है। प्रपत्र-3 जारी करने से पहले प्रपत्र-1 एवं 2 में दी गई जानकारी की जांच एवं सत्यापन करना नामित प्राधिकारी की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसकी जानकारी उन्हीं के पास होती है।*

डीजीआईटी (प्रणाली) का उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुरूप नहीं है क्योंकि प्रपत्र-3/प्रपत्र-5 में देय भुगतान के विवरण का उल्लेख करने का कोई प्रावधान नहीं था, जो कि बाद के निर्धारण वर्ष के लिए कम किए गए हानि/अनावशोषित मूल्यह्रास को आगे ले जाने के परिणामस्वरूप देय है, जहां निर्धारिती ने पहले ही इस हानि/अनावशोषित मूल्यह्रास को पूर्ण या आंशिक रूप से समायोजित कर दिया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)

4.12 प्रणाली में डेटा प्रक्रिया पर नियंत्रण/सत्यापन

4.12.1 लेखापरीक्षा में पाया गया कि संबंधित चालान संख्या के प्रति भुगतान की गई राशि के संबंध में डेटा की कोई जाँच/सत्यापन नहीं किया गया था। दो राज्यों के दो मामलों में यह देखा गया कि निर्धारिती ने प्रपत्र-3 के अनुसार अपेक्षित राशि का भुगतान किया था, लेकिन प्रपत्र-4 जमा करते समय उसी चालान संख्या के लिए एक अलग राशि का उल्लेख किया था, एवं इसे प्रणाली द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अतः, यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में प्रणाली में कोई जांच एवं सत्यापन नहीं था। इन मामलों को नीचे दर्शाया गया है:-

(i) दिल्ली में, पीसीआईटी-20 प्रभार के अंतर्गत, एक व्यक्ति, के22 के मामले में, निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारिती ने ₹ 5.15 लाख की बढ़ोतरी के विरुद्ध सीआईटी(अपील) के समक्ष अपील दायर की थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 29/01/2021 को एक घोषणा दाखिल करके डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। नामित प्राधिकारी ने डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना करते समय, 02/02/2021 को प्रपत्र-3 में ₹ 0.94 लाख की मांग उठाई। निर्धारिती ने दिनांक 27/03/2021 के चालान के माध्यम से अपेक्षित राशि का भुगतान किया। हालांकि, निर्धारिती ने 07/04/2022 को प्रपत्र-4 जमा करते समय गलत तरीके से ₹ 941.33 करोड़ दिखाए। प्रपत्र-5 में भी विभाग ने वही राशि दर्ज की जो प्रपत्र-4 में दिखाई दे रही थी एवं इसे 21/04/2022 को कर बकाया के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में जारी किया, जो तथ्यात्मक रूप से गलत था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, पीसीआईटी-20, दिल्ली ने कहा (नवंबर 2023) कि ₹ 94,132 की राशि निर्धारिती द्वारा अनजाने में दो बार लिखी गई थी, यानी 9413294132। विभाग द्वारा जारी किए गए प्रपत्र-5 में भी यही बात देखी गई। यह महज एक टाइपिंग की गलती है, जैसा कि निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत चालान से स्पष्ट है। पीसीआईटी ने आगे कहा कि विभाग द्वारा जारी किए गए प्रपत्र-5 पर धारा 5(2) के अंतर्गत प्रभाव में लाते समय, विवादित कर राशि को ₹ 94,132 माना गया था, न कि ₹ 9,41,32,94,132।

नियंत्रण के मुद्दे पर आगे, डीजीआईटी (प्रणाली) ने (अक्टूबर 2024) उत्तर दिया कि प्रपत्र-5 जारी करने से पहले भुगतान के विवरण को नामित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, प्रणाली में प्रपत्र-5 जमा करने से पहले, नामित प्राधिकारी यह जांच सकता है कि प्रस्तुत किए गए प्रपत्र-5 में सही जानकारी है या नहीं। इसलिए यह मामला संबंधित नामित प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीटीवीएसवी योजना की कार्यात्मकता प्रणाली में किसी विशेष चालान संख्या के प्रति राशि की सत्यता की जांच

करने की अंतर्निहित सुविधा होनी चाहिए, एवं विसंगति की स्थिति में, प्रणाली को उस चालान संख्या के प्रति गलत प्रविष्टि की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा, प्रपत्र-5 में विसंगतियों के कारण डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत वसूल की गई राशि का गलत प्रस्तुतीकरण भी सामने आएगा।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2025)

(ii) केरल में, पीसीआईटी (केंद्रीय) कोच्चि प्रभार के अंतर्गत, एक व्यक्ति आर23 के मामले में, निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारिती ने ₹ 7.70 करोड़ की विवादित आय के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 21/12/2020 को एक घोषणा पत्र दाखिल करके डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। नामित प्राधिकारी (डीए) ने डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना करते समय, 30/01/2021 को प्रपत्र-3 में ₹ 1.53 करोड़ की मांग की। निर्धारिती ने 30/03/2021 के चालान के माध्यम से अपेक्षित राशि का भुगतान किया। हालांकि, 03/04/2021 को प्रपत्र-4 जमा करते समय, निर्धारिती ने गलत तरीके से ₹ 11.53 करोड़ दर्शाए। प्रपत्र-5 में भी विभाग ने प्रपत्र-4 में उल्लिखित राशि का ही उल्लेख किया एवं 07/04/2021 को बकाया कर के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में इसे जारी किया, जो तथ्यात्मक रूप से गलत था। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने (दिसंबर 2023) कहा कि यद्यपि प्रपत्र-5 में निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई राशि ₹ 11.53 करोड़ दर्शाने में त्रुटि हुई थी, लेकिन प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना को लागू करने का आदेश, डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 की धारा 5(2) एवं धारा 6 के अंतर्गत, क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 1.53 करोड़ की सही राशि के साथ पारित किया गया था। अतः उपरोक्त त्रुटि के कारण राजस्व को कोई हानि नहीं हुई है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025 में) कहा कि किसी सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एओ द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित करने का आदेश ₹ 1.53 करोड़ की सही राशि

पर आधारित था। लेखापरीक्षा में उल्लिखित प्रणालीगत समस्या अनुशंसा के पैरा 4.9 में सम्मिलित है एवं इस पर अलग से प्रतिक्रिया दी जाएगी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डीटीवीएसवी कार्यात्मकता प्रणाली में किसी विशेष चालान संख्या के समक्ष दर्ज राशि की सत्यता की जाँच करने की अंतर्निहित सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा, विसंगति की स्थिति में, प्रणाली को उस चालान संख्या के समक्ष गलत प्रविष्टि की अनुमति नहीं देनी चाहिए। साथ ही, प्रपत्र-5 में विसंगतियों के कारण डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत वसूल की गई राशि का गलत विवरण भी सामने आएगा।

4.12.2 सीबीडीटी परिपत्र संख्या 21/2020 दिनांक 04/12/2020 के एफएक्यू 89 के अनुसार, नामित प्राधिकारी द्वारा डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रमाण पत्र (प्रपत्र-3) जारी करने से पहले घोषणापत्र को कितनी बार संशोधित किया जा सकता है।

हैदराबाद स्थित सीआईटी छूट प्रभार की लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती को नामित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र-3 जारी किए जाने के बाद भी अपने घोषणापत्र (प्रपत्र-1) में संशोधन करने की अनुमति दी गई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि निर्धारिती को संशोधित घोषणापत्र दाखिल करने से रोकने के लिए पर्याप्त जाँच एवं नियंत्रण उपलब्ध नहीं थे, जबकि डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रपत्र-3 पहले ही जारी किया जा चुका था। मामले का उदाहरण नीचे दिया गया है:-

तेलंगाना में, सीआईटी छूट हैदराबाद प्रभार के अंतर्गत, एक ट्रस्ट, मेसर्स आर13 ट्रस्ट के मामले में, निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए, निर्धारिती ने माननीय उच्च न्यायालय में ₹ 20.65 लाख की विवादित आय के समक्ष अपील दायर की थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 19/12/2020 को एक घोषणापत्र दाखिल करके डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए ने 28/12/2020 को प्रपत्र-3 जारी कर वापसी योग्य राशि ₹ 6.78 लाख निर्धारित की। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती को 29/12/2020 एवं उसके बाद 08/02/2021 को, जो प्रपत्र-3 जारी होने के बाद था, अपने घोषणा-पत्र को संशोधित करने की अनुमति दी गई थी। निर्धारिती का संशोधित

घोषणापत्र स्वीकार करने के बाद, नामित अधिकारी ने 22/02/2021 को संशोधित प्रपत्र-3 जारी किया, जिसमें ₹ 11.26 लाख की वापसी योग्य राशि निर्धारित की गई। निर्धारिती द्वारा प्रपत्र-4 प्राप्त होने पर, नामित अधिकारी ने 17/11/2021 को प्रपत्र-5 जारी किया, जो बकाया कर का पूर्ण अंतिम निपटान था। इस प्रकार, डीटीवीवीएसी कार्यात्मकता प्रणाली के पास निर्धारिती को संशोधित घोषणा-पत्र दाखिल करने से रोकने का कोई नियंत्रण नहीं था, जबकि डीटीवीवीएसी अधिनियम 2020 की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रपत्र-3 पहले ही जारी किया जा चुका था, जो सीबीडीटी के स्पष्टीकरणों के अनुरूप नहीं था।

विभाग ने लेखापरीक्षा की टिप्पणी को अस्वीकार करते हुए कहा कि यद्यपि स्पष्टीकरणों में इसका उल्लेख था, फिर भी डीटीवीएसवी अधिनियम निर्धारिती को संशोधित प्रपत्र-1 दाखिल करने से नहीं रोकता है। इसी प्रकार, उक्त अधिनियम नामित अधिकारी(डीए) को ऐसे संशोधित आवेदनों का निपटान करने से भी नहीं रोकता है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीबीडीटी के दिनांक 04/12/2020 के परिपत्र 21/2020 के एफएक्यू 89 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि *नामित अधिकारी(डीए)* द्वारा डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने से पहले घोषणापत्र (प्रपत्र-1) को कितनी भी बार संशोधित किया जा सकता है। उपरोक्त परिपत्र के मद्देनजर, *नामित अधिकारी(डीए)* को प्रपत्र-3 जारी होने के बाद करदाता को प्रपत्र-1 को संशोधित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, एवं तदनुसार, डीटीवीएसवी कार्यात्मकता प्रणाली में एक अंतर्निहित प्रावधान होना चाहिए था जो निर्धारिती को संशोधित घोषणापत्र दाखिल करने से रोकता है, जहाँ डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रपत्र-3 पहले ही जारी किया जा चुका था। इसकी सूचना अप्रैल 2024 में विभाग को दी गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

4.12.3 पीसीआईटी (केंद्रीय-2) दिल्ली प्रभार के एक मामले में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए प्रपत्र-5 गलत तरीके से जारी किया गया था। मामला नीचे दर्शाया गया है:-

दिल्ली में, पीसीआईटी सेंट्रल-2, दिल्ली प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स ए2 प्रा. लि. के एक मामले में, निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए, विभाग ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारिती को दी गई ₹ 5.41 करोड़ की राहत के विरुद्ध अपील दायर की थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 21/03/2020 को एक घोषणा पत्र दाखिल करके डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए ने देय राशि की गणना की एवं 04/12/2020 को प्रपत्र-3 में विवादित कर ₹ 1.75 करोड़ के 62.5 *प्रतिशत* के रूप में ₹ 1.10 करोड़ की मांग रखी। निर्धारिती ने आवश्यक राशि का भुगतान किया एवं 09/04/2021 को प्रपत्र-4 जमा किया। तदनुसार, बकाया कर के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में ₹ 1.10 करोड़ के लिए प्रपत्र-5 भी जारी किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रपत्र-5 ₹ 1.36 करोड़ के लिए जारी किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2012-13 का उल्लेख था, जबकि यह ₹ 1.10 करोड़ का होना चाहिए था, जो कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से संबंधित था। विभाग ने लेखापरीक्षा को सीईओ प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इस मामले में सीईओ को डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 5(2) के अंतर्गत जारी किया गया था या नहीं। इससे संकेत मिलता है कि प्रपत्र-5 जारी करते समय डीटीवीएसवी कार्यात्मकता प्रणाली में उचित जांच एवं सत्यापन नहीं थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, डीजीआईटी (प्रणाली) ने (अक्टूबर 2024) कहा कि डीटीवीएसवी कार्यात्मकता के अनुसार, डीए को प्रपत्र-5 पर डिजिटल या मैन्युअल रूप से हस्ताक्षर करने की अनुमति थी। इस मामले में, उसी पैन के निर्धारण वर्ष 2012-13 के प्रपत्र-5 की मैन्युअल रूप से हस्ताक्षरित प्रति डीए द्वारा प्रपत्र 2013-14 के लिए प्रणाली में अपलोड की गई थी। इसलिए, यह विषय संबंधित डीए से संबंधित है।

डीजीआईटी (प्रणाली) का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डीटीवीएसवी कार्यात्मकता प्रणाली में प्रपत्र-5 पर मैन्युअल हस्ताक्षर के मामले में, प्रपत्र-5 प्रिंट करने से

पहले आवश्यक विवरणों जैसे: पैन, नि.व., राशि, चालान संख्या आदि की क्रॉस-सत्यापन करने की अंतर्निहित सुविधा होनी चाहिए।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि डीटीवीएसवी कार्यात्मकता प्रणाली में पर्याप्त नियंत्रण एवं सत्यापन का अभाव था। आईटीडी को उक्त योजना के अंतर्गत मामले की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली को सुव्यवस्थित, सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने हेतु इन सभी नियंत्रण संबंधी मुद्दों को हल करना आवश्यक था।

4.13 आईटीडी प्रणालियों के सत्यापन का अभाव और उनका अपर्याप्त उपयोग

डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 5 में नामित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र-3 जारी करने के बाद देय शेष राशि के भुगतान, प्रपत्र-4 में भुगतान विवरण की सूचना एवं प्रपत्र-5 में अंतिम निपटान के आदेश का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी ने परिपत्र 03/2021 दिनांक 04-03-2021 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जहां डीए ने डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत आदेश पारित किया है, वहां निर्धारण अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत परिणामी आदेश पारित करेगा।

4.13.1 लेखापरीक्षा में गुजरात के तीन पीसीआईटी प्रभारों के 11 मामलों में यह पाया गया कि प्रणाली द्वारा विवादित मांग के मुकाबले अन्य निर्धारण वर्षों के प्रतिदाय को समायोजित किया गया था, जबकि मामला डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निपटाया जा चुका था। इसके परिणामस्वरूप आईटीबीए प्रणाली पर आदेश जारी करने में अत्यधिक देरी हुई (***अनुलग्नक 4.12 देखें***)।

ऐसे दो मामलों का उदाहरण निम्नलिखित है:-

(i) गुजरात में, पीसीआईटी सेंट्रल अहमदाबाद प्रभार के अंतर्गत, एक फर्म, आर28 के मामले में, निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, निर्धारिती ने ₹ 30.55 लाख की विवादित आय के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 15/10/2020 को एक घोषणा पत्र दाखिल करके डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए ने 14/12/2020 को प्रपत्र-3 जारी कर देय राशि

₹ 4.76 लाख निर्धारित की। निर्धारिती ने 15/01/2021 को प्रपत्र-4 प्रस्तुत कर सूचित किया कि ₹ 4.76 लाख का भुगतान 25/12/2020 को कर दिया गया था। इसके बाद, नामित प्राधिकारी ने 24/02/2021 को कर बकाया के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के लिए प्रपत्र-5 जारी किया। डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 5(2) के अंतर्गत परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) 18/10/2022 को जारी किया गया था, यानी प्रपत्र-5 जारी होने के बाद 601 दिनों के अत्यधिक अंतराल के बाद। कर भुगतान विवरण के आईटीबीए 360-डिग्री विश्लेषण से लेखापरीक्षा में पाया गया कि मध्वर्ती अवधि के दौरान, प्रणाली ने 04/03/2022 को चालान संख्या 25631 के माध्यम से विवादित मांग के लिए ₹ 4.03 लाख की अतिरिक्त राशि समायोजित की, जबकि मामला डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत 24/02/2021 को पहले ही निपटाया जा चुका था। इसका तात्पर्य यह था कि आयकर प्रणाली में कोई जाँच एवं सत्यापन नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय का गलत समायोजन हुआ एवं करदाता को परेशानी हुई। इससे आयकर विभाग पर धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज की अनावश्यक देनदारी भी उत्पन्न हुई होती। इस संबंध में लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणी अक्टूबर 2023 में जारी की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

(ii) गुजरात में, पीसीआईटी-1 वडोदरा प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, ए30 प्रा. लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए, निर्धारिती ने माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष ₹ 34.25 लाख की विवादित आय के विरुद्ध अपील दायर की थी। निर्धारिती ने मामले के निपटारे के लिए 13/01/2021 को एक घोषणा पत्र दाखिल करके डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए ने 26/02/2021 को प्रपत्र-3 जारी कर देय राशि ₹ 5.99 लाख निर्धारित की। निर्धारिती ने 24/03/2021 को प्रपत्र-4 प्रस्तुत कर सूचित किया कि ₹ 5.99 लाख का भुगतान 23/03/2021 को कर दिया गया था। नामित प्राधिकारी ने पूर्ण एवं अंतिम निपटारे हेतु 07/09/2021 को प्रपत्र-5 जारी किया। परिणामी प्रभाव आदेश 22/02/2022 को प्रणाली में जारी किया गया था, यानी प्रपत्र-5 जारी होने के बाद 168 दिनों के असामान्य अंतराल के बाद। आयकर विभाग (आईटीबीए) द्वारा कर भुगतान विवरणों के

360-डिग्री विश्लेषण से लेखापरीक्षा में पाया गया मध्वर्ती अवधि के दौरान, प्रणाली ने 29/01/2022 को चालान संख्या 12723 एवं 6784 के अंतर्गत विवादित मांग के लिए क्रमशः ₹ 2.13 लाख एवं ₹ 6.06 लाख की अतिरिक्त राशि समायोजित की, जबकि मामला 07/09/2021 को डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत पहले ही निपटान किया जा चुका था। इससे यह स्पष्ट होता है कि आयकर विभाग (आईटीडी) प्रणाली में कोई जांच एवं सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप गलत प्रतिदाय का समायोजन हुआ एवं निर्धारिती को परेशानी हुई। इससे आयकर विभाग पर धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज की अनावश्यक देनदारी भी उत्पन्न होगी। इस संबंध में नवंबर 2023 में एक लेखापरीक्षा टिप्पणी जारी की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2025).

4.13.2 लेखापरीक्षा में गुजरात के एक पीसीआईटी प्रभार में तीन मामलों में यह पाया गया कि आईटीबीए प्रणाली पर परिणामी प्रभाव आदेश जारी होने के बाद भी, डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत मामला निपटाए जाने के बावजूद, प्रणाली द्वारा विवादित मांग के विरुद्ध अन्य निर्धारण वर्षों का प्रतिदाय समायोजित किया गया था ***(अनुलग्नक 4.12 देखें)***।

गुजरात में, पीसीआईटी-1 सूरत प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, टी8 लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए, निर्धारिती ने ₹ 4.30 करोड़ की विवादित आय के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की थी। निर्धारिती ने मामले के निपटारे के लिए 27/01/2021 को एक घोषणा पत्र दाखिल करके डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए ने 28/04/2021 को प्रपत्र-3 जारी कर ₹ 69.10 लाख की वापसी योग्य राशि निर्धारित की। निर्धारिती ने 24/05/2021 को प्रपत्र-4 प्रस्तुत किया। इसके बाद, डीए ने 02/02/2022 को कर बकाया के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के लिए प्रपत्र-5 जारी किया। इस मामले में सीईओ 22/08/2022 को जारी किया गया था। कर भुगतान विवरणों के समग्र विश्लेषण के अनुसार, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीईओ जारी होने के बाद प्रणाली ने 21/09/2022 को चालान संख्या 4087 के माध्यम से ₹ 1.41 करोड़ एवं 04/09/2022 को चालान संख्या 31009 के माध्यम से ₹ 5.14 लाख की अतिरिक्त राशि समायोजित

की। इससे यह स्पष्ट होता है कि आयकर प्रणाली में कोई जाँच या सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप गलत प्रतिदाय का समायोजन हुआ एवं निर्धारिती को असुविधा हुई। इससे आयकर विभाग पर धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज की अनावश्यक देयता भी उत्पन्न होगी। इस संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी जनवरी 2024 में जारी की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2025).

इस प्रकार, मौजूदा मांग के विरुद्ध प्रतिदाय समायोजित करते समय, आईटीडी प्रणाली में कोई जांच एवं सत्यापन उपलब्ध नहीं था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईटीडी प्रणाली के माध्यम से परिणामी प्रभाव आदेश जारी किए जाने के बावजूद, दूसरे निर्धारण वर्ष का प्रतिदाय विवादित मांग के विरुद्ध गलत तरीके से समायोजित किया गया था, जिसका निपटारा पहले ही डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत हो चुका था।

4.13.3 लेखापरीक्षा में गुजरात प्रभार के चार पीसीआईटी में नौ मामलों में यह पाया गया कि निर्धारिती के पास प्रपत्र-3 या प्रपत्र-5 जारी करने की तारीख से पहले कर जमा था, लेकिन डीए ने प्रपत्र-3 में कर देयता की गणना करते समय या कर बकाया के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में प्रपत्र-5 जारी करते समय इसका संज्ञान नहीं लिया ***(अनुलग्नक 4.12 देखें)***।

गुजरात में, पीसीआईटी-1 सूरत प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी मेसर्स पी15 प्रा. लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए, निर्धारिती ने ₹ 35.70 लाख की विवादित आय के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की थी। निर्धारिती ने मामले के निपटारे के लिए 29/12/2020 को एक घोषणा पत्र दाखिल करके डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। नामित अधिकारी ने 06/01/2021 को प्रपत्र-3 जारी कर देय राशि ₹ 6.42 लाख निर्धारित की। निर्धारिती ने 06/05/2021 को प्रपत्र-4 प्रस्तुत कर सूचित किया कि ₹ 6.42 लाख का भुगतान 28/04/2021 को कर दिया गया था। इसके बाद, नामित अधिकारी ने 06/12/2021 को प्रपत्र-5 जारी कर बकाया के पूर्ण एवं अंतिम निपटान की दिशा में कार्रवाई की। कर भुगतान विवरण के 360-डिग्री अवलोकन के अनुसार, लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीए ने प्रपत्र-3 में देय शुद्ध राशि की गणना करते समय, धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक

29/11/2012 को किए गए अतिरिक्त के आधार पर की गई मांग के विरुद्ध 12/12/2012 को भुगतान किए गए ₹ 0.34 लाख की कटौती की। निर्धारिती ने नवंबर 2017 में धारा 147 के अंतर्गत पारित पुनर्मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध अपील की थी, जिसमें दिनांक 29/11/2012 को धारा 143(3) के अंतर्गत की गई वृद्धि को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रपत्र-3 में देय राशि की गणना कम हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 17.77 लाख के दो एवं प्रतिदाय 01/07/2021 को संबंधित निर्धारण वर्ष में जमा किये गए एवं निर्धारण वर्ष 2010-11 की मांग के समक्ष समायोजित की गई। हालांकि, डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत की गई मांग का भुगतान निर्धारिती द्वारा प्रपत्र-4 के माध्यम से 06/05/2021 को पहले ही कर दिया गया था। डीए द्वारा 06/12/2021 को जारी किए गए प्रपत्र-5 (पूर्ण एवं अंतिम निपटान) में, निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए इस योजना के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि के समक्ष समायोजित अन्य निर्धारण वर्ष की वापसी का संज्ञान नहीं लिया गया था। इस संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी सितंबर 2023 में जारी की गई थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितंबर 2025) में, लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणी को स्वीकार न करते हुए कहा कि निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए 01/07/2021 को कुल ₹ 17.77 लाख की राशि वापस कर दी गई थी, जिसे निर्धारण वर्ष 2010-11 की बकाया मांग के समक्ष समायोजित किया गया था, 25/01/2022 को धारा 154 के अंतर्गत एक आदेश पारित करके (लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणी उठाने से पहले) उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी, एवं ₹ 18.40 लाख की प्रतिदाय राशि जारी की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रथम दृष्टया में, कर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 29/11/2012 को की गई बढ़ोतरी पर उठाई गई मांग के समक्ष प्रपत्र-3 में भुगतान किए गए ₹ 0.34 लाख के अग्रिम कर की गलत कटौती की थी। यह बढ़ोतरी निर्विवाद थी एवं पुनर्निर्धारण में सम्मिलित नहीं थी, जिसके लिए निर्धारिती ने डीटीवीएसवीएस 2020 का विकल्प चुना था। इसके अलावा, प्रणाली में प्रपत्र-5/सीईओ जारी करने में देरी के कारण, अन्य वर्ष के लिए प्रतिदाय को चालू वर्ष, यानी 2010-11 में

समायोजित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप विभाग को धारा 154 के अंतर्गत 25/01/2022 को आदेश द्वारा करदाता को प्रतिदाय जारी करते समय धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज का अनावश्यक भुगतान करना पड़ा। मंत्रालय इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

डीजीआईटी (प्रणाली) ने (अक्टूबर 2024) उत्तर दिया कि ई-फाइलिंग पोर्टल में उपलब्ध डीटीवीएसवी योजना 2020 की कार्यात्मकता के अनुसार, एक बार नामित अधिकारी (डीए) द्वारा प्रपत्र-5 डीटीवीएसवी जारी कर दिए जाने के बाद, ई-फाइलिंग पोर्टल में प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अतः इस संबंध में कोई एवं टिप्पणी नहीं की गई है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह ई-फाइलिंग पोर्टल या नामित प्राधिकारी/जेएओ द्वारा प्रक्रिया पूर्ण होने का प्रश्न नहीं है, बल्कि डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत मामलों के प्रभावी एवं सुचारू प्रसंस्करण का प्रश्न है। लेखापरीक्षा का मत है कि यदि ऐसी कोई योजना लागू की जाती है, तो विभाग की सभी आईटी प्रणालियों का समन्वय होना चाहिए एवं वे एक साथ मिलकर काम करें।

4.14 प्रपत्र-3 जारी करने में विलंब होने पर संबंधित प्राधिकारी को अधिसूचना भेजने का प्रावधान

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीटीवीएसवी कार्यात्मकता प्रणाली में प्रपत्र-3 को समय पर जारी करने के लिए नामित प्राधिकारी को याद दिलाने हेतु सूचनाएं भेजने का कोई तंत्र नहीं था। इस मुद्दे पर इस अध्याय के पैरा 4.1 में पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है:-

महाराष्ट्र में, पीसीआईटी-4, पुणे प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स के19 प्रा. लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, निर्धारिती ने माननीय उच्च न्यायालय में ₹ 3.83 करोड़ की विवादित आय के विरुद्ध अपील दायर की थी। निर्धारिती ने 23/03/2020 को घोषणा पत्र दाखिल करके डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। नामित प्राधिकारी ने 24/12/2020 को प्रपत्र-3 जारी कर देय राशि ₹ 21.17 लाख निर्धारित की। निर्धारिती ने 20/04/2021 को ₹ 21.17 लाख जमा किए एवं 27/04/2021 को प्रपत्र-4 प्रस्तुत किया।

तदनुसार, नामित प्राधिकारी द्वारा 24/09/2021 को प्रपत्र-5 जारी किया गया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि प्रपत्र-3 जारी करने में 261 दिनों की देरी हुई, जो डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 5(1) के प्रावधानों का उल्लंघन था। निर्धारित समय सीमा का पालन न करने के कारण डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामलों के निपटारे में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के अलावा, योजना के अंतर्गत निर्धारित कर का राजकोष में भुगतान एवं मुकदमों के निपटारे में भी देरी हुई। इस संबंध में सितंबर 2023 में एक लेखापरीक्षा टिप्पणी जारी की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2025).

डीजीआईटी (प्रणाली) ने (अक्टूबर 2024) उत्तर दिया कि सीआईटी (अपील) द्वारा अपीलीय आदेश पारित होने के बाद एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से जेएओ/एफएओ/पीसीआईटी को सूचित करने की व्यवस्था मौजूद है।

डीजीआईटी (प्रणाली) का उत्तर डीटीवीएसवी कार्यात्मकता में अधिसूचना भेजने के विशिष्ट प्रावधान, जो कि मौजूद नहीं पाया गया, जिसके कारण संबंधित प्राधिकारी(यों) द्वारा मामलों के समय पर निपटान की अनुवीक्षण में कठिनाई हो रहा थी, के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन पर नहीं है।

अध्याय 5 डीटीवीएसवी योजना, 2020 के अंतर्गत अधिनियम/नियमों/परिपत्रों के प्रावधानों का अनुपालन

इस अध्याय में आयकर विभाग (आईटीडी) के नामित प्राधिकारी (डीए) द्वारा डीटीवीएसवी अधिनियम/नियम/परिपत्र/निर्देश आदि के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

5,212 मामलों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीए ने 389 मामलों में डीटीवीएसवी अधिनियम/नियम आदि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया, जिनमें राजस्व पर ₹ 1,675.65 करोड़ का प्रभाव पड़ा, जैसा कि तालिका 5.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.1: श्रेणीवार लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश

क्रम संख्या	अनुपालन मुद्दों की श्रेणी	अवलोकनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	विवादित कर/देय राशि का गलत निर्धारण:	**208**	**423.47**
	जमा कर का अधिक समायोजन	5	370.53
	प्रतिदाय का अधिक निर्धारण	62	32.22
	विवादित कर की गलत गणना	141	20.72
2.	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 244ए के अंतर्गत विभाग द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत निपटाए गए मामलों में वसूल नहीं किया गया	55	1,168.27
3.	तलाशी मामलों में देय कर का गलत निर्धारण	34	6.17
4.	डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत कुल देय कर में अविवादित कर/ब्याज सम्मिलित नहीं किया गया	47	27.42
5.	अपात्र निर्धारिती को योजना का लाभ देना	17	6.96
6.	एएमटी क्रेडिट का गलत समायोजन	2	2.93
7.	हानि या अनावशोषित मूल्यह्रास को आगे ले जाने की गलत अनुमति	8	37.89
8.	निर्धारिती को गलत प्रतिदाय का भुगतान	8	2.01
9.	गलत तरीके से जुर्माना लगाना	10	0.53
	कुल	**389**	**1,675.65**

तालिका 5.1 में उल्लिखित मुद्दों पर आगामी पैरा में विस्तार से चर्चा की गई है।

5.1 विवादित कर/देय राशि का गलत निर्धारण

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीएसवी) अधिनियम, 2020 की धारा 5 में यह प्रावधान है कि नामित प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगा एवं घोषणाकर्ता को बकाया कर एवं निर्धारण के बाद देय राशि का विवरण देते हुए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 21 राज्यों[15] में ₹ 423.47 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 208 मामलों में नामित प्राधिकारी ने डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत देय राशि का गलत निर्धारण किया था (***अनुलग्नक 5.1 देखें***)।

5.1.1 कर क्रेडिट का अतिरिक्त समायोजन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 370.53 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े पांच मामलों में, नामित प्राधिकारी इस योजना के अंतर्गत देय राशि की गणना करते समय कर क्रेडिट का अतिरिक्त समायोजन किया गया था। ऐसे दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(i) महाराष्ट्र में, पीसीआईटी-6, मुंबई प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स आई3 लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के लिए, विभाग एवं निर्धारिती, दोनों माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में थे। विभाग ने आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को दी गई कुल ₹ 3,551.26 करोड़ (नि.व. 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के लिए क्रमशः ₹ 404.25 करोड़, ₹ 891.88 करोड़, ₹ 789.58 करोड़ एवं ₹ 1,465.55 करोड़) की राहत के खिलाफ अपील दायर की थी, जबकि निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा बरकरार रखी गई कुल ₹ 1,567.49 करोड़ (नि.व. 2006-07 से 2009-10 के लिए क्रमशः ₹ 345.91 करोड़, ₹ 161.76 करोड़,

[15] आंध्र प्रदेश(6), असम(10), बिहार(8), छत्तीसगढ़(4), दिल्ली(13), गुजरात(15), गोवा(1), हरियाणा (6), झारखंड(21), कर्नाटक (11), मध्य प्रदेश (17), महाराष्ट्र (21), मणिपुर(1), मेघालय(2), नागालैंड(2), ओडिशा(5), राजस्थान(4), तमिलनाडु(9), तेलंगाना(15), उत्तर प्रदेश(5), और पश्चिम बंगाल(33)

₹ 790.16 करोड़ एवं ₹ 269.66 करोड़) की बढ़ोतरी के विरुद्ध अपील दायर की थी। निर्धारिती ने 15/03/2021 को निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए एवं 29/01/2021 को निर्धारण वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए मुद्दों को निपटाने के लिए डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए, डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय कुल राशि की गणना करते समय, देय कुल कर राशि ₹ 403.78 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए क्रमशः ₹ 25.64 करोड़, ₹ 141.48 करोड़, ₹ 124.17 करोड़ एवं ₹ 112.49 करोड़) निर्धारित की गई। निर्धारिती ने आवश्यक राशि का भुगतान किया, एवं तदनुसार, विभाग द्वारा उपर्युक्त निर्धारण वर्षों के लिए 02/03/2022 को प्रपत्र-5 जारी किया गया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती द्वारा देय कुल राशि की गणना करते समय, डीए ने ₹ 685.83 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए क्रमशः ₹ 122.68 करोड़, ₹ 64.85 करोड़, ₹ 270.18 करोड़ एवं ₹ 228.12 करोड़) के समायोजित कर क्रेडिट को सम्मिलित किया, जबकि उपलब्ध कर क्रेडिट ₹ 414.69 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए क्रमशः ₹ 42.94 करोड़, ₹ 14.06 करोड़, ₹ 221.74 करोड़ एवं ₹ 135.95 करोड़) था। इसके परिणामस्वरूप, देय राशि का निर्धारण कम हुआ, जो कि ₹ 283.49 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए क्रमशः ₹ 80.37 करोड़, ₹ 50.80 करोड़, ₹ 48.43 करोड़ एवं ₹ 103.89 करोड़) थी, जिसमें निर्विवाद कर पर ब्याज भी सम्मिलित है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि क्या विभाग ने इस संबंध में डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत परिणामी प्रभाव आदेश पारित किया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

(ii) महाराष्ट्र में, पीसीआईटी-1, मुंबई प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स एच8 लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, विभाग ने माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को दी गई ₹ 25.98 करोड़ की कुल राहत के विरुद्ध अपील की थी, जबकि निर्धारिती ने माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष ₹ 260.95 करोड़ की बढ़ोतरी के विरुद्ध अपील की थी। इसके अतिरिक्त,

निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष धारा 272बी के अंतर्गत लगाए गए ₹ 2.90 लाख के जुर्माने के विरुद्ध भी अपील की थी। करदाता ने उपरोक्त सभी मुद्दों को निपटाने के लिए 28/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। विवादित कर एवं डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय कुल राशि की गणना करते समय, नामित प्राधिकारी ने कुल विवादित कर में से ₹ 86.68 करोड़ का प्रतिदाय काट लिया। हालांकि, लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार निर्धारिती को ऐसा कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, मामले को अंतिम रूप देते समय, नामित प्राधिकारी ने निर्विवाद आय पर बकाया ₹ 36.21 लाख की मांग पर विचार नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप देय राशि ₹ 87.04 करोड़ (₹ 86.68 करोड़ + ₹ 0.36 करोड़) का कम निर्धारण हुआ। साथ ही, लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या विभाग ने इस मामले में डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत परिणामी प्रभाव आदेश पारित किया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

5.1.2 प्रतिदाय का अतिरिक्त निर्धारण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 32.22 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 62 मामलों में, निर्धारिती द्वारा इस योजना के अंतर्गत देय राशि की गणना करते समय नामित प्राधिकारी ने अतिरिक्त प्रतिदाय निर्धारित किया। इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है, एवं एक अन्य उदाहरण ***अनुलग्नक 5.2*** में दिया गया है:

(i) कर्नाटक में पीसीआईटी-बेंगलुरु-3 प्रभार के अनर्गत, एक कंपनी, मेसर्स एन8 प्रा. लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2006-07, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के लिए निर्धारिती ने क्रमशः ₹ 14.64 करोड़, ₹ 24.90 करोड़, ₹ 142.40 करोड़ एवं ₹ 16.31 करोड़ की संवर्धित राशि के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की थी, जबकि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) द्वारा दी गई ₹ 4.11 करोड़ की राहत के विरुद्ध अपील दायर की थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए दिसंबर 2020 में डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीए ने डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत देय कुल राशि की गणना करते समय, उपर्युक्त निर्धारण वर्षों के लिए क्रमशः

₹ 21.58 करोड़, ₹ 57.20 करोड़, ₹ 165.61 करोड़ एवं ₹ 137.65 करोड़ की निर्धारित आय ली एवं दिसंबर 2020 में प्रपत्र-3 जारी किया। निर्धारिती ने अपेक्षित भुगतान कर दिया, एवं तदनुसार, उपरोक्त सभी मूल्यांकन वर्षों में पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में विभाग द्वारा फरवरी 2021 में प्रपत्र-5 जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने जुलाई 2021 में डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 की धारा 5(2) के अंतर्गत परिणामी प्रभाव आदेश पारित करते हुए निर्धारण वर्ष 2006-07, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के लिए क्रमशः ₹ 4.10 करोड़, ₹ 8.16 करोड़, ₹ 65.65 लाख एवं ₹ 8.84 करोड़ का प्रतिदाय जारी किया।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि विभाग ने देय राशि की गणना के लिए निर्धारित आय को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका के साथ पारस्परिक समझौता प्रक्रिया (एमएपी) के अंतर्गत ₹ 7.03 करोड़, ₹ 10.05 करोड़, ₹ 12.16 करोड़ एवं ₹ 6.57 करोड़ की ट्रांसफर प्राइसिंग राहत को कम कर दिया। यह भी पता चला कि इस संबंध में आदेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 295(एच) एवं आयकर नियम, 1962 के नियम 44जी के अंतर्गत नवंबर 2020 में पारित किया गया था, जो इस योजना के लिए निर्धारित तिथि (31 जनवरी 2020) से बाद का समय था। इस प्रकार, सितंबर 2019 में धारा 154 के अंतर्गत पारित आदेश के अनुसार, यानी निर्धारित तिथि से पहले, नामित प्राधिकारी को क्रमशः ₹ 28.62 करोड़, ₹ 67.25 करोड़, ₹ 177.77 करोड़ एवं ₹ 144.22 करोड़ की निर्धारित आय लेनी चाहिए थी। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप, निर्धारण वर्ष 2006-07, 2008-09 एवं 2010-11 के लिए क्रमशः ₹ 2.37 करोड़, ₹ 1.33 करोड़ एवं ₹ 5.20 लाख का अतिरिक्त प्रतिदाय जारी हुआ, एवं निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 4.13 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

5.1.3 विवादित कर की गलत गणना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 20.72 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 141 मामलों में, निर्धारिती द्वारा इस योजना के अंतर्गत देय राशि की गणना करते समय,

नामित प्रधिकारी ने विवादित कर की गणना गलत तरीके से की थी। ऐसे दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं, एवं तीन अन्य उदाहरण ***अनुलग्नक 5.3*** में दिए गए हैं:

(i) कर्नाटक में, पीसीआईटी हुबली प्रभार के अंतर्गत, एक सहकारी समिति के13 के मामले में, निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, विभाग एवं निर्धारिती दोनों निर्धारित तिथि, यानी 31/01/2020 को डीटीवीएसवी अधिनियम के अनुसार माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में थे। विभाग ने आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को दी गई ₹ 226.83 करोड़ की राहत के विरुद्ध अपील की थी, एवं निर्धारिती ने ₹ 29.01 करोड़ की अतिरिक्त राशि के विरुद्ध अपील दायर की थी, जिसे आयकर आयुक्त (अपील) ने स्वीकार कर लिया था। निर्धारिती ने 23/03/2021 को मुद्दों को निपटाने के लिए डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीए ने निर्धारिती द्वारा देय राशि ₹ 26.84 करोड़ निर्धारित की एवं तदनुसार प्रपत्र-3 जारी किया। इसके बाद, निर्धारिती ने दिनांक 25/08/2021 के चालान के माध्यम से उक्त मांग का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने पूर्ण एवं अंतिम निपटान के लिए 17/01/2023 को प्रपत्र-5 जारी किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीए ने निर्धारिती द्वारा देय राशि ₹ 26.84 करोड़ निर्धारित की एवं तदनुसार प्रपत्र-3 जारी किया। इसके बाद, निर्धारिती ने दिनांक 25/08/2021 के चालान के माध्यम से उक्त मांग का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने पूर्ण एवं अंतिम निपटान के लिए 17/01/2023 को प्रपत्र-5 जारी किया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है। (नवम्बर 2025).

(ii) दिल्ली में, पीसीआईटी-7 प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स एस62 लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए, निर्धारिती एवं विभाग, दोनों ने क्रमशः ₹ 21.94 करोड़ की बढ़ोतरी एवं ₹ 53.04 करोड़ की राहत की पुष्टि के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। निर्धारिती ने

09/11/2020 को मुद्दों को निपटाने के लिए डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना।

डीए ने डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना करते समय, ₹ 7.46 करोड़ के विवादित कर के साथ पूर्व भुगतान किए गए करों को समायोजित करने के बाद ₹ 7.31 करोड़ की वापसी निर्धारित की एवं प्रपत्र-3 जारी किया। निर्धारिती ने वापसी का मामला होने के कारण शून्य भुगतान के साथ प्रपत्र-4 अपलोड किया। इसके बाद, विभाग ने 26/11/2021 को ₹ 7.31 करोड़ की वापसी के साथ प्रपत्र-5 जारी किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि डीए ने ₹ 7.31 करोड़ की वापसी निर्धारित करते समय, केवल उस विवादित कर को ही सम्मिलित किया जिसके लिए निर्धारिती ने अपील की थी, जबकि विभाग एवं निर्धारिती दोनों द्वारा अपील किए गए मुद्दों से संबंधित ₹ 16.47 करोड़ की राशि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप देय राशि का निर्धारण कम हुआ, जो ₹ 9.02 करोड़ था। विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन (जून 2024) को स्वीकार कर लिया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2025)

अतः उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि नामित प्राधिकारी ने डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना करते समय उचित सावधानी नहीं बरती। इन त्रुटियों एवं उचित सावधानी की कमी के कारण राजकोष को राजस्व का नुकसान हो सकता है एवं योजना के उद्देश्य की पूर्ति न होने में भी योगदान हो सकता है।

अनुशंसा 3:

सीबीडीटी भविष्य में ऐसी योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा देय राशि की गणना की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु उचित उपाय करने पर विचार करे।

मंत्रालय ने (अगस्त 2025 में) उत्तर दिया कि उक्त योजना की धारा 3 में देय राशि के निर्धारण हेतु गणना विधि दी गई है। इसके अतिरिक्त, स्पष्टीकरण हेतु परिपत्र संख्या 9/2020 जारी किया गया था, जिसमें अक्सर पूछे जाने वाले

प्रश्न (एफएक्यू) सम्मिलित थे। इनमें प्रश्न संख्या 25 से 40 तक देय/वापसी योग्य राशि की गणना एवं निर्धारण से संबंधित विशिष्ट प्रश्न थे। इसके अतिरिक्त, परिपत्र संख्या 21 भी देय/वापसी योग्य राशि की गणना एवं निर्धारण पर स्पष्टीकरण प्रदान करने हेतु जारी किया गया था। ये परिपत्र निर्धारिती एवं नामित प्राधिकारी द्वारा देय राशि की सही गणना सुनिश्चित करने हेतु जारी किए गए थे। इस प्रकार, सीबीडीटी ने देय राशि के सही निर्धारण हेतु समय-समय पर स्पष्टीकरण जारी किए थे। इसी प्रकार की प्रक्रिया डीटीवीएसवी, 2024 में भी अपनाई गई है, जिसमें देय राशि के सही निर्धारण हेतु मार्गदर्शन नोट्स के रूप में दो एफएक्यू जारी किए गए हैं। अतः इस अनुशंसा का ध्यान रखा गया है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा गणना में त्रुटियों के संबंध में उठाए गए अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि निर्देश/मार्गदर्शन उपलब्ध होने के बावजूद, वे या तो अपर्याप्त थे या उनका ठीक से पालन नहीं किया गया था। इसके अलावा, भविष्य में ऐसे निर्देशों/मार्गदर्शन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, इनमें उपयुक्त उदाहरण भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। साथ ही, विभाग भविष्य में ऐसी योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक उपयुक्त आईटी अनुप्रयोग विकसित करने पर विचार करे।

5.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 244ए[16] के अंतर्गत विभाग द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत निपटाए गए मामलों में वसूल नहीं किया गया

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 की धारा 5 में यह प्रावधान है कि नामित प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगा एवं घोषणाकर्ता को कर बकाया एवं ऐसे निर्धारण के बाद देय राशि का विवरण देने वाला प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रपत्र में प्रदान करेगा।

[16] आयकर अधिनियम की धारा 244ए में यह प्रावधान है कि जहां करदाता को किसी राशि का प्रतिदाय देय हो जाता है, तो वह इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उक्त राशि के अतिरिक्त उस पर साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।.

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13 राज्यों[17] में ₹ 1,168.27 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 55 मामलों में, आयकर विभाग ने डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामले की कार्यवाही करते समय आयकर अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत भुगतान किए गए ब्याज की राशि वापस नहीं ली है (***परिशिष्ट 5.4 देखें***)। ऐसे छह मामले नीचे दिए गए हैं:

(i) दिल्ली में, पीसीआईटी-7, दिल्ली प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स एस60 लि. के मामले में निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए, विभाग एवं निर्धारिती दोनों ने क्रमशः ₹ 23.01 करोड़ एवं ₹ 43.03 करोड़ की राहत एवं अतिरिक्त राशि के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। निर्धारिती ने 24/10/2020 को मुद्दों को निपटाने के लिए डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय राशि की गणना करते समय, डीए ने ₹ 3.91 करोड़ निर्धारित किए एवं डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत प्रपत्र-3 जारी किया। निर्धारिती ने आवश्यक राशि जमा कर दी, जिसके अनुसार विभाग द्वारा 04/03/2021 को डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत प्रपत्र-5 जारी किया गया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना करते समय, निर्धारिती ने विवादित कर की सीमा तक धारा 244ए के अंतर्गत भुगतान किए गए ₹ 97.80 लाख के ब्याज को वापस नहीं लिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 97.80 लाख के कर की गणना कम हुई। विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया (जून 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2025)

(ii) दिल्ली में, पीसीआईटी-4 प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स एन18 लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2005-06 एवं 2009-10 के लिए, विभाग ने निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दी गई ₹ 1,552.79 करोड़ की राहत के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की थी एवं निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए माननीय आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को दी गई ₹ 2,352.41 करोड़ की राहत के खिलाफ माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की थी,

[17] असम(5), आंध्र प्रदेश(1), दिल्ली(17), गोवा(1), हरियाणा(1), झारखंड(4), कर्नाटक(5), मध्य प्रदेश(1), महाराष्ट्र(1), मेघालय(1), राजस्थान(3), तेलंगाना(1) और पश्चिम बंगाल(14)

जबकि निर्धारिती ने 27/06/2014 को निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा ₹ 420.50 करोड़ की वृद्धि की पुष्टि के खिलाफ माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए क्रमशः निर्धारण वर्ष 2005-06 एवं 2009-10 के लिए 28/12/2020 एवं 21/01/2021 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। नामित प्राधिकारी (डीए) ने डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय राशि की गणना करते समय, निर्धारण वर्ष 2005-06 एवं 2009-10 के लिए क्रमशः ₹ 284.10 करोड़ एवं ₹ 542.72 करोड़ निर्धारित किए एवं डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत प्रपत्र-3 जारी किया। निर्धारिती ने अपेक्षित मांग राशि जमा कर दी, जिसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत क्रमशः 17/12/2021 एवं 20/12/2021 को निर्धारण वर्ष 2005-06 एवं 2009-10 के लिए प्रपत्र-5 जारी किया गया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना करते समय, नामित प्राधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2005-06 एवं 2009-10 के लिए धारा 244ए के अंतर्गत भुगतान किए गए ₹ 423.32 करोड़ एवं ₹ 228.02 करोड़ के ब्याज को कटौती के दायरे से बाहर रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप संबंधित निर्धारण वर्ष में क्रमशः ₹ 423.32 करोड़ एवं ₹ 228.02 करोड़ के कर की गणना में कमी आई।

विभाग ने (जुलाई 2024 में) मेसर्स कोऑपरेटिव राबोबैंक यूए बनाम सीआईटी (टी) के मामले का हवाला देते हुए कहा कि डीटीवीएसवी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो धारा 244ए के अंतर्गत विभाग द्वारा पहले भुगतान किए गए ब्याज की वसूली को अधिकृत करता हो।

विभाग का उत्तर निम्नलिखित आधारों पर स्वीकार्य नहीं है:

(क) डीटीवीएस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विभाग को धारा 244ए के अंतर्गत निर्धारिती को भुगतान किए गए ब्याज को वापस लेने से रोकता हो, जो आयकर अधिनियम के अनुसार सामान्य उपाय है। आयकर अधिनियम, 1961 के सभी प्रावधान, कर की दर, अधिभार आदि के निर्धारण के संबंध में, डीटीवीएसवी योजना के

अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना के दौरान डीटीवीएसवी अधिनियम के साथ लागू होते हैं।

(ख) इसके अतिरिक्त, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मेसर्स कोऑपरेटिव राबोबैंक यूए बनाम सीआईटी (टी) के मामले में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि "वसूली पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सही नहीं हो सकता, क्योंकि कार्यवाही शुरू करने पर रोक केवल अपराध के संबंध में है, न कि वर्तमान मामले में प्रतिदाय पर ब्याज की वसूली के लिए। विभाग आयकर अधिनियम की धारा 244ए का सहारा ले सकता है।"

(ग) इसके अलावा, विभाग ने स्वयं ही मेसर्स जी17 प्रा. लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2017-18 एवं अन्य कई मामलों में, डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत निपटारे के दौरान धारा 244ए के अंतर्गत निर्धारिती को भुगतान किया गया ब्याज वापस ले लिया है। अतः विभाग अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे।

इसी बीच, विभाग ने डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 की धारा 5(2) के अंतर्गत एक परिणामी प्रभाव आदेश (नवंबर 2024) भी पारित किया, जिसमें धारा 244ए के अंतर्गत भुगतान किए गए ब्याज की वापसी से संबंधित मुद्दे पर विचार नहीं किया गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

(iii) महाराष्ट्र में, पीसीआईटी-3, मुंबई प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स एस43 प्रा. लि. के मामले में, निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए, आयकर विभाग ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के द्वारा करदाता को दी गई ₹ 34.27 करोड़ की कुल राहत के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 24/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीए ने डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय राशि की गणना करते समय ₹ 63.32 लाख निर्धारित किए एवं प्रपत्र-3 जारी किया। करदाता ने अपेक्षित राशि जमा कर दी, जिसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा 31/05/2021 को

डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत प्रपत्र-5 जारी किया गया। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विभाग ने नवंबर 2021 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को प्रभावी करने का आदेश पारित करते समय, यानी डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत प्रपत्र-5 जारी होने के बाद, आयकर अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत ₹ 1.99 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 2.71 करोड़ की गलत वापसी जारी कर दी। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारण अभिलेखों की जांच से पता चला कि निर्धारिती केवल ₹ 64.74 लाख की शुद्ध वापसी का हकदार था। इस त्रुटि के कारण ₹ 2.06 करोड़ (₹ 2.71 करोड़ - ₹ 64.74 लाख) की अतिरिक्त वापसी जारी की गई। इसके अलावा, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि संबंधित निर्धारण अधिकारी ने परिणामी प्रभाव आदेश पारित किया था या नहीं, क्योंकि इसकी प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणी अगस्त 2024 में जारी की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है| (जून 2026)।

(iv) पश्चिम बंगाल में, पीसीआईटी 1, कोलकाता प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मैसर्स डी1 कॉर्पोरेशन के मामले में, नि.व. 2008-09 के लिए, विभाग जनवरी 2016 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा ₹ 1,107.34 करोड़ की कुल राहत के प्रति माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में था। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए निर्धारण वर्ष के लिए 05/09/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आदेश संख्या आईटीए/1622/केओएल/2011 दिनांक: 13/01/2016 के अंतर्गत अनुमत राहत को प्रभावी करते हुए दिनांक 06/05/2016 की धारा 254 के अंतर्गत आदेशानुसार, विभाग ने शून्य कर के आधार पर धारा 244ए के अंतर्गत ₹ 84.78 करोड़ का ब्याज जारी किया। हालांकि, ₹ 1,107.34 करोड़ के विवादित जोड़ को ध्यान में रखते हुए, ₹ 125.46 करोड़ कर एवं धारा 244ए के अंतर्गत ₹ 12.21 करोड़ ब्याज निकाला। डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत आदेश पारित करते समय धारा 244ए के अंतर्गत ₹ 72.57 करोड़ की राशि के ब्याज में अंतर की वसूली की जानी आवश्यक थी। हालांकि, नामित प्राधिकारी ने डीटीवीएसवी योजना के

अंतर्गत देय कुल राशि की गणना करते समय धारा 244ए के अंतर्गत, ₹ 72.57 करोड़ की अतिरिक्त ब्याज की वसूली नहीं की। इसके अतिरिक्त, नामित प्राधिकारी ने डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत प्रपत्र-5 जारी करते समय इसकी पुष्टि की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 72.57 करोड़ की देय राशि का कम निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी ने परिणामी प्रभाव आदेश पारित किया है, क्योंकि आदेश की एक प्रति लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं है:

(1) डीटीवीएसवी योजना शुरू होने से बहुत पहले धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज दिया गया था।

(2) डीटीवीएसवी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कर विभाग द्वारा निर्धारिती को पहले भुगतान किए गए ब्याज की वसूली को अधिकृत करता हो।

(3) दामोदर घाटी निगम के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांकः 03/12/2021 के अपने आदेश में यह कहा है कि अधिनियम की धारा 115जेबी का प्रावधान निर्धारिती कंपनी पर लागू नहीं होता है।

विभाग का उत्तर निम्नलिखित कारणों से तर्कसंगत नहीं है:

(क) डीटीवीएसवी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है जो विभाग को धारा 244ए के अंतर्गत निर्धारिती को भुगतान किए गए ब्याज को वापस लेने से रोकता नहीं है, जो आयकर अधिनियम के अनुसार सामान्य उपाय है। आयकर अधिनियम, 1961 के सभी प्रावधान, अधिभार आदि सहित कर की दर के प्रभार के संबंध में, डीटीवीएसवी अधिनियम के साथ मिलकर डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना के दौरान लागू किए जाते हैं।

(ख) माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय, मेसर्स को-ऑपरेटिव राबोबैंक यूए बनाम सीआईटी (टी) के मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा

गया है कि "वसूली से पूर्ण निषेध सही नहीं हो सकता है क्योंकि संस्थान की कार्यवाही पर प्रतिबंध केवल एक अपराध के संबंध में है, न कि वर्तमान मामले में संबंधित वापसी पर ब्याज की वसूली के लिए। यह विभाग के लिए आयकर अधिनियम की धारा 244ए का आश्रय लेने के लिए खुला है।

(ग) डीटीवीएसवी मामलों में, विभाग एक ओर दंड सहित धारा 234ए, 234बी, 234सी के अंतर्गत ब्याज देयताओं को माफ कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर विभाग ने धारा 244ए के अंतर्गत पूरे विवादित कर पर ब्याज का भी भुगतान किया था जिसने डीटीवीएसवी योजना की धारा 8 के विपरीत डीटीवीएसवी योजना में शामिल होने वाले निर्धारिती को दोहरा लाभ दिया है।

(घ) डी1 कार्पोरेशन के मामले में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय 10/12/2020 को प्रपत्र-5 जारी करने के पश्चात अर्थात डीटीवीएसवी के अंतर्गत मामले के निपटान के पश्चात पारित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

(v) मेघालय में, पीसीआईटी-शिलांग प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मैसर्स ओ2 लि. के मामले में, नि.व. 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के लिए, विभाग ने माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारिती (₹ 557.26 करोड़, ₹ 794.82 करोड़ एवं ₹ 1552.70 करोड़ क्रमशः नि.व. 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के लिए) को दिए गए ₹ 2,904.78 करोड़ की राहत के प्रति माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 24/03/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए ने प्रपत्र-3 में डीटीवीएसवी योजना के तहत देय राशि की गणना करते समय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 244ए के तहत ₹ 393.26 करोड़ (क्रमशः ₹ 1.49 करोड़, ₹ 75.45 करोड़ और ₹ 316.32 करोड़) का ब्याज वापस नहीं लिया, जो पहले ही निर्धारिती को वापस कर दिया गया था और क्रमशः नि.व. 2004-05 और 2005-06 के लिए ₹ 38.32 करोड़ और ₹ 28.63 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारित किया गया था

और नि.व. 2006-07 के लिए देय ₹ 132.45 करोड़ की राशि। निर्धारिती ने इसे नि.व. 2006-07 के लिए जमा किया था, एवं तदनुसार, 3/12/2020 को नि.व. 2004-05, 2005-06 के लिए एवं 07/01/2021 को नि.व. 2006-07 के लिए डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत प्रपत्र-5 जारी किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 393.26 करोड़ के कर की कम गणना हुई।

इसके अतिरिक्त, 22/12/2020 को नि.व. 2004-05 एवं 2005-06 के लिए परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) पारित करते समय भी क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी ने इसे वापस नहीं लिया। विभाग से नि.व. 2006-07 का सीईओ प्रतीक्षित था (फरवरी 2025)।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार न करते हुए यह कहा (मई 2024) कि निर्धारिती को डीटीवीएसवी अधिनियम के अनुसार विवादित कर का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। देय राशि प्रपत्र-3 में निर्दिष्ट की गई थी, एवं किया गया भुगतान प्रपत्र-4 में साक्ष्य है। धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज अधिनियम के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, एवं डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विवादित कर की राशि में इसे जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके अतिरिक्त, डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 5(3) के अनुसार, डीए द्वारा निर्धारित देय राशि निर्णायक होगी एवं अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्य कार्यवाही में फिर से नहीं खोली जा सकती है।

विभाग का उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है कि 2020 के सीबीडीटी परिपत्र 9 दिनांक 22/04/2020 के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 5 के अनुसार, "अपील जिसमें अपीलकर्ता ने पहले ही विवादित मांग का आंशिक अथवा पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया है, को भी कवर किया गया है। यदि भुगतान की गई कर राशि डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय राशि से अधिक है, तो अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज के बिना वापसी का हकदार होगा"। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त परिपत्र के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 46 में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, "डीए किसी भी स्पष्ट त्रुटियों को समाधान के लिए डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत अपने

आदेश में संशोधन करने में सक्षम होगा।" अतः विभाग अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

(vi) दिल्ली में, पीसीआईटी-4 प्रभार के अनर्गत, एक कंपनी मेसर्स जी3 लिमिटेड, के मामले में, नि.व. 1998-99 एवं 1999-2000 के लिए, विभाग संबंधित नि.व. 1998-99 एवं 1999-2000 के लिए निर्धारिती को दी गई ₹ 77.55 करोड़ एवं ₹ 122.22 करोड़ की राहत के प्रति माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में था, जबकि, निर्धारिती क्रमशः नि.व. 1998-99 एवं 1999-2000 के लिए माननीय आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा ₹ 41.60 करोड़ एवं ₹ 54.22 करोड़ की बढ़ोतरी की पुष्टि के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में था। निर्धारिती निर्दिष्ट तिथि अर्थात 31 जनवरी 2020, डीटीवीएसवी योजना की योग्यता के लिए, के अनुसार ₹ 30.94 लाख की कटौती की अस्वीकृति के विरुद्ध भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में था। निर्धारिती ने सभी मुद्दों को निपटाने के लिए 22/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना करते समय, डीए ने नि.व. 1998-99 एवं 1999-2000 के लिए क्रमशः ₹ 28.24 करोड़ एवं ₹ 40.37 करोड़ निर्धारित किए। निर्धारिती ने अपेक्षित राशि का भुगतान किया, एवं तदनुसार, विभाग द्वारा 01/11/2021 को डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत प्रपत्र-5 जारी किया गया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि निर्धारिती द्वारा देय कुल राशि पर पहुंचने के दौरान, डीए ने निर्धारिती को पहले वापस किए गए विवादित कर की सीमा तक क्रमशः नि.व. 1998-99 एवं 1999-2000 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत ₹ 26.64 करोड़ एवं ₹ 5.73 करोड़ का ब्याज वापस नहीं लिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 32.37 करोड़ (₹ 26.64 करोड़ जोड़ ₹ 5.73 करोड़) के कर की कुल कम गणना हुई। लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि इस मामले में परिणामी प्रभाव आदेश पारित किया गया था अथवा नहीं क्योंकि सीईओ की प्रति लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी (फरवरी 2025)।

विभाग ने यह उद्धृत करते हुए लेखापरीक्षा टिप्पणी (जून 2024) को स्वीकार नहीं किया कि *कर बकाया (जो डीटीवीएसवीएस अधिनियम की धारा 2(1)(ओ) में परिभाषित है) के संबंध में एक घोषणा दायर की गई है, लेकिन देय राशि का निर्धारण धारा 3 के अनुसार होगा जो विवादित कर की राशि को संदर्भित करता है। विवादित कर का अर्थ आयकर है, जिसमें अधिभार एवं उपकर सम्मिलित हैं, लेकिन दंड का ब्याज, जैसा कि डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 2(1)(जे)(ए) में परिभाषित है। योग्य निर्धारिती जो कर बकाया की घोषणा दायर करता है (जिसमें ब्याज एवं दंड सम्मिलित है), लेकिन नामित प्राधिकारी द्वारा निर्धारण केवल विवादित कर का है (जिसमें ब्याज या दंड सम्मिलित नहीं है)। इसलिए, एक घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि में विवादित कर में ब्याज या जुर्माना सम्मिलित नहीं होगा। वास्तव में, डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 6 भी कर बकाया के लिए ब्याज वसूलने की अनुमति नहीं देती है।*

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज निर्धारिती पर नहीं लगाया जाता है; इसके स्थान पर, यह प्रतिदाय की राशि पर निर्धारिती को भुगतान किया जाता है एवं डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 6 कर बकाया के संबंध में ब्याज वसूलने से वर्जित करती है, लेकिन विवादित कर सहित कुल कर देयता की सीमा तक प्रतिदाय की राशि पर विभाग द्वारा निर्धारिती को भुगतान की गई "धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज की वापसी" से वर्जित नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, धारा 2(1)(जे)(ए) या धारा 2(1)(ओ) डीटीवीएसवी अधिनियम विभाग को धारा 244ए के अंतर्गत निर्धारिती को भुगतान किए गए ब्याज को कुल कर देयता की सीमा तक वापस लेने से नहीं रोकता है, जिसमें विवादित कर देयता भी उनके सामान्य साधन के रूप में सम्मिलित है

इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा मेसर्स जी17 प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामलों का निपटान करते समय आयकर अधिनियम, की धारा 244ए के अंतर्गत निर्धारिती को भुगतान किए गए ब्याज की राशि को नि.व. 2017-18 तथा विभिन्न अन्य प्रभारों के लिए वापस ले

लिया गया है। अतः इस संदर्भ में विभाग अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामले को निपटाने के दौरान डीए द्वारा निर्धारिती को भुगतान की गई धारा 244ए के अंतर्गत अनुचित ब्याज की गैर-निकासी के परिणामस्वरूप राजकोष को राजस्व की हानि हुई, जिसे सीबीडीटी को योजना के घोषित उद्देश्यों के अनुसार अपनी समान व्याख्या एवं कार्यान्वयन के लिए नामित प्राधिकारी को दिशानिर्देश जारी कर टाला जा सकता था। जैसा कि लेखापरीक्षा में उल्लेख किया गया है, डीए डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 5(2) के अंतर्गत जारी अपने आदेश में स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निर्देशों या प्रक्रिया की अपनी व्याख्या में सुसंगत नहीं थे।

अनुशंसा 4:

सीबीडीटी सक्षम प्राधिकारी को एक स्पष्टीकरण जारी करे ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर मामले को फिर से शुरू करने, किसी भी अस्पष्टता को दूर करने एवं योजना के उद्देश्य के अनुसार प्रावधानों की एक समान व्याख्या एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनके आदेश में पायी गईं स्पष्ट गलतियों को परिशोधित किया जा सके।

मंत्रालय ने 2020 के परिपत्र संख्या 9 के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 46 का हवाला देते हुए यह कहा (अगस्त 2025) कि वे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नामित प्राधिकारी किसी भी स्पष्ट त्रुटि को सुधारने के अपने आदेश में संशोधन करने में सक्षम होगा। इसलिए, सुझाव का पहले से ही ध्यान रखा जाता है।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि, 2020 के परिपत्र संख्या 9 दिनांक 22 अप्रैल 2020 के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 46 के बावजूद, डीए द्वारा प्रावधानों की कोई समान व्याख्या एवं कार्यान्वयन नहीं था। विभिन्न डीए द्वारा सुधार नहीं किए गए थे, भले ही लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार कर लिया गया था। एक मामले में, पीसीआईटी, शिलांग ने कहा कि डीटीवीएसवी अधिनियम

2020 के अंतर्गत कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि डीटीवीएसवी अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान विभाग को अधिकृत नहीं करता है जिसके अंतर्गत डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 के अंतर्गत पहले से पारित आदेश को सुधारने या संशोधित करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। (रिपोर्ट का पैरा 5.7 का संदर्भ लें)। इससे संकेत मिलता है कि भविष्य में इस तरह की योजनाओं को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लागू करते समय स्पष्टता के लिए यह विद्यमान निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

5.3 तलाशी मामलों में देय कर का गलत निर्धारण

सीबीडीटी परिपत्र संख्या 9/2020, दिनांक 22 अप्रैल 2020, प्रदान करता है कि एक घोषणाकर्ता को डीटीवीएसवी योजना, 2020 के अंतर्गत तलाशी मामलों में विवादित कर के 125 *प्रतिशत* का भुगतान करना आवश्यक है, जहां विवाद विवादित कर से संबंधित है (अतिरिक्त राशि 100 *प्रतिशत* से अधिक ब्याज की राशि एवं लगाए गए या लगाए जाने वाले दंड तक सीमित) एवं निर्धारिती अपील दायर करता है यदि भुगतान निर्धारित समय के भीतर किया जाता है। यदि अपील विभाग द्वारा दायर की जाती है, तो निर्धारिती को विवादित कर के 62.5 *प्रतिशत* का भुगतान करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी ने सीबीडीटी परिपत्र संख्या 4 दिनांक 23/03/2021 के माध्यम से स्पष्ट किया कि डीटीवीएसवी योजना, 2020 के उद्देश्य के लिए 'तलाशी मामला' का अर्थ धारा 143(3)/144/147/153ए/158बीसी के अंतर्गत धारा 153ए या 153सी या 158बीसी या 158बीडी में संदर्भित व्यक्ति के मामले में धारा 132 के अंतर्गत शुरू की गई तलाशी या धारा 132ए के अंतर्गत की गई मांग के आधार पर किए गए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13 राज्यों[18] में ₹ 6.17 करोड़ के कर प्रभाव वाले 34 मामलों में, विभाग ने तलाशी मामले ***(अनुलग्नक 5.5 का संदर्भ लें)*** होने के बावजूद 125 *प्रतिशत* के बजाय 100 *प्रतिशत* की दर से विवादित कर की गणना की थी। ऐसा ही एक दृष्टांत नीचे दर्शाया गया है एवं दो एवं उदाहरण ***अनुलग्नक 5.6*** में दिए गए हैं:

[18] आंध्र प्रदेश(7), बिहार(1), दिल्ली(3), गोवा(1), हरियाणा(3), कर्नाटक(4), छत्तीसगढ़(1), महाराष्ट्र(2), पंजाब(2), तमिलनाडु(1), तेलंगाना(3), उत्तर प्रदेश(4), पश्चिम बंगाल(2)

(i) छत्तीसगढ़ में, पीसीआईटी सेंट्रल, भोपाल प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स आर19 प्रा. लि. के मामले में, नि.व. 2011-12 के लिए, निर्धारिती जनवरी 2019 में ₹ 11.45 करोड़ की बढ़ोतरी के विरुद्ध माननीय आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील में था। निर्धारिती ने उपरोक्त मुद्दे को निपटाने के लिए 17/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना करते समय, डीए ने भुगतान की नियत तारीख के बाद ₹ 3.17 करोड़ (110 *प्रतिशत*) का शुल्क लिया। हालांकि, निर्धारिती विवादित कर के ₹ 4.86 करोड़ (135 *प्रतिशत*) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, जो एक तलाशी मामला था एवं नियत तारीख के बाद भुगतान कर रहा था। चूक के परिणामस्वरूप देय राशि का ₹ 1.69 करोड़ का कम निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) ने इस मामले में 09/03/2023 को डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 की धारा 5(2) के अंतर्गत एक परिणामी प्रभाव आदेश पारित किया, लेकिन जेएओ ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। लेखापरीक्षा अवलोकन नवंबर 2023 में जारी किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

यह अनुमान लगाया गया है कि डीटीवीएसवी योजना के उद्देश्य के लिए तलाशी मामले के व्यवहार में कोई एकरूपता नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि आयकर अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत तलाशी एवं जब्ती संचालन में प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकरण फिर से खोला गया था। इसने यह भी संकेत दिया कि विभाग ने एक उदाहरण के साथ तलाशी मामले को स्पष्ट नहीं किया, जो नामित प्राधिकारी द्वारा तलाशी मामले के व्यवहार में गैर-एकरूपता के लिए जिम्मेदार था एवं जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को राजस्व की हानि हुई।

अनुशंसा 5:

सीबीडीटी संबंधित अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की प्रयोज्यता में असंगत दृष्टिकोण के कारणों की जांच करे और मामलों के, विशेष रूप से तलाशी मामलों में, निपटान में आईटीडी के सभी प्रभारों में समान परिस्थितियों में, एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2025) कि योजना के सभी प्रावधान एवं इसके नियम समान परिस्थितियों में समान मामलों के लिए समान तरीके से लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समान परिस्थितियों में समान मामलों में लगातार दृष्टिकोण बनाए रखा जाता है, नामित अधिकारियों को दिशानिर्देश प्रदान करने वाले परिपत्रों के माध्यम से कई निर्देश जारी किए गए थे, उदाहरण के लिए निर्धारिती एवं विभागीय अधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से परिपत्र सं. 9 एवं 21 (89 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सहित) जारी किए गए थे। इसलिए, सुझाव पहले ही संबोधित किया जा चुका है।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों एवं परिपत्रों के बावजूद, विभिन्न आईटीडी प्रभार समान मामलों के व्यवहार के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जैसा कि ऊपर पैरा 5.3 में बताया गया है। इसलिए, सीबीडीटी संबंधित प्राधिकारी द्वारा संबंधित अधिनियम/नियमों की प्रयोज्यता के लिए असंगत दृष्टिकोण के कारणों की जांच करे एवं भविष्य में ऐसी योजनाओं को लागू करते समय आईटीडी के सभी प्रभारों में समान परिस्थितियों में मामलों का एक समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करे।

5.4 डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय कुल कर में अविवादित कर/ब्याज सम्मिलित नहीं किया गया

डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत 22 अप्रैल 2020 के परिपत्र संख्या 9/2020 के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 38 के अनुसार, केवल उस मुद्दे के संबंध में ब्याज एवं दंड माफ किया जाएगा जो अपील में विवादित है एवं जिसके लिए घोषणा दायर की गई थी। इसलिए, निर्विवाद मुद्दे के लिए, कर, ब्याज एवं जुर्माना देय होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020 के नियम 9 (2) में प्रावधान है कि "जहां घोषणाकर्ता उप-नियम (1) के खंड (ii) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करता है, वह अधिभार एवं उपकर सहित कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, ब्याज के साथ, यदि कोई हो, तो हानि की घटी

हुई राशि या अप्रयुक्त मूल्यह्रास को आगे ले जाने के परिणामस्वरूप, यह बाद के वर्षों में लागू होता है।"

लेखापरीक्षा ने 14 राज्यों[19] में ₹ 27.42 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 47 मामलों को देखा, कि विभाग ने डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय राशि की गणना करते समय विवाद रहित आय से संबंधित ब्याज घटक को प्रभारित नहीं किया (***अनुलग्नक 5.7 का संदर्भ लें***)। ऐसे तीन प्रकरण नीचे दिए गए हैं:

(i) तमिलनाडु में, पीसीआईटी-1, चेन्नई प्रभार के अंतर्गत, एक व्यक्ति, ई7 के मामले में, नि.व. 2007-08 के लिए, निर्धारिती, धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अंतर्गत दिसम्बर, 2009 में निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 0.10 लाख जोड़ने के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील में था। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 27/01/2021 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय कुल राशि की गणना करते समय, डीए ने शुरू में ₹ 6.05 करोड़ (₹ 6.04 करोड़ की निर्विवाद मांग एवं ₹ 0.04 लाख की विवादित मांग) के रूप में देय राशि का निर्धारण किया एवं 15/04/2021 को प्रपत्र-3 जारी किया। डीए ने प्रपत्र-3 को 29/10/2021 को संशोधित किया जिसमें देय राशि ₹ 0.04 लाख (30/09/2021 के बाद देय) तक सीमित थी। निर्धारिती ने 05/10/2021 को ₹ 2.34 करोड़ का भुगतान किया एवं 21/01/2022 को प्रपत्र-4 प्रस्तुत किया। प्रपत्र-5 10/10/2022 को जारी किया गया था, जिसमें ₹ 2.34 करोड़ के भुगतान को पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 6.05 करोड़ की प्रारंभिक मांग के प्रति केवल ₹ 2.34 करोड़ का भुगतान किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.71 करोड़ (₹ 6.05 करोड़ - ₹ 2.34 करोड़) का भुगतान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹ 9.20 करोड़ की निर्विवाद मांग पर धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज भी नहीं लगाया गया था। इन अशुद्धियों के परिणामस्वरूप ₹ 12.91 करोड़ (₹ 3.71 करोड़ + ₹ 9.20 करोड़) की कम वसूली हुई।

[19] आंध्र प्रदेश(1), बिहार(3), दिल्ली(3), गोवा(1), गुजरात(5), हरियाणा(3), झारखंड(9), कर्नाटक(2), केरल(2), मध्य प्रदेश(4), महाराष्ट्र(4), तमिलनाडु(5), तेलंगाना(4), उत्तराखंड(1)

*विभाग ने उत्तर दिया (मई 2024) कि लेखापरीक्षा का अवलोकन डीटीवीएसवी के संबंध में विवादित कर/गलतियों एवं चूक से संबंधित नहीं समझा जाता है। इसके बाद, विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए आयकर अधिनियम की धारा 220 के अंतर्गत दिनांक 30/12/2024 को आदेश पारित करके त्रुटियों को ठीक किया। हालांकि, वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (*जून 2026*)।*

*मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (*जून 2026*)।*

(ii) हरियाणा में, पीसीआईटी, फरीदाबाद प्रभार में, एक कंपनी, मैसर्स सी5 लिमिटेड के मामले में, नि.व. 2006-07 के लिए, निर्धारिती दिसंबर 2018 में ₹ 1.71 करोड़ के बढ़ोतरी के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली के समक्ष अपील में था। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 05/02/2021 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती द्वारा देय ₹ 1.76 करोड़ की राशि का निर्धारण करते हुए, डीए ने ₹ 35.40 करोड़ की आय पर विचार किया, जिसे "प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत नि.व. 2005-06 के मामले के निपटान के कारण हानि के सेट-ऑफ की निकासी" के लिए ₹ 3.52 करोड़ के कुल के बाद काम किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामले का निपटान करते समय, विभाग ने उक्त प्रावधान द्वारा आवश्यक ₹ 3.52 करोड़ के उपर्युक्त जोड़ पर धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 1.79 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया था। क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किए जा रहे परिणामी आदेश की स्थिति का इंतजार किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2025) में कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि आईटी अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई 13/04/2021 को की गई थी, एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र-3 जारी करने से पहले धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज ₹ 2.56 करोड़ लगाया गया था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा अवलोकन मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज के गैर-उद्ग्रहण के संबंध में नहीं है, बल्कि डीटीवीएसवी के अंतर्गत निर्विवाद कर पर धारा 234बी के

अंतर्गत ब्याज की छूट है। सुधार आदेश में लगाए गए ब्याज को डीटीवीएसवी के अंतर्गत माफ कर दिया गया था। ₹ 1.79 करोड़ की राशि के इस ब्याज का संबंधित हिस्सा ₹ 3.52 करोड़ की निर्विवाद आय के कारण था, जिसे गलत तरीके से माफ कर दिया गया था; हालांकि, डीटीवीएसवी नियम, 2020 के नियम 9(2) के अनुसार, ऐसा ब्याज अनिवार्य रूप से डीटीवीएस के अंतर्गत देय था।

(iii) कर्नाटक में, पीसीआईटी सेंट्रल, बेंगलुरु प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मैसर्स आई5 के मामले में, नि.व. 2009-10 के लिए, निर्धारिती मार्च 2019 में 143 के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत मूल्यांकन के दौरान किए गए ₹ 30.26 करोड़ की बढ़ोतरी के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील में था। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 07/08/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत नामित प्राधिकारी द्वारा देय राशि की गणना करते समय, डीटीवीएसवी योजना 2020 का चयन करने से पहले निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई कुल राशि पर विचार करके ₹ 2.39 करोड़ का निर्धारण किया गया एवं तदनुसार प्रपत्र-3 जारी किया गया। इसके बाद, निर्धारिती द्वारा विवादित कर के भुगतान पर, विभाग द्वारा 12/04/2021 को प्रपत्र-5 जारी किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती द्वारा देय कुल राशि पर पहुंचने के दौरान विभाग ने सभी पूर्व भुगतान किए गए करों को समायोजित किया लेकिन निर्विवाद राशि पर कर पर विचार नहीं किया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि विभाग ने न तो शेष निर्विवाद कर पर कोई वसूली कार्यवाही शुरू की एवं न ही तीन साल (दिसंबर 2024) से अधिक की अवधि की समाप्ति के बाद भी इस मामले में परिणामी प्रभाव आदेश पारित किया। इसके परिणामस्वरूप धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 1.09 करोड़ की मांग का गैर-संग्रह हुआ।

विभाग ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया (मई 2024) कि निर्धारित प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-5 सही ढंग से जारी किए गए थे।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीए ने डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामले का निपटारा करते हुए फरवरी 2019 में धारा 147 के अंतर्गत किए गए मूल्यांकन के बाद की गई मांग के प्रति जमा किए गए कर का हिसाब लिया, लेकिन निर्विवाद आय पर बकाया मांग पर विचार नहीं किया। नतीजतन, डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत मामले को निपटाने के बाद भी निर्धारिती से ₹ 1.09 करोड़ की मांग की वसूली नहीं की गई थी। इस प्रकार, राशि की वसूली के संदर्भ में योजना का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। विभाग अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे एवं उपरोक्त मांग के लिए वसूली की कार्यवाही शुरू करे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

इस प्रकार, निर्विवाद आय पर ब्याज घटक के गैर-प्रभारित होने के परिणामस्वरूप निर्धारितियों को अनुचित लाभ हुआ एवं राजकोष को भी राजस्व की हानि हुई।

अनुशंसा 6:

सीबीडीटी विभाग की आईटी प्रणालियों में नियंत्रण को सुप्रवाही बनाकर एवं सशक्त करके, कर की गणना की शुद्धता सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में ऐसे योजना के क्रियान्वयन करते समय राजस्व के किसी भी प्रकार की हानि को रोका जा सके।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

5.5 अपात्र निर्धारितियों के लिए योजना का लाभ प्रदान करना

डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 2(1)(ए)(ii) के अनुसार, एक अपीलकर्ता वह व्यक्ति है जिसके मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, या एक अपील में आयकर आयुक्त (अपील) या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका में एक आदेश पारित किया गया, निर्दिष्ट तिथि पर या उससे पहले (अर्थात धारा 2(1)(एन) के अनुसार 31/01/2020, एवं उस व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के प्रति कोई अपील या विशेष अवकाश याचिका दायर करने का समय उस तारीख तक समाप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, परिपत्र 21 दिनांक 04/12/2020 के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 59 के अनुसार, यदि अपील दायर करने की समय सीमा

1 अप्रैल 2019 से 31 जनवरी 2020 (अवधि में सम्मिलित दोनों तारीखें) की अवधि के दौरान समाप्त हो गई है, एवं क्षमा के लिए आवेदन इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से पहले दायर किया गया है, एवं अपीलीय प्राधिकारी घोषणा दाखिल करने की तारीख से पहले अपील स्वीकार करता है, तो ऐसी अपील 31 जनवरी 2020 को लंबित मानी जाएगी।

सीबीडीटी परिपत्र संख्या 9/2020 दिनांक 22/04/2020 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-11 के अनुसार, "यदि कर बकाया में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना से बाहर रखे गए मुद्दों पर कर सम्मिलित है, तो ऐसे मामले योजना के अंतर्गत घोषणा दायर करने के योग्य नहीं हैं। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष के लिए अपील, रिट या एसएलपी के संबंध में लंबित विवाद के हिस्से का निपटान करने का कोई प्रावधान नहीं है। एक लंबित अपील के लिए, सभी मुद्दों को सुलझाना आवश्यक है, एवं यदि कोई भी मुद्दा घोषणा को अमान्य बनाता है, तो कोई घोषणा दायर नहीं की जा सकती है"। इसके अतिरिक्त, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-14 के अनुसार, अपील के निपटान के लिए मुद्दों के चयन एवं चुनने की अनुमति नहीं है। एक आदेश के संबंध में, अपीलकर्ता को सभी मुद्दों को निपटाने के लिए चुनना होगा, एवं केवल तभी वह एक घोषणा दायर करने के लिए योग्य होगा।"

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 राज्यों[20] में ₹ 6.96 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 17 मामलों में, विभाग ने योजना का लाभ अपात्र निर्धारीतियों (***अनुलग्नक 5.8 का संदर्भ लें***) तक बढ़ा दिया था। ऐसे दो प्रकरण नीचे दिए गए हैं:

(i) मध्य प्रदेश में, पीसीआईटी (केंद्रीय) भोपाल प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मैसर्स आर12 के मामले में, नि.व. 2006-07 एवं 2007-08 के लिए, निर्धारिती ने दिनांक 14/12/2020 को घोषणा दाखिल करके डीटीवीएसवी योजना 2020 का विकल्प चुना, जिसमें निर्धारिती द्वारा दायर अपील का उल्लेख किया गया है, जिसमें क्रमशः ₹ 66.74 लाख एवं ₹ 35.22 लाख की विवादित आय पर जबलपुर उच्च न्यायालय में मामला संख्याः आरपी/459/2017, दिनांकः

[20] दिल्ली(2), गुजरात(1), तेलंगाना(1), जम्मू और कश्मीर(1), झारखंड(2), मध्य प्रदेश(2), पंजाब(1), तमिलनाडु(1), उत्तर प्रदेश(2), उत्तराखंड(1), पश्चिम बंगाल(3)

23/06/2017 लंबित है। डीए ने निर्धारिती की घोषणा को स्वीकार कर लिया एवं डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि के रूप में नि.व. 2006-07 के लिए ₹ 10.76 लाख का कर क्रेडिट एवं नि.व. 2007-08 के लिए ₹ 11.85 लाख की मांग देने के बाद ₹ 11.66 लाख की मांग निर्धारित करते हुए 29/12/2020 को प्रपत्र-3 जारी किया। निर्धारिती ने अपेक्षित राशि जमा की, एवं तदनुसार, पूर्ण एवं अंतिम निपटान के लिए डीए द्वारा 30/10/2021 को प्रपत्र-5 जारी किया गया था। इस मामले में 29/08/2022 को परिणामी प्रभाव आदेश जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने जबलपुर उच्च न्यायालय की वेबसाइट से नोट किया कि उक्त अपील संख्या को निर्दिष्ट तिथि से काफी पहले 23/08/2017 को खारिज कर दिया गया था। चूंकि घोषित अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं थी, इसलिए यह प्रकरण इस योजना के अंतर्गत प्रक्रिया के लिए योग्य नहीं था। नतीजतन, प्रकरण को ₹ 82.75 लाख के बजाय ₹ 34.28 लाख पर तय किया गया था, जिसमें उपरोक्त मूल्यांकन वर्षों के लिए ब्याज भी सम्मिलित है। इन विसंगतियों के परिणामस्वरूप ₹ 48.47 लाख का कर कम लगाया गया। इस संबंध में सितम्बर, 2023 में लेखापरीक्षा टिप्पणियां जारी की गई थीं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

(ii) उत्तराखंड में, पीसीआईटी देहरादून प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मैसर्स ओ4 लिमिटेड, के मामले में नि.व. 2001-02 के लिए, विभाग अगस्त 2018 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दी गई ₹ 27.50 करोड़ (₹ 26.69 करोड़ एवं ₹ 0.81 करोड़ की राहत एवं क्रमशः आवास किराए पर लेने पर व्यय) के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अप्रैल 2019 में अपील में था। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 14/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना 2020 का विकल्प चुना। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने केवल धारा 80-आईए के अंतर्गत कटौती से संबंधित मुद्दे पर प्रपत्र-1 दायर किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था, एवं तदनुसार, विभाग द्वारा प्रपत्र-3 जारी किया गया था। निर्धारिती ने आवश्यकतानुसार राशि का भुगतान किया एवं मामले को अंततः विभाग द्वारा निपटाया गया।

लेखापरीक्षा में जांच से पता चला कि निर्धारिती के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि निर्धारिती ने अपील के हिस्से के लिए योजना का विकल्प चुना था, जो कि उक्त प्रावधानों के विपरीत था। हालांकि, विभाग ने न केवल निर्धारिती को आवेदन दायर करने की अनुमति दी, बल्कि आवास किराए पर लेने पर व्यय से संबंधित अन्य शेष मुद्दे पर विचार किए बिना प्रपत्र-3 भी जारी किया, जिसके लिए विभाग भी अपील में था। प्रकरण मई 2021 में डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत निपटाया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने दिसंबर 2023 में डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 5(2) के अंतर्गत एक परिणामी प्रभाव आदेश जारी किया, जिसमें इस मुद्दे को भी संबोधित नहीं किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप निर्धारिती को योजना के लाभ की गलत अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः राजकोष को ₹ 5.60 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (अगस्त 2024) को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि इस मामले में डीए द्वारा प्रपत्र-5 विधिवत जारी किया गया था। इसलिए, शेष मुद्दे के लिए उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विभाग की अपील को इस मामले में वापस ले लिया गया माना जाता है। यह भी उल्लेख किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 23/04/2019 के अपने आदेश द्वारा यह घोषित किया कि महत्वपूर्ण विधि प्रश्न मात्र प्रथम प्रकरण, अर्थात् आयकर अधिनियम की धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती की स्वीकार्यता के संबंध में ही सम्मिलित है, जबकि आवास किराये पर लेने पर किए गए व्यय को राजस्व व्यय अथवा पूंजीगत व्यय माने जाने से संबंधित द्वितीय मुद्दे के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण विधि प्रश्न के सम्मिलित होने की घोषणा नहीं की गई। तदनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने केवल पहले मुद्दे के संबंध में अपील को स्वीकार किया। उपरोक्त के ध्यानार्थ, डीए ने पहले प्रकरण के प्रति डीटीवीएसवी योजना, 2020 के अंतर्गत कर का सही निपटान किया।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में, विभाग ने दो आधारों पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, एवं उसके बाद, विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर, कानून संख्या 1 के प्रश्न को फिर

से तैयार किया। एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधित अपील दायर की। जैसा कि कानून संख्या 2 के प्रश्न के संबंध में, यह न तो विभाग द्वारा वापस ले लिया गया एवं न ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसलिए, यह स्पष्ट था कि विभाग विधि के दोनों प्रश्नों के प्रति विरोध कर रहा था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने विभाग (फरवरी 2025) से कोई भी पर्याप्त दस्तावेज/आदेश प्रदान करने के लिए कहा जो प्रमाणित करता है कि उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने कानून संख्या 2 के प्रश्न को खारिज कर दिया, वह अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी, 2025)। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्च न्यायालय में अपील की ऑनलाइन स्थिति लंबित (फरवरी 2025) के रूप में दर्शाई गई है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि विभाग ने इस योजना का लाभ उन करदाताओं को दिया जो अर्ह नहीं थे, जो कि डीए की ओर से चूक एवं मामलों के अनुचित निपटान को दर्शाता है।

5.6 एमएटी क्रेडिट का गलत समायोजन

डीटीवीएसवी नियम 2020 के नियम 10 के अनुसार, उन मामलों में विवादित कर की गणना करने का तरीका जहां न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट कम हो जाता है। :- (1) जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में विवाद आगे ले जाने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट में कमी से संबंधित है, घोषणाकर्ता के पास (i) वह राशि सम्मिलित करने का विकल्प होगा जिसके द्वारा आगे ले जाया जाने वाला एमएटी क्रेडिट कम हो जाता है। विवादित कर एवं कटौती की ऐसी राशि की अनदेखी करके एमएटी क्रेडिट को आगे ले जाना, या (ii) कम किए गए एमएटी क्रेडिट को आगे बढ़ाना। (2) जहां घोषणाकर्ता उप-नियम (1) के खंड (ii) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करता है, वह बाद के वर्षों में कम एमएटी क्रेडिट को आगे बढ़ाने के परिणामस्वरूप ब्याज के साथ, अधिभार एवं उपकर सहित कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

बशर्ते कि योग्य खोज मामलों में, उप-नियम (1) के खंड (ii) में आगे ले जाने के लिए एमएटी क्रेडिट की कम राशि की गणना करते समय, एमएटी क्रेडिट में

कमी की गई राशि का पांच-आठवां भाग कमी के लिए विचार किया जाएगा, यदि ऐसी कमी घोषणाकर्ता के पक्ष में कवर किए गए मुद्दों से संबंधित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो राज्यों[21] में ₹ 2.93 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों में विभाग ने "धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ पर कर भुगतान राशि" को गलत तरीके से समायोजित किया ***(अनुलग्नक 5.9 का संदर्भ लें)***। ऐसा ही एक दृष्टांत नीचे दिया गया है:-

(i) कर्नाटक में, पीसीआईटी-केंद्रीय, बेंगलुरु प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मैसर्स बी25 लिमिटेड के मामले में, नि.व. 2016-17 के लिए, निर्धारिती दिसंबर 2019 में धारा 153ए के अंतर्गत मूल्यांकन के दौरान किए गए ₹ 14.02 करोड़ के बढ़ोतरी के विरुद्ध सीआईटी(अपील) के समक्ष अपील में था। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 31/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना करते समय डीए ने ₹ 4.85 करोड़ के एमएटी क्रेडिट की अनुमति दी। निर्धारिती ने अपेक्षित राशि का भुगतान किया, एवं तदनुसार, प्रपत्र-5 को 30/04/2021 को पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में जारी किया गया था। क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) ने 10/01/2022 को डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत भी एक परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) पारित किया था, जिससे ₹ 4.85 करोड़ का एमएटी क्रेडिट दिया जा सकता था। हालांकि, लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती के पास ₹ 4.85 करोड़ के बजाय मात्र ₹ 2.04 करोड़ का एमएटी क्रेडिट था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.81 करोड़ के एमएटी क्रेडिट के समायोजन की अतिरिक्त अनुमति मिली।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि निर्धारण अधिकारी (एओ) ने नि.व. 2016-17 के लिए धारा 154 दिनांक 17/02/2020 के अंतर्गत आदेश के आधार पर एमएटी क्रेडिट की अनुमति दी, एवं इसलिए, प्रपत्र-5 में एमएटी क्रेडिट में कोई त्रुटि नहीं थी।

[21] दिल्ली (1) और कर्नाटक (1)।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि जेएओ ने जनवरी 2022 में सीईओ में ₹ 4.85 करोड़ के एमएटी क्रेडिट के समायोजन की अनुमति देते हुए, सभी प्रासंगिक आदेशों का संज्ञान नहीं लिया, जिसमें अपीलीय आदेशों को प्रभावी करने का आदेश एवं जनवरी 2022 में नि.व. 2013-14 एवं 2015-16 के लिए धारा 154 के अंतर्गत पारित संशोधन आदेश सम्मिलित हैं। नतीजतन, निर्धारिती को एमएटी क्रेडिट के समायोजन के लिए अतिरिक्त अनुमति दी गई थी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विभाग अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार न करते हुए (अगस्त 2025) कहा कि निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) ने नि.व. 2016-17 के लिए लाए गए एमएटी. क्रेडिट के आंकड़े धारा 154 के अंतर्गत नि. व. 2016-17 के लिए दिनांक 06/01/2022 के अंतिम आदेश के आगे ले जाए गए आंकड़ों के अनुसार लिए एवं उसी के आधार पर ए.वाई. 2016-17 के लिए उपलब्ध एम.ए.टी. क्रेडिट की गणना सही ढंग से की।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि, नि.व. 2007-08 से नि.व. 2015-16 से संबंधित निर्धारण अभिलेखों के आधार पर, नि.व. 2016-17 के समायोजन के लिए उपलब्ध एमएटी क्रेडिट ₹ 30.90 करोड़ के बजाय ₹ 28.09 करोड़ पर काम किया गया था, जैसा कि विभाग द्वारा गणना की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा एमएटी क्रेडिट की गणना का विवरण विभाग को जारी अवलोकन में लाया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के उत्तर के अनुसार, एमएटी क्रेडिट की गणना केवल नि.व. 2016-17 से संबंधित धारा 154 दिनांक 06/01/2022 के आदेश के आधार पर की गई थी, जबकि लेखापरीक्षा ने नि.व. 2016-17 में समायोजन के लिए नि.व. 2007-08 से 2015-16 के आधार पर उपलब्ध एमएटी क्रेडिट की गणना की थी। इसे ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि संबंधित प्राधिकारी ने मैट क्रेडिट की अनुमति देने से पहले निर्धारिती के सभी प्रासंगिक मूल्यांकन अभिलेख का सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को राजस्व का हानि हुआ।

इसने संबंधित प्राधिकरण की ओर से उचित सावधानी की कमी का संकेत दिया, जिसे सीबीडीटी द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है।

5.7 हानि अथवा अनावशोषित मूल्यह्रास को आगे ले जाने की गलत अनुमति

डीटीवीएसवी नियम 2020 के नियम 9 के अनुसार, उन मामलों में विवादित कर की गणना करने का तरीका जहां हानि या अनाअवशोषित मूल्यह्रास को कम किया जाता है।-

(1) जहां किसी आकलन वर्ष के संबंध में विवाद आयकर अधिनियम के अंतर्गत हानि या अनावशोषित मूल्यह्रास में कमी से संबंधित है, तो घोषणाकर्ता के पास यह विकल्प होगा कि - (i) वह विवादित कर में हानि या अनावशोषित मूल्यह्रास में कमी की गई राशि पर देय कर, जिसमें अधिभार एवं उपकर भी सम्मिलित है, को सम्मिलित करे एवं हानि या अनावशोषित मूल्यह्रास में ऐसी कमी की राशि को अनदेखा करते हुए हानि या अनावशोषित मूल्यह्रास को आगे बढ़ाए; या (ii) हानि या अनावशोषित मूल्यह्रास की कम की गई राशि को आगे ले जाए।

(2) जहां घोषणाकर्ता उप-नियम (1) के खंड (ii) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करता है, वह बाद के वर्षों में हानि या अनावशोषित मूल्यह्रास की कम की गई राशि को आगे ले जाने के परिणामस्वरूप कर, जिसमें अधिभार एवं उपकर सम्मिलित है, ब्याज सहित, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि तीन राज्यों[22] में ₹ 37.89 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े आठ मामलों में विभाग ने गलत तरीके से हानि या बिना अनावशोषित मूल्यह्रास को आगे बढ़ाने की अनुमति दी (***अनुलग्नक 5.10 का संदर्भ लें***)। ऐसे दो मामले नीचे दिए गए हैं:

(i) असम में, पीसीआईटी - एनईआर गुवाहाटी प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स एन17 लिमिटेड के मामले में, निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए, विभाग ने आयकर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा अगस्त 2019 में दी गई ₹ 50.63 करोड़ की राहत के विरुद्ध अपील में था। निर्धारिती ने 23/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना, जिसमें मामले को निपटाने के लिए कम किए गए घाटे पर कर का भुगतान

[22] झारखंड (4), मेघालय (1), तमिलनाडु (3)

करने का विकल्प सम्मिलित था। इस प्रकार, निर्धारिती घाटे के साथ समायोजित की गई अतिरिक्त राशि पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। डीए ने प्रपत्र-3 जारी किया, जिसमें निर्धारिती के पूर्व भुगतान किए गए कर को समायोजित करने के पश्चात ₹ 4.87 लाख का प्रतिदाय निर्धारित किया गया। तदनुसार, विभाग द्वारा 28/04/2021 को पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में प्रपत्र-5 जारी किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीए ने डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत निर्धारिती को ₹ 4.87 लाख के प्रतिदाय का निर्धारण करते समय, विवादित ₹ 50.63 करोड़ की अतिरिक्त राशि पर कर की गणना नहीं की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 8.60 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (जुलाई 2024) कहा कि डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 के अंतर्गत कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि डीटीवीएसवी अधिनियम में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो विभाग को यह अधिकार देता हो कि वह डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 के अंतर्गत पारित आदेश को सुधारने या संशोधित करने के लिए किस धारा के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई कर सके।

विभाग का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सीबीडीटी ने परिपत्र संख्या 9 दिनांक 22/04/2020 के प्रश्नोत्तर संख्या 46 में स्पष्ट रूप से कहा है कि विभाग धारा 5 के अंतर्गत अपने आदेश में किसी भी स्पष्ट त्रुटि को सुधारने के लिए संशोधन कर सकता है।

मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 2026)।

(ii) तमिलनाडु में, पीसीआईटी-1 चेन्नई के प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स जे7 प्राइवेट लिमिटेड के एक मामले में, के निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, निर्धारिती ने योजना की निर्धारित तिथि पर ₹ 72.52 करोड़ के व्यापारिक घाटे में ₹ 73.43 करोड़ की वृद्धि के प्रति आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। निर्धारिती ने 31/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना 2020 का विकल्प चुना एवं घाटे में कमी पर कर का भुगतान न करने का विकल्प चुनते हुए एक घोषणा दाखिल की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीए ने 07/04/2021 को प्रपत्र-3 जारी कर निर्धारिती की घोषणा को स्वीकार कर

लिया, एवं तदनुसार, 11/06/2021 को पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में प्रपत्र-5 जारी किया गया। अतः निर्धारिती नि.व. 2017-18 से संबंधित अपने व्यावसायिक हानियों को आगामी निर्धारण वर्ष में समायोजित करने के लिए आगे ले जाने का पात्र नहीं था। इस मामले में क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी ने 03/12/2021 को परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) पारित किया, जिसमें व्यावसायिक घाटे को आगे ले जाने से संबंधित कोई उल्लेख नहीं था। लेखापरीक्षा में, निर्धारण वर्ष 2019-20 की धारा 143(1) के अंतर्गत दी गई सूचना में यह भी पाया गया कि निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित ₹ 62.36 करोड़ की आगे लाई गई हानि में से ₹ 27.81 करोड़ की हानि को समायोजित करने की अनुमति दी गई, एवं शेष ₹ 35.44 करोड़ की हानि को भविष्य के निर्धारणों में समायोजित करने के लिए आगे ले जाने की अनुमति दी गई। परिणामस्वरूप, ₹ 28.85 करोड़ (सकारात्मक ₹ 9.72 करोड़ एवं संभावित ₹ 19.13 करोड़) की राजस्व हानि को नकारा नहीं जा सकता।

विभाग ने (मई 2024) उत्तर दिया कि नि.व. 2019-20 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत आयकर रिपोर्ट दाखिल करना एवं आदेश जारी करना, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए डीटीवीएसवी अधिनियम के अंतर्गत प्रपत्र-3 जारी होने से पहले हुआ। विभाग ने यह भी कहा कि राजस्व हित में, निर्धारण वर्ष 2019-20 में दावा की गई एवं स्वीकृत घाटे की अतिरिक्त राशि को सुधार आदेश पारित करके वापस ले लिया जाएगा।

विभाग का यह उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी को परिणामी प्रभाव आदेश में ही व्यावसायिक घाटे को आगे ले जाने का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। की गई उपचारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गाया था। आवश्यक जानकारी/दस्तावेजों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामले के निपटारे के पश्चात निर्धारण वर्ष 2017-18 में निर्धारिती को स्वीकृत की गई उपरोक्त हानियों को वापस लिया गया या नहीं।

मंत्रालय की उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 2026)।

जैसा कि ऊपर स्पष्ट है, हानियों को आगे ले जाने का विवरण न तो प्रपत्र-3 में एवं न ही प्रपत्र-5 में दर्शाया गया है। यहां तक कि क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी

द्वारा जारी किए गए अधिकांश परिणामी प्रभाव आदेशों में भी ऐसी आवश्यक जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में, निर्धारिती द्वारा कर राजस्व की एक महत्वपूर्ण राशि से संबंधित अनुचित हानियों का लाभ उठाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, परिणामी प्रभाव आदेश पारित करने में विलंब भी निर्धारण की समय-सीमा समाप्त होने के कारण राजस्व हानि को बढ़ा सकता है।

अनुशंसा 7:

(i) सीबीडीटी भविष्य में प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से मामलों के निपटान के लिए एओ/संबंधित प्राधिकारी को सुविधा प्रदान करने हेतु प्रासंगिक प्रपत्र(त्रों) में आवश्यक/महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करना/दर्शाना सुनिश्चित करे।

(ii) सीबीडीटी ऐसे मामलों की पहचान करे, जहां निर्धारिती ने पहले से ही अनुचित हानि का दावा किया था एवं विभाग द्वारा अनुमति दी गई थी एवं इन मामलों को परिशोधित करने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू करे ताकि राजकोष हेतु राजस्व की वसूली की जा सके।

मंत्रालय ने (अगस्त 2025) उत्तर दिया कि हानियों को आगे ले जाने के मामलों में एओ/संबंधित प्राधिकारी को सुविधा प्रदान करने के लिए, प्रपत्र-1 को पश्चात की योजना, यानी डीटीवीएसवी योजना, 2024 में संशोधित किया गया है। डीटीवीएसवी योजना, 2024 में, प्रपत्र-1 की अनुसूची XXVII-ए में उन मामलों में हानियों का सारणीबद्ध विवरण देना अनिवार्य है, जहां अपीलकर्ता हानियों को कम करने वाले परिवर्धनों पर कर का भुगतान न करने का विकल्प चुनता है। यह अनुसूची विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई है कि आगे ले जाने वाले हानियों का आवश्यक विवरण घोषणा पत्र में दर्ज किया जाए। इस प्रकार, डीटीवीएसवी, 2024 में इस संबंध में सुधार किए गए हैं। अतः, सुझाव का उचित समाधान हो गया है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रपत्र-1 निर्धारिती द्वारा भरा जाता है, न कि विभाग द्वारा। हानियों को आगे ले जाने का विवरण न तो प्रपत्र-3 में एवं न ही विभाग के नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रपत्र-5 में दर्शाया

गया। इसलिए, सीबीडीटी मामले का निपटारा करते समय विभाग द्वारा जारी किए गए संबंधित प्रपत्र (जैसे प्रपत्र-3/प्रपत्र-5) में हानियों को आगे ले जाने या अप्रयुक्त मूल्यह्रास से संबंधित अंतिम आंकड़े/राशि को दर्ज करे/दर्शाए।

5.8 निर्धारिती को अनुचित प्रतिदाय का भुगतान

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 की धारा 5 में यह प्रावधान है कि नामित प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगा एवं घोषणाकर्ता को बकाया कर एवं निर्धारण के पश्चात देय राशि का विवरण देते हुए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

चार राज्यों[23] में ₹ 2.01 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े आठ मामलों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत मामले का निपटारा करते समय निर्धारिती को पहले से भुगतान किए गए प्रतिदाय पर विचार नहीं किया ***(अनुलग्नक 5.11 देखें)***। ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

कर्नाटक में, पीसीआईटी-3, बेंगलुरु प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स आई6 प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए, निर्धारिती ने आयकर आयुक् (अपील) के समक्ष ₹ 84.59 करोड़ की अतिरिक्त कर वसूली के विरुद्ध अपील दायर की। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 17/06/2020 को एक घोषणा पत्र दाखिल करके डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीए ने डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना करते समय ₹ 14.98 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारित किया एवं प्रपत्र-3 जारी किया। निर्धारिती के पूर्व भुगतान किए गए करों को समायोजित करने के पश्चात, विभाग द्वारा 29/03/2021 को पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में प्रपत्र-5 जारी किया गया। डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 की धारा 5(2) के अंतर्गत परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) दिनांक 24/06/2024 को क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने सीईओ पारित करते समय धारा 143(1) दिनांक 14/05/2015 के अंतर्गत जारी किए गए ₹ 52 लाख

[23] गोवा(1), कर्नाटक(3), महाराष्ट्र(2), पश्चिम बंगाल(2)

के अतिरिक्त प्रतिदाय को वापस नहीं लिया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 52 लाख का अतिरिक्त प्रतिदाय जारी हो गया। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ जुलाई 2024 में जारी की गई। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

जैसा कि ऊपर स्पष्ट है, डीए द्वारा निर्धारिती को प्रतिदाय निर्धारित करने से पहले निर्धारिती के सभी प्रासंगिक निर्धारण अभिलेखों का सत्यापन नहीं किया गया, जो नामित प्राधिकारी की ओर से चूक को दर्शाता है एवं फलतः राजकोष को कम राजस्व प्राप्त हुआ।

अनुशंसा 8:

सीबीडीटी, प्रतिदाय का निर्धारण करने से पहले निर्धारिती के सभी प्रासंगिक निर्धारण अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को अनुदेश जारी करने पर विचार करे ताकि राजकोष को राजस्व की हानि से बचाया जा सके।

मंत्रालय ने (अगस्त 2025 में) उत्तर दिया कि देय या प्रतिदाय राशि निर्धारित करने से पहले निर्धारिती के सभी प्रासंगिक निर्धारण अभिलेखों का सत्यापन करना क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी के लिए एक स्थापित प्रक्रिया है। यदि पूर्ण विवरणों का सत्यापन किए बिना प्रतिदाय राशि निर्धारित कर दी गई है एवं गणना में त्रुटि पाई गई है, तो नामित प्राधिकारी को राजस्व घाटे से बचने के लिए त्रुटि को सुधारने का अधिकार है, जैसा कि वर्ष 2020 के 9 वें परिपत्र की पृच्छा संख्या 46 में वर्णित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि देय/प्रतिदाय राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थापित प्रक्रिया होने के बावजूद, प्रतिदाय राशि के निर्धारण में त्रुटियों के मामले सामने आए हैं। अतः, मंत्रालय/सीबीडीटी को इन त्रुटियों के कारणों की जांच करनी चाहिए एवं राजस्व घाटे से बचने के लिए उचित उपाय करने चाहिए।

5.9 दंड का गलत आरोपण

सीबीडीटी के दिनांक 22/04/2020 के परिपत्र 9 के प्रश्नोत्तर 8 के अनुसार, यदि किसी निर्धारण वर्ष के लिए विवादित कर से संबंधित क्वांटम याचिका एवं उस विवादित कर पर लगाए गए शास्ति के प्रति अपील दोनों लंबित हैं, तो घोषणाकर्ता

को विवादित कर अपील एवं जुर्माना अपील दोनों को आच्छादित करते हुए एक घोषणा पत्र दाखिल करना होगा। हालांकि, उसे केवल विवादित कर का प्रासंगिक *प्रतिशत* ही भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छह राज्यों[24] में ₹ 53.21 लाख के कर प्रभाव से जुड़े 10 मामलों में, विभाग ने गलत तरीके से जुर्माना एवं विवादित कर दोनों लगाए, जहां विवादित कर अपील एवं संबंधित जुर्माना अपील दोनों को आच्छादित करते हुए घोषणा पत्र दाखिल किया गया ***(अनुलग्नक 5.12 देखें)***। एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

दिल्ली में, पीसीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली प्रभार के अंतर्गत, आर2 के मामले में, निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, निर्धारिती ने निर्दिष्ट तिथि पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के मद में ₹ 36.97 लाख की वृद्धि के प्रति आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने उपर्युक्त वृद्धि से संबंधित ₹ 10.40 लाख की शास्ति के प्रति आयकर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की। मामले को निपटाने के लिए निर्धारिती ने 03/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना 2020 का विकल्प चुना। डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना करते समय, डीए ने ₹ 10.22 लाख निर्धारित किए, जिसमें विवादित कर एवं विवादित शास्ति का 25 *प्रतिशत* सम्मिलित था, एवं 10/12/2020 को प्रपत्र-3 जारी किया। निर्धारिती के पूर्व भुगतान किए गए करों के समायोजन के पश्चात, विभाग द्वारा दिनांक 05/04/2021 को प्रपत्र-5 जारी किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि देय राशि का निर्धारण करते समय निर्धारिती को ₹ 2.60 लाख की शास्ति माफ कर देनी चाहिए, जो नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.60 लाख की अतिरिक्त मांग हुई। अनुचित तरीके से शास्ति का लगाया जाना निर्धारिती के लिए अनुचित कठिनाई बन सकता है, साथ ही उन्हें उस सीमा तक योजना का लाभ लेने से भी वंचित कर सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

[24] असम(1), दिल्ली(1), कर्नाटक(1), राजस्थान(3), ओडिशा(3) और तेलंगाना(1)।

अध्याय 6 आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता, अनुवीक्षण एवं योजना की प्रभावोत्पादकता

इस अध्याय में विभाग में आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता एवं अनुवीक्षण तंत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें योजना की प्रभावोत्पादकता भी सम्मिलित है। किसी भी योजना की सफलता के लिए निरंतर अनुवीक्षण एवं सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि योजना के सफल कार्यान्वयन एवं उसके इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण एवं अनुवीक्षण तंत्र स्थापित किए गए या नहीं।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने विभाग को एक प्रश्नावली जारी की जिसमें डीटीवीवीएस मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति, विवादित कर की गणना की अनुवीक्षण के लिए लागू तंत्र (निर्देश/मानक परिचालन प्रक्रिया), प्रपत्र जारी करने की समय-सीमा, निपटाए गए मामलों की संख्या एवं डीटीवीवीएस योजना के माध्यम से एकत्रित कुल राजस्व संग्रह आदि के बारे में जानकारी मांगी गई।

पीसीआईटी से प्राप्त श्रेणीवार प्रतिक्रियाओं पर आगे के अनुच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गई है।

6.1 आयकर विभाग द्वारा डीटीवीएसवी योजना के मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा एक नियंत्रण तंत्र है जो विभाग के कामकाज के संबंध में हितधारकों को उचित आश्वासन प्रदान करता है एवं इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुधारों में सहायता करता है।

आयकर विभाग मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि योजनाओं के अंतर्गत निर्धारण सही ढंग से पूरे किए जाएं। प्रत्येक क्षेत्राधिकारी में आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग निर्धारण मामलों का आंतरिक लेखापरीक्षा करती है।

डीटीवीएसवी योजना के मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में, लेखापरीक्षित 169 पीसीआईटी में से 100 पीसीआईटी से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं; शेष 69 पीसीआईटी की प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा थी (जून 2026)। इन 100 पीसीआईटी में से, विभाग द्वारा किसी की भी आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई। इसके अलावा, दो पीसीआईटी (कोयंबटूर-1 एवं टीडीएस कोयंबटूर) ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग के अधिकारी घोषणाकर्ताओं से प्राप्त प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 में आवेदनों के सत्यापन के लिए गठित समिति का हिस्सा थे। विभाग का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा कार्य कार्यकारी कार्य से स्वतंत्र होना चाहिए।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में ₹ 1,675.65 करोड़ की महत्वपूर्ण राजस्व राशि से संबंधित 389 अभ्युक्तियाँ पाई गईं (इस प्रतिवेदन के अध्याय 5 का संदर्भ लें), जैसे कि निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना करते समय उचित सावधानी न बरतना, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 244ए के अंतर्गत मामले के निपटारे के दौरान निर्धारिती को देय अनुचित ब्याज का अनाहरण, आयकर अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत तलाशी एवं जब्ती अभियान में प्राप्त जानकारी के आधार पर मामले को दोबारा खोले जाने के बावजूद डीटीवीएसवी योजना के उद्देश्य से तलाशी मामले के निपटान में एकरूपता न होना आदि। इन सभी मामलों में, आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव था, जिसके कारण त्रुटियों का पता नहीं चल सका एवं परिणामस्वरूप राजकोष को राजस्व की हानि हुई।

अनुशंसा 9:

सीबीडीटी, डीटीवीएसवी योजना के संदर्भ में सीबीडीटी द्वारा तय किए जाने वाले कर प्रभावों की एक निश्चित सीमा के मामलों को समावेशित करते हुए, एक आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करे, ताकि योजना के घोषित उद्देश्यों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन एवं निष्पादन के विषय में उचित आश्वासन प्रदान किया जा सके।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि "माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 22/08/2024 को रिट याचिका (सी) संख्या 17323/2022 में सतीश कुमार ढिंगरा बनाम सहायक आयकर आयुक्त के मामले में अपने आदेश में, डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 की धारा 5(1) एवं 5(3) के प्रावधानों पर भरोसा

करते हुए यह माना है कि डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 के अंतर्गत घोषणाकर्ता द्वारा देय कर राशि निर्धारित करने वाला नामित प्राधिकारी (डीए) का आदेश अंतिम एवं निर्णायक है एवं इसे आयकर अधिनियम या किसी अन्य प्रचलित कानून के अंतर्गत पुनः नहीं खोला या संशोधित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, यह महसूस किया कि आंतरिक लेखापरीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य, यानी किसी आदेश में त्रुटि पाए जाने पर उपचारात्मक कार्रवाई करना एवं राजस्व घाटे की वसूली करना, डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 के अंतर्गत पारित आदेशों की आंतरिक लेखापरीक्षा करके पूरा नहीं होगा। इस तथ्य एवं उपलब्ध सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, विभाग की ओर से, इस मुद्दे पर सीएजी की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत आदेश में यह प्रावधान है कि एफएक्यू संख्या 46, एफ. संख्या जे.टी(ए)/1/2020-टीपीएल परिपत्र संख्या 9 दिनांक 22 अप्रैल 2020 के अनुसार, नामित प्राधिकारी को डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 की धारा 5 के अंतर्गत अपने आदेश में संशोधन करने एवं किसी भी स्पष्ट त्रुटि को सुधारने का अधिकार होगा।

इसके अतिरिक्त, सीमित संसाधनों के संबंध में, लेखापरीक्षा का मत है कि आयकर विभाग के पास इस उद्देश्य के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग के रूप में एक समर्पित व्यवस्था है। अतः, इस योजना के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन मामलों की लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा समयबद्ध तरीके से की जानी आवश्यक है।

6.2 डीटीवीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामलों के निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)/दिशानिर्देश संबंधित प्राधिकारी को किसी विशिष्ट कार्य को कुशलतापूर्वक**,** एकरूपता से एवं सुचारू रूप से करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा किए गए 169 पीसीआईटी से डीटीवीएसवी योजना से संबंधित मामलों के निपटान के लिए एसओपी की उपलब्धता बारे में पूछताछ

की, जिनमें से केवल 83 पीसीआईटी ने लेखापरीक्षा प्रश्नों का उत्तर दिया। इनमें से 63 पीसीआईटी ने बताया कि उनके पास डीटीवीएसवी योजना से संबंधित मामलों के निपटान के लिए एसओपी है**,** जबकि 20 पीसीआईटी ने बताया कि उन्हें विभाग से ऐसी कोई एसओपी प्राप्त नहीं हुई है। शेष 86 पीसीआईटी से उत्तर की प्रतीक्षा थी (फरवरी 2025)। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एसओपी को सभी संबंधित पीसीआईटी तक पर्याप्त रूप से प्रसारित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 34 मामलों में (इस प्रतिवेदन के अध्याय 5 के पैरा 5.3 का संदर्भ लें), संबंधित प्रावधानों में स्पष्टता की कमी के कारण तलाशी मामलों के निपटान में एकरूपता नहीं थी**,** जिसके परिणामस्वरूप इस योजना के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि का गलत निर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 55 मामलों में (इस प्रतिवेदन के अध्याय 5 के पैरा 5.2 का संदर्भ लें), धारा 244ए के अंतर्गत निर्धारिती को भुगतान किए गए अनुचित ब्याज की वसूली न करने के कारण राजकोष को राजस्व की हानि हुई।

स्पष्ट दिशा-निर्देशों/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के के व्यापक संचरण के अभाव में, नामित अधिकारी ने डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत मामलों के निपटारे में एकरूपता नहीं अपनाई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः राजकोष को राजस्व की हानि हुई, जिसे सीबीडीटी, सभी डीए/पीसीआईटी को, एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) या निर्देश जारी करके टाल सकता था, जिससे एकरूपता बनी रहती एवं योजना का वांछित उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता था।

अनुशंसा 10:

सीबीडीटी, ऐसी योजना को लागू करने से पूर्व समान परिस्थितियों में प्रासंगिक प्रावधानों के अनुप्रयोग में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया/अनुदेशों//दिशानिर्देशों को जारी करने पर विचार करे।

मंत्रालय ने (अगस्त 2025 में) उत्तर दिया कि योजना एवं उसके नियमों के सभी प्रावधान समान परिस्थितियों में समान रूप से लागू होते हैं। इसके अलावा, समान परिस्थितियों में समान मामलों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए,

नामित अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान करने वाले परिपत्रों के माध्यम से कई निर्देश जारी किए गए, उदाहरण के लिए, करदाता एवं विभागीय अधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से परिपत्र संख्या 9 एवं 21 (जिनमें 89 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सम्मिलित हैं) जारी किए गए। सुझाव पर पहले ही ध्यान दिया गया है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि गणना में त्रुटियों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निर्देश/मार्गदर्शन नोट्स उपलब्ध होने के बावजूद, वे या तो अपर्याप्त थे या उनका इच्छित तरीके से पालन नहीं किया गया। समय पर, उपयुक्त एवं उचित कार्रवाई के लिए उच्च स्तर पर इनकी अनुवीक्षण आवश्यक था।

6.3 अपीलीय प्राधिकरण के साथ समन्वय का अभाव

डीटीवीएसवी नियम 2020 के नियम 5 के अनुसार, नामित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार किए गए भुगतानों का विवरण, अपील, आपत्ति, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका, मध्यस्थता, सुलह, मध्यस्थता या घोषणाकर्ता द्वारा नामित प्राधिकारी के समक्ष दायर किए गए दावे के प्रमाण के साथ प्रपत्र-4 में प्रस्तुत किया जाएगा।

तीन राज्यों[25] के पांच मामलों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत मामले की कार्यवाही की गई एवं संबंधित अपीलीय मंच से अपील वापस लेने के पश्चात अंततः उसका निपटारा किया गया। हालांकि, संबंधित अपीलीय मंच में अपील की स्थिति लंबित दिखाई गई (***अनुलग्नक 6.1 देखें***)। इसके अलावा, दिल्ली के एक मामले में, डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत प्रपत्र-5 जारी करके पूर्ण एवं अंतिम निपटारे के रूप में मामले का निपटारा किया गया। हालांकि, डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत इस मामले के निपटारे के पश्चात अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील आदेश के माध्यम से निर्धारिती के पक्ष में अपील का निपटारा किया गया (***अनुलग्नक 6.1 देखें***)। इससे विभाग एवं अपीलीय मंच के बीच समन्वय की कमी स्पष्ट होती है। इसके अलावा, इससे अपील के लंबित होने एवं अवरुद्ध राजस्व गलत रिपोर्टिंग भी होगी।

[25] दिल्ली (3), असम (1), उत्तर प्रदेश (1)

इसके दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(i) दिल्ली में, पीसीआईटी-7 प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स एस60 लिमिटेड के मामले में, निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, निर्धारिती ने आयकर अपीलीय प्राधिकरण (आईटीएटी) द्वारा ₹ 31.26 करोड़ की बरकरार रखी गई संवर्धित राशि के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, एवं विभाग आयकर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष, ₹ 14.93 करोड़ की दी गई राहत के खिलाफ अपील की थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 24/10/2020 को एक घोषणा पत्र दाखिल करके डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। मामले को दिनांक 04/03/2021 को प्रपत्र-5 जारी करके पूर्ण एवं अंतिम निपटारे के रूप में निपटाया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित अपील अभी भी अपीलीय प्राधिकरण के पास लंबित दिखाई दे रही है। इससे विभाग एवं अपीलीय मंच के बीच समन्वय की कमी का पता चलता है। इसके परिणामस्वरूप मामले की स्थिति की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। यह अभ्युक्ति फरवरी 2024 में विभाग को जारी की गई। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया (जून 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।)

(ii) दिल्ली में, पीसीआईटी-7 प्रभार के अंतर्गत, एक कंपनी, मेसर्स एस47 प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए, विभाग ने आयकर अपीलीय प्राधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष ₹ 29.45 करोड़ की राहत के प्रति अपील दायर की। निर्धारिती ने 30/03/2021 को एक घोषणा पत्र दाखिल करके डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए ने 16/06/2021 को प्रपत्र-3 जारी किया, जिसमें देय राशि शून्य थी एवं यह टिप्पणी की थी कि 'निर्धारिती ₹ 72.60 करोड़ के कम संचयी अनावशोषित घाटे एवं ₹ 1.85 करोड़ के अनावशोषित मूल्यह्रास के साथ-साथ शून्य एमएटी क्रेडिट को आगे ले जाने का अधिकारी है।' निर्धारिती ने 23/08/2021 को प्रपत्र-4 के साथ आयकर अपीलीय प्राधिकरण से अपील वापस लेने के लिए आवेदन की एक प्रति भी दाखिल किया। तदनुसार, डीए ने 15/09/2021 को मामले के पूर्ण एवं अंतिम निपटारे के लिए प्रपत्र-5 जारी किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर अपीलीय प्राधिकरण ने अपील वापस लेने का आदेश जारी करने के बजाय, 10/11/2021 को निर्धारिती के पक्ष में नियमित अपील आदेश पारित किया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ फरवरी 2024 में जारी की गई। विभाग की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (फरवरी 2025)। विभाग से कोई उत्तर न मिलने के कारण, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि इस मामले में परिणामी प्रभाव आदेश पारित किया गया या नहीं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा को अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि विभाग ने इस अपील आदेश को रद्द घोषित किया था, क्योंकि निर्धारिती का मामला डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत पहले ही निपटाया जा चुका था। साथ ही, अभिलेखों में मामले की अद्यतन स्थिति न होने के कारण, क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी द्वारा इस अपील आदेश को प्रभावी बनाने वाले आदेश को अनुचित तरीके से पारित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

6.4 डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत संसाधित मामलों का अनुवीक्षण

लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा विभाग ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि क्या डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत संसाधित मामलों पर निर्धारित समय-सीमा के संदर्भ में नज़र रखने एवं योजना के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई अनुवीक्षण तंत्र मौजूद है, ताकि योजना के इच्छित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने विभाग से विभिन्न प्रकार की जानकारी मांगी, जैसे कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई कार्य योजना (यदि कोई हो), जिसमें संबंधित प्राधिकरण की भूमिका एवं जिम्मेदारियां, क्षेत्रवार या आयकर आयुक्त-वार निर्धारित लक्ष्य, अनुवीक्षण तंत्र, विभाग द्वारा आयोजित मध्यावधि समीक्षा आदि सम्मिलित हैं।

विभाग ने (जून 2024 में) बताया कि पिछले कुछ वर्षों में लंबित अपीलों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं इन अपीलों में भारी मात्रा में विवादित बकाया कर (30 नवंबर 2019 तक ₹ 9.32 लाख करोड़) फंसा हुआ है। कर विवादों में सरकार एवं करदाताओं दोनों के समय, ऊर्जा एवं संसाधनों की भारी बर्बादी होते हैं एवं सरकार को समय पर राजस्व संग्रह से भी वंचित करते हैं। इसलिए, लंबित कर विवादों के समाधान के लिए प्रावधान करना आवश्यक था ताकि

सरकार के लिए समय पर राजस्व प्राप्त हो सके एवं इस योजना का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के लिए समय, ऊर्जा एवं संसाधनों की बचत हो सके।

प्रारंभिक चरण के दौरान, केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई/एसपीएसई) से संबंधित मुकदमों के कारण लंबित कर मांगों के संबंध में एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया। सीबीडीटी ने आगे कहा (जून 2024) कि क्षेत्रीय इकाइयों के निष्पादन के आकलन के लिए, फरवरी 2020 में क्षेत्रीय इकाइयों को योजना के अंतर्गत पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले विवादित कर मांगों के 100 प्रतिशत मामलों का लक्ष्य दिया गया। इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाले मुद्दों, हितधारकों द्वारा मांगी गई स्पष्टीकरणों, कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए करदाताओं एवं क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों आदि को परिपत्रों/स्पष्टीकरणों/ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों आदि के माध्यम से समय पर संबोधित किया गया। सीबीडीटी ने यह भी कहा कि वित्त सचिव एवं सीबीडीटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित उच्च अधिकारियों द्वारा विभिन्न वेबएक्स बैठकों एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की लगातार अनुवीक्षण किया गया।

इसके अलावा, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय इकाइयों को योजना के अंतर्गत कम से कम 30 प्रतिशत मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखने का निर्देश दिया गया। सभी पीसीसीआईटी को पीसीआईटी के निष्पादन एवं लंबित मामलों के निपटान की रणनीति पर व्यक्तिगत प्रतिक्रिया लेने का भी निर्देश दिया गया। लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक कुछ रणनीतियों पर चर्चा की गई, जिनमें ई-अभियान, एसएमएस एवं करदाताओं को विनम्रतापूर्वक समझाना सम्मिलित थे। क्षेत्रीय इकाइयों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले एसपीएसई के मामलों पर भी अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

लेखापरीक्षा ने सीबीडीटी के उत्तर से पाया कि योजना 100 प्रतिशत मामलों के निपटारे के लक्ष्य के साथ शुरू की गई, जिसे पश्चात में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण 30 *प्रतिशत* तक संशोधित किया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा को इस योजना के अंतर्गत मामलों के निपटारे के लक्ष्य के निर्धारण से संबंधित

कोई दस्तावेज अभिलेखों में नहीं मिला। इसके अलावा, 30 *प्रतिशत* का लक्ष्य निर्धारित करने का तर्क भी लेखापरीक्षा के साथ साझा नहीं किया गया।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा को ऐसे कोई दस्तावेज़ भी नहीं मिले जिनसे यह संकेत मिलता हो कि आयकर विभाग के क्षेत्रीय इकाइयों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले एसपीएसई (विशेष विकास उपक्रमों) के मामलों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। लेखापरीक्षा को अभिलेखों में ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिला जिससे यह पता चलता हो कि विभाग द्वारा एसपीएसई/सीपीएसई से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए समन्वित प्रयास किए गए।

उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि डीटीवीएसवी योजना 2020 के सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त अनुवीक्षण तंत्र मौजूद था या नहीं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

6.5 अन्य प्रासंगिक मुद्दे

जनवरी 2024 में आईटीबीए के आयकर लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि डीटीवीएसवी योजना 2020 के संबंध में, सीपीसी-आईटीआर से संबंधित, प्रतिदाय, मांग, तकनीकी त्रुटियों आदि से संबंधित 1,845 शिकायतें पूरे भारत में दर्ज की गईं। लेखापरीक्षा विभाग ने पाया कि ये शिकायतें निर्धारिती एवं संबंधित निर्धारण अधिकारियों (एओ) द्वारा दर्ज की गई। कुछ मुद्दों में एओ द्वारा डीटीवीएसवी योजना के आदेशों को प्रणाली में अद्यतित न कर पाना सम्मिलित था; डीटीवीएसवी योजना के भौतिक आदेशों को अद्यतित करने के बावजूद, सीपीसी पोर्टल पर "इस रिकॉर्ड के लिए कोई डेटा नहीं मिला" प्रदर्शित हुआ; यद्यपि डीटीवीएसवी योजना के लिए परिणामी प्रभाव आदेश (सीईओ) को आईटीबीए प्रणाली में भौतिक रूप से अद्यतित किया गया, प्रतिदाय की स्थिति "प्रतिदाय अनुमोदन अस्वीकृत" दिखाई गई, एवं प्रतिदाय अस्वीकृति के कारण आईटीबीए में दर्ज नहीं किए गए। विभाग ने इन समस्याओं को हल करने में 357 दिनों तक का समय लिया।

लेखापरीक्षा में यह भी नोट किया गया कि 1,845 मामलों में से 281 मामलों में, जहां शिकायतें दर्ज कराई गई थी, विभाग को शिकायतें को हल करने में

30 दिनों से अधिक का समय लिया। उपरोक्त 281 मामलों में से; 130 मामलों में, विभाग को 31 दिनों से 50 दिनों तक का समय लगा; 98 मामलों में, 51 दिनों से 100 दिनों तक; 43 मामलों में, 101 दिनों से 200 दिनों तक; और 10 मामलों में, 201 दिनों से 357 दिनों के तक। लेखापरीक्षा में यह भी नोट किया गया कि कुछ मामलों में मुद्दों को पूरी तरह से हल नहीं किया गया था जबकि दो मामलों में मुद्दों को बिल्कुल भी हल नहीं किया गया था।

इससे पता चलता है कि डीटीवीएसवी योजना 2020 के संबंध में कई मुद्दे सामने आए, जिनका समाधान या तो काफी समय विलंब से किया गया या पूरी तरह से नहीं किया गया या नहीं किया गया। इससे न केवल निर्धारिती को बल्कि विभाग को भी मामलों का शीघ्र एवं उचित निपटान करने में असुविधा हो सकती है, जिससे योजना के घोषित उद्देश्य की पूर्ति न होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। लेखापरीक्षा इन मामलों में अंतिम परिणाम का पता नहीं लगा सका, जिसके लिए सीबीडीटी जांच कर उचित उपचारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

6.6 योजना की प्रभावोत्पादकता

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के प्रारंभ में मार्च 2020 में बताए अनुसार, इस योजना का उद्देश्य लंबित आयकर मुकदमों को कम करना एवं सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करना था।

लेखापरीक्षा ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने का प्रयास किया और इसके लिए अगस्त 2023/मार्च 2024 में सीबीडीटी से, 31 जनवरी 2020 तक अवरुद्ध राशि के साथ विभिन्न अपीलीय मंचों पर लंबित एवं प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के लिए पात्र मामलों से संबंधित प्रासंगिक डेटा/जानकारी मांगी गई। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या (यानी प्रपत्र-1/प्रपत्र-2), उन मामलों की संख्या जहां विभाग द्वारा प्रपत्र-3 जारी किया गया, निर्धारिती द्वारा प्रपत्र-4 जमा किया गया, एवं उन मामलों की संख्या जहां विभाग द्वारा प्रपत्र-5 जारी किया गया, भी मांगी। इसके अलावा, सीबीडीटी से डीटीवीएसवी

योजना 2020 के अंतर्गत निपटाए गए मामलों की संख्या एवं उस पर एकत्रित कुल राजस्व की जानकारी भी मांगी गई।

उपरोक्त के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने उन मामलों की संख्या भी पूछी जहां निर्धारिती द्वारा भुगतान किए जाने एवं प्रपत्र-4 के माध्यम से भुगतान विवरण प्रस्तुत किए जाने के बावजूद प्रपत्र-5 जारी नहीं किया गया। सीबीडीटी ने मई 2024 में आंशिक रूप से आंकड़े उपलब्ध कराए। हालांकि सीबीडीटी ने 31 जनवरी 2020 तक अपील के अंतर्गत लंबित कुल मामलों की संख्या प्रस्तुत की, लेकिन डीटीवीएसवी योजना 2020 के लिए पात्र मामलों का विवरण सीबीडीटी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, यह कहते हुए कि डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 के लिए पात्र अपील मामलों की संख्या एवं अवरुद्ध राशि उपलब्ध नहीं थी क्योंकि पात्रता डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 9[26] में उल्लिखित कई शर्तों पर निर्भर करती है।

6.6.1 डीटीवीएसवी योजना के लिए पात्र मामलों की संख्या के अभाव होने के कारण, लेखापरीक्षा विभाग ने 31 जनवरी 2020 तक अपील में लंबित कुल मामलों एवं उनमें अवरुद्ध राजस्व का विश्लेषण किया, जिसमें डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निपटाए गए मामलों एवं उनसे एकत्रित राजस्व को भी सम्मिलित किया गया है, जिसे नीचे तालिका 6.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 6.1: अपील के अधीन लंबित कुल मामलों की संख्या बनाम डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निपटाए गए मामले

अपील के अधीन लंबित मामलों की संख्या (31 जनवरी 2020 तक)		**डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निपटाए गए मामले (दिनांक 22 जुलाई 2022 तक)**		**डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत एकत्रित राजस्व (दिनांक 22 जुलाई 2022 तक)**	
कुल मामले	**अवरुद्ध राशि (₹ करोड़ में)**	**मामलों की संख्या**	***प्रतिशत* (कॉलम 1 देखें)**	**राशि (₹ करोड़ में)**	***प्रतिशत* (कॉलम 2 देखें)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
4,14,942	10,08,558	1,06,305	25.6	71,924	7.1

स्रोत: सीबीडीटी के दिनांक 16/05/2025 के पत्र के अनुसार।

तालिका 6.1 से स्पष्ट है कि 31 जनवरी 2020 तक विभिन्न अपीलीय मंचों पर लंबित कुल 4.15 लाख मामलों में से 1.06 लाख मामलों का निपटारा हो

[26] डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 की धारा 9 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित मामलों से संबंधित कर बकाया पर लागू नहीं होंगे: तलाशी के मामले, यदि विवादित कर राशि पांच करोड़ रुपये से अधिक है, भारत के बाहर स्थित किसी स्रोत से प्राप्त अघोषित आय, कोई भी व्यक्ति जिसके संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत घोषणा दाखिल करने से पहले या उस तारीख को हिरासत का आदेश जारी किया गया हो, आदि।

चुका है, जिनमें से 22 जुलाई 2022 तक डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत ₹ 71,924 करोड़ (कुल अवरुद्ध राशि का 7.1 *प्रतिशत*) वसूल किया गया है।

31 जनवरी 2020 तक पात्र लंबित मामलों एवं उनमें अवरुद्ध राजस्व के पूर्ण आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा इस योजना के अंतर्गत कुल लंबित पात्र मामलों की संख्या और इन लंबित मामलों में कुल अवरुद्ध राशि के अनुपात में निपटारे किए गए मामलों की संख्या एवं इनमें अवरुद्ध कुल राशि को निर्धारित नहीं कर सकी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

6.6.2 लेखापरीक्षा ने योजना के तहत अंतिम रूप से तय मामलों के संबंध में विभाग द्वारा प्रपत्र-3 जारी करने में देरी और प्रपत्र-4 (भुगतान विवरण प्रस्तुत करने) और जमा करने में निर्धारिती द्वारा और निर्धारिती को जारी किए गए प्रपत्र-5 का भी विश्लेषण किया। विश्लेषण का परिणाम नीचे तालिका 6.2 में दिया गया है:

तालिका 6.2: प्रपत्र-3 जारी करने एवं प्रपत्र-4 जमा करने के बीच समय अंतराल की सीमा

समय अंतराल की सीमा (दिनों में)	निर्धारित 15 दिनों के पश्चात विभाग द्वारा जारी किया गया प्रपत्र-3		प्रपत्र-3 प्राप्त होने के पश्चात निर्धारिती द्वारा जमा किया गया प्रपत्र-4	
	संख्या	*प्रतिशत*	*संख्या*	*प्रतिशत*
0-15	36,003	32.3	13,238	17.6
16-30	23,207	20.8	7,725	10.3
31-100	26,645	23.9	31,315	41.6
101-200	12,942	11.6	11,909	15.8
201-300	10,436	9.4	9,928	13.2
301-400	1,295	1.2	876	1.2
401-500	388	0.3	170	0.2
>500	476	0.4	61	0.1
Total	**1,11,392**	**100.0**	**75,222@**	**100.0**

स्रोत: सीबीडीटी द्वारा दिनांक 16/08/2023 को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।
$ प्रपत्र-4 जमा करने की तिथि उपलब्ध न होने की स्थिति में, विवादित कर के भुगतान की तिथि को ही प्रपत्र-4 जमा करने की तिथि माना गया है।
@ शेष 36,170 मामलों में, सीबीडीटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में विवादित कर के भुगतान की तिथि उपलब्ध नहीं थी या विवादित कर का भुगतान प्रपत्र-3 जारी होने से पहले ही कर दिया गया।

उपरोक्त तालिका 6.2 से यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त 1,11,392 मामलों में से अधिकांश मामलों (68 *प्रतिशत*) में, प्रपत्र-1 एवं 2 प्राप्त होने के 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्रपत्र-3 जारी किया गया। इसके अलावा,

2,159 मामलों में, प्रपत्र-3, 301 से 1,128 दिनों के लंबे अंतराल के पश्चात जारी किया गया।

प्रपत्र-4 जारी करने के संबंध में, यह पाया गया कि अधिकांश मामलों (82.4 *प्रतिशत*) में, विभाग द्वारा प्रपत्र-3 जारी किए जाने के पश्चात, प्रपत्र-4 जमा करने के लिए निर्धारित 15 दिनों की समय सीमा के पश्चात, निर्धारिती द्वारा प्रपत्र-4 जमा किया गया। इसके अलावा, 1,107 मामलों में, प्रपत्र-4, 301 से 898 दिनों के लंबे अंतराल के पश्चात जमा किया गया। लेखापरीक्षा में यह पता नहीं चल सका कि विभाग ने इन निर्धारितियों से अपेक्षित राशि का भुगतान करवाने और फॉर्म-4 जमा करवाने के लिए क्या कार्रवाई की।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

6.6.3 लेखापरीक्षा में डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत निपटाए गए मामलों का विश्लेषण, डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुनने वाले निर्धारिती से प्राप्त कुल आवेदनों के संदर्भ में किया गया। विश्लेषण का परिणाम तालिका 6.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 6.3: निर्धारिती से प्राप्त आवेदन एवं डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निपटाए गए मामले

डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या*	अवरुद्ध राजस्व* (₹ करोड़ में) (स्तंभ 1 देखें)	विभाग द्वारा जारी प्रपत्र-3 वाले मामलों की संख्या# (स्तंभ 1 देखें)	निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र-4 वाले मामलों की संख्या# (स्तंभ 3 देखें)	अंततः निपटाए गए मामलों की संख्या* (विभाग द्वारा जारी प्रपत्र-5) (दिनांक 22 जुलाई 2022 तक) (स्तंभ 1 देखें)	एकत्रित राजस्व* (₹ करोड़ में) (दिनांक 22 जुलाई 2022 तक) (स्तंभ 2 देखें)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,31,925	99,463	1,31,690 (99.8%)	1,19,363 (90.6%)	1,06,305 (89.1%)	71,924 (72.3%)

स्रोत: सीबीडीटी

*दिनांक 16/05/2024 के पत्र के अनुसार; #दिनांक 21/05/2024 के पत्र के अनुसार

जैसा कि तालिका 6.3 से स्पष्ट है कि इस योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल 1.32 लाख आवेदनों में से, जिनका राजस्व पर प्रभाव ₹ 0.99 लाख करोड़ था, 1.06 लाख (कुल आवेदनों का 89.1 *प्रतिशत*) मामलों का निपटारा किया गया एवं कुल ₹ 71,924 करोड़ (कुल आवेदन राशि का 72.3 *प्रतिशत*) का राजस्व एकत्र किया गया।

इसके अतिरिक्त, 1.32 लाख मामलों में से, जहां निर्धारिती ने डीटीवीएसवी योजना 2020 का विकल्प चुना था, 12,327 (9.4 *प्रतिशत*) मामलों में प्रपत्र-4 जमा नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इन निर्धारिती से अपेक्षित राशि का भुगतान करवाने एवं प्रपत्र-4 जमा करवाने के लिए की गई कार्रवाई का पता नहीं लगा सकी। इसके अलावा, 1.19 लाख मामलों में से, जहां निर्धारिती द्वारा इस योजना के अनुसरण में प्रपत्र-4 जमा किया गया, 16/05/2024 तक 1.06 लाख मामलों में प्रपत्र-5 जारी किया गया, जिससे अंतिम रूप देने के लिए 13,000 से अधिक मामले (11 *प्रतिशत*) लंबित रह गए। सीबीडीटी द्वारा लंबित मामलों के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान, प्रपत्र-5 जारी न किए जाने के विशिष्ट प्रश्न पर, जहां निर्धारिती ने पहले ही प्रपत्र-4 जमा कर दिया था, विभाग, अर्थात् पीसीआईटी-15, दिल्ली; पीसीआईटी-7, दिल्ली ने (मार्च/मई 2024) बताया कि प्रचलित कोविड-19 महामारी, अपील वापस न लेने, चालान जमा न करने, चालान के सत्यापन आदि जैसे विभिन्न कारणों से प्रपत्र-5 जारी नहीं किया गया।

इसलिए, इन मामलों में, निर्धारितियों द्वारा अपेक्षित राशि के भुगतान और प्रपत्र-4 जमा करने के बावजूद, विभाग इन मामलों का समय पर निपटारा करने में सक्षम नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारितियों को असुविधा हो सकती है। इसके अलावा, जिन मामलों में प्रपत्र-4 निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, उनमें जमा करवाने हेतु कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को नुकसान हो सकता है।

इस प्रकार, 31 जनवरी 2020 तक विभिन्न अपीलीय मंचों में ₹ 10.09 लाख करोड़ के अवरुद्ध राजस्व के साथ लंबित कुल 4.15 लाख मामलों में से, इस योजना के तहत निपटान के लिए ₹ 0.99 लाख करोड़ के अवरुद्ध राजस्व वाले 1.32 लाख मामलों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए। यह स्पष्ट है कि यद्यपि मामलों की संख्या के संदर्भ में, इस योजना का विकल्प चुनने वाले, कुल लंबित मामलों का 31.8 *प्रतिशत* थे, राजस्व के संदर्भ में, यह केवल 9.8 *प्रतिशत* था।

इसके अलावा, इस योजना के तहत, 1.06 लाख मामलों (प्राप्त कुल आवेदनों का 89.1 *प्रतिशत*) का निपटारा किया गया और योजना के प्रावधानों के अनुसार

ब्याज/जुर्माना माफ करने के बाद ₹ 71,924 करोड़ (कुल आवेदन राशि का 72.3 *प्रतिशत*) का राजस्व एकत्र किया गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

अनुशंसा 11:

सीबीडीटी, ऐसी योजना के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण, इसकी प्रभावकारिता निर्धारित करने एवं प्रक्रिया सुधार के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तैयार करे और आंकड़ों का अनुरक्षण करे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

नई दिल्ली **(मोनिका वर्मा)**
दिनांक: 15 जुलाई 2026 **महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 16 जुलाई 2026 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक

अनुलग्नक 2.1
लेखापरीक्षा नमूनाकरण पद्धति
(पैरा 2.4 और 3.2.1 का संदर्भ लें))

लेखापरीक्षा नमूना मामलों का चयन इस प्रकार से किया गया कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता लेखापरीक्षा कार्यालयों में से प्रत्येक द्वारा 400 मामले (शाखा कार्यालयों को छोड़कर), चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा 300 मामले (शाखा कार्यालयों को छोड़कर); अहमदाबाद और चंडीगढ़ लेखापरीक्षा कार्यालयों में से प्रत्येक द्वारा 200 मामले (शाखा कार्यालयों को छोड़कर); और शाखा कार्यालयों (प्रयागराज, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, ग्वालियर, जयपुर, कोच्चि, पटना और रांची) के संबंध में 120 मामले जांच के लिए उठाए गए। उपरोक्त मामलों का चयन करते समय, निम्नलिखित चरणों का पालन किया गया:

i. डेटाबेस को मामले की स्थिति के आधार पर पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया अर्थात 'प्रपत्र-5 जारी किया गया', 'संशोधन के कारण कार्रवाई न करने योग्य', 'निर्धारिती से प्रतीक्षित प्रपत्र-4', 'अस्वीकृत' एवं अन्य।

ii. श्रेणी 'प्रपत्र-5 जारी किया गया' के अंतर्गत आने वाले मामलों को आगे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया जैसे कि निर्धारिती की स्थिति के आधार पर कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट (पैन के माध्यम से पहचाना गया)

iii. आगे, इन दो उप-श्रेणियों के अंतर्गत मामलों को निर्धारण वर्ष (नि.व.) के आधार पर दो समूहों में पृथक किया गया जैसे की नि.व. 2012-13 से पूर्व के मामले और नि.व. 2012-13 के पश्चात के मामले।

iv. इसके आगे, नि.व. के आधार पर उपरोक्त दो समूहों को पीसीआईटी प्रभार के आधार पर केंद्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अन्य तीन उप-समूहों में विभाजित किया गया।

v. अब प्रत्येक कार्यालय के लिए निर्धारित मामलों की संख्या (जैसा उपरोक्त वर्णित है) यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति का उपयोग कर, निम्नलिखित प्रकार से चयनित की गई:

क. 2012-13 से पूर्व नि.व. वाले केंद्रीय प्रभार के अंतर्गत आने वाले कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित, निर्धारित नमूना आकार की कुल संख्या का 15 *प्रतिशत।*

ख. 2012-13 से पूर्व नि.व. वाले एवं केंद्रीय प्रभार के अंतर्गत आने वाले गैर-कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित निर्धारित नमूना आकार की कुल संख्या का 10 *प्रतिशत।*

ग. 2012-13 के पश्चात केंद्रीय प्रभार के अंतर्गत आने वाले कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित, निर्धारित नमूना आकार की कुल संख्या का 10 *प्रतिशत।*

घ. 2012-13 के पश्चात नि.व. वाले एवं केंद्रीय प्रभार के अंतर्गत आने वाले गैर-कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित, निर्धारित नमूना आकार की कुल संख्या का पाँच *प्रतिशत।*

ड. 2012-13 से पूर्व नि.व. वाले अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रभार के अंतर्गत आने वाले कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित, निर्धारित नमूना आकार की कुल संख्या का 10 *प्रतिशत।*

च. 2012-13 से पूर्व नि.व. वाले एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रभार के अंतर्गत आने वाले गैर-कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित, निर्धारित नमूना आकार की कुल संख्या का 2.5 *प्रतिशत।*

छ. 2012-13 के पश्चात नि.व. वाले एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रभार के अंतर्गत आने वाले कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित निर्धारित नमूना आकार की कुल संख्या का पाँच *प्रतिशत।*

ज. 2012-13 के पश्चात नि.व. वाले एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रभार के अंतर्गत आने वाले गैर-कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित निर्धारित नमूना आकार की कुल संख्या का ढाई *प्रतिशत।*

झ. 2012-13 से पूर्व नि.व. वाले एवं अन्य प्रभार के अंतर्गत आने वाले कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित निर्धारित नमूना आकार की कुल संख्या का 15 *प्रतिशत।*

ञ. 2012-13 से पूर्व नि.व. वाले एवं अन्य प्रभार के अंतर्गत आने वाले गैर-कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित निर्धारित नमूना आकार की कुल संख्या का साढ़े सात *प्रतिशत।*

ट. 2012-13 के पश्चात नि.व. वाले एवं अन्य प्रभार के अंतर्गत आने वाले कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित निर्धारित नमूना आकार की कुल संख्या का 12.5 *प्रतिशत।*

ठ. 2012-13 के पश्चात नि.व. वाले एवं अन्य प्रभार के अंतर्गत आने वाले गैर-कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित निर्धारित नमूना आकार की कुल संख्या का पांच *प्रतिशत।*

प्रत्येक चरण में उपरोक्त किसी भी श्रेणी (श्रेणियों) से मामलों की संख्या में कमी को अगली श्रेणी (श्रेणियों) से पूरित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, यदि उपरोक्त चयनित नमूने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय (दोनों को मिलाकर) के मामलों का प्रतिनिधित्व 50 मामलों से कम था, तो उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर (उपलब्धता के अधीन) माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के अतिरिक्त मामलों का मैनुअल रूप से चयन किया गया, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मामलों का कवरेज (विस्तार) न्यूनतम 50 मामलों तक किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, मामले की स्थिति के आधार पर 'अस्वीकृत', 'संशोधित होने के कारण कार्यवाही के अयोग्य' तथा 'निर्धारिती से प्रतीक्षित प्रपत्र-4' श्रेणियों में आने वाले मामलों को भी निम्नलिखित प्रकार से लेखापरीक्षा परीक्षण हेतु चयनित किया गया:

क. 20 मामले जहां डीटीवीएसवी योजना के लिए निर्धारिती के आवेदन को विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, प्रस्तावित लेखापरीक्षा नमूने के अतिरिक्त प्रत्येक एफएओ द्वारा कवर करने की आवश्यकता थी।

ख. 20 मामले जहां 'फाइलिंग टाइप' को 'संशोधित' के रूप में दर्शाया गया था, प्रत्येक एफएओ द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित लेखापरीक्षा नमूने के अतिरिक्त कवर करने की आवश्यकता थी, इस शर्त के अधीन कि यदि

इन मामलों को उपरोक्त लेखापरीक्षा नमूने के रूप में चयनित मामलों में सम्मिलित नहीं किया गया था।

ग. प्रत्येक एफएओ द्वारा प्रस्तावित लेखापरीक्षा नमूनों के अतिरिक्त 20 मामले भी चुने गए जहां विभाग द्वारा मामले की स्थिति 'निर्धारिती से प्रतीक्षित प्रपत्र-4' के रूप में दर्शाया गया था।

अनुलग्नक 2.2

अनुरोध किए गए मामलों की तुलना में प्रस्तुत न किए गए मामलों का राज्य-वार सारांश

(पैरा 2.6.1 का संदर्भ लें)

राज्य का नाम	अनुरोध किए गए मामले	प्रस्तुत नहीं किए गए मामले	
		संख्या	पीसीआईटी का नाम (मामले)
आंध्र प्रदेश	154	1	पीसीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम (1)
बिहार	210	2	पीसीआईटी-1, पटना (2)
चंडीगढ़	86	1	पीसीआईटी-1, चंडीगढ़ (1)
गोवा	39	2	पीसीआईटी, पणजी (2)
हरियाणा	130	3	पीसीआईटी (केंद्रीय), गुरुग्राम (1) पीसीआईटी, फ़रीदाबाद (2)
झारखंड	185	6	पीसीआईटी, राँची (1) पीसीआईटी, धनबाद (5)
कर्नाटक	388	33	पीसीआईटी-3, बेंगलूरु (6) पीसीआईटी-2, बेंगलूरु (6) पीसीआईटी-1, बेंगलूरु (7) पीसीआईटी, हुबली (1) पीसीआईटी (केंद्रीय), बेंगलूरु (11) सीआईटी, (अंतरराष्ट्रीय कराधान), बेंगलूरु (2)
मध्य प्रदेश	156	6	सीआईटी (टीडीएस), भोपाल (2) पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल(1) पीसीआईटी-1, भोपाल (1) पीसीआईटी-1, इंदौर (2)
महाराष्ट्र	640	22	पीसीआईटी, ठाणे (5) पीसीआईटी, (केंद्रीय)-2, मुंबई (2) पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-2, मुंबई (1) पीसीआईटी, (केंद्रीय), पुणे (2) पीसीआईटी-3, पुणे (2 पीसीआईटी-1, पुणे (1) पीसीआईटी-5, मुंबई (1) पीसीआईटी-2, मुंबई (3) पीसीआईटी, (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-1, मुंबई (2)

राज्य का नाम	अनुरोध किए गए मामले	प्रस्तुत नहीं किए गए मामले	
		संख्या	पीसीआईटी का नाम (मामले)
			पीसीआईटी, (केंद्रीय)-4, मुंबई (1) पीसीआईटी-19, मुंबई (1) पीसीआईटी-8, मुंबई (1)
ओडिशा	195	12	पीसीआईटी, संबलपुर (2) पीसीआईटी-1, भुवनेश्वर (10)
तमिलनाडु	516	31	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, चेन्नई (2) पीसीआईटी-4, चेन्नई (11) पीसीआईटी-3, चेन्नई (3) पीसीआईटी-1, चेन्नई (15)
तेलंगाना	276	2	पीसीआईटी-2, हैदराबाद (2)
उत्तर प्रदेश	231	2	पीसीआईटी-1, लखनऊ (1) पीसीआईटी (केंद्रीय), कानपुर (1)
सकल कुल	**2,717**	**123**	

अनुलग्नक 4.1

प्रपत्र-3 को जारी करने में विलंब

(पैरा 4.1 का संदर्भ लें)

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
आंध्र प्रदेश	सीआईटी (टीडीएस), विजयवाड़ा	2
	पीसीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम	54
	पीसीआईटी, तिरुपति	3
	पीसीआईटी, विजयवाड़ा	16
	पीसीआईटी, विशाखापत्तनम	30
	कुल	**105**
असम	पीसीआईटी (केंद्रीय), गुवाहाटी	7
	पीसीआईटी, गुवाहाटी	49
	कुल	**56**
बिहार	सीआईटी(टीडीएस), पटना	6
	पीसीआईटी-1, पटना	72
	पीसीआईटी (केंद्रीय), पटना	13
	कुल	**91**
चंडीगढ़	सीआईटी (करछूट), चंडीगढ़	1
	सीआईटी (टीडीएस-1), चंडीगढ़	1
	सीआईटी (टीडीएस-2), चंडीगढ़	1
	पीसीआईटी-1, चंडीगढ़	45
	कुल	**48**
छत्तीसगढ़	पीसीआईटी-1, रायपुर	19
	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	30
	कुल	**49**
दिल्ली	सीआईटी (करछूट), दिल्ली	5
	सीआईटी (टीडीएस)-II, दिल्ली	2
	पीसीआईटी-1, दिल्ली	46
	पीसीआईटी-10, दिल्ली	17
	पीसीआईटी-12, दिल्ली	19

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
	पीसीआईटी-15, दिल्ली	8
	पीसीआईटी-20, दिल्ली	3
	पीसीआईटी-4, दिल्ली	31
	पीसीआईटी-7, दिल्ली	45
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, दिल्ली	40
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, दिल्ली	35
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली	27
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-1, दिल्ली	21
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-2, दिल्ली	23
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-3, दिल्ली	29
	कुल	**351**
गोवा	सीआईटी(टीडीएस), पणजी	7
	पीसीआईटी, पणजी	22
	कुल	**29**
गुजरात	पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	24
	पीसीआईटी-1, राजकोट	18
	पीसीआईटी-3, अहमदाबाद	24
	पीसीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद	44
	पीसीआईटी (केंद्रीय), सूरत	24
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), अहमदाबाद	31
	पीसीआईटी, वलसाड	5
	पीसीआईटी-1, सूरत	25
	पीसीआईटी-1, वडोदरा	16
	कुल	**211**
हरियाणा	पीसीआईटी, पंचकुला	6
	पीसीआईटी, रोहतक	14
	पीसीआईटी, फ़रीदाबाद	53
	पीसीआईटी (केंद्रीय), गुरुग्राम	18
	कुल	**91**

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
जम्मू एवं कश्मीर	पीसीआईटी श्रीनगर	3
	कुल	**3**
झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	54
	पीसीआईटी, राँची	86
	कुल	**140**
कर्नाटक	सीआईटी(छूटें) बेंगलूरु	5
	सीआईटी(अंतरराष्ट्रीय कराधान), बेंगलूरु	59
	सीआईटी(टीडीएस), बेंगलूरु	12
	पीसीआईटी(केंद्रीय), बेंगलूरु	91
	पीसीआईटी, हुबली	14
	पीसीआईटी-1, बेंगलूरु	12
	पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	38
	पीसीआईटी-3, बेंगलूरु	30
	कुल	**261**
केरल	सीआईटी (छूटें), कोच्चि	3
	सीआईटी (टीडीएस), कोच्चि	2
	पीसीआईटी (केंद्रीय), कोच्चि	65
	पीसीआईटी, कोच्चि	53
	पीसीआईटी, कोझिकोड	20
	पीसीआईटी, तिरुवनंतपुरम	40
	कुल	**183**
मध्य प्रदेश	सीआईटी (टीडीएस), भोपाल	3
	सीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान), अहमदाबाद (एमपी प्रभार)	4
	पीसीआईटी-1, भोपाल	19
	पीसीआईटी-1, इंदौर	25
	पीसीआईटी-1, जबलपुर	10
	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	21
	पीसीआईटी, ग्वालियर	6
	कुल	**88**

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
महाराष्ट्र	सीआईटी (छूटें), पुणे	2
	सीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान), पुणे	5
	सीआईटी (टीडीएस), पुणे	4
	पीसीआईटी-1, मुंबई	9
	पीसीआईटी-1, नागपुर	5
	पीसीआईटी-1, पुणे	9
	पीसीआईटी-17, मुंबई	3
	पीसीआईटी-19, मुंबई	13
	पीसीआईटी-2, मुंबई	16
	पीसीआईटी-2, नागपुर	8
	पीसीआईटी-2, पुणे	1
	पीसीआईटी-20, मुंबई	13
	पीसीआईटी-27, मुंबई	4
	पीसीआईटी-3, मुंबई	26
	पीसीआईटी-3, पुणे	12
	पीसीआईटी-4, मुंबई	3
	पीसीआईटी-4, पुणे	19
	पीसीआईटी-41, मुंबई	10
	पीसीआईटी-42, मुंबई	5
	पीसीआईटी-5, मुंबई	9
	पीसीआईटी-6, मुंबई	23
	पीसीआईटी-8, मुंबई	8
	पीसीआईटी(केंद्रीय)-1, मुंबई	7
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, मुंबई	18
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-3, मुंबई	15
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-4, मुंबई	16
	पीसीआईटी (केंद्रीय), नागपुर	2
	पीसीआईटी (केंद्रीय), पुणे	14
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-1, मुंबई	2
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-2, मुंबई	19

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-3, मुंबई	11
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-4, मुंबई	14
	पीसीआईटी, नासिक	2
	पीसीआईटी, ठाणे	7
	कुल	**334**
मेघालय	पीसीआईटी, शिलांग	25
	कुल	**25**
ओडिशा	पीसीआईटी, भुवनेश्वर	33
	पीसीआईटी, संबलपुर	43
	कुल	**76**
पंजाब	पीसीआईटी (केंद्रीय), लुधियाना	46
	पीसीआईटी-1, अमृतसर	7
	पीसीआईटी-1, जालंधर	8
	पीसीआईटी-1, लुधियाना	6
	पीसीआईटी, पटियाला	4
	कुल	**71**
राजस्थान	पीसीआईटी-1, जयपुर	38
	पीसीआईटी-2, जयपुर	47
	पीसीआईटी (केंद्रीय), जयपुर	33
	पीसीआईटी (छूटें), जयपुर	1
	पीसीआईटी, जोधपुर	6
	पीसीआईटी (टीडीएस), जयपुर	5
	पीसीआईटी, उदयपुर	21
	कुल	**151**
तमिलनाडु	सीआईटी (छूटें), चेन्नई	3
	सीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान), चेन्नई	54
	सीआईटी (टीडीएस), चेन्नई	4
	सीआईटी (टीडीएस), कोयंबटूर	9
	पीसीआईटी-1, चेन्नई	46
	पीसीआईटी-1, कोयंबटूर	37

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
	पीसीआईटी-1, मदुरै	25
	पीसीआईटी-3, चेन्नई	42
	पीसीआईटी-4, चेन्नई	25
	पीसीआईटी-8, चेन्नई	9
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, चेन्नई	33
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, चेन्नई	61
	कुल	**348**
तेलंगाना	सीआईटी (छूटें), हैदराबाद	1
	सीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), हैदराबाद	47
	सीआईटी (टीडीएस), हैदराबाद	1
	पीसीआईटी-1, हैदराबाद	39
	पीसीआईटी-2, हैदराबाद	31
	पीसीआईटी-4, हैदराबाद	17
	पीसीआईटी (केंद्रीय), हैदराबाद	44
	कुल	**180**
उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), कानपुर	30
	पीसीआईटी-1, आगरा	20
	पीसीआईटी-1, कानपुर	8
	पीसीआईटी-1, लखनऊ	4
	पीसीआईटी, इलाहाबाद	13
	पीसीआईटी, बरेली	7
	पीसीआईटी (केंद्रीय), लखनऊ	20
	पीसीआईटी (छूटें), लखनऊ	4
	पीसीआईटी, गाज़ियाबाद	14
	पीसीआईटी, गोरखपुर	8
	पीसीआईटी, नोएडा	4
	कुल	**132**
उत्तराखंड	पीसीआईटी, देहारादून	14
	कुल	**14**

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
पश्चिम बंगाल	सीआईटी (आईटी एवं टीपी), कोलकाता	19
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	52
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, कोलकाता	66
	पीसीआईटी-2, कोलकाता	40
	पीसीआईटी-1, कोलकाता	33
	पीसीआईटी-13, कोलकाता	9
	पीसीआईटी-18, कोलकाता	6
	पीसीआईटी-5, कोलकाता	11
	पीसीआईटी-9, कोलकाता	11
	पीसीआईटी, सिलीगुड़ी	1
	कुल	**248**
कुल		**3,285**

अनुलग्नक 4.2

प्रपत्र-3 को जारी करने में विलंब

(पैरा 4.1 का संदर्भ लें)

क्र. सं.	**राज्य/ पीसीआईटी/ सीआईटी**	**निर्धारिती का नाम/ पैन/ नि.व.**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ**
1	तमिलनाडु/ पीसीआईटी 4 चेन्नई	एस57 / xxxxxxxxx/ 2015-16	निर्धारिती ने, निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील किया था। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 28/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए ने देय राशि की गणना की एवं शुरूआत में 20/01/2021 को प्रपत्र-3 जारी किया था। हालांकि, डीए ने डीए की ओर से त्रुटियों को सुधारते हुए प्रपत्र -3 को परिशोधित किया एवं इसे 20/01/2023 को जारी किया था। इस प्रकार, 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के सापेक्ष निर्धारिती की घोषणा की प्राप्ति के 753 दिनों के बाद परिशोधित प्रपत्र-3 जारी किया गया था। नतीजतन, 738 दिनों के असाधारण विलंब के बाद प्रपत्र-3 जारी किया गया था। नतीजतन, निर्धारिती को विवादित कर से 10 *प्रतिशत* अधिक का भुगतान करना पड़ा था। यह अभ्युक्ति मार्च 2024 में विभाग को जारी की गई थी। मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है। (जून 2026)।

अनुलग्नक 4.3

प्रपत्र-5 जारी करने के लिए समय-सीमा का प्रावधान नहीं होना

(4.2.1 एवं 4.2.2 का संदर्भ लें)

राज्य	पीसीआईटी	मामलों की संख्या
4.2.1- प्रपत्र-5 अत्यधिक समय के अंतराल के साथ जारी किया गया था		
आंध्र प्रदेश	सीआईटी (टीडीएस), विजयवाड़ा	3
	पीसीआईटी-1, विशाखापत्तनम	13
	पीसीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम	28
	पीसीआईटी, तिरुपति	1
	कुल	**45**
असम	पीसीआईटी (केंद्रीय), गुवाहाटी	8
	पीसीआईटी, गुवाहाटी	28
	कुल	**36**
बिहार	पीसीआईटी-1, पटना	77
	पीसीआईटी (केंद्रीय), पटना	6
	कुल	**83**
चंडीगढ़	सीआईटी (टीडीएस)-1, चंडीगढ़	1
	पीसीआईटी-1, चंडीगढ़	21
	कुल	**22**
छत्तीसगढ़	पीसीआईटी-1, रायपुर	19
	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	4
	कुल	**23**
दिल्ली	सीआईटी (छूटें), दिल्ली	5
	पीसीआईटी-1, दिल्ली	40
	पीसीआईटी-10, दिल्ली	5
	पीसीआईटी-12, दिल्ली	8
	पीसीआईटी-15, दिल्ली	2
	पीसीआईटी-20, दिल्ली	6
	पीसीआईटी-4, दिल्ली	34
	पीसीआईटी-7, दिल्ली	19
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, दिल्ली	20

राज्य	पीसीआईटी	मामलों की संख्या
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, दिल्ली	43
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली	27
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-1, दिल्ली	3
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान) 2, दिल्ली	8
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान) 3, दिल्ली	1
	कुल	**221**
गोवा	सीआईटी(टीडीएस), पणजी	2
	पीसीआईटी, पणजी	13
	कुल	**15**
गुजरात	पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	17
	पीसीआईटी-1, राजकोट	9
	पीसीआईटी-3, अहमदाबाद	14
	पीसीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद	14
	पीसीआईटी (केंद्रीय), सूरत	31
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), अहमदाबाद	17
	पीसीआईटी, जामनगर	1
	पीसीआईटी, वलसाड	6
	पीसीआईटी-1, सूरत	27
	पीसीआईटी-1, वडोदरा	14
	कुल	**150**
हरियाणा	पीसीआईटी, पंचकुला	2
	पीसीआईटी, रोहतक	5
	पीसीआईटी, फ़रीदाबाद	35
	पीसीआईटी (केंद्रीय), गुरुग्राम	5
	कुल	**47**
झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	43
	पीसीआईटी, राँची	49
	कुल	**92**

राज्य	पीसीआईटी	मामलों की संख्या
कर्नाटक	सीआईटी (छूटें), बेंगलूरु	2
	सीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान), बेंगलूरु	18
	सीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान), बेंगलूरु	2
	सीआईटी (टीडीएस), बेंगलूरु	15
	पीसीआईटी (केंद्रीय), बेंगलूरु	45
	पीसीआईटी, हुबली	8
	पीसीआईटी-1, बेंगलूरु	3
	पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	10
	पीसीआईटी-3, बेंगलूरु	8
	कुल	**111**
केरल	सीआईटी (टीडीएस), कोच्चि	2
	पीसीआईटी (केंद्रीय), कोच्चि	29
	पीसीआईटी, कोच्चि	12
	पीसीआईटी, कोझिकोड	25
	पीसीआईटी, तिरुवनंतपुरम	19
	कुल	**87**
मध्य प्रदेश	सीआईटी (छूटें), भोपाल	2
	पीसीआईटी-1, भोपाल	14
	पीसीआईटी-1, इंदौर	18
	पीसीआईटी-1, जबलपुर	7
	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	9
	सीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान), अहमदाबाद (मध्य प्रदेश प्रभार)	2
	पीसीआईटी, ग्वालियर	3
	कुल	**55**
महाराष्ट्र	सीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान), पुणे	3
	सीआईटी (टीडीएस), नागपुर	1
	सीआईटी (टीडीएस), पुणे	5
	पीसीआईटी-1, मुंबई	8
	पीसीआईटी-1, नागपुर	3
	पीसीआईटी-1, पुणे	2

राज्य	पीसीआईटी	मामलों की संख्या
	पीसीआईटी-17, मुंबई	2
	पीसीआईटी-19, मुंबई	11
	पीसीआईटी-2, मुंबई	2
	पीसीआईटी-2, नागपुर	2
	पीसीआईटी-2, पुणे	2
	पीसीआईटी-20, मुंबई	12
	पीसीआईटी-27, मुंबई	2
	पीसीआईटी-3, मुंबई	26
	पीसीआईटी-3, पुणे	13
	पीसीआईटी-4, मुंबई	2
	पीसीआईटी-4, पुणे	10
	पीसीआईटी-41, मुंबई	7
	पीसीआईटी-42, मुंबई	6
	पीसीआईटी-5, मुंबई	5
	पीसीआईटी-6, मुंबई	21
	पीसीआईटी-8, मुंबई	15
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, मुंबई	6
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, मुंबई	25
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-3, मुंबई	11
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-4, मुंबई	4
	पीसीआईटी (केंद्रीय), नागपुर	11
	पीसीआईटी (केंद्रीय), पुणे	1
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-2, मुंबई	2
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-3, मुंबई	13
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-4, मुंबई	7
	पीसीआईटी, नासिक	1
	पीसीआईटी, ठाणे	10
	कुल	**251**
मेघालय	पीसीआईटी, शिलांग	13
	कुल	**13**

राज्य	पीसीआईटी	मामलों की संख्या
ओडिशा	सीआईटी (टीडीएस), भुवनेश्वर	4
	पीसीआईटी, भुवनेश्वर	47
	पीसीआईटी, संबलपुर	50
	कुल	**101**
पंजाब	पीसीआईटी (केंद्रीय), लुधियाना	3
	पीसीआईटी (केंद्रीय), लुधियाना	2
	पीसीआईटी (केंद्रीय), लुधियाना	1
	पीसीआईटी-1, जालंधर	4
	पीसीआईटी-1, लुधियाना	3
	कुल	**13**
राजस्थान	पीसीआईटी सेंट्रल जयपुर	9
	पीसीआईटी (छूट), जयपुर	2
	पीसीआईटी, जोधपुर	4
	पीसीआईटी (टीडीएस), जयपुर	9
	पीसीआईटी, उदयपुर	10
	पीसीआईटी-1, जयपुर	35
	पीसीआईटी-2, जयपुर	15
	कुल	**84**
तमिलनाडु	सीआईटी (छूट), चेन्नई	2
	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर), चेन्नई	19
	सीआईटी (टीडीएस), चेन्नई	4
	सीआईटी (टीडीएस), कोयंबटूर	2
	पीसीआईटी-1, चेन्नई	3
	पीसीआईटी-1, कोयंबटूर	18
	पीसीआईटी-1, मदुरै	10
	पीसीआईटी-3, चेन्नई	15
	पीसीआईटी-4, चेन्नई	4
	पीसीआईटी-8, चेन्नई	2
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, चेन्नई	31
	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, चेन्नई	32
	कुल	**142**

राज्य	पीसीआईटी	मामलों की संख्या
तेलंगाना	सीआईटी (छूट), हैदराबाद	3
	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), हैदराबाद	4
	सीआईटी (टीडीएस), हैदराबाद	5
	पीसीआईटी-1, हैदराबाद	22
	पीसीआईटी-2, हैदराबाद	9
	पीसीआईटी-4, हैदराबाद	6
	पीसीआईटी (केंद्रीय), हैदराबाद	12
	कुल	**61**
उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी, बरेली	5
	पीसीआईटी (केंद्रीय), कानपुर	9
	पीसीआईटी-1, आगरा	5
	पीसीआईटी-1, लखनऊ	4
	पीसीआईटी, प्रयागराज	10
	पीसीआईटी (केंद्रीय), लखनऊ	7
	पीसीआईटी (छूट), लखनऊ	1
	पीसीआईटी, गाजियाबाद	8
	पीसीआईटी, गोरखपुर	3
	पीसीआईटी, नोएडा	2
	कुल	**54**
पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	71
	पीसीआईटी, आसनसोल	10
	पीसीआईटी-1, कोलकाता	53
	पीसीआईटी-13, कोलकाता	12
	पीसीआईटी-5, कोलकाता	17
	पीसीआईटी-9, कोलकाता	16
	पीसीआईटी (के.)-2, कोलकाता	86
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), कोलकाता	10
	पीसीआईटी-2, कोलकाता	63
	कुल	**338**
	सकल कुल	**2,044**

राज्य	पीसीआईटी	मामलों की संख्या
4.2.2 - प्रपत्र-4 जमा करने के बाद प्रपत्र-5 जारी नहीं किया गया		
बिहार	सीआईटी (छूट), पटना	2
	पीसीआईटी-1, पटना	2
	कुल	**4**
झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	3
	पीसीआईटी, रांची	7
	कुल	**10**
ओडिशा	पीसीआईटी-1, भुवनेश्वर	4
	पीसीआईटी, संबलपुर	2
	कुल	**6**
तेलंगाना	पीसीआईटी-1, हैदराबाद	1
	कुल	**1**
सकल कुल		**21**

अनुलग्नक 4.4
काफी समय के अंतराल के बाद जारी प्रपत्र-5
(पैरा 4.2.1 देखें)

क्रम संख्या	राज्य/ पीसीआईटी/ सीआईटी	निर्धारिती का नाम/ पैन/ निर्धारण वर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
1	दिल्ली/ पीसीआईटी-सेंट्रल-2	मेसर्स ए1 प्राइवेट लिमिटेड/ xxxxxxxxxx/ 2011-12	निर्धारिती ने निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धनों के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष अपील दायर की थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 21/07/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीए ने देय राशि की गणना की एवं 04/12/2020 को प्रपत्र-3 जारी किया। निर्धारिती ने अपेक्षित राशि का भुगतान किया एवं 25/08/2021 को प्रपत्र-4 जमा किया। यह देखा गया कि 464 दिनों के अंतराल के बाद डीए द्वारा पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में 02/12/2022 को प्रपत्र-5 जारी किया गया था।यह अभ्युक्ति विभाग को जारी की गई थी (मार्च 2024)। मंत्रालय से उत्तर की प्रतीक्षित (जून 2026)।

अनुलग्नक 4.5

डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत नामित प्राधिकारी (डीए) के आदेश के लिए परिणामी प्रभाव आदेश जारी करने हेतु समयसीमा के प्रावधान का अभाव

(पैरा 4.3 देखें)

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
आंध्र प्रदेश	सीआईटी (टीडीएस), विजयवाड़ा	1
	पीसीआईटी-1, विशाखापत्तनम	20
	पीसीआईटी, (केंद्रीय), विशाखापत्तनम	26
	पीसीआईटी, तिरूपति	1
	पीसीआईटी, विजयवाड़ा	14
	कुल	**62**
असम	पीसीआईटी (केंद्रीय), गुवाहाटी	1
	पीसीआईटी, गुवाहाटी	25
	कुल	**26**
बिहार	पीसीआईटी-1, पटना	19
	पीसीआईटी (केंद्रीय), पटना	17
	कुल	**36**
चंडीगढ़	पीसीआईटी-1, चंडीगढ़	8
	कुल	**8**
छत्तीसगढ	पीसीआईटी-1, रायपुर	6
	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	16
	कुल	**22**
दिल्ली	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, दिल्ली	2
	सीआईटी (टीडीएस)-1, दिल्ली	1
	सीआईटी (टीडीएस)-2, दिल्ली	1
	पीसीआईटी (छूट), दिल्ली	3
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-1, दिल्ली	2
	पीसीआईटी-4, दिल्ली	6
	पीसीआईटी-12, दिल्ली	4
	पीसीआईटी-15, दिल्ली	6

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
	पीसीआईटी-20, दिल्ली	8
	पीसीआईटी-7, दिल्ली	5
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, दिल्ली	14
	पीसीआईटी-1, दिल्ली	4
	पीसीआईटी-10, दिल्ली	9
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली	12
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-3, दिल्ली	36
	कुल	**113**
गोवा	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बेंगलुरु	2
	पीसीआईटी, सेंट्रल, बेंगलुरु	3
	पीसीआईटी, पणजी	12
	कुल	**17**
गुजरात	पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	21
	पीसीआईटी-1, राजकोट	16
	पीसीआईटी-3, अहमदाबाद	14
	पीसीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद	9
	पीसीआईटी (केंद्रीय), सूरत	5
	पीसीआईटी (छूट), अहमदाबाद	1
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), अहमदाबाद	24
	पीसीआईटी, जामनगर	1
	पीसीआईटी, वलसाड	7
	पीसीआईटी-1, सूरत	13
	पीसीआईटी-1, वडोदरा	6
	कुल	**117**
हरियाणा	पीसीआईटी, पंचकुला	1
	पीसीआईटी, रोहतक	3
	पीसीआईटी (सेंट्रल), गुरुग्राम	2
	कुल	**6**
झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	26
	पीसीआईटी, रांची	27
	कुल	**53**

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
कर्नाटक	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बेंगलुरु	25
	सीआईटी (छूट), बेंगलुरु	5
	सीआईटी (टीडीएस), बेंगलुरु	6
	सीआईटी (टीडीएस), पणजी	2
	पीसीआईटी, सेंट्रल, बेंगलुरु	73
	पीसीआईटी-1, बेंगलुरु	4
	पीसीआईटी-2, बेंगलुरु	14
	पीसीआईटी-3, बेंगलुरु	14
	पीसीआईटी, हुबली	5
	पीसीआईटी, पणजी	5
	कुल	**153**
केरल	सीआईटी (छूट), कोच्चि	2
	सीआईटी (टीडीएस), कोच्चि	2
	पीसीआईटी (केंद्रीय), कोच्चि	37
	पीसीआईटी, कोच्चि	38
	पीसीआईटी, कोझिकोड	10
	पीसीआईटी, तिरुवनंतपुरम	21
	कुल	**110**
मध्य प्रदेश	सीआईटी (टीडीएस), भोपाल	2
	पीसीआईटी-1, भोपाल	19
	पीसीआईटी-1, इंदौर	22
	पीसीआईटी-1, जबलपुर	1
	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	26
	पीसीआईटी, ग्वालियर	5
	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), अहमदाबाद (मध्य प्रदेश प्रभार)	6
	कुल	**81**
महाराष्ट्र	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), पुणे	6
	कुल	**6**
मेघालय	पीसीआईटी, शिलांग	3
	कुल	**3**

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
ओडिशा	पीसीआईटी, भुवनेश्वर	43
	पीसीआईटी, संबलपुर	39
	कुल	**82**
पंजाब	पीसीआईटी (केंद्रीय), लुधियाना	26
	पीसीआईटी-1, अमृतसर	1
	पीसीआईटी-1, जालंधर	7
	पीसीआईटी-1, लुधियाना	2
	पीसीआईटी, पटियाला	2
	कुल	**38**
राजस्थान	पीसीआईटी (केंद्रीय), जयपुर	41
	पीसीआईटी (छूट), जयपुर	1
	पीसीआईटी, जोधपुर	6
	पीसीआईटी-2, जयपुर	10
	पीसीआईटी-1, जयपुर	3
	पीसीआईटी, उदयपुर	21
	कुल	**82**
तमिलनाडु	सीआईटी (छूट), चेन्नई	5
	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर), चेन्नई	24
	सीआईटी (टीडीएस), कोयंबटूर	11
	पीसीआईटी-1, चेन्नई	23
	पीसीआईटी-1, कोयंबटूर	26
	पीसीआईटी-1, मदुरै	11
	पीसीआईटी-3, चेन्नई	9
	पीसीआईटी-4, चेन्नई	13
	पीसीआईटी-8, चेन्नई	9
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, चेन्नई	38
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, चेन्नई	24
	कुल	**193**
तेलंगाना	सीआईटी (छूट), हैदराबाद	1
	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), हैदराबाद	18

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
	पीसीआईटी-1, हैदराबाद	23
	पीसीआईटी-2, हैदराबाद	4
	पीसीआईटी-4, हैदराबाद	16
	पीसीआईटी (केंद्रीय), हैदराबाद	37
	कुल	**99**
उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी, बरेली	3
	पीसीआईटी (केंद्रीय), कानपुर	12
	पीसीआईटी, गाजियाबाद	7
	पीसीआईटी, नोएडा	3
	पीसीआईटी-1, लखनऊ	3
	पीसीआईटी-1, आगरा	12
	पीसीआईटी-1, कानपुर	4
	पीसीआईटी, प्रयागराज	4
	पीसीआईटी (केंद्रीय), लखनऊ	8
	पीसीआईटी (छूट), लखनऊ	2
	पीसीआईटी, गोरखपुर	2
	पीसीआईटी, देहरादून	3
	कुल	**63**
उत्तराखंड	पीसीआईटी, देहरादून	21
	कुल	**21**
पश्चिम बंगाल	सीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कर), कोलकाता	11
	पीसीआईटी-1, कोलकाता	12
	पीसीआईटी-2, कोलकाता	18
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	28
	पीसीआईटी, आसनसोल	7
	पीसीआईटी-13, कोलकाता	13
	पीसीआईटी-5, कोलकाता	17
	पीसीआईटी-9, कोलकाता	11
	पीसीआईटी (केंद्रीय-2)	38
	कुल	**155**
सकल कुल		**1,546**

अनुलग्नक 4.6

डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत नामित प्राधिकारी (डीए) के आदेश पर परिणामी प्रभाव आदेश जारी करने के लिए समयसीमा के प्रावधान का अभाव

(पैरा 4.3 देखें)

क्रम संख्या	राज्य/ पीसीआईटी/ सीआईटी	निर्धारिती का नाम/ पैन/ निर्धारण वर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
1	राजस्थान/ पीसीआईटी (केंद्रीय), जयपुर	डी3/ xxxxxxxxxx/ 2011-12	लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रपत्र-5 03/12/2020 को जारी किया गया था जबकि डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 की धारा 5(2) के अंतर्गत परिणामी प्रभाव आदेश 04/07/2024 को जारी किया गया था। इससे पता चला कि प्रपत्र-5 जारी करने की तारीख से 1309 दिनों के अंतराल के बाद परिणामी प्रभाव आदेश जारी किया गया था। इस तरह के अंतराल के कारणों के बारे में विभाग से पूछा गया। यह अभ्युक्ति मार्च 2024 में विभाग को जारी की गई थी। मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 2026)।
2	उत्तर प्रदेश/ पीसीआईटी-1, आगरा	मेसर्स पी23 xxxxxxxxxx/ 2015-16	लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रपत्र-5 08/03/2021 को जारी किया गया था एवं डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 की धारा 5(2) के अंतर्गत परिणामी प्रभाव आदेश 28/06/2024 को जारी किया गया था। इससे पता चला कि प्रपत्र-5 जारी करने की तारीख से 1208 दिनों की अंतराल अवधि के बाद परिणामी प्रभाव आदेश जारी किया गया था। इस तरह के अंतराल के कारणों के बारे में विभाग से पूछा गया। यह अभ्युक्ति फरवरी 2024 में विभाग को जारी की गई थी। मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 2026)।

अनुलग्नक 4.7

आवश्यक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत मामलों का निपटारा

(पैरा 4.4.1 एवं 4.4.2 देखें।)

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
4.4.1: डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निर्धारित देय राशि की सत्यता की जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज		
आंध्र प्रदेश	सीआईटी (टीडीएस), विजयवाड़ा	3
	पीसीआईटी-1, विशाखापत्तनम	27
	पीसीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम	31
	पीसीआईटी, तिरूपति	4
	पीसीआईटी, विजयवाड़ा	8
	कुल	**73**
असम	पीसीआईटी (केंद्रीय), गुवाहाटी	1
	पीसीआईटी, गुवाहाटी	10
	कुल	**11**
बिहार	पीसीआईटी-1, पटना	32
	पीसीआईटी (केंद्रीय), पटना	10
	कुल	**42**
चंडीगढ़	सीआईटी (छूट), चंडीगढ़	1
	पीसीआईटी-1, चंडीगढ़	47
	कुल	**48**
छत्तीसगढ	पीसीआईटी, रायपुर	13
	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	18
	कुल	**31**
दिल्ली	पीसीआईटी-1, दिल्ली	19
	पीसीआईटी-10, दिल्ली	1
	पीसीआईटी-12, दिल्ली	8
	पीसीआईटी-15, दिल्ली	2
	पीसीआईटी-4, दिल्ली	6

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
	पीसीआईटी-7, दिल्ली	25
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, दिल्ली	10
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, दिल्ली	4
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली	26
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-1, दिल्ली	3
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-2, दिल्ली	10
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-3, दिल्ली	10
	कुल	**124**
गोवा	पीसीआईटी, पणजी	8
	कुल	**8**
गुजरात	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), अहमदाबाद	1
	पीसीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद	1
	पीसीआईटी-1, सूरत	1
	कुल	**3**
हरियाणा	पीसीआईटी, फ़रीदाबाद	42
	पीसीआईटी, पंचकुला	9
	पीसीआईटी, रोहतक	13
	पीसीआईटी (सेंट्रल), गुरुग्राम	23
	कुल	**87**
झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	19
	पीसीआईटी, रांची	32
	कुल	**51**
कर्नाटक	सीआईटी (छूट) बेंगलुरु	5
	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बेंगलुरु	65
	पीसीआईटी (सी), बेंगलुरु	125
	पीसीआईटी, हुबली	6
	पीसीआईटी-1, बेंगलुरु	13

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
	पीसीआईटी-2 बेंगलुरु	41
	पीसीआईटी-3, बेंगलुरु	29
	कुल	**284**
केरल	पीसीआईटी, कोच्चि	13
	कुल	**13**
मध्य प्रदेश	सीआईटी (छूट), भोपाल	2
	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), अहमदाबाद (मध्य प्रदेश प्रभार)	5
	सीआईटी (टीडीएस), भोपाल	3
	पीसीआईटी-1, भोपाल	6
	पीसीआईटी-1, इंदौर	12
	पीसीआईटी-1, जबलपुर	7
	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	6
	पीसीआईटी, ग्वालियर	3
	कुल	**44**
महाराष्ट्र	सीआईटी (छूट), पुणे	2
	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), पुणे	6
	सीआईटी (टीडीएस), नागपुर	2
	सीआईटी (टीडीएस), पुणे	6
	पीसीआईटी-1, मुंबई	14
	पीसीआईटी-1, नागपुर	7
	पीसीआईटी-1, पुणे	11
	पीसीआईटी-17, मुंबई	5
	पीसीआईटी-19, मुंबई	12
	पीसीआईटी-2, मुंबई	15
	पीसीआईटी-2, नागपुर	14
	पीसीआईटी-2, पुणे	2
	पीसीआईटी-20, मुंबई	12
	पीसीआईटी-27, मुंबई	5
	पीसीआईटी-3, मुंबई	31

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
	पीसीआईटी-3, पुणे	9
	पीसीआईटी-4, मुंबई	15
	पीसीआईटी-4, पुणे	15
	पीसीआईटी-41, मुंबई	11
	पीसीआईटी-42, मुंबई	6
	पीसीआईटी-5, मुंबई	19
	पीसीआईटी-6, मुंबई	26
	पीसीआईटी-8, मुंबई	6
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, मुंबई	18
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, मुंबई	32
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-3, मुंबई	21
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-4, मुंबई	39
	पीसीआईटी (केंद्रीय), नागपुर	18
	पीसीआईटी (केंद्रीय), पुणे	17
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-1, मुंबई	5
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-2, मुंबई	18
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-3, मुंबई	20
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-4, मुंबई	26
	पीसीआईटी, नासिक	2
	पीसीआईटी, ठाणे	7
	कुल	**474**
मेघालय	पीसीआईटी, शिलांग	1
	कुल	**1**
ओडिशा	पीसीआईटी, भुवनेश्वर	47
	पीसीआईटी, संबलपुर	33
	कुल	**80**

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
पंजाब	पीसीआईटी (केंद्रीय), लुधियाना	24
	पीसीआईटी, जालंधर	1
	पीसीआईटी-1, अमृतसर	5
	पीसीआईटी-1, जालंधर	6
	पीसीआईटी-1, लुधियाना	10
	पीसीआईटी, पटियाला	1
	कुल	**47**
राजस्थान	पीसीआईटी, उदयपुर	1
	पीसीआईटी (केंद्रीय), जयपुर	5
	पीसीआईटी-I, जयपुर	2
	कुल	**8**
तेलंगाना	सीआईटी (छूट), हैदराबाद	5
	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं हस्तांतरण मूल्य निर्धारण**),** हैदराबाद	62
	सीआईटी (स्त्रोत पर कर कटौती), हैदराबाद	6
	पीसीआईटी-1, हैदराबाद	29
	पीसीआईटी-2, हैदराबाद	26
	पीसीआईटी-4, हैदराबाद	23
	पीसीआईटी (केंद्रीय), हैदराबाद	44
	कुल	**195**
उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी, बरेली	1
	पीसीआईटी-1, आगरा	6
	पीसीआईटी-1, कानपुर	4
	पीसीआईटी-1, लखनऊ	5
	पीसीआईटी, प्रयागराज	4
	पीसीआईटी (केंद्रीय), कानपुर	1
	पीसीआईटी (केंद्रीय), लखनऊ	2
	पीसीआईटी (छूट), लखनऊ	1
	पीसीआईटी, गाजियाबाद	7
	पीसीआईटी, नोएडा	1
	कुल	**32**

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
उत्तराखंड	पीसीआईटी, देहरादून	1
	कुल	**1**
पश्चिम बंगाल	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं हस्तांतरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता	13
	पीसीआईटी-5, कोलकाता	4
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, कोलकाता	1
	पीसीआईटी-13, कोलकाता	1
	कुल	**19**
	सकल कुल	**1,676**
4.4.2 प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीएसवी) योजना, 2024, के अंतर्गत निर्धारित देय राशि की सत्यता की जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज		
असम	पीसीआईटी, गुवाहाटी	61
	कुल	**61**
बिहार	सीआईटी (टीडीएस), पटना	5
	पीसीआईटी-1, पटना	48
	पीसीआईटी (केंद्रीय), पटना	21
	कुल	**74**
चंडीगढ़	सीआईटी (छूट), चंडीगढ़	1
	पीसीआईटी-1, चंडीगढ़	3
	कुल	**4**
दिल्ली	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, दिल्ली	26
	सीआईटी (छूट), दिल्ली	5
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-1, दिल्ली	7
	पीसीआईटी 4, दिल्ली	33
	पीसीआईटी-1, दिल्ली	9
	पीसीआईटी-10, दिल्ली	13
	पीसीआईटी-12, दिल्ली	1
	पीसीआईटी-15, दिल्ली	2
	पीसीआईटी-7, दिल्ली	20

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, दिल्ली	6
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली	24
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-3, दिल्ली	1
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-2, दिल्ली	8
	कुल	**155**
गोवा	सीआईटी (टीडीएस), पणजी	4
	पीसीआईटी, पणजी	19
	कुल	**23**
हरियाणा	पीसीआईटी (केंद्रीय), गुरुग्राम	10
	पीसीआईटी, फरीदाबाद	17
	पीसीआईटी, रोहतक	13
	कुल	**40**
झारखंड	पीसीआईटी धनबाद	15
	पीसीआईटी, रांची	14
	कुल	**29**
कर्नाटक	सीआईटी (छूट), बेंगलुरु	4
	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बेंगलुरु	47
	सीआईटी (टीडीएस), बेंगलुरु	20
	पीसीआईटी (केंद्रीय), बेंगलुरु	95
	पीसीआईटी, हुबली	5
	पीसीआईटी-1, बेंगलुरु	9
	पीसीआईटी-2, बेंगलुरु	35
	पीसीआईटी-3, बेंगलुरु	28
	कुल	**243**
महाराष्ट्र	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), पुणे	1
	सीआईटी (टीडीएस), नागपुर	2
	पीसीआईटी-1, मुंबई	9
	पीसीआईटी-1, पुणे	1
	पीसीआईटी-17, मुंबई	2

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
	पीसीआईटी-19, मुंबई	7
	पीसीआईटी-2, मुंबई	10
	पीसीआईटी-2, नागपुर	8
	पीसीआईटी-20, मुंबई	9
	पीसीआईटी-27, मुंबई	3
	पीसीआईटी-3, मुंबई	23
	पीसीआईटी-3, पुणे	8
	पीसीआईटी-4, मुंबई	4
	पीसीआईटी-4, पुणे	3
	पीसीआईटी-41, मुंबई	2
	पीसीआईटी-42, मुंबई	7
	पीसीआईटी-5, मुंबई	12
	पीसीआईटी-6, मुंबई	24
	पीसीआईटी-8, मुंबई	10
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, मुंबई	3
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, मुंबई	16
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-3, मुंबई	9
	पीसीआईटी (केंद्रीय)-4, मुंबई	7
	पीसीआईटी (केंद्रीय), नागपुर	9
	पीसीआईटी (केंद्रीय), पुणे	1
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-1, मुंबई	1
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-2, मुंबई	8
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-3, मुंबई	6
	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-4, मुंबई	26
	पीसीआईटी, नासिक	1
	पीसीआईटी, ठाणे	5
	कुल	**237**

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
मेघालय	पीसीआईटी, शिलांग	15
	कुल	**15**
पंजाब	पीसीआईटी-1, लुधियाना	2
	पीसीआईटी (केंद्रीय), लुधियाना	3
	कुल	**5**
राजस्थान	पीसीआईटी-1, जयपुर	2
	पीसीआईटी (केंद्रीय), जयपुर	1
	कुल	**3**
उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी-1, आगरा	7
	पीसीआईटी-1, कानपुर	10
	पीसीआईटी-1, लखनऊ	5
	पीसीआईटी, प्रयागराज	13
	पीसीआईटी, बरेली	4
	पीसीआईटी (केंद्रीय), कानपुर	23
	पीसीआईटी (केंद्रीय), लखनऊ	9
	पीसीआईटी (छूट), लखनऊ	1
	पीसीआईटी, गाजियाबाद	21
	पीसीआईटी, गोरखपुर	2
	पीसीआईटी, नोएडा	4
	कुल	**99**
उत्तराखंड	पीसीआईटी, देहरादून	14
	कुल	**14**
पश्चिम बंगाल	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं हस्तांतरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता	2
	कुल	**2**
सकल कुल		**1,004**

अनुलग्नक 4.8

प्रपत्र-3 में देय राशि का गलत कर निर्धारण, जहां प्रपत्र-4 प्रस्तुत नहीं किया गया/ अंतिम रूप नहीं दिया गया

(पैरा 4.5 देखें)

राज्य	पीसीआईटी	मामलों की संख्या
दिल्ली	पीसीआईटी-1, दिल्ली	1
गुजरात	पीसीआईटी-1, वडोदरा	1
कुल		**2**

अनुलग्नक 4.9

निर्धारिती की पात्रता का सत्यापन किए बिना प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीएसवी) योजना के अंतर्गत मामले को स्वीकार करना

(पैरा 4.6 देखें)

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
कर्नाटक	पीसीआईटी-सेंट्रल, बेंगलुरु	3
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), हैदराबाद	1
कुल		**4**

अनुलग्नक 4.10
पात्र घोषणा की गलत अस्वीकृति
(पैरा 4.7 देखें)

राज्य	पीसीआईटी	मामले की संख्या
ओडिशा	पीसीआईटी, संभलपुर	1
	कुल	**1**
पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी केंद्रीय-2, कोलकाता	2
	पीसीआईटी-5, कोलकाता	2
	पीसीआईटी-9, कोलकाता	1
	सीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान), कोलकाता	1
	पीसीआईटी (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-2, कोलकाता	1
	कुल	**7**
आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी-1, विशाखापत्तनम	1
	कुल	**1**
साकल कुल		**9**

अनुलग्नक 4.11

डीटीवीएसवी योजना की कार्यात्मकता प्रणाली में आगे लाए गए हानि/अनावशोषित मूल्यह्रास एवं एमएटी क्रेडिट से संबंधित अद्यतन जानकारी का प्रावधान न होना

(पैरा 4.11 देखें)

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन संख्या	निर्धारण वर्ष
1	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-1, मुंबई	सी3 लि.	xxxxxxxxxx	2000-01
2	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-1, मुंबई	टी4 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12
3	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, मुंबई	एन10 लि.	xxxxxxxxxx	2015-16
4	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-1, मुंबई	बी11 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11
5	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	सी11 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15
6	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-3, मुंबई	जे9 लि.	xxxxxxxxxx	2012-13
7	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-2, मुंबई	जे15 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13
8	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-2, मुंबई	एम7 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13
9	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-2, मुंबई	एल8 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2015-16
10	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-2, मुंबई	एम19 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15
11	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-5, मुंबई	ओ1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2017-18
12	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-5, मुंबई	टी1 लि.	xxxxxxxxxx	2012-13

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन संख्या	निर्धारण वर्ष
13	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-5, मुंबई	आर30 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12
14	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-3, मुंबई	जी8 लि.	xxxxxxxxxx	2017-18
15	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-3, मुंबई	ई6 लि.	xxxxxxxxxx	2017-18
16	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-3, मुंबई	जे9 लि.	xxxxxxxxxx	2012-13
17	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-3, मुंबई	पी9 लि.	xxxxxxxxxx	2014-15
18	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-3, मुंबई	आर8 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15
19	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-3, मुंबई	आर9 लि.	xxxxxxxxxx	2013-14
20	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-3, मुंबई	ई6 लि.	xxxxxxxxxx	2015-16
21	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-3, मुंबई	सी4 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12
22	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-1, मुंबई	एन7 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10
23	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (केंद्रीय)-4, मुंबई	जी4 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11
24	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (केंद्रीय)-4, मुंबई	एस80 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2007-08
25	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (केंद्रीय)-4, मुंबई	आर25 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10
26	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (केंद्रीय)-4, मुंबई	एन16 लि.	xxxxxxxxxx	2015-16
27	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (केंद्रीय)-4, मुंबई	एन16 लि.	xxxxxxxxxx	2014-15

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन संख्या	निर्धारण वर्ष
28	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (केंद्रीय)-4, मुंबई	ए10 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13
29	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-3, मुंबई	एस43 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10
30	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-8, मुंबई	टी3 लि.	xxxxxxxxxx	2005-06
31	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-8, मुंबई	एस63 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2017-18
32	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-3, मुंबई	एस43 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2008-09
33	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-3, मुंबई	जी14 लि.	xxxxxxxxxx	2016-17
34	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-3, मुंबई	पी17	xxxxxxxxxx	2002-03
35	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-3, मुंबई	एम4 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10
36	महाराष्ट्र	पीसीआईटी_अंतर्राष्ट्रीय_कर_3_मुंबई	एल9 लि.	xxxxxxxxxx	2006-07
37	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-1, मुंबई	बी11 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11
38	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-1, मुंबई	बी7 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15
39	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-1, मुंबई	एस72 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12
40	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-2, नागपुर	सी22 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन संख्या	निर्धारण वर्ष
41	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-2, नागपुर	सी22 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2013-14
42	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-2, नागपुर	जी9 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2016-17
43	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	आर22 लि.	xxxxxxxxxx	2015-16
44	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	ए16 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13
45	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	एल12 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15
46	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	एच7 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2013-14
47	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	सी11 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15
48	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	सी6 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10
49	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	बी6 लि.	xxxxxxxxxx	2017-18
50	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	टी2 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2016-17
51	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	आर29 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2015-16
52	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, मुंबई	एन10 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11
53	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, मुंबई	डब्लू2 लि.	xxxxxxxxxx	2012-13
54	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, मुंबई	एम24 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13
55	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, मुंबई	ई4 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2013-14

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन संख्या	निर्धारण वर्ष
56	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, मुंबई	वाई1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15
57	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, मुंबई	एन10 लि.	xxxxxxxxxx	2015-16
58	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी-1, विशाखापत्तनम	बी16 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10
59	तेलंगाना	पीसीआईटी-4, हैदराबाद	क्यू1 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12
60	तेलंगाना	पीसीआईटी-1, हैदराबाद	ए8 लि.	xxxxxxxxxx	2012-13

अनुलग्नक 4.12

योजना का लाभ उठाने के लिए करदाता हेतु ऑनलाइन पोर्टल की प्रभावशीलता

(पैरा 4.13.1, 4.13.2 एवं 4.13.3 को संदर्भ में लाएँ)

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष
पैरा संख्या 4.13.1:						
1	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	सर्कल-1(1)(1), सूरत	ए17 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12
2	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	वार्ड-1(1)(1), सूरत	बी21 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13
3	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	वार्ड-1(1)(3), सूरत	एम18 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11
4	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	वार्ड-1(2)(1), सूरत	एम21 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11
5	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	सर्कल-2(1)(1), सूरत	एस70 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13
6	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	वार्ड-1(1)(3), सूरत	एच1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11
7	गुजरात	पीसीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद	सेंट्रल सर्कल-2, राजकोट	आर28	xxxxxxxxxx	2011-12
8	गुजरात	पीसीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद	सेंट्रल सर्कल-2, राजकोट	सी16 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11
9	गुजरात	पीसीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद	सेंट्रल सर्कल-1(3), अहमदाबाद	वी6 लि.	xxxxxxxxxx	2012-13

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष
10	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	वार्ड-1(1)(3), सूरत	एन6 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11
11	गुजरात	पीसीआईटी-1, वडोदरा	वार्ड-1(1), भरूच	ए30 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2015-16
पैरा संख्या 4.13.2:						
1	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	वार्ड 1(1)(1), सूरत	टी13 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11
2	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	सर्किल1(3) सूरत	टी8 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10
3	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	सर्कल-1(3), सूरत	टी8 लि.	xxxxxxxxxx	2014-15
पैरा संख्या 4.13.3:						
1	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	वार्ड-2(1)(3), सूरत	पी15 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11
2	गुजरात	पीसीआईटी (केंद्रीय), सूरत	सेंट्रल सर्कल-2, सूरत	वी5 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11
3	गुजरात	पीसीआईटी (केंद्रीय), सूरत	सेंट्रल सर्कल-2, सूरत	सी18 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12
4	गुजरात	पीसीआईटी (केंद्रीय), सूरत	सेंट्रल सर्कल-1 वडोदरा	एम5 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2015-16
5	गुजरात	पीसीआईटी, वलसाड	सर्कल वापी	पी13	xxxxxxxxxx	2012-13
6	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	वार्ड 1(1)(3) सूरत	जे4 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12
7	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	वार्ड 1(1)(3), सूरत	जे3 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11
8	गुजरात	पीसीआईटी-1, वडोदरा	वार्ड 1(1)(1), वडोदरा	जे11 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13

क्रम संख्या	**राज्य**	**पीसीआईटी**	**निर्धारण अधिकारी प्रभार**	**निर्धारिती का नाम**	**पैन**	**निर्धारण वर्ष**
9	गुजरात	पीसीआईटी-1, वडोदरा	सर्कल 2(1)(1), वडोदरा	एस40 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2013-14

अनुलग्नक 5.1

विवादित टैक्स/देय राशि के गलत निर्धारण के मामले

(पैरा 4.10 एवं 5.1 देखें)

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
5.1.1:-कर का अतिरिक्त समायोजन						
1	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	आई3 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	10,388.95
2	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	आई3 लि.	xxxxxxxxxx	2008-09	4,843.24
3	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	आई3 लि.	xxxxxxxxxx	2007-08	5,079.67
4	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	आई3 लि.	xxxxxxxxxx	2006-07	8,036.69
5	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-1, मुंबई	एच8 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	8,704.31
उप -कुल						**37,052.86**
5.1.2 प्रतिदाय का अतिरिक्त निर्धारण						
1	दिल्ली	पीसीआईटी-छूट, दिल्ली	ए23	xxxxxxxxxx	1980-81	68.52
2	दिल्ली	पीसीआईटी-छूट, दिल्ली	ए23	xxxxxxxxxx	1981-82	68.52
3	दिल्ली	पीसीआईटी-छूट, दिल्ली	ए23	xxxxxxxxxx	1982-83	71.94
4	दिल्ली	पीसीआईटी-छूट, दिल्ली	ए23	xxxxxxxxxx	1983-84	37.02
5	दिल्ली	पीसीआईटी-7, दिल्ली	एस62 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	901.68
6	दिल्ली	पीसीआईटी-7, दिल्ली	एस60	xxxxxxxxxx	2011-12	5.64

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
7	गुजरात	पीसीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद	ए37	xxxxxxxxxx	2012-13	0.47
8	गुजरात	पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	डी2	xxxxxxxxxx	2014-15	43.04
9	गुजरात	पीसीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद	सी10 लि.	xxxxxxxxxx	2008-09	1.84
10	गुजरात	पीसीआईटी-1, वडोदरा	ई3 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	24.74
11	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	एस4 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	2.43
12	तमिलनाडु	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, चेन्नई	टी14	xxxxxxxxxx	2009-10	4.29
13	तमिलनाडु	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, चेन्नई	ए3	xxxxxxxxxx	2017-18	2.00
14	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी-1, भोपाल	पी19	xxxxxxxxxx	2009-10	0.34
15	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	पी22	xxxxxxxxxx	2015-16	0.06
16	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	आई4	xxxxxxxxxx	2010-11	0.36
17	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	पी7 लि.	xxxxxxxxxx	2003-04	2.07
18	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी-1, जबलपुर	एस41 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2008-09	0.17
19	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी- 1, इंदौर	आर6	xxxxxxxxxx	2015-16	0.10

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
20	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी- 1, इंदौर	बी3 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2007-08	1.52
21	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी- 1, इंदौर	ए24 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2008-09	39.71
22	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी- 1, इंदौर	एम2 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	1.32
23	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-1, पुणे	डब्ल्यू1 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	158.83
24	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	सी15 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	90.42
25	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-6, मुंबई	के6 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	100.83
26	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)-2, मुंबई	पी26	xxxxxxxxxx	2011-12	35.05
27	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, मुंबई	एम6	xxxxxxxxxx	2010-11	139.07
28	असम	पीसीआईटी, गुवाहाटी	एस42 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	19.68
29	मेघालय	पीसीआईटी, शिलांग	एन17 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	38.30
30	असम	पीसीआईटी, गुवाहाटी	एन19 लि.	xxxxxxxxxx	2016-17	0.46
31	असम	पीसीआईटी, गुवाहाटी	पी20 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	18.10
32	असम	पीसीआईटी, गुवाहाटी	एस27	xxxxxxxxxx	2010-11	0.05
33	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी-1, आगरा	पी23	xxxxxxxxxx	2015-16	4.03

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
34	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी-1, कानपुर	एस79 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	0.45
35	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), लखनऊ	के3 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	2.12
36	बिहार	पीसीआईटी (केंद्रीय), पटना	जे14	xxxxxxxxxx	2017-18	4.50
37	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	पी16 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15	0.84
38	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	ए4 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	5.89
39	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	पी18	xxxxxxxxxx	2010-11	0.21
40	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	ए32 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	0.53
41	झारखंड	पीसीआईटी-धनबाद	आर10	xxxxxxxxxx	2008-09	1.80
42	झारखंड	पीसीआईटी-धनबाद	ए25 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	0.56
43	झारखंड	पीसीआईटी-धनबाद	एम16	xxxxxxxxxx	2005-06	0.03
44	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-2, कोलकाता	के18 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15	2.18
45	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-5, कोलकाता	एम15	xxxxxxxxxx	2009-10	0.43
46	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-9, कोलकाता	एम14	xxxxxxxxxx	2016-17	0.16
47	पश्चिम बंगाल	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), कोलकाता	टी12	xxxxxxxxxx	1994-95	271.78

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
48	पश्चिम बंगाल	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), कोलकाता	डी20	xxxxxxxxxx	2006-07	25.33
49	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-2, कोलकाता	आई7 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	28.65
50	हरियाणा	पीसीआईटी, फरीदाबाद	एस45 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	42.22
51	कर्नाटक	पीसीआईटी-2, बेंगलुरु	यू4 लि.	xxxxxxxxxx	2004- 05	15.63
52	कर्नाटक	पीसीआईटी-3, बेंगलुरु	एन8 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	413.15
53	तेलंगाना	पीसीआईटी-1, हैदराबाद	एस74 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	5.31
54	ओडिशा	पीसीआईटी-1, भुवनेश्वर	यू6 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	1.61
55	ओडिशा	पीसीआईटी-1, संभलपुर	ओ3 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2013-14	0.37
56	ओडिशा	पीसीआईटी-1, भुवनेश्वर	यू5 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	2.96
57	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	एन1	xxxxxxxxxx	2011-12	1.58
58	तेलंगाना	पीसीआईटी (केंद्रीय), हैदराबाद	डी7	xxxxxxxxxx	2009-10	101.49
59	दिल्ली	पीसीआईटी-4, दिल्ली	जे16 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2015-16	35.59
60	कर्नाटक	पीसीआईटी-3, बेंगलुरु	एन8 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2006-07	236.68

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
61	कर्नाटक	पीसीआईटी-3, बेंगलुरु	एन8 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2008-09	132.52
62	कर्नाटक	पीसीआईटी-3, बेंगलुरु	एन8 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	5.20
उप- कुल						**3,222.37**
5.1.3-विवादित कर की गलत गणना						
1	दिल्ली	पीसीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली	सी12 लि./ एस26 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	0.86
2	दिल्ली	पीसीआईटी-10, दिल्ली	जी16	xxxxxxxxxx	2017-18	4.02
3	दिल्ली	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, दिल्ली	डी6	xxxxxxxxxx	2011-12	0.49
4	दिल्ली	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, दिल्ली	एम23 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2005-06	5.21
5	दिल्ली	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, दिल्ली	एन9	xxxxxxxxxx	2007-08	0.27
6	दिल्ली	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, दिल्ली	डी12	xxxxxxxxxx	2011-12	14.81
7	राजस्थान	पीसीआईटी-1, जयपुर	टी9	xxxxxxxxxx	2009-10	0.34
8	राजस्थान	पीसीआईटी (टीडीएस), बीकानेर	डी9	xxxxxxxxxx	2015-16	0.01
9	राजस्थान	पीसीआईटी-2, जयपुर	पी25 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2007-08	4.12

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
10	राजस्थान	पीसीआईटी (छूट), जयपुर	एस66	xxxxxxxxxx	2016-17	0.03
11	गुजरात	पीसीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद	के9	xxxxxxxxxx	2011-12	99.53
12	गुजरात	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), अहमदाबाद	डी4	xxxxxxxxxx	2016-17	0.09
13	गुजरात	पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	सी9	xxxxxxxxxx	2015-16	0.47
14	गुजरात	पीसीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद	के4 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	46.65
15	गुजरात	पीसीआईटी-1, वडोदरा	ए30 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2015-16	2.65
16	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	पी15 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	0.34
17	गुजरात	पीसीआईटी-1, सूरत	ए39 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	2.85
18	गुजरात	पीसीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद	आर27	xxxxxxxxxx	2005-06	0.05
19	गुजरात	पीसीआईटी (केंद्रीय), सूरत	सी8	xxxxxxxxxx	2010-11	11.28
20	गुजरात	पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	आर5	xxxxxxxxxx	2016-17	0.08
21	तमिलनाडु	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, चेन्नई	एम22 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2015-16	5.59

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
22	तमिलनाडु	पीसीआईटी-3, चेन्नई	एस73 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	39.99
23	तमिलनाडु	पीसीआईटी-4, चेन्नई	एम1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2005-06	1.13
24	तमिलनाडु	पीसीआईटी-4, चेन्नई	एम1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	7.77
25	तमिलनाडु	पीसीआईटी-4, चेन्नई	एम1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2006-07	0.98
26	तमिलनाडु	पीसीआईटी-4, चेन्नई	एम1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2017-18	4.94
27	तमिलनाडु	पीसीआईटी, मदुरै	ए11	xxxxxxxxxx	2016-17	0.6
28	छत्तीसगढ	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	एस54 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	17
29	छत्तीसगढ	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	एस2 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	7.73
30	छत्तीसगढ	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	एन15	xxxxxxxxxx	2017-18	1.14
31	छत्तीसगढ	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	एन15	xxxxxxxxxx	2018-19	13.01
32	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	डी5	xxxxxxxxxx	2008-09	0.09
33	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी-1, भोपाल	डी19	xxxxxxxxxx	2005-06	0.11
34	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	एस48	xxxxxxxxxx	2011-12	0.47
35	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	जे5 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	7.87
36	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	एस30	xxxxxxxxxx	2009-10	0.84

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
37	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	एस9 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	17.3
38	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी-1, इंदौर	एस36 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2018-19	0.18
39	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी-1, इंदौर	ए35	xxxxxxxxxx	2014-15	3.58
40	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (केंद्रीय), पुणे	पी21 लि.	xxxxxxxxxx	2013-14	33.07
41	महाराष्ट्र	पीसीआईटी, ठाणे	जी2 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2007-08	4.52
42	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-3, मुंबई	ए15 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2005-06	1.97
43	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-5, मुंबई	बी1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2008-09	5.94
44	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-(अंतर्राष्ट्रीय कर)-2, मुंबई	डी13	xxxxxxxxxx	2014-15	28.64
45	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-2, मुंबई	पी23 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15	14.02
46	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)-2, मुंबई	जी7 लि.	xxxxxxxxxx	2016-17	23.08
47	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-1, नागपुर	एस68 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2017-18	7.36
48	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-19, मुंबई	एस49	xxxxxxxxxx	2012-13	0.43
49	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)-4, मुंबई	एम30	xxxxxxxxxx	2017-18	2.39

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
50	असम	पीसीआईटी, गुवाहाटी	आर24 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	8.71
51	मेघालय	पीसीआईटी, शिलांग	एन17 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	66.72
52	मणिपुर	पीसीआईटी, गुवाहाटी	एस22	xxxxxxxxxx	2011-12	0.35
53	असम	पीसीआईटी (केंद्रीय), गुवाहाटी	एस11	xxxxxxxxxx	2015-16	0.24
54	असम	पीसीआईटी (केंद्रीय), गुवाहाटी	आर1	xxxxxxxxxx	2015-16	1.69
55	असम	पीसीआईटी (केंद्रीय), गुवाहाटी	एम8	xxxxxxxxxx	2009-10	0.11
56	असम	पीसीआईटी (केंद्रीय), गुवाहाटी	एन14	xxxxxxxxxx	2016-17	1.03
57	असम	पीसीआईटी (केंद्रीय), गुवाहाटी	एस50 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	1.47
58	असम	पीसीआईटी (केंद्रीय), गुवाहाटी	जे1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	0.14
59	असम	पीसीआईटी (केंद्रीय), गुवाहाटी	एस75	xxxxxxxxxx	2014-15	0.01
60	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी, नोएडा	ए7 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2006-07	0.47
61	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी-1, आगरा	आर3 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	20.64

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
62	बिहार	पीसीआईटी-1, पटना	आर26 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15	0.44
63	बिहार	पीसीआईटी-1, पटना	एस21 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	22.39
64	बिहार	पीसीआईटी-1, पटना	वी7	xxxxxxxxxx	2015-16	0.72
65	बिहार	पीसीआईटी-1, पटना	पी3 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	3.68
66	बिहार	पीसीआईटी-1, सासाराम	एल1	xxxxxxxxxx	2014-15	1.04
67	बिहार	पीसीआईटी (केंद्रीय), रांची	ई5 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2017-18	31.48
68	बिहार	पीसीआईटी (केंद्रीय), रांची	आर17	xxxxxxxxxx	2016-17	2.03
69	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	एस76	xxxxxxxxxx	2017-18	3.19
70	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	एम12	xxxxxxxxxx	2004-05	1.95
71	झारखंड	पीसीआईटी-रांची	एन12 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	0.61
72	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	जे8 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15	0.02
73	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	एस18	xxxxxxxxxx	2017-18	37.21
74	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	एम28 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2017-18	8.86
75	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	एम11	xxxxxxxxxx	2016-17	0.42
76	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	एम26	xxxxxxxxxx	2008-09	0.17

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
77	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	एस20	xxxxxxxxxx	2009-10	0.31
78	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	एस28	xxxxxxxxxx	2006-07	0.83
79	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	के10 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	0.19
80	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	एस39	xxxxxxxxxx	2017-18	0.13
81	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	ओ6	xxxxxxxxxx	2011-12	1.01
82	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	ए26 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	0.63
83	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-1, कोलकाता	एस56 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	35.33
84	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	एफ1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2015-16	24.06
85	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	आई9 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15	15.46
86	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	डी8 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	4.75
87	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	बी20 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	2.49
88	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-1, कोलकाता	एस3 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	2.23
89	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी, आसनसोल	3 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	1.47

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
90	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, कोलकाता	पी1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	1.35
91	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-2, कोलकाता	आर4 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2008-09	6.52
92	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-1, कोलकाता	जी10 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	0.85
93	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	एस55 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	0.75
94	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (सेंट्रल-2), कोलकाता	एम9 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	0.57
95	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-9, कोलकाता	एस24	xxxxxxxxxx	2013-14	0.49
96	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-2, कोलकाता	ई1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2008-09	0.45
97	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-5, कोलकाता	पी14	xxxxxxxxxx	2012-13	0.12
98	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	ए19 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2008-09	1.8
99	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	वी8	xxxxxxxxxx	2009-10	0.2
100	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	बी14 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	0.26
101	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	एन3 लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	0.14

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
102	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	सी13 लि.	xxxxxxxxxx	2014-15	0.05
103	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	एस32 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	0.05
104	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, कोलकाता	एच9 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	2.57
105	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-18, कोलकाता	के5	xxxxxxxxxx	2008-09	0.29
106	हरियाणा	पीसीआईटी, फरीदाबाद	के7	xxxxxxxxxx	2011-12	1.1
107	हरियाणा	पीसीआईटी, फरीदाबाद	एस53	xxxxxxxxxx	2014-15	0.43
108	हरियाणा	पीसीआईटी, फरीदाबाद	एक्स1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	39.05
109	हरियाणा	पीसीआईटी, फरीदाबाद	बी24 लि.	xxxxxxxxxx	1994-95	14.02
110	हरियाणा	पीसीआईटी, फरीदाबाद	एन11 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	285.92
111	कर्नाटक	पीसीआईटी, कर्नाटक एवं गोवा	के8	xxxxxxxxxx	2018-19	22.81
112	कर्नाटक	पीसीआईटी, कर्नाटक एवं गोवा	के8	xxxxxxxxxx	2012-13	0.8
113	कर्नाटक	पीसीआईटी, कर्नाटक एवं गोवा	एल3	xxxxxxxxxx	2015-16	6.27

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
114	कर्नाटक	पीसीआईटी-2, बेंगलुरु	टी11 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	21.02
115	गोवा	पीसीआईटी, पणजी	एस6	xxxxxxxxxx	2007-08	94.74
116	कर्नाटक	पीसीआईटी, हुबली	के13	xxxxxxxxxx	2011-12	448.25
117	कर्नाटक	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर), बेंगलुरु	आई2	xxxxxxxxxx	2009-10	94.54
118	तेलंगाना	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), हैदराबाद	बी23 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	25.66
119	तेलंगाना	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), हैदराबाद	बी23 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	11.97
120	तेलंगाना	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), हैदराबाद	के15	xxxxxxxxxx	2008-09	5.47
121	तेलंगाना	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), हैदराबाद	पी5	xxxxxxxxxx	2011-12	0.41
122	तेलंगाना	पीसीआईटी-1, हैदराबाद	बी27 लि.	xxxxxxxxxx	2005-06	2.15
123	तेलंगाना	पीसीआईटी-4, हैदराबाद	एन5 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	5.51
124	तेलंगाना	पीसीआईटी-1, हैदराबाद	सी21 लि.	xxxxxxxxxx	1997-98	8.55

क्रम संख्या	राज्य	पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार	निर्धारिती का नाम का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
125	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी-1, विशाखापत्तनम	एस8	xxxxxxxxxx	2011-12	2.07
126	तेलंगाना	पीसीआईटी-4, हैदराबाद	पी10	xxxxxxxxxx	2017-18	0.55
127	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी, विजयवाड़ा	बी13	xxxxxxxxxx	2008-09	12.92
128	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम	बी17 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2017-18	118.65
129	ओडिशा	पीसीआईटी 1, भुवनेश्वर	एल6	xxxxxxxxxx	2017-18	6.99
130	ओडिशा	पीसीआईटी 1, भुवनेश्वर	आर11	xxxxxxxxxx	2008-09	15.37
131	तेलंगाना	पीसीआईटी-1, हैदराबाद	एस64 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	0.37
132	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी-1, विशाखापत्तनम	पी2 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	2.14
133	तेलंगाना	पीसीआईटी-4, हैदराबाद	आर14	xxxxxxxxxx	2003-04	4.21
134	तेलंगाना	पीसीआईटी-2, हैदराबाद	ई2 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	0.77
135	तेलंगाना	पीसीआईटी-2, हैदराबाद	एल5	xxxxxxxxxx	2009-10	22.9
136	तेलंगाना	पीसीआईटी-2, हैदराबाद	एल5	xxxxxxxxxx	2012-13	15.05
137	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम	बी4 लि.	xxxxxxxxxx	2008-09	8.36
138	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम	एम17	xxxxxxxxxx	2010-11	0.98

क्रम संख्या	**राज्य**	**पीसीआईटी/ निर्धारण अधिकारी प्रभार**	**निर्धारिती का नाम का नाम**	**पैन**	**निर्धारण वर्ष**	**कर प्रभाव (₹ लाख में)**
139	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	एच3 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2018-19	3.67
140	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	पी24 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	0.79
141	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, कोलकाता	एस84	xxxxxxxxxx	2014-15	0.14
उप कुल						**2,071.63**
सकल कुल (208)						**42,346.86**

अनुलग्नक 5.2
प्रतिदाय का अतिरिक्त निर्धारण
(पैरा 5.1.2 का संदर्भ लें)

क्र. सं.	राज्य/पीसीआईटी/सीआईटी	निर्धारिती का नाम/ पैन/ कर निर्धारण वर्ष/ कर प्रभाव	लेखापरीक्षा अवलोकन
1	दिल्ली/ सीआईटी-छूट प्रभार	ए23/ xxxxxxxxxx/ 1980-81, 1981-82, 1983-84 एवं 1984-85/ ₹ 2.46 करोड़	विभाग अक्टूबर 2017 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा नि.व. 1980-81, 1981-82, 1983-84 एवं 1984-85 के लिए ₹ 7.48 करोड़ (₹ 1.95 करोड़, ₹ 1.95 करोड़, ₹ 2.38 करोड़ एवं ₹ 1.20 करोड़) की कुल राहत के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में था। निर्धारिती ने मुद्दों को निपटाने के लिए उक्त नि.व. के लिए 02/02/2021 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय कुल राशि की गणना करते समय, डीए ने ₹ 1.95 करोड़, ₹ 1.95 करोड़, ₹ 2.38 करोड़ एवं ₹ 1.20 करोड़ के स्थान पर विवादित राशि को ₹ 5.00 लाख, ₹ 5.00 लाख, ₹ 20.73 लाख एवं ₹ 10.42 लाख के रूप में अपनाया, इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ की देय राशि का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ₹ 2.46 करोड़ (₹ 68.52 लाख + ₹ 68.52 लाख + ₹ 71.94 लाख प्लस ₹ 37.02 लाख) का अतिरिक्त प्रतिदाय हुआ। विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि उपरोक्त सभी मामलों में प्रपत्र-5 रद्द कर दिया गया था। हालांकि, बकाया कर की वसूली का विवरण अभी भी प्रतीक्षित है (जून 2026)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

अनुलग्नक 5.3
विवादित कर की गलत संगणना
(पैरा 5.1.3 का संदर्भ लें)

क्रम संख्या	राज्य/पीसीआईटी/सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम/ पैन/ निर्धारण वर्ष/ कर प्रभाव	लेखापरीक्षा अवलोकन
1	हरियाणा/पीसीआईटी (केंद्रीय), फरीदाबाद	मेसर्स एन11 लि./ xxxxxxxxxx/ 2010-11/ ₹ 2.86 करोड़	विभाग अक्टूबर/दिसंबर 2019 में सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत परिवर्धन के प्रति ₹ 20.54 करोड़ (सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹18.90 करोड़ की राहत एवं धारा 115जेबी के विशेष प्रावधान के अंतर्गत ₹ 1.64 करोड़ की राहत) की कुल राहत के प्रति माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में था। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 09/10/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना, जिसमें ₹ 4.14 करोड़ की विवादित राशि को अपनाया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा ₹ 1.64 करोड़ एवं माननीय. आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा ₹ 2.50 करोड़ की राहत को ध्यान में रखते हुए परिशोधित भूमि पर मूल्यह्रास के लिए धारा 115जेबी के अंतर्गत परिवर्धन के लिए विवादित राशि पर पहुंचा। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय राशि की गणना करते समय डीए ने धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 4.14 करोड़ की विवादित राशि पर ₹ 35.19 लाख के कर की गणना की। हालांकि, निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 3.21 करोड़ के कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.86 करोड़ की देय राशि का कम निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि संबंधित मूल्यांकन अधिकारी ने परिणामी प्रभाव आदेश पारित किया है अथवा नहीं, क्योंकि इसकी एक प्रति लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की

क्रम संख्या	राज्य/पीसी आईटी/ सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम/ पैन/ निर्धारण वर्ष/ कर प्रभाव	लेखापरीक्षा अवलोकन
			गई थी। यह अवलोकन अप्रैल 2024 में विभाग को जारी किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।
2	झारखंड/ पीसीआईटी -रांची	एस 18/ xxxxxxxxxx /2017-18/ ₹ 37.22 लाख	निर्धारिती दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत मूल्यांकन के दौरान किए गए ₹ 79.69 लाख की बढोरी के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील में था। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 22/01/2021 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। प्रस्ताव को स्वीकार करने के पश्चात, डीए ने निर्धारिती द्वारा डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय राशि के रूप में ₹ 24.57 लाख की गणना की। निर्धारिती ने अपेक्षित राशि का भुगतान किया, एवं तदनुसार, विभाग द्वारा 11/03/2022 को प्रपत्र-5 जारी किया गया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय राशि की गणना करते समय, डीए ने ₹ 61.79 लाख की सही राशि के स्थान पर ₹ 24.57 लाख निर्धारित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.22 लाख की देय राशि की कम गणना हुई। यह अवलोकन विभाग को अगस्त 2023 में जारी किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।
3	कर्नाटक एवं गोवा/ पीसीआईटी (केंद्रीय), बेंगलुरु	के8/ XXXXXXXXX/ 2018-19/ ₹ 22.81 लाख	निर्धारिती दिसंबर, 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण के दौरान किए गए ₹ 43.75 लाख के परिवर्धन के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील में था। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 30/12/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय राशि की गणना करते समय डीए ने ₹ 19.44 लाख का निर्धारण किया, जिसका भुगतान निर्धारिती द्वारा किया गया था। तदनुसार, विभाग द्वारा

क्रम संख्या	**राज्य/पीसी आईटी/ सीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ पैन/ निर्धारण वर्ष/ कर प्रभाव**	**लेखापरीक्षा अवलोकन**
			दिनांक 14/12/2021 को प्रपत्र-5 जारी किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि देय राशि की गणना त्रुटिपूर्ण तरीके से ₹ 42.25 लाख के स्थान पर ₹ 19.44 लाख पर की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.81 लाख के विवादित कर का कम प्रभार हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं कहा (मई 2024) कि निर्धारिती को कानून के अनुसार उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

अनुलग्नक 5.4

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 244ए के अंतर्गत विभाग द्वारा भुगतान किए गए ब्याज के मामले, डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत निपटाए गए मामलों में वसूल नहीं किए गए (पैरा 5.2 का संदर्भ लें)

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	दिल्ली	पीसीआईटी-4, दिल्ली	एन18 लि.	xxxxxxxxxx	2005-06	42,332.44
2	दिल्ली	पीसीआईटी-4, दिल्ली	एन18 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	22,801.51
3	दिल्ली	पीसीआईटी-4, दिल्ली	जी3 लि.	xxxxxxxxxx	1998-99	2,664.30
4	दिल्ली	पीसीआईटी-4, दिल्ली	जी3 लि.	xxxxxxxxxx	1999-2000	573.20
5	दिल्ली	पीसीआईटी-4, दिल्ली	आई8 लि.	xxxxxxxxxx	2000-01	5.55
6	दिल्ली	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-3, दिल्ली	यू2	xxxxxxxxxx	2009-10	1.58
7	दिल्ली	पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)-3, दिल्ली	यू2	xxxxxxxxxx	2013-14	1.07
8	दिल्ली	पीसीआईटी-12, दिल्ली	के12	xxxxxxxxxx	2004-05	12.24
9	दिल्ली	पीसीआईटी-12, दिल्ली	डी16	xxxxxxxxxx	2009-10	4.41
10	दिल्ली	पीसीआईटी-12, दिल्ली	के12	xxxxxxxxxx	2005-06	8.06
11	दिल्ली	पीसीआईटी-7, दिल्ली	यू3 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2007-08	3.32

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
12	दिल्ली	पीसीआईटी-7, दिल्ली	एस60 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	97.80
13	दिल्ली	पीसीआईटी-7, दिल्ली	एस60 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	32.23
14	दिल्ली	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, दिल्ली	बी26 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-2011	19.46
15	दिल्ली	पीसीआईटी -4, दिल्ली	आई8 लि.	xxxxxxxxxx	2005-06	229.55
16	दिल्ली	पीसीआईटी-1, दिल्ली	डी18	xxxxxxxxxx	2004-05	56.98
17	दिल्ली	पीसीआईटी -4, दिल्ली	एच10 लि.	xxxxxxxxxx	2004-05	265.79
18	राजस्थान	पीसीआईटी, उदयपुर	यू1	xxxxxxxxxx	2015-16	0.08
19	राजस्थान	पीसीआईटी, उदयपुर	ए5 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	2.11
20	राजस्थान	पीसीआईटी, उदयपुर	एस31	xxxxxxxxxx	2017-18	0.09
21	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी-1, इंदौर	जे12	xxxxxxxxxx	2012-13	13.32
22	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-3, मुंबई	एस43 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2008-09	206.19
23	असम	पीसीआईटी-गुवाहाटी	बी19	xxxxxxxxxx	2011-12	0.36
24	मेघालय	पीसीआईटी, शिलांग	एन17 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	49.50
25	मेघालय	पीसीआईटी, शिलांग	ओ2 लि.	xxxxxxxxxx	2006-07	31,632.98

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
26	मेघालय	पीसीआईटी, शिलांग	ओ2 लि.	xxxxxxxxxx	2005-06	7,545.25
27	मेघालय	पीसीआईटी, शिलांग	ओ2 लि.	xxxxxxxxxx	2004-05	148.93
28	मेघालय	पीसीआईटी, शिलांग	जी13 लि.	xxxxxxxxxx	2003-04	1.75
29	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	जी12 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	0.10
30	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	एस25	xxxxxxxxxx	2010-11	0.05
31	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	एस14 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	0.22
32	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	एस33 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2003-04	0.14
33	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-1, कोलकाता	डी1	xxxxxxxxxx	2008-09	7,256.95
34	पश्चिम बंगाल	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), कोलकाता	ओ7	xxxxxxxxxx	2010-11	258.12
35	पश्चिम बंगाल	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), कोलकाता	ओ8	xxxxxxxxxx	2007-08	124.81
36	पश्चिम बंगाल	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), कोलकाता	ओ7	xxxxxxxxxx	2005-06	97.00

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
37	पश्चिम बंगाल	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), कोलकाता	ओ7	xxxxxxxxxx	2007-08	72.87
38	पश्चिम बंगाल	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), कोलकाता	ओ7	xxxxxxxxxx	2014-15	71.59
39	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-1, कोलकाता	बी28 लि.	xxxxxxxxxx	2002-03	40.51
40	पश्चिम बंगाल	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), कोलकाता	ओ7	xxxxxxxxxx	2011-12	28.12
41	पश्चिम बंगाल	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), कोलकाता	ओ8	xxxxxxxxxx	2006-07	11.89
42	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-2, कोलकाता	के18 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15	1.08
43	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-1, कोलकाता	डी15 लि.	xxxxxxxxxx	2014-15	0.52
44	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-2, कोलकाता	एस37 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	0.23
45	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय) 1, कोलकाता	एस32 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	0.08
46	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय), कोलकाता	बी20 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	5.48

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
47	हरियाणा	पीसीआईटी, फरीदाबाद	डी17 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2007-08	12.63
48	कर्नाटक	पीसीआईटी (केंद्रीय), कर्नाटक एवं गोवा	सी1	xxxxxxxxxx	2018-19	19.70
49	कर्नाटक	पीसीआईटी (केंद्रीय), कर्नाटक एवं गोवा	सी1	xxxxxxxxxx	2015-16	32.78
50	कर्नाटक	पीसीआईटी-2, बेंगलुरु	टी11	xxxxxxxxxx	2009-10	13.26
51	गोवा	पीसीआईटी-पणजी	एस6	xxxxxxxxxx	2007-08	27.09
52	कर्नाटक	पीसीआईटी (केंद्रीय), बेंगलुरु	सी1	xxxxxxxxxx	2014-15	2.04
53	कर्नाटक	पीसीआईटी-3, बेंगलुरु	आई6 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15	8.57
54	तेलंगाना	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), हैदराबाद	एस46 लि.	xxxxxxxxxx	1993-94	(-)31.34
55	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी-1, विशाखापत्तनम	के11 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	0.17
कुल						**1,16,827.39**

अनुलग्नक 5.5
तलाशी मामलों में देय कर का अनुचित निर्धारण
(पैरा 5.3 देखें)

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	दिल्ली	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, दिल्ली	सी19	xxxxxxxxxx	2011-12	18.38
2	दिल्ली	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, दिल्ली	ए1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	8.47
3	दिल्ली	पीसीआईटी-1, दिल्ली	बी9 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	30.29
4	तमिलनाडु	पीसीआईटी-1, चेन्नई	ए29 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2015-16	7.7
5	छत्तीसगढ	पीसीआईटी (सेंट्रल), भोपाल	आर19 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	168.61
6	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल), पुणे	पी21 लि.	xxxxxxxxxx	2013-14	8.88
7	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-1, नासिक	एम10 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	11.73
8	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), कानपुर	एस10 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2008-09	124.72
9	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी-1, आगरा	एस10 प्रा. लि	xxxxxxxxxx	2009-10	13.87
10	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी-1, आगरा	एस35 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2006-07	1.7
11	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), लखनऊ	बी2	xxxxxxxxxx	2011-12	8.48
12	बिहार	पीसीआईटी (केंद्रीय), रांची	एस59 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	0.88
13	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-2, कोलकाता	ए9	xxxxxxxxxx	2012-13	15.42

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
14	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता	आई10	xxxxxxxxxx	2012-13	9.08
15	हरियाणा	पीसीआईटी, पंचकुला	जे6 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2006-07	0.42
16	हरियाणा	पीसीआईटी, पंचकुला	डी21 लि.	xxxxxxxxxx	2005-06	7.49
17	हरियाणा	पीसीआईटी, रोहतक	ए28 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	3.09
18	पंजाब	पीसीआईटी (केंद्रीय), लुधियाना	डी10 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	24.33
19	पंजाब	पीसीआईटी (केंद्रीय), लुधियाना	आर16	xxxxxxxxxx	2011-12	1.34
20	कर्नाटक	पीसीआईटी (केंद्रीय), कर्नाटक एवं गोवा	डी11 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	21.34
21	कर्नाटक	पीसीआईटी (केंद्रीय), कर्नाटक एवं गोवा	डी11 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	8.5
22	कर्नाटक	पीसीआईटी (केंद्रीय), कर्नाटक एवं गोवा	एस69 प्रा. लि	xxxxxxxxxx	2015-16	29.32
23	गोवा	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), कर्नाटक एवं गोवा	एस77	xxxxxxxxxx	2011-12	8.24
24	कर्नाटक	पीसीआईटी (केंद्रीय), कर्नाटक एवं गोवा	एस78 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	12.75

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
25	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम	आर21 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2006-07	1.38
26	तेलंगाना	पीसीआईटी (केंद्रीय), हैदराबाद	ए20 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	41.42
27	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम	एस52	xxxxxxxxxx	2011-12	1.65
28	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम	एस82	xxxxxxxxxx	2009-10	1.35
29	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम	ओ5 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	1.16
30	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम	पी6	xxxxxxxxxx	2011-12	2.2
31	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम	एम27	xxxxxxxxxx	2011-12	1.39
32	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम	आर20	xxxxxxxxxx	2009-10	1.29
33	तेलंगाना	पीसीआईटी-2, हैदराबाद	के21 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	3.86
34	तेलंगाना	पीसीआईटी-2, हैदराबाद	एल4	xxxxxxxxxx	2011-12	16.24
कुल						**616.97**

अनुलग्नक 5.6
तलाशी मामलों में देय कर का अनुचित निर्धारण
(पैरा 5.3 देखें)

क्र. सं.	राज्य/ पीसीआईटी/ सीआईटी	निर्धारिती का नाम/ पैन/ नि.व./ कर प्रभाव	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
1	तेलंगाना/ पीसीआईटी (केंद्रीय) हैदराबाद	मेसर्स ए20 लि./ xxxxxxxxxx/ 2011-12/ ₹ 41.41 लाख	निर्धारिती ने मार्च 2015 में धारा 153सी के अंतर्गत निर्धारण के दौरान की गई ₹ 2.45 करोड़ की बढ़ोतरी के विरुद्ध एवं दिसंबर 2018 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण के दौरान की गई ₹ 5.91 करोड़ की बढ़ोतरी के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की थी। निर्धारिती ने दिसंबर 2020 में ₹ 6.49 करोड़ (₹ 2.45 करोड़ में से ₹ 1.50 करोड़ एवं ₹ 5.91 करोड़ में से ₹ 4.99 करोड़) में मामले को निपटाने के लिए डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय कुल राशि की गणना करते समय, नामित प्राधिकारी ने विवादित राशि ₹ 4.99 करोड़ पर लागू 125 *प्रतिशत* की दर के बजाय 100 *प्रतिशत* कर लगाया एवं तदनुसार, प्रपत्र-5 जारी किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 41.41 लाख के कर की कम वसूली हुई। इसके अलावा, इस मामले में क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी (जेएओ) ने डीटीवीएसवी अधिनियम, 2020 की धारा 5(2) के अंतर्गत 07/12/2021 को परिणामी प्रभाव आदेश जारी किया, जिसका जेएओ ने भी संज्ञान नहीं लिया। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (सितंबर 2023) को स्वीकार नहीं किया जिसमें कहा गया कि सीबीडीटी के परिपत्र संख्या 4/2021 के पैराग्राफ 4 के स्पष्टीकरण

क्र. सं.	राज्य/ पीसीआईटी/ सीआईटी	निर्धारिती का नाम/ पैन/ नि.व./ कर प्रभाव	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
			के अनुसार, एफ. संख्या आईटी(ए)/1/2020-टीपीएल, दिनांक 20/03/2021 के अनुसार, इसे तलाशी मामला नहीं माना जा सकता। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सीबीडीटी परिपत्र संख्या 21/2020 दिनांक 4/12/2020 के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 70 एवं सीबीडीटी द्वारा उपरोक्त परिपत्र संख्या 04/2021 दिनांक 23/03/2021 के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि 'तलाशी मामला' का अर्थ आयकर अधिनियम की धारा 143(3)/144/147/153ए/153सी/158बीसी के अंतर्गत धारा 153ए, धारा 153सी, धारा 158बीसी या धारा 158बीडी में उल्लिखित व्यक्ति के मामले में आयकर अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत आरंभ की गई तलाशी या धारा 132ए के अंतर्गत की गई मांग के आधार पर किया गया निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन है। इस मामले में, फरवरी 2015 में मेसर्स क्यूब ग्रुप के मामले में धारा 132 के अंतर्गत तलाशी एवं जब्ती अभियान में प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्धारण को पुनः खोला गया एवं तदनुसार दिसंबर 2018 में धारा 147 के अंतर्गत ₹ 5.91 करोड़ की राशि जोड़कर इसे पूरा किया गया। इसके अलावा, राजस्थान में, पीसीआईटी-1, जयपुर प्रभार में, लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षित नमूना में से पांच मामलों[27] पर ध्यान दिया कि ये मामले अन्य

[27] मै. बी.12 प्रा. लि. (पैन-xxxxxxxxxx/ नि.व.2009-10), मै. आर15 प्रा. लि. (पैन-xxxxxxxxxx/ नि.व.2010-11), एस65 (पैन-xxxxxxxxxx/ नि.व.2009-10), एस13 प्रा. लि. (पैन-xxxxxxxxxx/ नि.व.2006-07) और एस19(पैन -xxxxxxxxxx /नि.व.2010-11)।

क्र. सं.	**राज्य/ पीसीआईटी/ सीआईटी**	**निर्धारिती का नाम/ पैन/ नि.व./ कर प्रभाव**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ**
			निर्धारितियों के परिसरों में की गई तलाशी अभियान के बाद तलाशी विंग से प्राप्त जानकारी के आधार पर खोले गए, जैसे कि पी30 एवं उनके समूह के परिसर में की गई तलाशी एवं इस तलाशी के दौरान मिली सामग्री के आधार पर, मेसर्स आर15 प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स बी12 प्राइवेट लिमिटेड के मामले आयकर अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करके खोले गए, आदि एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147/143(3) के अंतर्गत आकलन पूरे किए गए। आयकर विभाग ने इन मामलों को तलाशी मामले माना एवं डीटीवीएसवी योजना 2020 के अंतर्गत 125 *प्रतिशत* की दर से विवादित कर लगाया। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।
2	दिल्ली/ पीसीआईटी-1	मेसर्स बी9 प्रा. लि. / xxxxxxxxxx/ 2010-11/ ₹ 30.29 लाख	जनवरी 2020 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दी गई ₹ 7.14 करोड़ की कुल राहत के प्रति माननीय उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा अपील दाखिल करने की समय सीमा निर्धारित तिथि, अर्थात 31/01/2020 तक समाप्त नहीं हुई थी। निर्धारिती ने मामले को निपटाने के लिए 25/05/2020 को डीटीवीएसवी योजना का विकल्प चुना। लेखापरीक्षा ने दिनांक 30/12/2017 के धारा 147/143(3) के अंतर्गत निर्धारण आदेश से पाया कि निर्धारिती का मामला किसी अन्य निर्धारिती के तलाशी मामले में उसके नाम के संदर्भ में खोला गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि डीटीवीएसवी योजना, 2020 के अंतर्गत देय राशि की गणना करते समय, नामित

क्र. सं.	राज्य/ पीसीआईटी/ सीआईटी	निर्धारिती का नाम/ पैन/ नि.व./ कर प्रभाव	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
			प्राधिकारी ने विवादित कर के 100 *प्रतिशत* के 50 *प्रतिशत* की दर से कर निर्धारित किया बजाय विवादित कर के 125 *प्रतिशत* के 50 *प्रतिशत* की दर पर, क्योंकि यह एक तलाशी मामला था। तदनुसार, अग्रिम भुगतान किए गए करों के समायोजन पर, विभाग द्वारा डीटीवीएसवी अधिनियम 2020 के अंतर्गत दिनांक 06/05/2022 को प्रपत्र-5 जारी किया गया। इसके परिणामस्वरूप देय राशि का निर्धारण ₹ 30.29 लाख कम हुआ। बाद में, दिनांक 07/09/2022 को डीटीवीएसवी अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत परिणामी प्रभाव आदेश पारित करते समय, क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। इस संबंध में अप्रैल 2024 में विभाग को टिप्पणी जारी की गई। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2026)।

अनुलग्नक 5.7

डीटीवीएसवी योजना के अंतर्गत देय कुल कर भुगतान में सम्मिलित न किया गया विवाद रहित कर/ब्याज

(पैरा 5.4 देखें)

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	दिल्ली	पीसीआईटी (सेंट्रल)-3, दिल्ली	सी12 लि./ एस26 लि.	xxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxx	2009-10	0.05
2	दिल्ली	पीसीआईटी (सेंट्रल)-3, दिल्ली	के17 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	0.11
3	दिल्ली	पीसीआईटी-10, दिल्ली	एस17	xxxxxxxxxx	2016-17	0.03
4	गुजरात	पीसीआईटी (सेंट्रल), अहमदाबाद	टी7 लि.	xxxxxxxxxx	2017-18	527.58
5	गुजरात	पीसीआईटी (सेंट्रल), अहमदाबाद	ए6 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	1.34
6	गुजरात	पीसीआईटी-1, वडोदरा	एस5 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15	173.20
7	गुजरात	पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	सी7 लि.	xxxxxxxxxx	2017-18	25.46
8	गुजरात	पीसीआईटी (सेंट्रल), अहमदाबाद	ए36 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	1.57
9	तमिलनाडु	पीसीआईटी-1, चेन्नई	ई8 लि.	xxxxxxxxxx	2007-08	133.24
10	तमिलनाडु	पीसीआईटी-2, चेन्नई	सी2	xxxxxxxxxx	2011-12	2.50
11	तमिलनाडु	पीसीआईटी-1, चेन्नई	ई7	xxxxxxxxxx	2006-07	45.29
12	तमिलनाडु	पीसीआईटी-1, चेन्नई	ई7	xxxxxxxxxx	2007-08	1,291.18
13	तमिलनाडु	पीसीआईटी, कोयंबटूर	के20 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2015-16	2.63
14	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी-1, भोपाल	एम14	xxxxxxxxxx	2008-09	0.07
15	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी (सेंट्रल), भोपाल	एल11	xxxxxxxxxx	2008-09	0.37
16	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी-1, इंदौर	एस23	xxxxxxxxxx	2011-12	0.4
17	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी-1, भोपाल	टी6 लि.	xxxxxxxxxx	2013-14	8.58
18	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-4, मुंबई	एस1 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	51.98

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
19	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-4, मुंबई	आई1 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	8.77
20	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, मुंबई	जेड1 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	45.12
21	महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, मुंबई	एफ2	xxxxxxxxxx	2014-15	4.95
22	उत्तराखंड	पीसीआईटी (सेंट्रल), कानपुर	डी22	xxxxxxxxxx	2009-10	18.72
23	बिहार	पीसीआईटी-1, पटना	आर18 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2017-18	1.53
24	बिहार	पीसीआईटी-1, पटना	पी12	xxxxxxxxxx	2017-18	0.26
25	बिहार	पीसीआईटी (सेंट्रल), पटना	ए18 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	8.74
26	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	के1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	3.26
27	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	एस61 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	1.39
28	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	आर10	xxxxxxxxxx	2008-09	1.93
29	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	के10 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	0.27
30	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	ए12 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2015-16	0.20
31	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	के16	xxxxxxxxxx	2011-12	0.01
32	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	पी4	xxxxxxxxxx	2013-14	0.00
33	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	एन13	xxxxxxxxxx	2012-13	0.26
34	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	बी8	xxxxxxxxxx	2003-04	0.01
35	केरल	पीसीआईटी (छूट), कोच्चि	टी10	xxxxxxxxxx	2011-12	14.28
36	केरल	पीसीआईटी, कोच्चि	सी14	xxxxxxxxxx	2014-15	0.18
37	हरियाणा	पीसीआईटी, फ़रीदाबाद	ए38 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	25.5
38	हरियाणा	पीसीआईटी, रोहतक	एन4	xxxxxxxxxx	2011-12	0.28
39	हरियाणा	पीसीआईटी, फ़रीदाबाद	सी5 लि.	xxxxxxxxxx	2006-07	179.06
40	कर्नाटक	सीआईटी - अंतर्राष्ट्रीय कराधान, बेंगलुरु	आई5	xxxxxxxxxx	2009-10	108.98

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
41	कर्नाटक	पीसीआईटी (केंद्रीय), कर्नाटक एवं गोवा	जे13	xxxxxxxxxx	2014-15	1.43
42	गोवा	पीसीआईटी, पणजी	एस6	xxxxxxxxxx	2007-08	7.33
43	तेलंगाना	पीसीआईटी-1, हैदराबाद	ए21 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15	4.18
44	तेलंगाना	पीसीआईटी (केंद्रीय), हैदराबाद	वी4 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2015-16	5.89
45	आंध्र प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम	एम29	xxxxxxxxxx	2008-09	4.66
46	तेलंगाना	पीसीआईटी-1, हैदराबाद	एस67 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	28.89
47	तेलंगाना	पीसीआईटी-4, हैदराबाद	एच4	xxxxxxxxxx	2011-12	0.81
कुल						**2,742.47**

अनुलग्नक 5.8
अपात्र निर्धारितियों को योजना का लाभ प्रदान करना
(पैरा 5.5 देखें)

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी/ एओ प्रभार	निर्धारिती का नाम	पैन सं.	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	दिल्ली	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, दिल्ली	एस44 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2008-09	11.78
2	दिल्ली	सीआईटी-12, दिल्ली	एस81	xxxxxxxxxx	2017-18	4.85
3	गुजरात	पीसीआईटी-1, वडोदरा	आर7	xxxxxxxxxx	2012-13	1.95
4	तमिलनाडु	पीसीआईटी, कोयंबटूर	एल10 लि.	xxxxxxxxxx	1991-92	17.69
5	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी (सेंट्रल) भोपाल	आर12	xxxxxxxxxx	2006-07	32.80
6	मध्य प्रदेश	पीसीआईटी (केंद्रीय), भोपाल	आर12	xxxxxxxxxx	2007-08	15.67
7	उतार प्रदेश	पीसीआईटी-1, आगरा	ए34	xxxxxxxxxx	2010-11	13.12
8	उतार प्रदेश	पीसीआईटी-1, कानपुर	टी5	xxxxxxxxxx	1986-87	0.47
9	उत्तराखंड	पीसीआईटी, देहरादून	ओ4 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2001-02	559.80
10	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	बी18	xxxxxxxxxx	2007-08	2.86
11	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	वी2	xxxxxxxxxx	2014-15	6.90
12	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-13, कोलकाता	जी6	xxxxxxxxxx	2009-10	6.31
13	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-5, कोलकाता	जी5 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2015-16	0.69

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी/ एओ प्रभार	निर्धारिती का नाम	पैन सं.	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
14	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, कोलकाता	एस71	xxxxxxxxxx	2011-12	5.50
15	पंजाब	पीसीआईटी-1, जालंधर	एल2	xxxxxxxxxx	2012-13	0.79
16	जम्मू एवं कश्मीर	पीसीआईटी, श्रीनगर	वी1 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2017-18	4.17
17	तेलंगाना	पीसीआईटी-1, हैदराबाद	एस51	xxxxxxxxxx	2011-12	11.12
कुल						**696.47**

अनुलग्नक 5.9

एमएटी क्रेडिट के अनुचित समायोजन के मामले

(पैरा 5.6 देखें)

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी/ एओ प्रभार	निर्धारिती का नाम	पैन सं	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	दिल्ली	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, दिल्ली	ए2 लि.	xxxxxxxxxx	2008-09	12.22
2	कर्नाटक	पीसीआईटी (सेंट्रल), कर्नाटक एवं गोवा	बी25 लि.	xxxxxxxxxx	2016-17	281.15
कुल						**293.37**

अनुलग्नक 5.10

हानि या अनवशोषित मूल्यह्रास को आगे ले जाने की अनुचित अनुमति

(पैरा 5.7 देखें)

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी/ एओ प्रभार	निर्धारिती का नाम	पैन	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	तमिलनाडु	पीसीआईटी-1, चेन्नई	जे7 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2017-18	2,884.84
2	तमिलनाडु	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, चेन्नई	टी15 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	26.78
3	तमिलनाडु	पीसीआईटी (सेंट्रल)-2, चेन्नई	टी15 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	4.02
4	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	ए32 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	6.57
5	झारखंड	पीसीआईटी, धनबाद	एम3 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11	0.83
6	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	पी8 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	1.00
7	झारखंड	पीसीआईटी, रांची	डी14	xxxxxxxxxx	2014-15	5.04
8	मेघालय	पीसीआईटी, शिलांग	एन17 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	860.41
कुल						**3,789.49**

अनुलग्नक 5.11
निर्धारिती को अनुचित प्रतिदाय का भुगतान
(पैरा 5.8 देखें)

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी/ एओ प्रभार	निर्धारिती का नाम	पैन सं.	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-1, पुणे	एस29 लि.	xxxxxxxxxx	2012-13	14.89
2	महाराष्ट्र	पीसीआईटी-3, मुंबई	एस43 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2008-09	63.32
3	पश्चिम बंगाल	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर एवं टीपी), कोलकाता	के2	xxxxxxxxxx	2017-18	0.73
4	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-सेंट्रल-1, कोलकाता	एन1	xxxxxxxxxx	2011-12	3.70
5	कर्नाटक	पीसीआईटी-1, बेंगलुरु	बी22 लि.	xxxxxxxxxx	2002-03	31.93
6	कर्नाटक	पीसीआईटी (सेंट्रल), बेंगलुरु	एल7 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2016-17	1.66
7	कर्नाटक	पीसीआईटी-3, बेंगलुरु	आई6 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2014-15	51.96
8	गोवा	पीसीआईटी, पणजी	सी17	xxxxxxxxxx	2013-14	33.21
कुल						**201.40**

अनुलग्नक 5.12

अनुचित रीति द्वारा शास्ति लगाए जाने के मामले

(पैरा 5.9 देखें)

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन सं.	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	दिल्ली	पीसीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली	आर2	xxxxxxxxxx	2011-12	2.6
2	राजस्थान	पीसीआईटी-2, जयपुर	एन2	xxxxxxxxxx	2015-16	0.11
3	राजस्थान	पीसीआईटी, जोधपुर	ए13 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2016-17	0.03
4	राजस्थान	पीसीआईटी-(छूट), जयपुर	जी15	xxxxxxxxxx	2009-10	0.20
5	असम	पीसीआईटी-केंद्रीय, गुवाहाटी	बी10 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	0.58
6	कर्नाटक	सीआईटी (छूट), बेंगलुरु	एम25	xxxxxxxxxx	2012-13	37.03
7	तेलंगाना	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं टीपी), हैदराबाद	एस58	xxxxxxxxxx	2008-09	6.65
8	ओडिशा	पीसीआईटी-1, भुवनेश्वर	जे2 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2011-12	3.82
9	ओडिशा	पीसीआईटी-1, भुवनेश्वर	जी11 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2009-10	0.77
10	ओडिशा	पीसीआईटी, संबलपुर	एच2 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2013-14	1.42
कुल						**53.21**

अनुलग्नक 6.1

अपीलीय प्राधिकारी के साथ समन्वय का अभाव

(पैरा 6.3 देखें)

क्र. सं.	राज्य	पीसीआईटी	निर्धारिती का नाम	पैन	नि.व.
1	दिल्ली	पीसीआईटी-7, दिल्ली	एस47 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2012-13
2	दिल्ली	पीसीआईटी-7, दिल्ली	एस60 लि.	xxxxxxxxxx	2011-12
3	दिल्ली	पीसीआईटी-7, दिल्ली	एस60 लि.	xxxxxxxxxx	2010-11
4	दिल्ली	आईटी-2	पी11 लि.	xxxxxxxxxx	2014-15
5	पूर्वोत्तर क्षेत्र	पीसीआईटी, गुवाहाटी	के14 लि.	xxxxxxxxxx	2009-10
6	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी-1, आगरा	आर3 प्रा. लि.	xxxxxxxxxx	2010-11

शब्दावली

संक्षेपाक्षर	विवरण
आईएनटीएल.टीएएक्सएन.	अंतर्राष्ट्रीय कराधान
आईएनवी.	तलाशी
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीआर	आयकर विवरणी
आईटीएटी	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीबीए	आयकर व्यवसायिक अनुप्रयोग
आर.एस.डबल्यू.	धारा के साथ पढ़ें
ईएक्सईएम.	छूट
एआई	निर्धारित आय
एएम	लेखापरीक्षा ज्ञापन
एओ	निर्धारण अधिकारी
एचओडी	विभाग प्रमुख
एफ़एओ	क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय
एफ़एक्यू	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एफ़वाई	वित्तीय वर्ष
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एवाई	निर्धारण वर्ष
एसएससीए	विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
ओआईओएस	एक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग एक प्रणाली
जेएओ	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी
टीई	कर प्रभाव
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती

संक्षेपाक्षर	विवरण
टीपी	स्थानांतरण मूल्य निर्धारण
टीसीएस	स्रोत पर कर संग्रह
डीआईटी	आयकर निदेशालय
डीए	नामित प्राधिकारी
डीओआर	राजस्व विभाग
डीजीआईटी	आयकर महानिदेशक
डीजीएसीआर	महालेखापरीक्षक, केंद्रीय प्राप्ति
डीटीवीएसवी	प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास
डीसीआईटी	उपायुक्त आयकर
डीसीआर	मांग एवं संग्रह पंजिका
पीआरडीजीआईटी .	प्रधान आयकर महानिदेशक
पीडीएसी	प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (केंद्रीय)
पीसीआईटी	प्रधान आयकर आयुक्त
पीसीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
पैन	स्थायी खाता संख्या
सीएंडएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीआईटी(ए)	आयकर आयुक्त (अपील)
सीईओ	परिणामी प्रभाव आदेश
सीपीसी	केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीसीआईटी	मुख्य आयकर आयुक्त

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/page-8-of-26